1008

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

की निष्पादन लेखापरीक्षा

(कृषि मंत्रालय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

2015 की प्रतिवेदन सं. 11

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

© भारत के नियंत्रक-महालेखपरीक्षक
www.cag.gov.in

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)
की निष्पादन लेखापरीक्षा
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)

कृषि मंत्रालय

2015 की प्रतिवेदन सं. 11

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

		विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन			v
कार्यकारी सारांश एवं अनुशंसाएं			vii
अध्याय-1	**प्रस्तावना**		
	1.1	पृष्ठभूमि	1
	1.2	कार्यक्रम के उद्देश्य	3
	1.3	रा.कृ.वि.यो. की मूल विशिष्टताएं	3
	1.4	रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत स्ट्रीम्स तथा उप-योजनाएं	6
	1.5	उप-योजनाओं सहित रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधीयन	6
	1.6	परिचालनात्मक ढांचा	7
अध्याय-2	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण**		
	2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	8
	2.2	लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत	8
	2.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना	9
	2.4	लेखापरीक्षा पद्धति	12
	2.5	आभार प्रकट	13
अध्याय-3	**योजना प्रक्रिया एवं समन्वय**		
	3.1	प्रस्तावना	14
	3.2	जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण में कमियां	15
	3.3	मंत्रालय को रा.कृ.यो. का प्रस्तुतीकरण	18
	3.4	मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त संवीक्षा	19
	3.5	उन परियोजनाओं को स्वीकृति जो रा.कृ.वि.यो. से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे/अनुमेय नहीं थी	21

	3.6	परियोजनाओं के अनियमित अनुमोदन/ कार्यान्वयन के अन्य मामले	22
	3.7	राज्यों में अन्य विभागों/योजनाओं के साथ समन्वय	23
	3.8	अभिसरण/समन्वय गतिविधियों की अनुपस्थिति	24
	3.9	निष्कर्ष	25
अध्याय-4	**वित्तीय प्रबंधन**		
	4.1	प्रस्तावना	27
	4.2	निधि को जारी तथा उपयोग करना	29
	4.3	राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने पर टिप्पणियॉ	34
	4.4	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	35
	4.5	निधि जारी करने की प्रक्रिया में विचलन	36
	4.6	विभिन्न स्तरों पर निधि जारी किए जाने में देरी के कारण निधि का अवरोधन	37
	4.7	कम निधि का जारी किया जाना तथा इसका परियोजनाओं पर प्रभाव	39
	4.8	रा.स्त.मं.स. संस्वीकृति के बिना अधिक व्यय	41
	4.9	रा.कृ.वि.यो. निधि के एक प्रतिशत शेयर से व्यय में अनियमितता	41
	4.10	निधि की पार्किंग तथा उस पर अर्जित ब्याज	43
	4.11	निधियों का विचलन	44
	4.12	अन्य अनियमिताएँ	44
	4.13	निष्कर्ष	44
अध्याय-5	**परियोजना कार्यान्वयन**		46
	5.1	स्ट्रीम-I परियोजनाएं	50
	5.2	स्ट्रीम-II परियोजनाएं	98
	5.3	रा.कृ.वि.यो. की उप-योजनाएं	101
	5.4	निष्कर्ष	112

अध्याय-6	**मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन**		
	6.1	प्रस्तावना	**114**
	6.2	राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग	**114**
	6.3	मंत्रालय के अधिकारियों के दौरों द्वारा मॉनीटरिंग	**114**
	6.4	वेब-आधारित मॉनीटरिंग	**115**
	6.5	एन.आई.आर.डी. तथा सलाहकारों के माध्यम से मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	**115**
	6.6	राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	**118**
	6.7	निष्कर्ष	**122**
अध्याय-7	**निष्कर्ष**		**124**
अनुबंध			**129-248**
शब्दावली			**249**

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद में प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में कृषि मंत्रालय, संघ सरकार के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जो 2007-08 से 2012-13 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) को पिछले दशकों में विचलित कृषि वृद्धि के पृष्ठपट के प्रति XI वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया था क्योंकि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर आंठवी पंचवर्षीय योजना में 4.8 प्रतिशत से नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमश: 2.5 तथा 2.4 प्रतिशत तक कम हुई। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की घटती वृद्धि दर से चिन्हित राष्ट्रीय विकास परिषद (रा.वि.प.) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। रा.कृ.वि.यो. को राज्यों को परियोजनाओं, जो विशेष रूप से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में वृद्धि उत्पन्न करने हेतु, उनकी परिस्थितियों के अनुकूल हो, का चयन करने हेतु पूर्ण पूर्व नम्यता सहित एक राज्य प्लान योजना के रूप में तैयार किया गया था। रा.कृ.वि.यो. को राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना था, जिससे कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को प्राप्त किया जा सके। 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹32,460.45 करोड़ के आवंटन के प्रति ₹30,873.38 करोड़ की राशि 28 राज्यों तथा सात संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई थी।

उपर्युक्त घटकों की पृष्ठभूमि में हमने यह निर्धारित करने के दृष्टांत से इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने का निर्णय लिया था, कि क्या राज्यों द्वारा रा.कृ.वि.यो. का कार्यान्वयन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार था तथा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से योजना के नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाई थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अवधि, रा.कृ.वि.यो. के प्रारम्भ अर्थात् 2007-08 से 2012-13 तक है। रा.कृ.वि.यो. के समग्र पर्यवेक्षण के संबंध में मंत्रालय की भूमिका के लेखापरीक्षण के अतिरिक्त, मिजोरम के अलावा, 27 राज्यों में रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन की जांच की गई थी।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2, रा.कृ.वि.यो. तथा हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर, पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करते हैं। अध्याय 3 तथा 4 क्रमश:

योजना तथा अभिसरण/समन्वय एवं वित्तीय प्रबंधन के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अध्याय 5 रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन पर केन्द्रीत हैं। अध्याय 6 रा.कृ.वि.यो. के मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रदान करता है। अध्याय 7 पिछले अध्यायों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार प्रस्तुत करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

क) योजना प्रक्रिया

- समीक्षा में शामिल 27 राज्यों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राज्यों में विभिन्न पहलुओं, जैसे कि ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/ ब्लॉक कृषि योजना इकाई/ ग्राम कृषि योजना इकाई जैसे मूल स्तरीय अभिकरणों का गैर-आवेष्टन/ भागीदारी, जिला कृषि योजना (जि.कृ.यो.) तैयार करने में मूल सहयोग का अभाव, राज्य कृषि योजना (रा.कृ.यो.) तैयार करने में कमियॉ जैसे कि कृषि-जलवायु अध्ययन/ अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण का अभाव, परियोजनाओं की शैल्फ तैयार न किया जाना, आदि में योजना प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी।

- पांच राज्यों में, ₹ 1962.29 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली 143 परियोजनाओं को, इन्हें जि.कृ.यो. में दर्शाए बिना, रा.कृ.यो. में शामिल किया गया था, जो यह दर्शाता है कि मूल स्तर पर आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया गया था।

- मंत्रालय, तथाकथित समय की कमी के कारण, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की उचित रूप से संवीक्षा करने में समर्थ नहीं था। मंत्रालय में विषय मामला प्रभागों द्वारा इंगित कमियों, जैसे कि अन्य के.प्रा.यो./राज्य प्लान योजनाओं के साथ आवृति का जोखिम, के बावजूद राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति (रा.स्त.मं.स.) द्वारा, उनका निपटान किए बिना, परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था।

- मंत्रालय द्वारा ₹ 367.99 करोड़ की लागत के नौ राज्यों के 73 परियोजना प्रस्तावों के संबंध में इंगित कमियों को रा.स्त.मं.स. द्वारा अनदेखा किया गया था तथा इन परियोजनाओं की कमियों का निपटान किए बिना स्वीकृति किया गया था।

- चार राज्यों में ₹ 64.60 करोड़ की लागत की दस परियोजनाओं, को जो सीधे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित नहीं थी, रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा रा.क.वि.यो. के अंतर्गत निधियां प्राप्त की थीं।

- राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने वर्तमान भारत सरकार की योजनाओं अथवा वर्तमान राज्य प्लान योजनाओं के साथ रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के गैर-अभिसरण के उदाहरणों को प्रकट किया। लेखापरीक्षा जांच ने, 14 क्षेत्रों तथा आठ उप-योजनाओं में नोडल विभाग तथा कार्यान्वयन विभागों/अभिकरणों के बीच, गैर-समन्वय को भी उजागर किया।

ख) वित्तीय प्रबंधन

- मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान, ₹31732.06 करोड़ के आवंटन से ₹30494.50 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा ₹27938.52 करोड़ का व्यय किया गया था।

- मंत्रालय द्वारा सूचित तथा राज्यों द्वारा सूचित निर्गम तथा व्यय के आंकड़ों की तुलना ने प्रकट किया कि राज्यों ने समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 4289.20 करोड़ तक अनुदान की अधिक प्राप्ति सूचित की थी। इसी प्रकार, राज्यों ने ₹ 31916.53 करोड़ का व्यय सूचित किया था जबकि मंत्रालय ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹ 27938.01 करोड़ का व्यय सूचित किया जिसका परिणाम ₹ 3978.01 करोड़ के अंतर में हुआ। मंत्रालय ने आकड़ों का समाधान करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

- लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों ने दर्शाया कि सितम्बर 2013 को, 26 राज्यों (नागालैण्ड के सिवाए) से 2008-09 से 2012-13 की अवधि हेतु ₹2610.07 करोड़ की राशि के उ.प्र. अप्राप्त थे।

- 12 राज्यों में, नोडल विभाग/अभिकरण द्वारा मंत्रालय को तथा कार्यान्वयन विभागों/अभिकरणों द्वारा नोडल विभाग/अभिकरण को गलत उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के मामले पाए गए थे। कार्यान्वयन अभिकरणों तथा नोडल विभागों द्वारा व्यय के रूप में निर्गमों को बहिर्वेशन की वर्तमान प्रक्रिया ने, वास्तविक व्यय को बढ़ाया तथा वित्तीय निष्पादन की स्थिति को विकृत बनाया।

- 12 राज्यों में, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु आवंटन को, समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान, कुल आवंटन के अनुपात में न तो बढ़ाया गया था और न ही घटाया गया था। इस प्रकार, इन राज्यों में, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के रा.कृ.वि.यो. के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

- 20 राज्यों में, राज्यों द्वारा नोडल विभाग/ अभिकरण को निधियां एक से 23 महीनों के बीच के विलम्ब से जारी की गई थीं। 17 राज्यों में, नोडल विभाग/अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन विभाग/ अभिकरण को निधियां एक से 34 महीनों के बीच के विलम्ब से जारी की गई थी।

- सात राज्यों में, 50 परियोजनाओं पर ₹106.13 करोड़ का व्यय रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के बिना, संस्वीकृति से अधिक किया गया था।

- मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु रा.कृ.वि.यो. निधियों के एक प्रतिशत के रूप में ₹195.45 करोड़ के आवंटन में से केवल ₹75.96 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था। ₹75.96 करोड़ के कुल व्यय में से ₹50.27 करोड़ की राशि का व्यय केवल रा.कृ.वि.यो. हेतु नहीं

किया गया था। नौ राज्यों में एक प्रतिशत अंश के आवंटन में से कुल ₹7.65 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय के, विभिन्न उदाहरण पाए गए थे।

- 11 राज्यों में ₹759.03 करोड़ की अनुदाने निजी बही खातों/निजी जमा खातों/बचत बैंक खातों/आदि में रखी पाई गई थीं।

- चार राज्यों में, लेखापरीक्षा में अन्य उद्देश्यों हेतु, ₹114.45 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. अनुदानों का, अपवर्तन पाया गया था।

ग) परियोजनाओं का कार्यान्वयन

स्ट्रीम-I परियोजनाएं

- 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान 19 चयनित क्षेत्रों में संस्वीकृत 4061 परियोजनाओं में से 2506 परियोजनाएं सम्पूर्ण हो गई थीं, 1279 प्रगति में थीं, 85 को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया था, 100 का परित्याग तथा 90 को छोड़ दिया गया था। ₹134.95 करोड़ की राशि का व्यय 28 परित्याग की गई परियोजनाओं पर किया गया था।

- लेखापरीक्षा जांच हेतु रा.कृ.वि.यो. के 19 क्षेत्रों में चयनित 393 परियोजनाओं में से 150 परियोजनाओं (38 प्रतिशत) में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे।

- 19 राज्यों में ₹ 1404.94 करोड़ की लागत की 62 परियोजनाओं में लक्षित उत्पादनों की उपलब्धि में कमियां पाई गई थीं।

- पांच राज्यों में ₹ 244.74 करोड़ की लागत की नौ परियोजनाओं में ₹ 91.24 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियों को दूसरी योजनाओं/उद्देश्यों के लिए अपवर्तित किया गया था।

- चार राज्यों में ₹ 55.65 करोड़ की लागत की पांच परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर ₹ 21.58 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियां अवरूद्ध/रूकी रही थीं।

- पांच राज्यों में ₹ 24.07 करोड़ की लागत की पांच परियोजनाओं में ₹ 12.21 करोड़ का निष्फल व्यय पाया गया था।

- पांच राज्यों में ₹ 24.12 करोड़ की लागत की छः परियोजनाओं में ₹ 8.15 करोड़ का निष्फल व्यय पाया गया था।

स्ट्रीम-II परियोजनाएं:

- लेखापरीक्षा हेतु स्ट्रीम-II के अंतर्गत चयनित 40 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं (27 प्रतिशत) में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे।

रा.कृ.वि.यो. की उप-योजनाएं

- 2010-11 से 2012-13 के दौरान, ₹5109.46 करोड़ जारी किए गए थे तथा ₹623.94 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए, ₹4485.52 करोड़ का व्यय किया गया था।

- अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के 11 राज्यों के अभिलेखों की संवीक्षा ने छः उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियों को प्रकट किया।

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के राज्यों के दौरों के माध्यम से मॉनीटरिंग की प्रभावकारिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता था क्योंकि विवरणों को प्रलेखित नहीं किया गया था।

- एन.आई.आर.डी. के माध्यम से मॉनीटरिंग भी अपूर्ण थी क्योंकि 32 कार्यों में से एन.आई.आर.डी. 16 कार्यों को ही पूरा कर सकी थी। एन.आई.आर.डी. द्वारा दिसम्बर 2010 की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं पर मंत्रालय द्वारा अनुपालन कार्रवाई को भी प्रलेखित नहीं किया गया था।

- 16 राज्यों में रा.स्त.मं.स. की बैठकों में 50 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत तक की कमी पाई गई थीं। 70 प्रतिशत से अधिक की कमी 4 राज्यों में पाई गई थी।

- 15 राज्यों में, रा.कृ.वि.यो. सिस्टम में डाले गए डाटा में विसंगतियों पाई गई थी।

अनुशंसाएं

1. *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र एवं कृषि जलवायु परिस्थियों को ध्यान में रख कर ही योजनाएं तैयार की गई हों।*

2. *मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि राज्य केवल उन परियोजनाओं को प्रारम्भ करें जो जि.कृ.यो. एवं रा.कृ.यो. के अनुकूल हैं।*

3. *मंत्रालय को संवीक्षा एवं निर्णय लेने में सुगमता हेतु, राज्य को स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। मंत्रालय अपने आप को इंटर/इंटरा मंत्रालय परामर्श एवं संस्वीकृति प्रक्रिया हेतु वास्तविक समय सीमाएं दे सकता है।*

4. *कृषि क्षेत्र में योजनाओं की जटिलता और विविधता को दूर करने हेतु योजना के डिजाइन का पुन:निरीक्षण किया जा सकता है।*

5. *आंकड़ों का मिलान करना एक आवश्यक आंतरिक नियंत्रण अभ्यास है तथा इसे प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।*

6. *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों ने अपने कुल आवंटन के अनुपात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों हेतु उनके बजटीय आवंटन में वृद्धि की हो ताकि राज्यों को प्रोत्साहित करने के रा.कृ.वि.यो. के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।*

7. *यह प्रमाणित करने हेतु कि निधियों का प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है, मंत्रालय को निधियन को मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.) पर आधारित परियोजना से जोड़ना चाहिए।*

8. *स्ट्रीम-I, स्ट्रीम-II एवं उप-योजनाओं के तीन बास्केट में से चयन करने का विकल्प रखने के स्थान पर, मंत्रालय को योजना का नियंत्रण एवं स्वामित्व रखते समय, इनपुटों में राज्यों को स्वायत्तता देनी चाहिए।*

9. *जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया परियोजनओं के कार्यान्वयन में कमियों के समाधान हेतु मंत्रालय को राज्य सरकारों से सहयोग करना चाहिए।*

10. *मंत्रालय को मापने योग्य लक्ष्यों जैसे कि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि जो कि पहले निरीक्षण योग्य भी हैं।*

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा देश के विकास का आधार बनती हैं। औसतन भारतीय अभी भी अपने कुल व्यय का लगभग आधा खाने पर खर्च करता है जबकि भारत का आधा कार्यबल अपनी अजीविका हेतु अभी भी कृषि में लगा हुआ है। अजीविका का एक साधन तथा समाज के निम्न आय, गरीब तथा असुरक्षित वर्गों के एक बड़े समूह हेतु खाद्य सुरक्षा दोनों होने से इसका निष्पादन बड़ा महत्व रखता है। ब्रिक्स[1] देशों से अनुभव दर्शाता है कि कृषि में एक प्रतिशत वृद्धि गैर कृषि क्षेत्रों[2] से उत्पन्न बराबर वृद्धि की तुलना में गरीबी को कम करने में कम से कम दो से तीन गुना अधिक प्रभावी है।

भारत में कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के अंश में 1990-91 में 30 प्रतिशत से 2010-11 में 14.5 प्रतिशत तक गिरावट के रूप में सार्थक परिवर्तनों से गुजरा है जो परम्परागत कृषिक अर्थव्यवस्था से एक सेवा प्रबल की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ तुलना करने पर नौवमी तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर में वास्तव में पर्याप्त मंदी थी जैसा निम्न चार्ट से सुस्पष्ट है:

[1] ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका

[2] स्रोत: भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12,कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि

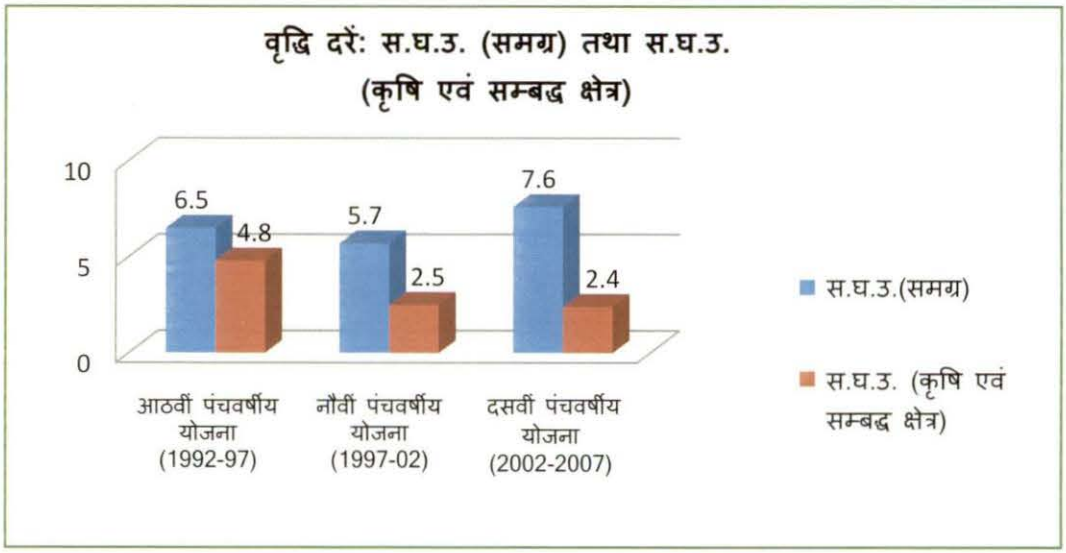

स्त्रोत: भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12, कृषि एवं सहकारिता विभाग, मंत्रालय

कृषि में धीमी वृद्धि के पीछे मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र मे निवेशों में निरतंर कमी को आरोप्य था। जबकि सार्वजनिक एवं निजी निवेशों की अवसरंचना जैसे क्षेत्रों मे अधिक वृद्धि हो रही थी फिर भी यह निवेश कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में निकट भी नही थे जेा किसानें के समुदाय विशेषकर लघु तथा सीमावर्ती खण्ड में संकट का कारण बनें।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से चिन्तित राष्ट्रीय विकास परिषद (रा. वि. प.) ने मई 2007 में अपनी बैठक में एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना, जो राज्यों को कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मामलों तथा प्रोधोगिकी को ध्यान में रखकर तथा पालतु पशु, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालनो को पूर्ण रूप से अलग करके अपने कृषीय क्षेत्रों हेतु योजना तैयार करने मे प्रोत्साहन देगी, को प्रारम्भ करने का निश्चय किया। रा.वि.प. का लक्ष्य ग्यारवहीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषीय क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक दर को प्राप्त करना था।

कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (मंत्रालय) ने उपर्युक्त निश्चय तथा योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 2007-08 से पूर्ण देश में सभी राज्यों तथा सं.शा.क्षे. में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा. कृ. वि. यों.) प्रारम्भ की (अगस्त 2007)।

1.2 कार्यक्रम के उद्देश्य:

रा.कृ.वि.यो. का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में साकल्यवादी विकास को सुनिश्चित करके XIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना है। रा.कृ.वि.यो. के मुख्य उद्देश्य थे:

- राज्यों को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र योजनाओं की योजना एवं निस्पादित करने की प्रक्रिया में राज्यों को नम्यता तथा स्वायत्ता प्रदान करना।
- जिलों तथा राज्यों हेतु कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्रोधोगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित कृषीय योजनाओं को तैयार करने को सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताओं/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्यों की योजनाओं में अच्छी तरह दर्शाया गया है।
- संकेन्द्रित मध्यस्थता के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उत्पन्न अंतरों को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ देना।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विभिन्न संघटकों का साकल्यवादी प्रकार से निपटान करके उनके उत्पादन तथा उत्पादकता में परिमाणीय परिवर्तन लाना।

1.3 रा.कृ.वि.यो. की मूल विशिष्टताएं

रा.कृ.वि.यो. एक राज्य प्लान योजना है। रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु राज्य योजना बजटों में प्रदत्त राशि पर निर्भर है जो राज्य सरकारों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर किए गए आधार रेखा

प्रतिशत व्यय से अधिक है। प्रत्येक राज्य रा.कृ.वि.यो. प्राप्त करने का तभी पात्र है अगर तथा केवल अगर:

(i) अपने कुल राज्य योजना (रा.कृ.वि.यो. निधियों को हटाकर) व्यय में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के आधार रेखा अंश को न्यूनतम रखा गया है। व्यय के आधार रेखा व्यय का निर्धारण पिछले वर्ष से पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना में कृषि के अंतर्गत किए गए व्यय[3] (रा.कृ.वि.यो. निधियों को हटाकर) की औसत प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

(ii) रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत, राज्यों को जिला कृषीय योजनाएं (जि.कृ.यो.) तथा राज्य हेतु समग्र के रूप में एक राज्य कृषीय योजना (रा.कृ.यो.) व्यापक रूप से संसाधनों को शामिल करें तथा 2007-08 से 2011-12 से पांच वर्षों की अवधि हेतु सुस्पष्ट कार्य योजना को दर्शाए, तैयार करना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों का पैरा 2.4 अनुबन्ध करता है कि चूंकि रा.कृ.वि.यो. कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु पूर्ण राज्य योजना पर लागू है इसलिए योजना आयोग तथा मंत्रालय एक साथ वार्षिक योजना स्वीकृति कार्य के भाग के रूप में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु प्रत्येक राज्य के समग्र योजना प्रस्तावों की जाचं करेंगे।

रा.कृ.वि.यो. स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II के कार्यान्वयन हेतु परिचालनात्मक ढांचा को दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:

[3] व्यय के आधार रेखा अंश अर्थात् 'व्यय की औसत प्रतिशतता' हेतु निर्देश चिन्ह का योजना आयोग द्वारा मार्च 2008 में 'व्यय की न्यूनतम प्रतिशतता' में संशोधन किया गया था।

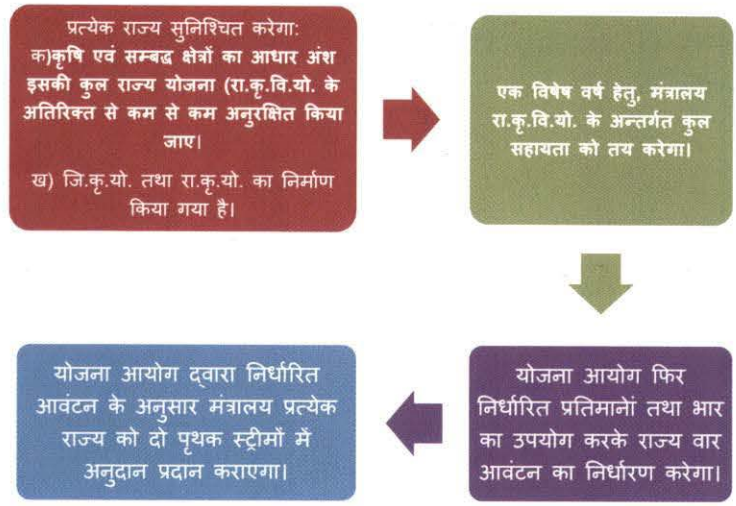

2007-08 हेतु रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत सहायता को निर्धारित करने हेतु मत्रांलय को सभी योग्य राज्यों हेतु आधार रेखा से अधिक सभी ऐसे व्यय को जोड़ना था, (₹ X करोड़ कहते हैं) तथा फिर इस शर्त के तहत कि लगभग X/2 रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत आबंटित किया गया था, और तब 2007-08 में कुल रा.कृ.वि.यो. सहायता का निर्धारण करना था (₹Y करोड़ कहते है)। एक बार राशि ₹ Y करोड़ का निर्धारण कर लिया जाता है तो 2007-08 हेतु प्रत्येक राज्य को आंबटन को योजना आयोग द्वारा प्रतिमानों तथा भार का उपयोग करके निर्धारण किया जाएगा जैसा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.1

क्रम सं.	प्रतिमान	भार (प्रतिशत में)
1.	पात्र राज्यों के निवल गैर-सिचांई क्षेत्र के प्रति राज्य में निवल गैर-सिचांई क्षेत्र का प्रतिशतता अंश। पात्र राज्य वह राज्य है जो राज्य योजना तथा जिला एवं राज्य कृषीय योजनाएं तैयार करने के अतंर्गत व्यय के अपने आधार रेखा स्तर के आधार पर रा.कृ.वि.यो. प्राप्त करने के पात्र हुए ।	20
2.	कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु एक मूल वर्ष के स.रा.घ.उ. (2005-06 कहे) के प्रति प्रक्षेपित वृद्धि दरें स.रा.घ.उ. पर लागू होगी जिसे राज्यों दवारा 11वीं योजना तक प्राप्त किया जाना है । प्रतिमान को इन स.रा.घ.उ. के अंत: राज्य अनुपात के अनुसार निर्धारत किया जाएगा जिसे 11वीं योजना की समाप्ति तक राज्यों द्वारा	30

	प्राप्त किया जाना प्रक्षेपित है ।	
3.	उस वर्ष से पहले के वर्ष से अधिक पिछले वर्ष में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कुल योजना व्यय में वृद्धि।	50

1.4 रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत स्ट्रीम्स तथा उप-योजनाएं

रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों को दो अलग स्ट्रीमों अर्थात स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II में उपलब्ध थी। सिंचाई, बीज, पशुपालन आदि सहित पहले से मौजूद 20 क्षेत्रों के अंतर्गत विशिष्ट परियोंजनाओं हेतु राज्यों द्वारा कम से कम 75 प्रतिशत आंबटित राशि को स्ट्रीम-I के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाना था।

स्ट्रीम-II के अंतर्गत, राज्य को आंवटित निधि का अधिकतम 25 प्रतिशत कृषि से संबंधित मौजूदा राज्य क्षेत्र योजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा राज्य प्लान योजना मे ससांधन अतंर को पूरा करने के लिए उपलब्ध था। योजना ने राज्यों को केवल स्ट्रीम-I, परंतु इसके विपरीत स्वीकार्य नहीं था, के अतंर्गत अपनी पूर्ण आवंटित रा.कृ.वि.यो. निधियों के उपयोग का चयन करने को अनुमत करके नम्यता प्रदान की ।

तीसरी श्रेणी नामत: रा.कृ.वि.यों. के अतंर्गत उप-योजनांओं को माननीय वित मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण, 2010-11 में की गई बजट घोषणा तथा 2011-12 एवं 2012-13 में इसी प्रकार की घोषणाओं के अनुसार प्रारम्भ किया गया था। ये केन्द्र द्वारा नई घोषित योजनाएं थीं जिन्हें रा.कृ.वि.यो. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भ किया जाना था।

1.5 उप-योजनाओं सहित रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधीयन

2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान आवंटित निर्गम निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका-1.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंवटन	निर्गम	व्यय
2007-08	1489.70	1246.89	1246.79
2008-09	3165.67	2886.80	2880.88
2009-10	3806.74	3760.93	3756.51
2010-11	6913.08	6732.33	6718.64*
2011-12	7860.00	7838.43	7507.37*
2012-13	9225.26	8408.00	5973.70
योग	**32460.45**	**30873.38**	**28083.89**

(स्त्रोत: मंत्रालय)

* सं.शा.क्षे. के व्यय के आकड़े शामिल नहीं है जो उपलब्ध नहीं थे

1.6 परिचालनात्मक ढांचा

यह स्पष्ट है कि रा.कृ.वि.यो. एक मिश्रित कार्यक्रम है जो राज्यों को कृषीय क्षेत्र में अपने स्वंय की पहलों के आधार पर राज्य योजना के अतंर्गत केन्द्रीय निधियों तक पहुंच के अनुमत करता है। उनके लिए भारत सरकार द्वारा 2010-11 से प्रारम्भ कुछ रा.कृ.वि.यो. उप-योजनाओं के अंतर्गत भी निधियां उपलब्ध थीं। तथा प्रत्येक उप-योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपने स्वयं के दिशानिर्देश है । निधि का आंवटन मंत्रालय में संबंधित विषय मामला प्रभाग द्वारा किया जाता है जो माननीय कृषि मंत्री द्वारा स्वीकृत होता है ।

अध्याय-2

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने का समग्र उददेश्य यह निर्धारित करना था कि क्या रा.कृ.वि.यो. कार्यक्रम ने देश में कृषीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाया था, अन्य उद्देश्यों का परीक्षण करना था कि वे:-

- राज्यों द्वारा कार्याक्रम की योजना तथा कार्यान्वयन रा.कृ.वि.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार थी।
- वित्तीय प्रबंधन ने निधियों की पर्याप्त एवं सामयिक उपलब्धता तथा उनके प्रभावी एवं मितव्ययी उपयोग को सुनिश्चित किया।
- रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय तथा राज्य विभाग/अभिकरणों के बीच प्रभावी समन्वय था।
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को स्थापित किया गया था तथा रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन पर दक्ष एंव प्रभावी मानीटरिगं तथा नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु वह प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त थी।

2.2 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत

इस लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्त्रोत थे:

- योजना दस्तावेज;
- रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन हेतु मत्रांलय द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन के मूल्यांकन अध्ययन;

- रा.कृ.वि.यो. के सम्बंध में मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेश;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005;
- रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर जारी अनुदेश/दिशानिर्देश; तथा
- राज्यों की सामान्य वितीय तथा लेखांकन नियमावली।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना

रा.कृ.वि.यो. को देश के सभी 28 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों (सं.शा.क्षे.) में कार्यान्वित किया गया था। इस निस्पादन लेखापरीक्षा ने मिजोरम (चुकिं रा.कृ.वि.यो. केवल 2010-11 से जाकर ही राज्य में कार्यान्वयनाधीन थी) के सिवाय सभी राज्यों में 2007-08 से 2012-13 की अवधि को शामिल करके इसके कार्यान्वयन को शामिल किया। सात सं.शा.क्षे. को भी इस निस्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि सं.शा.क्षे. में रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय नगण्य थे।

नमूना चयन:

(क) रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत स्ट्रीम-I क्षेत्रों तथा परियोजनाओं का चयन

स्ट्रीम-I क्षेत्रों तथा परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना के चयन में निम्नलिखित तीन चरण शामिल है:

(क) क्षेत्रों का चयन–चूंकि क्षेत्र 'सूचना प्रौधोगिकी' पर 2007-12 के दौरान व्यय स्ट्रीम-I के अंतर्गत अन्य 19 क्षेत्रों की तुलना मे काफी कम था, इसलिए इसे इस निस्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

शेष 19 क्षेत्रों को इनके द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु मंत्रालय को सूचित, इन प्रत्येक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय के आधार पर प्रत्येक 27 राज्यों हेतु तीन श्रेणियों क, ख तथा ग में समूहित किया गया था। क्षेत्रो की प्रतिशतता, जिसका फिर प्रत्येक राज्य में निम्नानुसार लेखापरीक्षा जांच हेतु चयन किया गया था:

तालिका-2.1

क्षेत्र की क्षेणी	2007-08 तथा 2011-12 के दौरान सूचित व्यय	लेखापरीक्षा हेतु चयनित प्रतिशतता
श्रेणी 'क'	> ₹ 100 करोड़	100
श्रेणी 'ख'	> ₹ 50 करोड़ < ₹ 100 करोड़	60
श्रेणी 'ग'	< ₹ 50 करोड़	30

उपर्युक्त मापदण्ड के आधार पर प्रत्येक राज्य हेतु चयनित क्षेत्रों के ब्यौरे **अनुबंध-।** में दिए गए है।

(ख) **परियोजनाओं का चयन** – अगले चरण में, प्रत्येक 27 राज्यों में श्रेणी 'क', 'ख', तथा 'ग' में प्रत्येक क्षेत्र में 10 प्रतिशत परियोजनाओं (न्यूनतम दो तथा अधिकतम पॉच परियोजनाओं के तहत) का चयन 'प्रतिस्थापन पद्धति सहित आकार के प्रति समानुपाती सम्भाव्यता' का उपयोग करके चयन किया गया था (कुल 393 परियोजनाएं)।

(ग) **जिलों का चयन**–फील्ड स्तर पर परियोजना अभिलेखों की विस्तृत जांच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन, आदि हेतु प्रत्येक राज्य में (आम जिलों का पहले चयन किया गया था) लेखापरीक्षा जांच के लिए कम से कम पांच जिले प्रति क्षेत्र का चयन किया गया था। तदनुसार, इस संबंध में 27 राज्यों में 270 जिलों का चयन किया गया था।

(ख) रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत स्ट्रीम-।। परियोजनाओं का चयन

स्ट्रीम-।। हेतु, प्रत्येक राज्य में नमूना – जाचं हेतु दो परियोजनाओं का याद्च्छिक प्रकार से चयन किया गया था। 27 राज्यों में से सात राज्यों ने स्ट्रीम-।। के अतंर्गत किसी भी परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया था। इस प्रकार 20 राज्यों मे 40 परियोजनाओं का चयन किया गया था।

(ग) रा.कृ.वि.यो. के अंतगर्त उप-योजनाओं का चयन

10 उप-योजनाओं में से छ:[1] उच्चतम परिव्यय वाली परियोजनाओं का चयन किया गया था।

तालिका 2.3 उपर्युक्त नमूना चयन विधि तत्रं का अनुपालन करके इस निष्पादन लेखापरीक्षा मे शामिल क्षेत्रों, परियोजनाओं तथा जिलों की संख्या की राज्य-वार स्थिति का सार प्रस्तुत करती है:

तालिका-2.2

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्ट्रीम-I			स्ट्रीम-II के अंतर्गत परियोजनाओं की सख्यां
		क्षेत्र	परियोजनाएं	जिले	
1.	आध्र प्रदेश	8	16	4	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	6	5	2
3.	असम	7	15	15	0
4.	बिहार	7	11	13	0
5.	छतीसगढ़	9	19	13	2
6.	गोवा	2	3	2	2
7.	गुजरात	8	21	14	2
8.	हरियाणा	7	15	15	2
9.	हिमाचल प्रदेश	5	11	5	2
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5	13	5	2
11.	झारखण्ड	6	11	5	2
12.	कर्नाटक	11	28	20	2

[1] (i) पू.भा.ह.का.ला. बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल
(ii) एन.एम.पी.एस. असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश
(iii) वर्षा सिचित क्षेत्रों में 60.000 दाल उत्पादन ग्रामों का एकीकृत विकास-मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश
(iv) रा.प्रो.सं.मि. - अरूणाचल प्रदेश, गुजरात तथा उत्तराखण्ड
(v) ती.मि.प्रो.प्रौ.सु.प.- गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तराखण्ड
(vi) ख.चा.वि.का.-गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश

13.	केरल	9	28	14	2
14.	मध्यप्रदेश	11	22	15	0
15.	महाराष्ट्र	9	19	5	2
16.	मणिपुर	3	6	5	2
17.	मेघालय	4	7	7	0
18.	नागालैण्ड	5	10	5	0
19.	ओडिशा	7	13	7	2
20.	पंजाब	6	14	16	0
21.	राजस्थान	6	13	19	2
22.	सिक्किम	5	7	4	2
23.	तमिलनाडू	10	25	5	0
24.	त्रिपुरा	4	9	4	2
25.	उत्तर प्रदेश	10	21	29	2
26.	उत्तराखण्ड	4	7	5	2
27.	पश्चिम बंगाल	8	23	14	2
	कुल		**393**	**270**	**40**

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा 17 अप्रैल 2013 का एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ हुई जहॉ लेखापरीक्षा उददेश्यों, क्षेत्र तथा पद्धति को बताया गया था। प्रवेश सम्मेलन राज्य स्तर पर भी किए गए थे।

लेखापरीक्षा दलों ने मंत्रालय, राज्य, जिला तथा परियोजना स्तरों पर रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा दलों द्वारा चयनित परियोजना स्थलों के भौतिक सत्यापन भी किए गए थे।

लेखा परीक्षा की समाप्ति के पश्चात राज्यों के साथ साथ मंत्रालय में लेखापरीक्षा की समाप्ति पर निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु निर्गम सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। मंत्रालय तथा राज्यों से प्राप्त उत्तरों पर इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय विचार किया गया है तथा सम्भव सीमा तक शामिल किया गया है।

2.5 आभार प्रकट

लेखापरीक्षा इस निस्पादन लेखापरीक्षा को किए जाने के दौरान कृषि मंत्रालय, कृषि एंव सहकारिता विभाग, राज्य कृषीय विभाग, कार्यान्वयन विभाग/अभिकरण तथा उनके अधिकारियों द्वारा प्रदान सहयोग एंव सहायता का आभार प्रकट करती है।

अध्याय-3

योजना प्रक्रिया एवं समन्वय

3.1 प्रस्तावना

रा.कृ.वि.यो. का एक मुख्य उद्देश्य कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों तथा राज्यों हेतु कृषि योजनाएं तैयार किए जाने को सुनिश्चित करना था। राज्यों द्वारा व्यापक रूप से संसाधनों को आवृत्त करते हुए सुस्पष्ट कार्य योजनाओं को समग्र राज्य एवं प्रत्येक जिले में अलग-अलग कृषीय योजनाओं को तैयार करना अपेक्षित था। इन कृषीय योजनाओं को बुनियादी स्तर से तैयार किए जाने से लेकर मंत्रालय तथा योजना आयोग को उनके प्रस्तुतीकरण तक की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है:

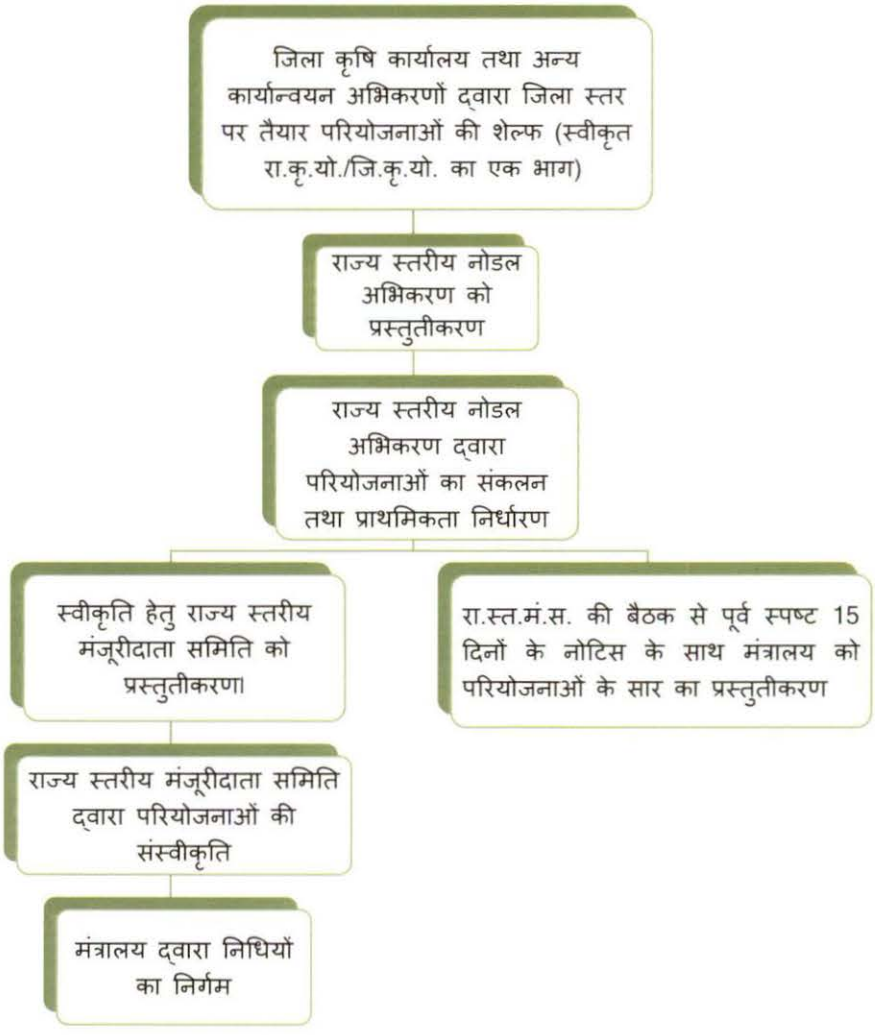

चूंकि कृषि योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों से पर्याप्त तकनीकी सहायता अपेक्षित है इसलिए क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के एक समूह को शामिल करके स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कृषि योजना इकाईयों अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम/पंचायत कृषि योजना इकाई (ग्रा.कृ.यो.इ./ पं.कृ.यो.ई.), ब्लॉक/तालुका स्तर पर ब्लॉक/तालुका कृषि योजना इकाई (ब्ला.कृ.यो.इ./ता.कृ.यो.इ.) तथा जिला/जिला परिषद स्तर पर जिला कृषि योजना इकाई (जि.कृ.यो.इ.) का गठन किया जाना था।

जि.कृ.यो. को बहु कार्यक्रमों, जो संबंधित जिले में परिचालन में थे, को सम्पूर्ण राज्य द्वारा दर्शाए गए संसाधनों तथा कार्यों को शामिल तथा अन्य कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों को सम्मिलित करना था।

प्रत्येक राज्य को जि.कृ.यो. को संघटित करके एक व्यापक राज्य कृषि योजना (रा.कृ.यो.) तैयार करनी थी। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के संबंध में राज्य की प्राथमिकताओं को उपयुक्त रूप से जिला कृषि योजनाओ में लिया गया है, यह सुनिश्चित करना नोडल विभाग/राज्य अभिकरण जिन्हें रा.कृ.यो. तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया था, का दायित्व था।

इसके लिए गठित नोडल विभाग/राज्य अभिकरण का कार्य प्रत्येक जिले से ऐसी परियोजनाओं को प्रारम्भ/संकलित कर प्राथमिकता प्रदान करने तथा उन्हें राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति (रा.स्त.मं.स.), जो परियोजनाओं की संस्वीकृति के प्राधिकार से निहित है, के समक्ष प्रस्तुत करना था। एक बार रा.स्त.मं.स. परियोजनाओं को संस्वीकृत कर देती है, तो मंत्रालय को नोडल विभाग/राज्य अभिकरण को निधियां जारी करनी थी।

3.2 जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण में कमियां

अभिसरण के अलावा रा.कृ.वि.यो. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित योजना एक मुख्य घटक था जिसे आधारभूत कार्य के रूप में लिया जाना था। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा ने योजनाओं (विस्तृत राज्य-वार निष्कर्ष

अनुबंध-II) में निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया।

	दिशानिर्देशों योजना प्रक्रिया में मापदण्ड	**इनमें अनुपस्थित (राज्यों की संख्या)**
1	कृषि-जलवायु अध्ययन	5
2	अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	6
3	वि.प.रि. को तैयार करना	9
4	मूल स्तर के अभिकरण का शामिल होना	8
5	रा.कृ.यो. में परियोजनाएं लेकिन जि.कृ.यो. में इनका न होना	5

लोगों की आवश्यकता को पूरा करके सम्मिलित योजना रा.कृ.वि.यो. की एक मूल अवधारणा थी। इसमें आवृत्ति से बचने तथा कृषि-जलवायु परिस्थिति हेतु उचित ध्यान के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण परिकलित था। लेखापरीक्षा अध्ययन से पता चला कि कई राज्यों द्वारा इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया था। राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पांच राज्यों में, ₹1962.29 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर 143 परियोजनाएं जि.कृ.यो. में दर्शाए बिना रा.कृ.यो. में शामिल की गई थीं।

तालिका 3.1

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.कृ.यो. में शामिल परन्तु विस्तृत जि.कृ.यो. में न दर्शाई गई परियोजनाओं की संख्या	ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1.	असम	1	7.00
2.	बिहार	102	1524.65
3.	गुजरात	27	225.49
4.	मेघालय	2	5.70
5.	राजस्थान	11	199.45
	कुल	**143**	**1962.29**

राजस्थान में, रा.कृ.यो. जिला में योजनाओं के संकलन के समय पर तीन जिलों के जि.कृ.यो. उपलब्ध नहीं थे। हालांकि ₹273.77 करोड़ की कुल लागत पर इन तीन जिलों की आठ परियोजनाओं को जि.कृ.यो. एवं रा.कृ.यो. में प्रस्तावों के बिना रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत किया गया था।

जब इन कमियों को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया तो उसने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु संशोधित रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश (2014-15 से लागू) जारी किए गए थे जो अनुबंध करते हैं कि रा.स्त.मं.स. को स्वीकृति हेतु परियोजना की अनुशंसा से पहले सभी वि.प.रि. की जांच राज्य स्तरीय परियोजना आवरण समिति (रा.स्त.प.आ.स.) द्वारा की जाएगी। रा.स्त.प.आ.स. सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. में दर्शाया गया है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ परियोजना की कोई आवृत्ति अथवा अतिव्याप्ति तो नहीं थी। मंत्रालय ने उत्तर भी दिया (जुलाई 2014) कि ऐसी परियोजनाओं का होना सम्भावित है जो जि.कृ.यो. का

भाग न हो परन्तु उन्हें रा.कृ.यो. में शामिल किया गया हो। उत्तर दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था जो बताता है कि प्रत्येक राज्य जि.कृ.यो. को एकीकृत करके एक व्यापक राज्य कृषीय योजना (रा.कृ.यो.) तैयार करेगा।

***अनुसंशा 1**: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं को कृषीय आवश्यकता तथा कृषि-जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् तैयार किया गया है।*

***अनुसंशा 2**: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य केवल उन्हीं परियोजनाओं को शुरू करें जोकि जि.कृ.यो. एवं रा.कृ.यो. से संगत हो।*

3.3 मंत्रालय को रा.कृ.यो. का प्रस्तुतीकरण

यद्यपि मंत्रालय ने रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की थी, रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के जारी करने की तिथि (अर्थात दिसम्बर 2007) से तीन माह की अवधि के भीतर दिशानिर्देशों ने जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को तैयार करने का प्रावधान किया। अत: यह प्रत्याशित था कि सभी राज्य 31 मार्च 2008 तक मंत्रालय को अपनी रा.कृ.यो. प्रस्तुत करेंगे। राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इस समय सीमा के संदर्भ में, 20 राज्यों के मामलों में मंत्रालय को रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब 14 से 42 महीनों के बीच था (विवरण **अनुबंध- III** में)। झारखण्ड, मणिपुर तथा सिक्किम ने इस संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

सात राज्यों में रा.कृ.यो. को तैयार न करना/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब होना नोडल विभाग द्वारा मामले के गैर-निष्पादन, जिला-वार प्रस्तावों के अभाव, जि.कृ.यो. को तैयार किए बिना रा.कृ.यो. को अंतिम रूप देना आदि के कारण था (विवरण **अनुबंध-IV**)।

3.4 मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त संवीक्षा

रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 5.4 प्रावधान करता है कि राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण परियोजनाओं के एक सारांश सहित मंत्रालय को कार्यसूची प्रेषित करेगा जिससे कि यह रा.स्त.मं.स. की बैठक से कम से कम 15 दिनों पहले पहुंच जाए जो मंत्रालय के प्रतिनिधि को रा.स्त.मं.स. बैठक में अर्थपूर्ण प्रकार से भाग लेने में समर्थ बनाए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय में रा.कृ.वि.यो. प्रभाग राज्यों से कार्यसूची टिप्पणियों (परियोजना प्रस्ताव) की प्राप्ति के पश्चात स्वीकृति हेतु उनका संबंधित विषय मामला प्रभाग (वि.मा.प्र.) को परिचालित करता था। फिर प्रत्येक वि.मा.प्र. अपनी टिप्पणियों सहित संबंधित परियोजना की अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति रा.कृ.वि.यो. प्रभाग को भेजेगा। रा.कृ.वि.यो. प्रभाग में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

(क) वि.मा.प्र. ने प्राय: टिप्पणी की कि राज्यों द्वारा प्रेषित कार्यसूची टिप्पणी/परियोजना प्रस्ताव अपर्याप्त एवं अपूर्ण थे जिसके परिणामस्वरूप वे परियोजना प्रस्तावों का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। वि.मा.प्र. ने रा.कृ.वि.यो. प्रभाग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/परियोजना के पूर्ण विवरणों की मांग की जिसे वे प्राय: प्रस्तुत करने में असमर्थ थे;

(ख) परियोजना के अपूर्ण विवरणों के कारण वि.मा.प्र. ने यह भी टिप्पणी की थी कि मंत्रालय/राज्य की समान योजनाओं की आवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। तथापि, ऐसी आवृत्ति की जांच करने हेतु मंत्रालय में कोई प्रक्रिया नहीं थी;

(ग) रा.कृ.वि.यो. प्रभाग द्वारा मुख्य/लघु सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियों हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा.सं.प्र.) प्रभाग को प्रेषित किया गया था। प्रा.सं.प्र. प्रभाग ने आगे रा.कृ.वि.यो. प्रभाग को जल संसाधन मंत्रालय से टिप्पणियों की मांग करने को कहा क्योंकि यह उस मंत्रालय से संबंधित मामला था। लेखापरीक्षा ने जल

संसाधन को किया गया ऐसा कोई प्रेषण अथवा ऐसी परियोजनाओं पर उसकी टिप्पणियां नहीं पाई थी;

(घ) 15 दिनों की अवधि की समय सीमा मंत्रालय के लिए किसी भी परियोजना का पूर्ण विवरण प्राप्त करने तथा वि.मा.प्र./जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु काफी कम थी।

जैसाकि संवीक्षा की उपर्युक्त प्रवृत्ति से सुस्पष्ट है कि मंत्रालय के स्तर पर परियोजनाओं के परीक्षण हेतु कोई उपयुक्त पद्धति नहीं थी, तथा इस प्रकार रा.स्त.मं.स. द्वारा ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले मंत्रालय के पास उनकी सम्भाव्यता के संदर्भ में सुविचारित तर्क नहीं था। राज्यों को अपने पत्रों (अगस्त 2012, जनवरी तथा फरवरी 2013) में मंत्रालय ने रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधियन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के परीक्षण पर बल दिया तथा पाया कि ये प्रस्ताव पर्याप्त पूर्व-परीक्षण के बिना रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ राज्यों के ₹367.99 करोड़ की स्वीकृति लागत वाले 73 परियोजना प्रस्तावों जिनमें उपरोक्त कमियां थीं, को रा.स्त.मं.स. द्वारा 2007-08 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत किया गया था (राज्य-वार विवरण **अनुबंध–V)**। वि.मा.प्र. द्वारा कमियों को उजागर करने के बावजूद रा.स्त.अं.स. द्वारा इन परियाजनाओं को स्वीकृत किया गया था। इसने राज्यों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने के संबंध में मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा रा.स्त.मं.स. द्वारा परियोजनाओं पर मंत्रालय की अभ्युक्तियों के तर्क के संबंध में अपर्याप्त सम्मान को दर्शाया।

अनुसंशा 3: *मंत्रालय संवीक्षा तथा निर्णय लेने में आसानी की दृष्टि से राज्यों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहे। मंत्रालय अन्त:/अंतर मंत्रालय परामर्श तथा स्वीकृत प्रक्रिया हेतु स्वयं को यथार्थवादी समय सीमा प्रदान करें।*

3.5 उन परियोजनाओं को स्वीकृति जो रा.कृ.वि.यो. से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे/अनुमेय नहीं थी

मंत्रालय ने (जनवरी 2011) में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को केवल उन परियोजनाओं को स्वीकृत करने को कहा जो राज्य द्वारा अपनाई गई योजना में पहचान किए गए संकेन्द्रित क्षेत्रों से जुड़ी है। इसी प्रकार, रा.स्त.मं.स द्वारा उन परियोजनाओं की स्वीकृति के संदर्भ में जो आवर्ती निधि को शामिल किए हुए थी, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को सूचित किया (फरवरी 2013) कि रा.कृ.वि.यो निधि को आवर्ती निधि के लिए उपयोग नही किया जा सकता है।

तथापि, मंत्रालय में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2007-08 से 2012-13 के दौरान चार राज्यों में ₹64.60 करोड़ की लागत की दस परियोजनाएं, जो कृषि अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों से सीधे सम्बंधित नहीं थी, रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत की गई थीं, जिसमें ₹25 करोड़ की लागत से राजस्थान में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की अवसंरचना के सशक्तिकरण जैसी परियोजनाएं शामिल थी (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-VI** में है)। इसी प्रकार चार राज्यों में केरल कृषि उद्योग निगम द्वारा बहु उपयोगी वाहन के क्रय हेतु ₹33.70 लाख जैसी अस्वीकार्य मदों हेतु ₹12.43 करोड़ दिए गए थे (राज्य वार विवरण **अनुबंध-VII** में है)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि उन विशेष परियोजनाओं से संबंधित मामले की जांच की जा रही थी तथा संशोधित रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश जिनमें मदों/कार्यों की नकारात्मक सूची शामिल होगी, जिन्हें रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था। रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत नकारात्मक मदों पर, मंत्रालय द्वारा कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.6 परियोजनाओं के अनियमित अनुमोदन/ कार्यान्वयन के अन्य मामले

क) एजेंडा में उल्लेख न की गई परियोजना की अनियमित संस्वीकृति

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹84.49 करोड़ की लागत पर 14 परियोजनाएं जिनका उल्लेख कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल द्वारा अग्रेषित एजेंडा में नहीं किया गया था, उन्हें रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत कर दिया गया था (विवरण **अनुबंध VIII** में दिए गए है) जोकि परियोजनाओं के चयन/संस्वीकृति में मंत्रालय की उपेक्षा को दर्शाता है। यह रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

ख) रा.स्त.मं.स. की संस्वीकृति के बिना परियोजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन

मध्य प्रदेश में, यह देखा गया कि ₹37.67 करोड़ की लागत पर 10 परियोजनाओं को कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था जबकि रा.स्त.मं.स. की पूर्व संस्वीकृति के बिना पशुपालन विभाग द्वारा ₹88.74 करोड़ की लागत पर 12 नई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं।

ग) परियोजनाओं का गलत वर्गीकरण जिसके कारण निधियों का अधिक आवंटन हुआ

कर्नाटक में, स्ट्रीम-I के अंतर्गत रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत चार परियोजनाएं वर्तमान में चल रही राज्य क्षेत्र योजनाएं जैसे कि 'कर्नाटक बीज मिशन', 'कर्नाटक फार्म मशीनीकरण', 'जैविक खेती' एवं 'एग्रो-प्रोसेसिंग थी'। इन परियोजनाओं को स्ट्रीम-II के अंतर्गत माना जाना चाहिए था जिसके लिए निधियों के आवंटन का अधिकतम 25 *प्रतिशत* चिन्हित किया गया था। स्ट्रीम-I के अंतर्गत इन परियोजनाओं के गलत वर्गीकरण के कारण, 2007-13 की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर ₹491.68 करोड़ की निधियों का अधिक आवंटन हुआ था।

कुछ अन्य राज्यों में, इसी प्रकार की कमियां देखी गई थी जैसाकि **अनुबंध-IX** में बताया गया है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा था।

3.7 राज्यों में अन्य विभागों/योजनाओं के साथ समन्वय

जि.कृ.यो. को संबंधित जिले में परिचालन में कई कार्यक्रमों को एकीकृत करना, राज्य द्वारा चिन्हित संसाधनों एवं गतिविधियों को शामिल करना, अन्य कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों को जोड़ना और इन्हें अंतिम रूप देना था। जिन तत्वों को ध्यान में रखा जाना था उन्हें कम से कम इन्हें कवर करना था:

क) क्षेत्रीय एवं जिला खंड/राज्य योजना

ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् नरेगस, बी.आर.जी.एफ., एस.जी.एस.वाई एवं भारत निर्माण, आदि और

ग) केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा बंधे एवं खुले अनुदान

तदुपरांत, परियोजनाओं को तैयार करने और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन करने तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करने के लिए नोडल अभिकरण/कृषि विभाग को जिम्मेदार होना था। दिशानिर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार, रा.स्त.मं.स. सदा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि प्रयासों या संसाधनों की आवृत्ति न हो। भा.स. द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2010) के अनुसार, राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के साथ रा.कृ.वि.यो. के साथ अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास करने थे, ताकि इस प्रक्रिया में कृषि संबंधी समुदायों की आय को अधिकतम बनाया जा सके।

3.8 अभिसरण/समन्वय गतिविधियों की अनुपस्थिति

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच में वर्तमान भा.स. योजनाओं या वर्तमान की राज्य योजनाओं के साथ रा.कृ.वि.यो. के गैर-अभिसरण के उदाहरण सामने आए। 19 क्षेत्रों में से, 14 क्षेत्रों एवं आठ उप-योजनाओं में नोडल विभाग एवं कार्यान्वयन विभाग/अभिकरणों के बीच गैर-अभिसरण एवं गैर-समन्वय के उदाहरण नोट किए गए हैं: (परियोजना वार-विवरण **अनुबंध-X** में दिए गए है) गैर-अभिसरण एवं गैर-समन्वय के कुछ क्षेत्र-वार उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 3.2

रा.कृ.वि.यो. क्षेत्र/योजना	दोहरी योजना	समन्वय की कमी	राज्य
सामुदायिक ट्यूबवैल योजना	मनरेगस		उत्तर प्रदेश
बीज संविरण मोनसेंटो के माध्यम से		कृषीय विभाग के साथ समन्वय की कमी के कारण किसानों को बीज देरी से मिले	राजस्थान
गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाना	उन्हीं जिलों में पूर्वी भारत में हरित क्रांति (बी.जी.आर.ई.आई.) लाना		उत्तर प्रदेश
पशु पालन	एस.जी.एस.वाई./ए.टी.एम.ए. मवेशी तथा भैंस प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना		उत्तर प्रदेश
कृषि मशीनीकरण	एम.एम.ए. के अंतर्गत भी		छत्तीसगढ़
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	अन्य वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित जल एकत्रण		जम्मू एवं कश्मीर तथा मेघालय

फसल पश्चात प्रबंधन	समान कार्यक्रमों की अतिव्याप्ति		गुजरात तथा पश्चिम बंगाल
मत्स्य पालन		समान केन्द्रीय योजना, जो अधिक लाभकारी थी, के होने के कारण छोड़ दिया गया	राजस्थान
जैविक कृषि		विभिन्न विभागों के बीच कमी का परिणाम कार्यों की अतिव्याप्ति में हुआ	उत्तराखण्ड

रा.कृ.वि.यो. की आठ उप-योजनाओं नामत: बी.जी.आर.आई., केसर मिशन, बी.आई.यू.सी. एन.एम.पी.एस. ए.एफ.डी.पी., आर.ए.डी.पी., वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में 60,000 दाल ग्रामों के एकीकृत विकास का कार्यक्रम तथा आई.एन.एस.आई.एम.पी. के संबंध में यह पाया गया था कि इन उप-योजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यों को पहले ही असम, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सामान्य रा.कृ.वि.यो., वर्तमान राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रारम्भ किया जा चुका था जो इस प्रकार अभिसरण की कमी को दर्शाता है।

***अनुशंसा 4**: कृषि क्षेत्र में योजनाओं में जटिलता एवं गुणात्मकता को हटाने हेतु योजना की रूपरेखा की समीक्षा की जानी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा था।

3.9 निष्कर्ष

समीक्षा में शामिल 27 राज्यों में लेखापरीक्षा ने पाया कि कई राज्यों में योजना प्रक्रिया कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण थी जैसे कि ग्राम पंचायत/ग्राम

सभाएं/ब्ला.कृ.यो.ई./ग्रा.कृ.यो.ई. जैसे आधारभूत स्तरीय अभिकरणों का गैर-आवेष्टन/सहयोग, जि.कृ.यो. को तैयार करने में मूल सहयोग का अभाव, रा.कृ.यो. को तैयार करने में कमियां जैसे कि कृषि जलवायु अध्ययन/अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, आदि। मंत्रालय द्वारा ₹367.99 करोड़ की लागत के 73 परियोजना प्रस्तावों में कमियों को उजागर करने के बावजूद इन्हें रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹64.60 करोड़ की लगात की दस परियोजनाओं जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थी, को रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था, तथा ₹12.43 करोड़ का व्यय उन मदों पर किया गया था जो रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत अुनमेय नहीं थीं।

योजना स्तर पर समन्वय की कमी तथा अभिसरण के अभाव के कारण रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं का मनरेगस जैसी केन्द्रीय/राज्यों की योजनाओं तथा उप-योजनाओं के संबंध में स्वयं रा.कृ.वि.यो. के भीतर भी अतिव्याप्ति थी। अभिसरण की कमी का परिणाम राजकोष को लागत पर लोक धन की बर्बादी में होता है। इसके अतिरिक्त, यह इस तथ्य को भी इंगित करता है कि वि.प.रि. को केन्द्र/राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से संभव सहक्रिया का लाभ उठाकर उचित रूप से तैयार किया गया था। इसलिए कृषीय वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु सभी खण्डों से संसाधनों का विन्यास करने का एक सु-समन्वित प्रयास मौजूद नहीं था।

अध्याय-4

वित्तीय प्रबंधन

4.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय सरकार द्वारा रा.कृ.वि.यो. निधि 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्यों को दिया जाना था। रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत कुल आवंटन का कम से कम 75 प्रतिशत रा.कृ.वि.यो. की स्ट्रीम-I के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं/घटकों/ गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। रा.कृ.वि.यो. निधि का शेष किया जाना चाहिए। रा.कृ.वि.यों. निधि का शेष (25 प्रतिशत) स्ट्रीम-II के अंतर्गत विद्यमान कृषि से संबंधित राज्य क्षेत्र योजनाओं को सुदृढ़ करने तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत संसाधन के अंतर को भरने के लिए प्रदान किया जाना था।

स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II के अंतर्गत वित्तीयन से संबंधित शर्तों को निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.1

स्ट्रीम-I		स्ट्रीम-II
क)	नोडल अभिकरणों रा.स्त.मं.स. को डी.पी.आर. की सिफारिश करने के पहले स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि परियोजना रा.कृ.वि.यो. के लक्ष्यों को पूरा करती हों।	**क)** राज्यों को सहायता दो बराबर किस्तों में जारी की जाएगी। अप्रैल में खरीफ फसलों की शुरूआत पर आवंटन का 50 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में जारी किया जाएगा।
ख)	नोडल अभिकरण डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परामर्शदाता को हायर कर सकती है जिसके लिए वह निधि का 5 प्रतिशत तक खर्च कर सकता है।	**ख)** दूसरी किस्त जारी किए जाने के बारे में निम्न शर्तों का पूरा किए जाने के बाद विचार किया जाएगा: (i) पूर्ववित्तीय वर्ष तक जारी निधियों के लिए

ग) यदि डी.पी.आर. तैयार कर ली जाए, स्वीकृति प्राप्त हो जाए तथा भुगतान हो जाए शेष 95 प्रतिशत का वितरण निम्न प्रकार किया जाएगा: (i) निधि का 45 प्रतिशत राज्य को पहली किस्त के रूप में जारी किया जाएगा। (ii) उन मामलों में जहॉ डी.पी.आर. नोडल/कार्यान्वित अभिकरण द्वारा तैयार किया जाता है, निधि का 50 प्रतिशत राज्य को पहली किस्त के रूप में जारी किया जाएगा। (iii)शेष निधि का 40 प्रतिशत तब जारी किया जाएगा जब लक्ष्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की भौतिक प्रगति की सूचना मंत्रालय को दी जाएगी। निधि का 10 प्रतिशत शेष तब जारी किया जाएगा जब परियोजना पूरी हो जाएगी तथा भारत सरकार की चयनित अभिकरण द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने (दिसम्बर 2008) में उक्त उपबंधों को यह करते हुए संशोधित किया कि 2008-09 के दौरान राज्यों को निधि दो बराबर किस्तों में जारी की जाएगी। उसके बाद यही प्रथा चल रही है।	उपयोग प्रमाणपत्र (ii) उपलब्ध निधि का कम से कम 60 प्रतिशत का व्यय अर्थात पिछले वर्ष का अव्ययित में शेष जोड़ कर पहली किस्त में जारी राशि। (iii) निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमित आधार पर, परिणाम के साथ भौतिक तथा वित्तीय प्राप्तियों के संबंध में निष्पादन रिपोर्ट की प्रस्तुति।

अपनी आवश्यकता के आधार पर, कोई राज्य केवल स्ट्रीम-I के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण रा.कृ.वि.यो. निधि का पूरा उपयोग कर सकता है। यद्यपि, प्रतिवर्ती संभव नहीं था अर्थात् एक राज्य स्ट्रीम-I आवंटन को 75 प्रतिशत से नीचे नहीं कर सकता।

4.2 निधि को जारी तथा उपयोग करना

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान रा.कृ.वि.यो. के लिए ₹ 25,000 करोड़ की लागत को अनुमोदन किया। XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) के लिए ₹63,246 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई।

संवीक्षा अवधि (2007-08 से 2012-13) के दौरान ₹32460.45 करोड़ के आबंटन के प्रति ₹30873.38 करोड़ जारी किए गए तथा सभी 28 राज्यों एवं सात सं.शा.क्षे. में ₹28083.89 करोड़ का व्यय किया गया (2010-11 तथा 2011-12 के लिए सं.शा.क्षे. के व्यय ऑकडों को छोड़कर)।

नीचे दिए गए चार्ट में 27 चयनित राज्यों (मिजोरम तथा सं.शा.क्षे. को छोड़कर) के मामले में वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधि के आवंटन तथा उपयोग किए जाने की स्थिति दिखाई गई है: राज्यवार तथा वर्षवार विवरण **अनुबंध-XI** में दिए गए हैं।

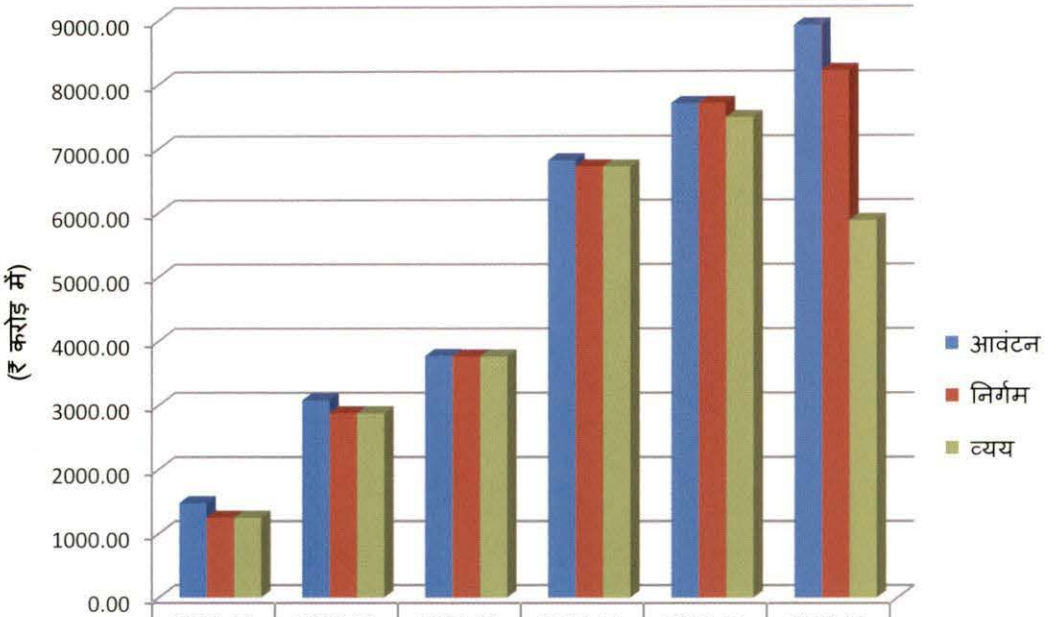

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आवंटन	1474.07	3076.24	3766.10	6811.25	7694.63	8909.77
निर्गम	1246.39	2875.54	3756.53	6715.28	7696.12	8204.64
व्यय	1246.39	2874.03	3756.51	6713.86	7477.01	5870.72

रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत व्यय में 2007-08 से 2011-12 तक एक समान वृद्धि हुई। यद्यपि, 2012-13 के दौरान व्यय 21.48 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 के स्तर पर आ गया।

4.2.1 ऑकडों का समाधान न किया जाना

क) मंत्रालय एवं राज्यों के मध्य जारी तथा व्यय ऑंकडों का समाधान न किया जाना

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, 27 राज्यों से लेखापरीक्षा द्वारा जारी तथा व्यय के ऑंकडें भी प्राप्त किए गए। इन ऑंकड़ों का मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के साथ तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा सूचित आँकड़े		राज्यों द्वारा सूचित आँकड़े		मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा सूचित आँकड़ों में अंतर*	
	जारी	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति (कॉ. 4-2)	व्यय (कॉ. 5-3)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	1246.39	1246.39	1191.47	912.65	(-)54.92	(-)333.74
2008-09	2875.54	2874.03	2942.76	2748.27	67.22	(-)125.76
2009-10	3756.53	3756.51	3780.14	3683.34	23.61	(-)73.17
2010-11	6715.28	6713.86	7070.76	6566.79	355.48	(-)147.07
2011-12	7696.12	7477.01	9838.32	8930.17	2142.20	1453.16
2012-13	8204.64	5870.72	9960.25	9075.31	1755.61	3204.59
कुल	**30494.50**	**27938.52**	**34783.70**	**31916.53**	**4289.20**	**3978.01**

* (-) चिह्न के साथ आँकड़े मंत्रालय द्वारा सूचित जारी/व्यय के आँकड़ों के प्रति राज्यों द्वारा सूचित अधिक प्राप्ति/व्यय के आँकड़ों को निर्दिष्ट करती है जबकि धनात्मक संख्या में मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी/व्यय की अपेक्षा अधिक प्राप्ति/व्यय को प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त तालिका से निम्न बिन्दुओं का अवलोकन किया जा सकता है:

- 2007-08 से 2012-13 के दौरान रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत राज्यों द्वारा ₹4289.20 करोड़ की अधिक प्राप्ति सूचित की गई।
- राज्यों ने वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹31916.53 करोड़ का व्यय सूचित किया जबकि मंत्रालय ने ₹27938.52 करोड़ का व्यय सूचित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹3978.01 करोड़ का अंतर हुआ।

इस प्रकार, डाटा की सत्यता संदिग्ध थी। मंत्रालय ने बेमेल आँकड़ों का समाधान करने का कोई कारण सुनिश्चित नहीं किया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि राज्यों द्वारा अधिक प्राप्ति बताए जाने का कारण लिपकीय गलतियाँ हो सकती है जबकि राज्यों द्वारा व्यय सूचित किए जाने की प्रक्रिया सक्रिय है। तथापि, मंत्रालय को राज्यों के साथ आवधिक अंतराल पर आँकडों का मिलान करना चाहिए था ताकि आँकड़ों की प्रामाणिकता संदेहास्पद संदिगध नहीं हो।

ख) नोडल विभाग द्वारा मंत्रालय को सूचित व्यय तथा राज्य द्वारा रा.कृ.वि.यो. के विस्तृत शीर्ष में दर्ज ऑकड़ों का समाधान न किया जाना

रा.कृ.वि.यो. के बजट शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय को राज्यों द्वारा मंत्रालय को सूचित व्यय के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों द्वारा मंत्रालय को सूचित किए गए व्यय के ऑकड़ो तथा निम्न राज्यों में रा.कृ.वि.यो. के बजट शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय के ऑकड़ों में अंतर था जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 4.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	रा.कृ.वि.यो. के विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय की राशि	मंत्रालय को सूचित व्यय की राशि	मंत्रालय को सूचित राशि में अन्तरीय राशि (आधिक्य - कमी)
1.	असम	2008-09 से 2011-12	595.81	667.12	(+)71.31
2.	गुजरात	2007-08 से 2012-13	2070.32	2180.55	(+)110.23
3.	झारखण्ड	2008-09 से 2012-13	667.74	664.22	(-)3.52
4.	नागालैण्ड	2007-08 से 2012-13	99.31	131.96	(+)32.65
5.	ओडिशा	2007-08 से 2012-13	1410.85	1240.64	(-)170.21
6.	राजस्थान	2008-09 से 2011-12	1577.60	1690.12	(+)112.52
7.	त्रिपुरा	2008-09 से 2012-13	237.93	214.07	(-)23.86
8.	उत्तर प्रदेश	2008-09 से 2012-13	2377.48	2493.29	(+)115.81
9.	उत्तराखण्ड	2007-08 से 2011-12	172.88	173.24	(+)0.36
10.	पश्चिम बंगाल	2008-09 से 2012-13	1460.15	1483.80	(+)23.65
		कुल	**10670.07**	**10939.01**	

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि दस राज्यों में से, असम, गुजरात, नागालैण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के सात राज्यों में ₹466.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जबकि झारखण्ड, ओडिशा तथा त्रिपुरा के तीन राज्यों ने मंत्रालय को ₹197.59 करोड़ का कम व्यय सूचित किया।

कुछ अन्य राज्य-वार विशेष निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- अरूणाचल प्रदेश में, रा.कृ.वि.यो. के प्रारंभ होने से लेकर अब तक कभी भी रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय को समाधान नहीं किया गया। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर-2013) कि मंत्रालय के साथ 28 सितम्बर 2012 को आयोजित पुनरीक्षण बैठक में आंकडों का समाधान किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा को समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

- छतीसगढ़ में, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा रा.कृ.वि.यो. के स्ट्रीम-II के अंतर्गत ₹262.98 करोड़ की निधि जारी की गई जिसे पूरा कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी कर दिया गया था। यद्यपि, नोडल अभिकरण ने 2007-13 की अवधि के दौरान स्ट्रीम-II के अंतर्गत ₹47.09 करोड़ को आवंटन सूचित किया जिसके कारण ₹215.89 करोड़ का अंतर हुआ। यह राज्य सरकार तथा नोडल कार्यालय के मध्य ऑंकड़ों के आवधिक समाधान प्रणाली नहीं होने को निर्दिष्ट करता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि राज्य सरकारों के साथ अलग से मामले को उठाया जा रहा है।

अनुशंसा 5: *व्यय आंकड़ों का समाधान एक आवश्यक आंतरिक नियंत्रण कार्य है तथा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।*

4.3 राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने पर टिप्पणियॉ

रा.कृ.वि.यो. का एक मुख्य उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना है। कुल आबंटन तथा राज्यों* द्वारा कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में आवंटन के ऑकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- रा.कृ.वि.यो. कार्यान्वयन करने वाले 27 राज्यों में से, 12 राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल) में संवीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल आवंटन की तुलना में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में आवंटन न तो घटा और न ही बढ़ा। जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता है।

राज्य का नाम	राज्य के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल आवंटन की आवंटन प्रतिशतता					
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अरूणाचल प्रदेश	6.38	5.72	5.99	6.51	5.30	5.73
छत्तीसगढ़	13.66	8.05	6.92	8.70	20.65	13.49
गुजरात	5.39	6.57	7.50	5.71	5.65	5.11
जम्मू एवं कश्मीर	4.20	3.75	3.85	4.16	3.13	3.62
झारखण्ड	5.51	4.97	4.45	5.35	5.06	3.87
मेघालय	11.02	9.59	12.96	17.05	11.15	10.76
राजस्थान	3.26	5.79	3.94	5.88	3.46	4.90
सिक्किम	7.04	6.53	6.82	7.56	8.09	4.42
तमिलनाडु	5.80	5.65	5.50	3.57	3.64	5.10
उत्तर प्रदेश	8.05	6.26	6.88	6.28	6.59	5.91
उत्तराखण्ड	11.27	12.36	8.36	7.89	7.86	8.04
पश्चिम बंगाल	3.49	4.45	4.61	3.72	2.56	2.17

* केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के चार राज्यों में आबंटन के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण कुल व्यय तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है।

इस प्रकार, इन राज्यों में, रा.कृ.वि.यो. के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में निवेध बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

- शेष 15 राज्यों में, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन कुल आवंटन की तुलना में बढ़ा (अध्याय 6 संदर्भ लें)

अनुशंसा 6: *मंत्रालय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपने कुल आबंटन के अनुपात में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु अपने बजटीय आबंटन को बढ़ाए जिससे कि राज्यों को प्रोत्साहित करने के रा.कृ.वि.यो. के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जा सके।*

4.4 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

यद्यपि स्ट्रीम-II परियोजनाओं के लिए निर्धारित रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश में, स्ट्रीम-I के अंतर्गत राज्यों को मंत्रालय से जारी निधि के मामले में तय दिशानिर्देश में इस प्रकार की कोई शर्त अनुबंद्ध नहीं थी। यद्यपि रा.कृ.वि.यो. को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को प्रत्यके वर्ष प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के लिए तथा निधि जारी करने के लिए मंत्रालय अनुबंद्ध करता है कि राज्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी निधि के लिए उ.प्र. प्रस्तुत किए जाए। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय से प्राप्त ऑंकड़े दिखाते है कि करोड़ स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II के अंतर्गत जारी ₹2610.07 करोड़ की राशि के लिए उ.प्र. 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए 26 राज्यों (केवल नागालैण्ड द्वारा इस अवधि में आवश्यक उ.प्र. संवीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि के सभी पॉच वर्षों के लिए प्रस्तुत किया गया) से सितम्बर 2013 तक अप्राप्त थे। विवरण अनुबंध-XII में दिए गए हैं।

4.4.1 गलत उ.प्र. की प्रस्तुति

27 राज्यों में से, 12 राज्यों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नोडल विभाग/अभिकरण द्वारा मंत्रालय को तथा कार्यान्वित करने वाले विभाग/अभिकरण द्वारा नोडल विभाग/अभिकरण को अशुद्ध उ.प्र. प्रस्तुत किए गए। (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-XIII**) पॉच राज्यों में, नोडल विभागों ने निधि की उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना मंत्रालय को उ.प्र. प्रस्तुत किए। आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सात राज्यों में यह भी देखा गया कि कार्यान्वित करने वाली अभिकरणों द्वारा उनको प्राप्त निधि अनुदान की राशि को उपयोग/आंशिक रूप से उपयोग किए बिना उ.प्र. नोडल विभाग को जारी किए गए।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि 30 जून 2014 को, ₹301.89 करोड़ की राशि के उ.प्र. 2008-09 से 2012-13 की अवधि हेतु बकाया थे तथा सभी राज्यों को इस संबंध में पूर्णत: सजग रहने को कहा जाएगा।

अनुशंसा 7: *यह प्रमाणित करने हेतु कि निधियों का उपयोग प्रत्याशित उद्देश्य हेतु किया गया है, मंत्रालय को, मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में परियोजना आधारित उपयोग प्रमाणपत्रों को, के साथ निधियन को जोड़ना चाहिए।*

4.5 निधि जारी करने की प्रक्रिया में विचलन

जैसा पैरा-4.1 में कहा गया, रा.कृ.वि.यो. की दिशानिर्देश बताती है कि स्ट्रीम-I के अंतर्गत निधि जारी होने की स्थिति में, निधि को 50: 40: 10 प्रतिशत के तीन किस्तों में जारी किया जाए। अनुदान राशि का अंतिम 10 प्रतिशत तब जारी किया जाएगा जब परियोजना पूरी हो जाएगी तथा भारत सरकार की नामित अभिकरण द्वारा फील्ड सत्यापन कर लिया जाएगा। तथा कथित नामित अभिकरण का चयन उचित समय पर मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

मंत्रालय ने यह निर्देश देते हुए कि स्ट्रीम-I के अंतर्गत निधियों को 50 प्रतिशत प्रत्येक की दो बराबर किश्तों में जारी किया जाएगा जो मंत्रालय द्वारा वैब-आधारित मानीटरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के तहत योजना आयोग द्वारा स्वीकृत था, उपर्युक्त धारा का संशोधन (दिसम्बर 2008) किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस संशोधन के साथ, रा.कृ.वि.यो. निधि के उपयोग के फील्ड सत्यापन की सबसे निर्णायक धारा को छोड़ दिया गया तथा मंत्रालय राज्यों द्वारा केवल रा.कृ.वि.यो. वेबसाईट पर दर्ज परियोजना इनपुट पर निर्भर था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर-2013) कि कथित संशोधन राज्यों को स्ट्रीम-I के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा किए जाने में सहायता देने हेतु किया गया था क्योंकि कई राज्यों को इस उद्देश्य के लिए अपने बजट से निधि देना मुश्किल था। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह राज्यों की जिम्मेदारी थी कि वे रा.कृ.वि.यो. की भौतिक प्रगति को सत्यापित करे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इस धारा को हल्का किया जाने के करण मंत्रालय के पास फील्ड स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के भौतिक सत्यापन का कोई तंत्र नहीं था तथा लेखापरीक्षा ने 27 में से 15 राज्यों द्वारा रा.कृ.वि.यो. वैबसाईट में डाले जा रहे डाटा में विसंगतियां पाईं (समीक्षा के पैरा 7.2.6 के संदर्भ में)।

4.6 विभिन्न स्तरों पर निधि जारी किए जाने में देरी के कारण निधि का अवरोधन

दिशानिर्देशों के पैरा 7.2.4 के अनुसार, नोडल अभिकरण/विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का अनुमोदित एस.ए.पी. तथा डी.ए.पी. के अनुरूप उपयोग किया जाए तथा चूंकि राज्यों द्वारा निधि के उपयोग की प्रगति के आधार पर आवंटन की दूसरी किस्त की राशि निर्भर करेगी, राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी की गई निधि का तत्परता पूर्वक उचित प्रकार से उपयोग किया जाए एवं जितनी जल्दी हो सके प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी जाए।

2015 की प्रतिवेदन सं. 11

लेखापरीक्षा ने 25 राज्यों में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य सरकार से नोडल अभिकरण तथा नोडल विभाग/अभिकरण से कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कुछ मामले पाए जैसा **अनुबंध-XIV** में दर्शाया गया है। 20 राज्यों में, राज्य द्वारा नोडल विभाग/अभिकरण को एक से 23 महीनों के बीच विलम्ब से निधियां जारी की गई थीं। इसी प्रकार, 17 राज्यों में, नोडल विभाग द्वारा कार्यान्वयन विभाग/अभिकरण को एक से 34 महीनों के बीच के विलम्ब से निधियां जारी की गई थीं।

कुछ राज्यवार विशिष्ट प्राप्तियॉ नीचे सारणीबद्ध दिए गए है:

तालिका 4.4

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा प्राप्तियॉ
झारखण्ड	2007-08 के दोरान नवम्बर तथा दिसम्बर 2007 में राज्य सरकार ने ₹55.68 करोड़ (डी.ए.पी. तैयार करने के लिए ₹1.90 करोड़ के साथ) मंत्रालय से रा.कृ.वि.यो. के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त किया। रा.स्त.मं.स. द्वारा परियोजना के अनुमोदन (दिसम्बर 2007) के बाद, समस्त निधि की संस्वीकृति दी गई तथा आवंटित की गई (मार्च 2008) तथा नोडल विभाग द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित किया गया। नोडल विभाग ने 2007-08 में योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी की समस्त निधि हस्तान्तरित कर दी (30 मार्च 2008)। अनुदान की विलंब से प्राप्ति के कारण, नोडल एजेंसी इसे 2007-08 के दौरान जारी नहीं कर पाई। मंत्रालय ने डी.ए.पी. तैयार करने को गतिविधियों को जारी रखने के लिए ₹1.90 करोड़ पुन: वैध कर दिया (मई 2008) तथा राज्य से कहा (मई 2008) कि 10 जून 2008 तक ₹53.78 करोड़ को, अव्ययित राशि का उ.प्र. सहित वैधता का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नोडल विभाग नियत तिथि तक प्रस्ताव एवं उ.प्र. प्रस्तुत करने में असफल रहे। यद्यपि मंत्रालय से ₹53.78 करोड़ की पुन: वैद्यता के बिना नोडल विभाग ने इस राशि के व्यय के लिए आवंटन आदेश जारी कर दिए

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा प्राप्तियॉ
	(फरवरी 2009), जिसके कारण राज्य सरकार के पास 14 माह के लिए निधि का अवरोध हुआ।
नागालैण्ड	तीन वर्षों (2007-08) से 2009-10) के लिए राज्य सरकार ने कार्यान्वयन अभिकरण की निधि नोडल विभाग द्वारा जारी किए जाने के बजाए सीधे जारी कर दी। 2010-11 से आगे निधि नोडल विभाग के द्वारा जारी की जा रही थी। राज्य द्वारा प्रथम तीन वर्षों में कार्यान्यन अभिकरण को मंत्रालय द्वारा निधि जारी किए जाने की तिथि से एक से 26 महीनों की देरी से जारी किया जा रहा था। आगे, 2010-11 तथा 2011-12 के वर्षों के लिए नोडल विभाग से कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि जारी करने में भी एक से छः माह की देरी हुई।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (रा.ग्रा.वि.सं.) ने दिसम्बर 2010 के अपने मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया कि विभिन्न स्तरों पर निधि के आबंटन तथा जारी किए जाने के मध्य समय अंतराल को न्यूनतम (दो माह के अंदर) रखा जाना चाहिए क्योंकि इसने आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में विभिन्न स्तरों पर निधि जारी किए जाने में विलंब पाया। रा.ग्रा.वि.सं. की रिपोर्ट पर मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण दस्तावेजों में नहीं मिला।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ लिया जा रहा है।

4.7 कम निधि का जारी किया जाना तथा इसका परियोजनाओं पर प्रभाव

रा.ग्रा.वि.यो. के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर निधि की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों के निधि जारी किए जाने से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि तीन राज्यों में 2007-08 से

2012-13 की अवधि के लिए ₹154.65 करोड़ की कम निधि जारी हुई जैसा कि तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.5

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा प्राप्तियॉ
(क) राज्य को मंत्रालय से निधि कम जारी की गई	
त्रिपुरा	2007-13 के दौरान आवंटन के प्रति ₹18.85 करोड़ कम जारी किया गया जिसके कारण स्ट्रीम-I के अंतर्गत 12 परियोजनाएं छोड़ देनी पड़ी।
पश्चिम बंगाल	मंत्रालय ने स्ट्रीम-I परियोजना के लिए उ.प्र. विलंब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के लिए क्रमश: ₹36.97 करोड़ तथा ₹80.33 करोड़ की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप, रा.स्त.मं.स. द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं के अलग-अलग घटकों को प्रारंभ नहीं किया जा सका।
(ख) राज्य द्वारा नोडल विभाग/अभिकरण को कम निधि जारी किया जाना	
असम	अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2012-13 के दौरान, नोडल अभिकरण ने ₹57.00 करोड़ के परियोजना मूल्य के परियोजनाओं (निदेशक पशुपालन तथा पशुचिकित्सक: ₹37.00 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाएं निदेशक मत्स्य: ₹15.00 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाएं, निदेशक दुग्धशाला विकास: 5.00 करोड़ की लागत की 11 परियोजाएं) के प्रति तीन कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹38.50 करोड़ (निदेशक मत्स्य: ₹9.50 करोड़; निदेशक पशुपालन तथा पशुचिकित्सा: ₹25.50 करोड़ निदेशक दुग्धशाला विकास: ₹3.50 करोड़) जारी किए। ₹18.50 करोड़ की निधि कम जारी किए जाने का कारण राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता नहीं जारी किया जाना बताया गया। कम निधि जारी किए जाने के परिणामस्परूप, 26 परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं हो सकी जबकि चार परियोजनाओं को 2012-13 के दौरान प्रारंभ ही नहीं किया जा सका।

4.8 रा.स्त.मं.स. संस्वीकृति के बिना अधिक व्यय

रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश का पैरा 3.5 तथा 5.5 यह व्यवस्था करता है कि रा.स्त.मं.स. की रा.कृ.वि.यो. के स्ट्रीम-I के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा एक बार जब रा.स्त.मं.स. परियोजना की संस्वीकृति दे देता है, मंत्रालय मामले के अनुसार या तो नोडल विभाग को अथवा नोडल अभिकरण को निधि जारी करेगा।

जैसा कि, कोई लागत विचलन जैसे रा.स्त.मं.स. द्वारा अनुमोदित लागत से अधिक व्यय भी एस.एस.एस.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात राज्यों में एस.एस.एस.सी. के अनुमोदन के बिना 50 परियोजनाओं पर संस्वीकृति से ₹106.13 करोड़ अधिक व्यय किया गया (विवरण **अनुबंध-XV** में)।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) मामले को राज्य सरकार के साथ लिया जा रहा है।

4.9 रा.कृ.वि.यो. निधि के एक प्रतिशत शेयर से व्यय में अनियमितता

रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 3.6 तथा 3.7 निर्धारित करता है कि मंत्रालय रा.कृ.वि.यो. निधि का एक प्रतिशत अपने स्तर पर रख सकता है, ताकि पैन इंडिया मूल्यांकन किया जा सके अथवा अलग-अलग समय पर होने वाली प्रशासनिक आकस्मिताओं को पूरा किया जा सके। इसी प्रकार, राज्यों को अपने कुल रा.कृ.वि.यो. निधि के एक प्रतिशत को प्रशासनिक खर्चों जैसे परामर्शदाताओं को भुगतान, विभिन्न प्रकार के आवर्ती खर्च करने, कर्मचारी लागत इत्यादि के लिए उपयोग करने की अनुमति होगी। यद्यपि कोई स्थायी कर्मचारी नहीं रखा जा सकता और न ही वाहन खरीदा जा सकता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मंत्रालय द्वारा एक प्रतिशत शेयर का कम उपयोग किया गया तथा इस आवंटन को अन्य उद्देश्यों में लगाया गया जोकि रा.कृ.वि.यो. योजना से संबंधित नहीं थे।

संवीक्षा अवधि के दौरान, ₹195.45 करोड़ का आबंटन एक प्रतिशत के रूप में किया गया जिसमें से ₹75.96 करोड़ (39 प्रतिशत) का व्यय किया गया। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि इस आवंटन के अंतर्गत व्यय वास्तविक आवश्यकताओं पर किया गया। मंत्रालय तथा राज्यों में वर्ष-वार व्यय के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

- यह देखा गया था कि ₹7.89 लाख का व्यय उन यात्राओं पर किया गया था जो रा.कृ.वि.यो. को संबंधित नहीं थीं।
- 2011-12 के दौरान ₹61.34 करोड़ के व्यय में से, मार्च 2012 में संकेन्द्रित प्रचार अभियान[1] के लिए मंत्रालय के एक्सटेंशन डिवीजन को ₹50.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई तथा जिसे ऑल इंडिया रेडियो (₹2.99 करोड़), राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (₹39.13 करोड़) तथा दूरदर्शन (₹7.88 करोड़) को जारी किया गया था। चार राज्यों में इस अभियान के तृतीय दल मूल्यांकन में उद्घटित हुआ कि रा.कृ.वि.यो. सहित अन्य योजनाओं के लिए कोई विशिष्ट प्रचार अभियान नहीं किया गया था। इस प्रकार, रा.कृ.वि.यो. के लिए ₹75.96 करोड़ के कुल व्यय में से 66 प्रतिशत की ₹50.27 करोड़ की राशि एकमात्र रा.कृ.वि.यो. के लिए खर्च नहीं की गई।
- नौ राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा ने एक प्रतिशत में से ₹7.65 करोड़ के अस्वीकार्य व्यय के विभिन्न उदाहरणों को प्रकट किया (विवरण **अनुबंध-XVI** में)।
- असम में, 2008-09 के दौरान प्रशासनिक व्यय के लिए ₹142.62 लाख की स्वीकार्य राशि के प्रति राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यय के रूप में ₹193.46 लाख का व्यय किया जिसका परिणाम 2008-09 के दौरान

[1] मंत्रालय ने Xवीं योजना अवधि के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "कृषीय विस्तार हेतु जनसंचार माध्यम सहायता" प्रारम्भ की थी। इस योजना के भाग के रूप में, मंत्रालय ने जुलाई 2010 में संकेंद्रीत प्रचार अभियान प्रारम्भ किया जो मंत्रालय के सभी प्रभागों में इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करेगा।

₹142.62 की स्वीकार्य राशि से अधिक ₹50.84 लाख के अधिक व्यय में हुआ।

- अरूणाचल प्रदेश में, नोडल विभाग द्वारा कुल रा.कृ.वि.यो. निधि का एक प्रतिशत की कटौती प्रशासनिक लागत के लिए की गई तथा पुन: विभिन्न स्तरों पर एक प्रतिशत की कटौती की गई जैसे संबद्ध निदेशालयों द्वारा (पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विभाग को छोड़कर) तथा जिला कार्यान्वित एजेंसियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 तक ₹87.32 लाख को अनाधिकृत अधिक कटौती हुई।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि राज्य सरकारों के साथ मामले को लिया जा रहा है।

4.10 निधि की पार्किंग तथा उस पर अर्जित ब्याज

मंत्रालय के निर्देशानुसार (अप्रैल 2010), निधियों पर अर्जित ब्याज को संबंधित रा.कृ.वि.यो. निधि के प्रति सहायता अनुदान समझा जाना चाहिए। 11 राज्यों में, यह देखा गया कि निधियों (₹759.03 करोड़) को व्यक्तिगत लेजर खातों/व्यक्तिगत जमा खातों/बचत बैंक खाता/जमा खाता इत्यादि में रखा गया (राज्यवार विवरण **अनुबंध-XVII** में) आगे, यह भी देखा गया कि कुछ राज्यों में ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज भी बैंकों में अप्रयुक्त पड़े थे। राज्यवार शेषों का विश्लेषण उद्घटित करता है कि राज्य खजाने से निधि आहरित कर रहे थे, एवं इसे बैंक खातों में जमा कर रहे थे ताकि निधि को व्यपगत होने से बचाया जा सके।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ लिया जा रहा है।

4.11 निधियों का विचलन

राज्यों को रा.कृ.वि.यो. अनुदान दिए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय संस्वीकृति की शर्तों में से एक के अनुसार 'अनुदान को रा.कृ.वि.यो. की दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए' तथा राज्यों को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप) के अनुलग्नक-III कि 'धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे जारी किया गया था' हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के चार राज्यों में रा.कृ.वि.यो. निधि (₹114.45 करोड़) का अन्य योजनाओं/एजेंसियों को विचलन देखा गया था (राज्यवार विवरण **अनुबंध**–XVIII में)।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकार के साथ लिया जा रहा है।

4.12 अन्य अनियमिताएँ

छः राज्यों में, ₹76.47 करोड़ के असमायोजित अग्रिम के उदाहरण, रोकड़ शेष का अवरोधन, निधियों का अवरोधन, निष्फल व्यय देखे गए। बिहार तथा मध्य प्रदेश में अभिलेखों का अनुचित रखरखाव देखा गया। राज्यवार विवरण **अनुबंध**–XIX में वर्णित है।

4.13 निष्कर्ष

यह देखा गया कि मंत्रालय द्वारा दिखाए गए जारी तथा व्यय राशि के आंकड़े राज्यों द्वारा सूचित-ऑकड़ों से मेल नहीं खाते जिससे आंकड़ो के समाधान न होने का पता चलता है। सितम्बर 2013 के मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार 26 राज्यों से 2008-09 ने 2012-13 तक ₹2610.07 करोड़ की राशि के उ.प्र. प्राप्त किए जाने बकाया थे। कार्यान्वित एजेंसियों तथा नोडल विभागों द्वारा राशि को व्यय के रूप में प्रदर्शित करने के वर्तमान अभ्यास से वास्तविक व्यय में वृद्धि होती है तथा वित्तीय निष्पादन की स्थिति तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत की

जाती है। राज्य द्वारा नोडल विभाग/एजेंसी को एक से 23 माह की देरी से तथा नोडल विभाग/एजेंसी द्वारा कार्यान्वित विभाग/एजेंसी को एक से 34 माह की देरी से निधि जारी की जा रही थी। सात राज्यों में, रा.स्त.मं.स. के अनुमोदन के बिना 50 परियोजनाओं पर ₹106.13 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। मंत्रालय ने प्रशासनिक व्यय के लिए आवंटित ₹195.45 करोड़ में से ₹75.96 करोड़ (39 प्रतिशत) की राशि का उपयोग किया। 11 राज्यों में यह देखा गया कि निधि (₹759.03 करोड़) व्यक्तिगत-लेजर खाता/व्यक्तिगत-जमा खाता/बचत बैंक खाता/स्थायी जमा खाता इत्यादि में जमा थी। हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, तथा पश्चिम बंगाल चार राज्यों में रा.कृ.वि.यो. निधि (₹114.45 करोड़) का अन्य योजनाओं/एजेंसी को विचलन देखा गया था।

अध्याय-5

परियोजना कार्यान्वयन

दिशानिर्देशों का उप-पैरा 7.1.1 अनुबंध करता है कि एक अच्छी परियोजना के सभी आवश्यक संघटको अर्थात सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन अभिकरणों की योग्यताएं, प्रत्याशित लाभ जो किसानों को प्रदान किए जाएंगे, कार्यान्वयन हेतु निश्चित समय-सीमा आदि पर उचित प्रकार से विचार तथा शामिल किया गया है। नोडल अभिकरण/कृषि विभाग परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उत्तरदायी होना अपेक्षित हैं। रा.स्त.मं.स. को संस्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति को मॉनीटर तथा समीक्षा करने और प्रयासो अथवा संसाधनों की कोई आवृति न होने, फील्ड अध्ययनों को चालू करने/करने, आदि को सुनिश्चित करना भी अपेक्षित था। रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता दो अलग स्ट्रीमों अर्थात् **स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II** में उपलब्ध थी। आबंटित राशि के कम से कम 75 प्रतिशत को राज्यों द्वारा 20 क्षेत्रों के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं हेतु **स्ट्रीम-I** के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाना था।

2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान सभी 28 राज्यों ने 20 क्षेत्रों में ₹39718.00 करोड़ की लागत की 7557 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया था। 20 क्षेत्रों में सें, 19 क्षेत्रों (अध्याय-2 के पैरा 2.3(क) के संदर्भ में) में ₹39411.74 करोड़ की लागत की 7359 परियोजनाओं को 27 राज्यों (मिजोरम को छोडकर) में कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ किया गया था, जिसके ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं:

तालिका 5.1

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सहायता की प्रवृति	परियोजनाओं की संख्या	शामिल राज्यों की संख्या	संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कुल लागत के प्रति प्रतिशत ता
1.	बागवानी (एच.ओ. आर.टी.)	बागवानी फार्मों, नर्सियां, ग्रीन हाउस, फुल उत्पादन, वनस्पतियां, फल, नारियल तथा टिशु संवर्धन का विकास	1007	27	5223.68	13.25
2.	लघु सिंचाई (आई.आर.आर. आई.)	छिछला कुंओं/ डग- कुओं, नलकूओं, रिसन टैंकों, डिग्स, लघु सिंचाई कार्यो, फार्म तलाबों, सेचको एंव ड्रिप सिंचाई हेतु सहायता	313	26	4630.71	11.75
3.	फसल विकास (सी.आर.ओ.पी.)	फसलों (धान, गेंहू, मोटा अनाज, तेलबीज, दालें, गन्ना, कपास तथा अन्य) के विकास हेतु सहायता	525	27	4325.26	10.97
4.	पशु पालन (ए.एन.एच.बी.)	पोषण एवं चारा, नसल सुधार, पशु स्वास्थ्य, पोल्ट्रि, अवसंरचना, विस्तार तथा प्रशिक्षण	1289	27	4155.41	10.54
5.	कृषि यन्त्रीकरण (ए.एम.ई.सी.)	कस्टम हाईरिंग केन्द्र, मशीनों तथा उपकरण हेतु सहायता	326	27	3471.92	8.81
6.	बीज (एस.ई.ई.डी)	बीज जांच प्रयोगशाला, बीज संसाधन एवं भण्डारण केन्द्र, बीजों के उत्पादन, प्रमाणन तथा संवितरण हेतु सहायता	385	26	2803.13	7.11
7.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.)	जल संरक्षण संरचनाएं तथा वाटरशेड विकास, मृदा अभिक्रिया (अम्लीय,क्षार, प्लावित किया हुआ), भूमि सुधार	243	26	2111.03	5.36
8.	अभिनव कार्यक्रम/ अन्य (ओ.टी.एच.आर.)	योजना जो कृषि, बागवानी तथा संबंद्ध क्षेत्र विकास हेतु महत्वपूर्ण है परंतु उपर्युक्त क्षेत्रों के अर्थात वर्गीकृत नहीं की जा सकती।	191	26	1887.87	4.79
9.	विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन	गोदामों एवं मालखानों, बाजार के बुनियादे ढांचे की	363	27	1815.24	4.61

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सहायता की प्रवृति	परियोजनाओं की संख्या	शामिल राज्यों की संख्या	संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कुल लागत के प्रति प्रतिशत ता
	(एम.आर.के.टी.)	स्थापना/सशक्तिकरण, शीतागार एवं कोल्ड चेन हेतु सहायता				
10.	विस्तार (ई. एक्स. टी.एन.)	कृषि विज्ञान केन्द्रों/ज्ञान केन्द्रों के दौरों के माध्यम से प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरें, विस्तार एवं अवसंरचना के प्रति नए दृष्टिकोण	397	26	1679.87	4.26
11.	डेयरी विकास (डी.डी.ई.वी.)	डेयरी यूनियनों/किसानें को सहायता (प्रशिक्षण सहित), दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों को बढ़ावा, किसानों को डेयरी इकाईयां	333	26	1591.00	4.04
12.	मत्स्य पालन (फिश)	कृषकों के मछली तालाब हेतु सहायता/मत्स्य पालन विभाग/अभिकरणों की अवसंरचना/तालाब हेतु सहायता (प्रशिक्षण सहित), मत्स्य पालन का विपणन	695	27	1321.55	3.35
13.	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशु पालन/आदि) (ए.जी.आर.ई.)	कृषि अनुसंधान परियोजनाएं, कृषि सुविधा	506	22	957.75	2.43
14.	सहकारी समितियां/ सहकारिता (सी.ओ.ओ.पी.)	गोदामों का निर्माण हेतु सहायता, उर्वरक संवितरण तथा अन्य सुविधाएं	109	16	871.83	2.21
15.	जैविक खेती/जैव उर्वरक (ओ.आर.एफ.एम.)	जैव-उर्वरकों, वर्मी खाद, जैविक खेती का प्रोत्साहन	196	24	819.95	2.08
16.	उर्वरक एवं एकीकृत पोंषक तत्व प्रबंधन (एफ.आई.एन.एम.)	मृदा निरीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक प्रयोगशालाएं, सूक्ष्म-पोषक तत्व प्रयोगशालाएं, अन्य प्रयोगशालाएं, मृदा गुणवत्ता कार्ड एवं मृदा जांच	149	24	780.80	1.98
17.	समेकित कीट प्रबंधन	समेकित कीट प्रबंधन (स.की.प्र.) प्रयोगशालाएं, कीट निगरानी,	130	23	594.17	1.51

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सहायता की प्रवृति	परियोजनाओं की संख्या	शामिल राज्यों की संख्या	संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कुल लागत के प्रति प्रतिशत ता
	(आई.पी.एम.टी.)	स.की.प्र. को प्रोत्साहन एवं किसाने के फिल्ड स्कूल				
18.	गैर-फार्म गतिविधियॉ (एन.ओ.एम.एफ.)	कृषि व्यवसाय केन्द्र एवं खेती के पश्चात प्रसंस्करण सुविधाएं	105	21	227.36	0.58
19.	रेशम उत्पादन (सेरी)	रेशम के कीड़ों का उत्पादन एवं अन्य	97	16	143.21	0.36
	कुल		**7359**	-	**39411.74**	

क्षेत्र-वार अंश को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

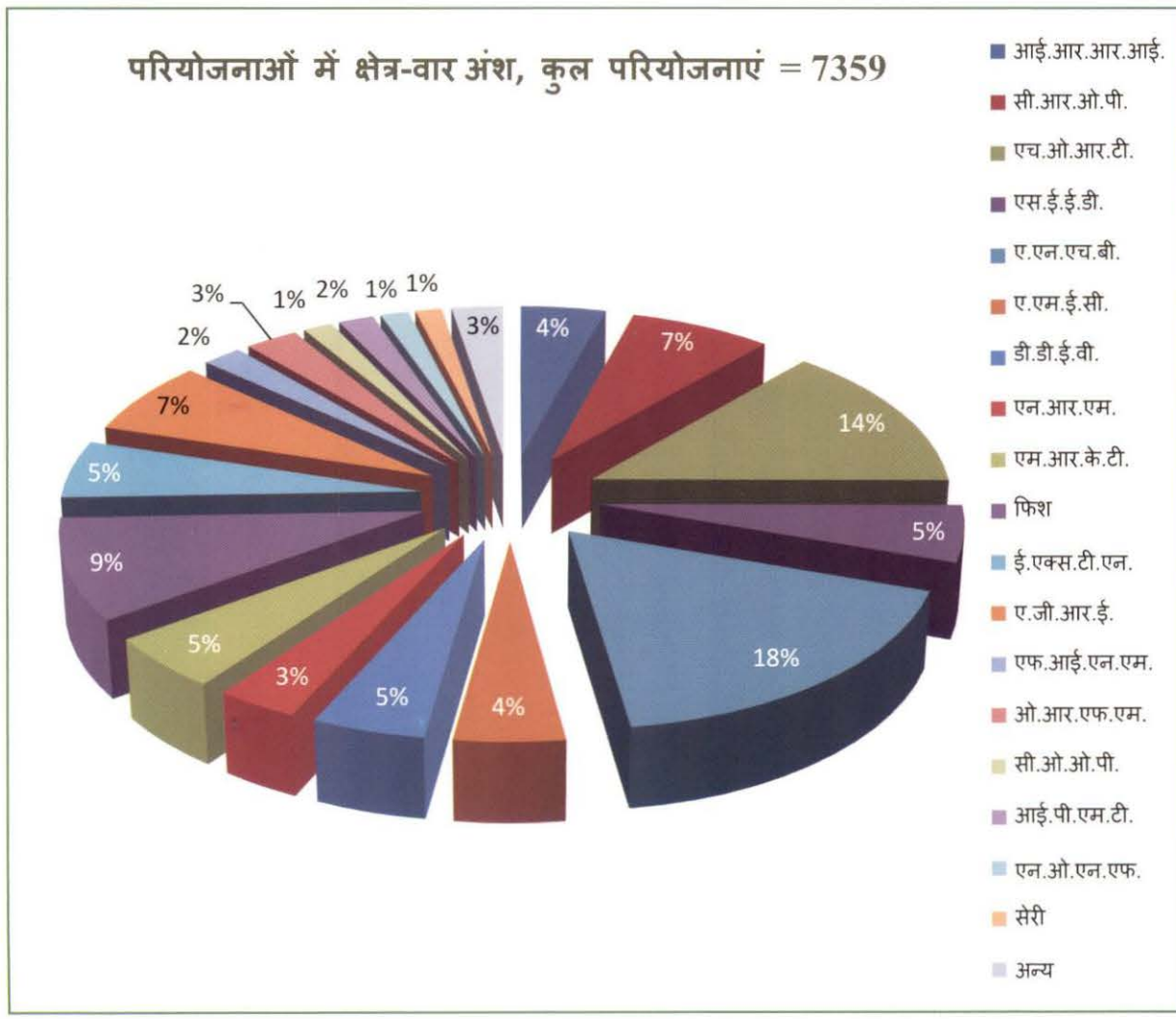

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 19 क्षेत्रों में से ए.एन.एच.बी. (पशु-पालन) क्षेत्र में परियोजनाओं की अधिकतम संख्या थी उसके बाद एच.ओ.आर.टी. (बागवानी), फिश (मत्स्य पालन) तथा सी.आर.ओ.पी. (फसल विकास) थे। रा.कृ.वि.यो. के माध्यम से इन क्षेत्रों को कम होते हुए उत्पादन तथा उत्पादकता के नवीकरण हेतु निधियों को निषेचन प्राप्त करना था।

5.1 स्ट्रीम-I परियोजनाएं

27 राज्यों (अनुबंध-I का संदर्भ) में लेखापरीक्षा हेतु चयनित क्षेत्रों में 4061 परियोजनाओं को 2007-08 से 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ किया गया था। 4061[1] परियोजनाओं में से 2506 परियोजनाए पूर्ण थीं, 1279 प्रगति अधीन थीं, 85 को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया था, 100 का परित्याग तथा 90 को छोड़ दिया गया था जैसा नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि कुल परियोजनाओं की 275 परियोजनाओं (लगभग 7 प्रतिशत) को या तो अभी कार्यान्वित नहीं किया गया था या फिर परित्याग/छोड़ दिया गया था।

तालिका 5.2

क्षेत्र का नाम	राज्यों में कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हुई परियोजनाओं की संख्या	प्रगति अधीन परियोजनाओं की संख्या	अभी भी कार्यान्वति नहीं की गई परियोजनाओं की संख्या	परित्याग की गई परियोजनाओं की संख्या	छोड़ी गई परियोजनाओं की संख्या
आई.आर.आर.आई.	170	87	55	7	11	10
सी.आर.ओ.पी.	373	233	120	10	8	2
एच.ओ.आर.टी.	630	415	173	18	3	21
एस.ई.ई.डी.	258	184	55	3	7	9
ए.एन.एच.बी.	873	498	312	6	38	19
ए.एम.ई.सी.	216	158	49	1	1	7
डी.डी.ई.वी.	195	149	31	7	7	1
एन.आर.एम.	164	103	53	6	1	1
एम.आर.के.टी.	195	124	59	4	3	5
फिश	265	148	108	3	3	3

[1] राजस्थान की एक परियोजना के विवरण अर्थात क्या पूर्ण थी, प्रगति में थी, परित्याग कर दिया गया था आदि उपलब्ध नहीं है।

ई.एक्स.टी.एन.	173*	103	56	0	7	6
ए.जी.आर.ई.	304	144	148	10	2	0
एफ.आई.एन.एम.	46	36	7	1	1	1
ओ.आर.एफ.एम.	50	35	11	1	2	1
सी.ओ.ओ.पी.	9	4	5	0	0	0
आई.पी.एम.टी.	45	36	7	0	1	1
एन.ओ.एन.एफ.	20	8	5	3	1	3
सेरी	20	9	7	3	1	0
ओ.टी.एच.आर.एस.	55	32	18	2	3	0
कुल	**4061**	**2506**	**1279**	**85**	**100**	**90**

100 परित्याग की गई परियोजनाओं, जैसा ऊपर बताया गया है, में से एक राज्य वार विश्लेषण ने प्रकट किया कि पाँच राज्यों आन्ध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, सिक्कीम तथा उत्तर प्रदेश 28 परित्याग की गई परियोजनाओं में ₹134.95 करोड़ का व्यय किये जाने इन के बावजूद इन परियोजनाओं का विभिन्न कारणों जैसे कि परियोजना की गैर-व्यवहार्यता, निधियों का कम निर्गम/अनुपलब्धता, परियोजना प्रभारी का हंस्तातरण, परियोजना लागत के अपने अंशदान का प्रेषण करने की लाभार्थियों की अनिच्छा, स्टाफ की अनुपलब्धता आदि के कारण परित्याग किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जूलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच हेतु 19 क्षेत्रो में स्ट्रीम-1 के अतंर्गत 393 परियोजनाओं का चयन किया (राज्य तथा क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध-XX** में) जैसे नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

तालिका 5.3

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं की संख्या	क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं की संख्या
1.	आई.आर.आर.आई	22	11.	ई.एक्स.टी.एन.	20
2.	सी.आर.ओ.पी.	33	12.	ए.जी.आर.ई.	18
3.	एच.ओ.आर.टी.	46	13.	एफ.आई.एन.एम.	11
4.	एस.ई.ई.डी.	31	14.	ओ.आर.एफ.एम.	13

5.	ए.एन.एच.बी	53	15.	सी.ओ.ओ.पी.	4
6.	ए.एम.ई.सी.	30	16.	आई.पी.एम.टी.	11
7.	डी.डी.ई.वी.	22	17.	एन.ओ.एन.एफ	6
8.	एन.आर.एम.	20	18.	सेरी	6
9.	एम.आर.के.टी.	20	19.	ओ.टी.एच.आर.एस.	8
10.	फिश	19		**कुल**	**393**

393 परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने 150 परियोजनाओं (38 प्रतिशत) में निम्न -निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामलों को उजागर किया जिन्हे विषय-वार वर्गीकृत किया गया है जैसा नीचे वर्णन किया गया है:

क) **लक्ष्यो की अप्राप्ति/कमी** - लेखापरीक्षा ने 19 राज्यों में ₹1404.94 करोड़ की लागत की 62 परियोजनाओं में लक्षित परिणामों की प्राप्ति में कमी पाई जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	पशुपालन	लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना **(2010-11)** - 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान चार जिलों[2] में 1459 लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के प्रति केवल 170 इकाईयों की ही स्थापना की जा सकती थी। किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकर आगे नहीं बढ़े थे जो परियोजना के खराब कार्यान्वयन का कारण बना। इसके अतिरिक्त, परियोजना में आर्थिक सहायता रा.कृ.वि.यो. की अन्य सबंधित परियोजनाओं में प्रदान की गई से कम थी तथा इसलिए, किसानों की प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी।	**42.19**
2.	आन्ध्र प्रदेश	कृषि मशीनीकरण	राईस कम्बाईन हारवेस्टर (2010-11) - परियोजना के अंतर्गत रायथू मित्रा ग्रुप (आर.एम.जी.)[3] को ₹15.00 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करके 150 कम्बाईन हारवेस्टरों की आपूर्ति की कल्पना की गई थी। मशीनों की उच्च लागत, बैंकों का शहरी सम्पत्ति को गिरवी रखने पर जोर देना तथा स्थानीय सर्विस सेन्टरों की अनुपलब्धता की दृष्टि से उनको लेने में लाभार्थियों का हित न दर्शाने के कारण थी राज्य और चार चयनित जिलों[4] में कम्बाईन हारवेस्टरों की आपूर्ति में क्रमश: 49 और 40 प्रतिशत की कमी थी। आपूर्ति किए गए कम्बाईन हारवेस्टरों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) मशीन ने खरीद की तिथि से खेत में दो घण्टों के लिए भी उपयुक्त रूप से कार्य नहीं किया था, (ii) मशीन के पूर्जो का लगातार खराब होना था, (iii) मरम्मतों में भारी प्रक्रियाएं शामिल थीं तथा (iv) मशीन से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था तथा यह किसानें पर एक वित्तीय भार बन गई थी।	15.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	कृषि मशीनीकरण	तीव्र मशीनीकरण (2010-11) - परियोजना कम्बाईन हारवेस्टर, प्रतिरोपक, नर्सरी मशीनों, थ्रेरारों तथा पावर बीडरों की आपूर्ति के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को बढ़ाने पर लक्षित थी। हारवेस्टरों, प्रतिरोपकों, थ्रेरारों तथा पावर वीडरों के संवितरण में प्रतिशतता कमी क्रमश: 44, 90, 86 तथा 90 थी। उत्तर में, यह बताया गया था कि लाभार्थी उच्च लागत के कारण मशीनों को लेने आगे नहीं आए थे।	84.10

[2] रंगरेड्डी, मेदक, नालगोंडा तथा महबूबनगर

[3] रायथू मित्रा ग्रुप (आर.एम.जी.)- ग्राम में किसानों का एक स्वयं सहायता समूह

[4] रंगारेड्डी, मेदक, नाल्गोंडा तथा महबूब नगर

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
4.	असम	मुख्य/ सूक्ष्म सिंचाई	सिंचाई - (2009-10) - परियोजना का उद्देश्य पम्प सेटों का संवितरण था। राज्य में 7749 पम्प सेटो के संवितरण के लक्ष्य के प्रति केवल 4564 पम्प सेटो (59 प्रतिशत) का संवितरण किया गया था। कम उपलब्धि लाभार्थियों द्वारा पम्प सेटो की कम मांग के कारण थी। तीन चयनीत जिलों में 27 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि लाभार्थी पम्प सेटो को प्रापण करने के इच्छुक नहीं थे तथा आपूर्तिर्क्ता पुराने दर पर पम्प सेट आपूर्ति के इच्छुक नही थे। विभाग द्वारा लाभार्थी अशं के 40 प्रतिशत के भुगतान का परिणाम ₹18.05 करोड के अधिक भुगतान में हुआ। उच्च दरों पर 14018 पम्प सेटो की खरीद का परिणाम 2010- 11 के दौरान ₹6.42 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।	7.90
5.	असम	बागवानी	उच्च तकनीकी उत्पादन प्रोधोगिकी पर प्रदर्शन (2010-11) - परियोजना राज्य सरकार तथा लाभार्थी के बीच 50:50 के अनुपात में लागत विभाजन आधार पर ₹7.80 करोड़ की लागत पर 2054 निम्न लागत पौधा-घरों तथा 168 उच्च लागत पौधा-घरों के निर्माण की कल्पना करती है। परियोजना विफल हुई क्योंकि कार्यान्वयन अभिकरण जूलाई 2013 तक लाभर्थियों की आवश्यकता का निर्धारण नहीं कर सकी थी परिणामत: ₹41 लाख की लागत पर केवल 17 उच्च लागत पौधा घरों का निर्माण किया गया था किसी भी निम्न लागत पौधा घरों का निर्माण नहीं किया गया था जिसने ₹7.39 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ा तथा दोनो प्रकार के पौधा घरों के निर्माण में 99 प्रतिशत की कमी रही। तीन जिलों में उच्च लागत वाली परियोजनाओं को अपनाने उनकी अनिच्छा के कारण किसी भी लाभार्थी का चयन नहीं किया जा सका।	12.18
6.	असम	पशु पालन	अवसरंचना विकास- (सितंबर 2008) - मार्च 2009 तक पूर्ण किए जाने वाले 17 पशु रोग औषधालय बिल्डिगों तथा 10 फ्रोजन सेमन बैकों के लक्ष्य के प्रति समापन की निर्धारित तिथि से चार वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी ₹8.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात केवल 11 औषधालय बिल्डिगों तथा एक फ्रोजन सेमेन बैक का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका था। कामरूप जिले की दो औषधालय बिल्डिगों के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने कार्य की खराब गुणवता के निष्पादन,	11.61

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			जल/बिजली कनेक्शन के अभाव को दर्शाया।	
7.	असम	मत्स्य पालन	मछली सीड उत्पादन एवं संवितरण-(2008-09) - परियोजना के अंतर्गत, चयनित जिलों[5] में 2008-09 के दौरान मछली सीडों (फ्राई एंव फिंगरलिंग) के उत्पादन में 76 प्रतिशत की कमी थी जिसका कारण सिविल निर्माण कार्यों का पूरा न होना तथा जिला कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा मॉनीटरिंग की कमी थी। पांच चयनित जिलों (एन.सी.हिल्स, गोलाघाट एवं सोनितपूर जिलों) में से तीन में, अनिवार्य अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।	5.36
8.	असम	जैविक कृषि/जैव उर्वरक	मृदा में सुधार हेतु ग्रीन मैन्योर के रूप में धायन्चा के बीजों का वितरण-(2011-12) - परियोजना के अंतर्गत अक्तूबर 2013 को राज्य में क्षेत्र के आवर्तन में कमी 33 प्रतिशत थी। 50 कि.ग्रा./हे. के प्रतिमान के प्रति 2011-12 के दौरान 90 कि.ग्रा./हे. की दर पर लाभार्थियों को धायन्चा बीजों के अधिक वितरण के कारण ₹1.74 करोड़ का परिहार्य व्यय भी पाया गया था।	9.00
9.	छत्तीसगढ़	अन्य	बहु कार्य कृषक सेवा केन्द्र (शहीद वीर नारायण सिंह बहु कार्य कृषक सेवा केन्द्र) की स्थापना - (2008-09) - परियोजना के अंतर्गत, 18 ब्लॉक स्तरीय बहु कार्य कृषक सेवा केन्द्रों (ब्लॉ.ब.कृ.के.) की स्थापना के प्रति ₹4.55 करोड़ (46 प्रतिशत) का अव्ययित शेष छोड़ते हुए, ₹5.35 करोड़ की लागत पर 15 ब्लॉ.ब.कृ.के. का निर्माण किया गया था। चयनित जिलों में, छः ब्लॉ.ब.कृ.के. में से, एक अधूरा था (रायपुर) और दो ब्लॉ.ब.कृ.के. में सिविल निर्माण-कार्य शुरू नहीं हुआ था। दुर्ग के ब्लॉ.ब.कृ.के. का जहॉ सिविल निर्माण-कार्य पूरा हो गया था उसे उपकरणों के प्रापण नहीं होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था जो 28 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।	9.90
10.	छत्तीसगढ़	सहकारी समितियां/ सहकारिता	सहकारी समितियों में गोदाम-(2010-11) - परियोजना का मुख्य उद्देश्य किमानों को समय पर बीजों के साथ उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा का सृजन करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में गोदामों	20.15

[5] गोलाघाट, धुबरी, एन.सी.हिल्स, धीमाजी एवं सोनीत्पुर

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			का निर्माण करना था। यद्यपि, 310 गौदामों का निर्माण जून 2010 तक पूरा किया जाना था फिर भी सितम्बर 2013 को निर्माण में कमी 67 प्रतिशत थी।	
11.	छत्तीसगढ़	बागवानी	नर्सरियों की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु सहायता - (2007-08) - परियोजना को 12 माडल नर्सरियों की स्थापना की कल्पना की गई थी। बारह में से छ: नर्सरियों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान पौधो का उत्पादन अपेक्षित प्रमात्रा से काफी कम था क्योंकि क्षमता उपयोग एक से 49 प्रतिशत के बीच थी जिसने अवसंरचना के सकल निम्न-उपयोग को दर्शाया।	2.16
12.	गुजरात	फसल विकास	धान, मकई, बाजरा, सरसों तथा मूंग फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना - (2011-12) - परियोजना उददेश्य प्रदर्शनों तथा किसानों को शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से धान, मकई, बाजरा, सरसों तथा मूंग की नई कृषि प्रौद्योगिकी प्रदान किया जाना था। 24 जिलों मे लक्ष्यित ब्लाकों के विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण में क्रमश: 62 तथा 69 प्रतिशत की कमी थी। परियोजना किसानों को आर्थिक सहायता दर पर कीटनाशकों, उर्वरकों, सूक्ष्म पुष्टिकारों, आदि के संवितरण के संघटक के गैर-कार्यान्वयन के कारण अपूर्ण रही।	43.81
13.	गुजरात	बीज	मूंगफली, गेहूं तथा बाजरे के गुणवत्ता बीज उत्पादन - (2008-09) - उत्पादन में 71 प्रतिशत तक की कमी थी जो मूंगफली के मामले मे बीज के कम गुणन तथा गेंहू एवं बाजरे के मामले में अनिश्चित मौसमी परिस्थितियों को आरोपित थी।	3.54
14.	गुजरात	डेयरी विकास	एकीकृत डेयरी विकास - (2010-11)- परियोजना का उद्देश्य अनूसूचित जनजाति परिवारों के लाभार्थी की आय को दुगना करके पूर्णकालिक रोजगार अवसर को उत्पन्न करना था। परियोजना के कुछ मुख्य संघटकों अर्थात् नए मवेशी, हेफर की आपूर्ति तथा पशु शैड का निर्माण में कमी माह मार्च 2012 में 63, 82 तथा 68 प्रतिशत थी जो नवम्बर 2010 में कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों के विलम्बित निर्गम को आरोपित थी।	21.91
15.	गुजरात	प्राकृतिक	गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा की जांच-	65.59

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
		संसाधन प्रबंधन	(2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, आनन्द, नवसरी एवं वदोदरा के तीन चयनित जिलों में क्षेत्र के कवरेज में 32 प्रतिशत की कमी पाई गई थी। आठ गांवों को आवृत्त करते हुए वदोदरा जिले में 'भूमिसुधार बदं के निर्माण' तथा 'मृदा प्रबंधन' के दो घटकों की पूर्ति में 93 तथा 71 प्रतिशत की कमी पाई गई थी। तीन चयनित जिलों के छः गांवों में संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अभिलेख अर्थात आवेदन पत्र, लाभार्थियों द्वारा उत्तरदायित्व, तस्वीरे या डिस्प्ले बोर्ड कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थे।	
16.	गुजरात	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	फसल उत्पादन में वृध्दि करने के लिए लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में सुधार-(2010-11) - परियोजना के अंतर्गत, राज्य में क्षेत्र के कवरेज में 63 प्रतिशत की कमी थी। आनन्द एवं वदोदरा के दो चयनित जिलों में, क्षेत्र के कवरेज, भूमिसुधार बदं के निर्माण तथा रिचार्ज संरचनाओं के घटकों में क्रमशः 82, 100 और 49 प्रतिशत की कमी थी।	29.00
17.	हरियाणा	उर्वरक एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन	वर्ष के दौरान हरियाणा की मिट्टी में सल्फर की कमी को कम करने के लिए परियोजना (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, राज्य में क्षेत्रों के आवर्तन में कमी मार्च 2013 तक 54 प्रतिशत थी।	3.00
18.	जम्मू एवं कश्मीर	बागवानी	शेड नेट हाउस (टैबूलर/वुडन/बम्बू) - (2012-13) - परियोजना के अतंर्गत 0.99 एकड़ के लक्ष्यित क्षेत्र के प्रति केवल 0.29 एकड़ माप के शेड नेट हाउसों को स्थापित किया गया था जिसका परिणाम 71 प्रतिशत की कमी में हुआ।	0.09
19. 20.	जम्मू एवं कश्मीर	जैविक खेती/जैव उर्वरक	सशक्तिकरण हेतु वर्मी-कम्पोस्ट को बढावा-(2010-11) तथा जैविक खेती तथा वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना-(2010-11) - दोनों परियोजनओं के अंतर्गत 2010-12 के दौरान जैविक खेती की इकाइयों की स्थापना में 122 इकाइयों (27 प्रतिशत) की कमी थी। तीन चयनित जिलों में स्थापित 32 इकाइयों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि केवल नौ कार्यात्मक थे, 17 गैर-कार्यात्मक थे, पांच आंशिक रूप से कार्यात्मक थे तथा स्थल पर एक विद्यमान नहीं था। हालांकि, एक इकाई जिसे कार्यात्मक पाया गया था, उसे लाभार्थी द्वारा तोड़ दिया गया था और इसके तोड़े हुए सामान को गौशाला	1.37

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			के निर्माण के लिए उपयोग में लाया गया था।	
21.	जम्मू एवं कश्मीर	गैर-फार्म गतिविधियॉ	उपभोक्ता पारश्रमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सेवी समूहों/सोसाईटियों द्वारा कृषि -व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना (2010-11) - परियोजना के अतंर्गत 21 कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य के समक्ष, केवल आठ (38 प्रतिशत) की मार्च 2013 तक स्थापना नहीं की गई थी। कमी निधियों के कम निर्गम के कारण थी।	1.05
22.	जम्मू एवं कश्मीर	गैर-फार्म गतिविधियॉ	मशरूम विकास के अंतर्गत ₹75,000/- के अधिकतम पर 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता इकाई प्लास्टिक ट्रे (100 ट्रे/लाभार्थी) को सहायता पर परियोजना- (2012-13) - 2012-13 के दौरान 34 मशरूम इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के प्रति, 18 इकाईयों (53 प्रतिशत) को स्थापित नहीं किया जा सका था। चयनित जिलों में अवस्ति 13 इकाईयों (16 में से) के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि आठ गैर-क्रियात्मक थी और एक आंशिक रूप से चल रही थी।	0.25
23.	**झारखण्ड**	बीज	हाईब्रिड अधिसूचित बीज का संवितरण - **(2011-12)** - राज्य में 100000 हेक्टयेर के लक्ष्य मे से केवल 59528 हेक्टयेर का ही हाई ब्रिड धान द्वारा आवृत किया जा सका था जबकि मकई, अरहर, सूरजमुखी तथा सरसों के बीजों के संवितरण में उपलब्धि 'शून्य' थी। सुरजमुखी तथा सरसों के बीजों का संवितरण नहीं किया जा सका था क्योंकि क्रय आदेश को बुआई अवधि तक जारी नहीं किया जा सका था। पांच चयनित जिलों में, ऐसे कार्य के समर्थन में किसानों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के समर्थन में अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।	47.44
24. 25.	कर्नाटक	मुख्य/लघु सिंचाई	स्वर्ण कृषि होंडा- (2007-08) तथा (2008-09) - परियोजना में फार्म तलाबों के निर्माण की कल्पना की गई थी। पूर्ण राज्य तथा चमराजनगर, धारवद, कोलर, कोप्यल तथा बैगलोर (शहरी) के पांच चयनित जिलों में क्रमश: 38 तथा 46 प्रतिशत की कमी पाई गई थी। प्रत्यक्ष सत्यापन ने फार्म तलाबों के अपूर्ण निर्माण कार्य/अनुचित अनुरक्षण को प्रकट किया जिसका परिणाम सिल्ट, क्षेपण व्यर्थ के संचयन, फार्म तलाब खण्डों की क्षति आदि में हुआ।	250.00
26.	कर्नाटक	विस्तार	रायथा शक्ति समूह (रा.श.स.) का गठन (2009-10) -	5.00

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			परियोजना के अंतर्गत रा.श.स. के गठन में कमी 50 प्रतिशत थी जो बहुजातीय समूहों की पहचान में व्यावहारिक कठिनाइयों को आरोपित थी। सभी चयनित जिलो में रा.श.स. को निधियो के कम निर्गम के कारण परियोजना के विभिन्न घटको को पूरा नहीं किया गया था।	
27.	कर्नाटक	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि)	प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का सुदृढ़ीकरण (2007-08)- परियोजना के अंतर्गत, कार्यान्वित अभिकरणों अर्थात् कृषीय विज्ञान विश्वविद्यालय (यू.ए.एस.) बैंगलोर तथा यू.ए.एस., धारवाद को 80 प्रतिशत तक निधियों का कम निर्गम पाया गया था। ए.ए.एस., बैंगलोर कुल ₹6.21 करोड़ का अपवर्तन उस व्यय के प्रति किया गया था जो परियोजना से संबंधित नहीं था। यू.ए.एस. धारवाद तथा यू.ए.एस. बैंगलोर के सात कियोस्कों तथा चार कियोस्को के प्रत्यक्ष सत्यापन (जुलाई-अगस्त 2013) ने प्रकट किया कि क्रमश: तीन तथा दो क्योस्क शाप्फटवेयर के गैर-अनुरक्षण/मरम्मत/ गैर-उन्नयन के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं थे (फोटाग्राफ नीचे दिया गया है)।	100.00
28.	कर्नाटक	एकीकृत कीट प्रबंधन	प्रमुख खाद्य फसलों का एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन उन्नत केन्द्र (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत वि.प.रि. में कार्यान्वयन के लिए पाँच वर्ष प्रस्तावित किया गया था जिसके प्रति केवल दो वर्षों (2011-12 एवं 2012-13) के लिए निधियां जारी की गयी थीं। फिल्ड पदर्शनों, प्रशिक्षणों, मेलो, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करने के बजाय, केवल भवनों का निर्माण (छात्रावास भवन सहित जिसे रा.स्त.मं.स. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था) एवं प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद ₹2.53 करोड़ के लागत पर की गयी थी। इसने परियोजना के प्रयोजन को विफल किया।	3.92
29.	केरल	फसल विकास	चावल विकास - (2010-11) - परियोजना में तीन संघटक क) चावल उगाने वाले प्रदेशों में चावल उत्पादन, ख) चावल की अधिव्यकीय खेती तथा ग) चावल की बंजर भूमि खेती शामिल थे। परियोजना में तीन संघटको में से दूसरे एवं तीसरे संघटक के अंतर्गत क्रमश: 71 तथा 62 प्रतिशत की कमी थी।	40.00
30.	केरल	मत्स्य पालन	मत्स्यकेरलम कार्यक्रम (100 मछली फार्मर्स क्लबों, पंपों, नेटों,	3.00

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			मछली बूथ तथा बीमा हेतु कार्यालय भवन का निर्माण)-(2010-11) परियोजना में मछली बूथों, पम्पसेटों, ड्रेगनेटों आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ मछली फार्मरस क्लबों के लिए भवन के निर्माण की परिकल्पना की गई थी जिसे मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, मार्च 2013 तक, कार्यान्वयन अभिकरण ₹2.69 करोड़ (90 प्रतिशत) का उपयोग नही कर सका था और परिकल्पित 100 भवन में से केवल पांच भवन ही पूरे हुए थे।	
31.	केरल	मत्स्य पालन	ओडायम, त्रिवेन्द्रम जिले में मछली घर परिसर-सह-प्रशिक्षण तथा जागरूकता केन्द्र की स्थापना-(2011-12) - परियोजना को मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था लेकिन जुलाई 2013 तक परियोजना की भौतिक प्रगति केवल 20 प्रतिशत थी। ₹3.50 करोड़ की राशि को जारी करते हुए अन्य वि.प.रि. के आधार पर पहले जारी की गई ₹33 लाख की राशि को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसका परिणाम ₹33 लाख की निधियों के अवरोधन में हुआ।	3.50
32.	मध्य प्रदेश	फसल विकास	फील्ड प्रदर्शन तथा फार्म फील्ड विधालय - *(मई 2010)* - परियोजना के अंतर्गत किसानों को विशेष रूप से छः महत्वपूर्ण फसल चरणों के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। विदिशा जिले में विभिन्न विसंगतियां अर्थात् सभी छः महत्वपूर्ण फसल चरणों के दौरान प्रशिक्षण प्रदान न करना, किसानों तथा तकनीकी अधिकारियों के बीच अंतरापृष्ठ की कमी थीं।	8.50
33.	मध्य प्रदेश	पशुपालन	मवेशी प्रजनन फार्मों (सी.बी.एफ.) का सुदृढ़ीकरण- सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु लक्ष्यित 12 सी.बी.एफ. में से, चार नमूना परीक्षित सी.बी.एफ. को अपूर्ण सिविल कार्यों के कारण चालू नहीं किया गया था (अगस्त 2013)। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन तथा पोल्ट्री विकास निगम को मवेशी की आपूर्ति हेतु अग्रिम रूप से प्रदान की गई (जून 2010) ₹1.26 करोड़ की राशि तीन वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी उनके पास अव्ययित रही। बबई, होश्गांबाद मे जाफराबादी भैंस प्रजनन फार्म की स्थापना हेतु आंवटित भूमि (जूलाई 2008) पर शैडों तथा अवसंरचना के निर्माण पर किया गया ₹3.17 करोड़ का व्यय जुलाई 2012 में भूमि का औद्योगिक उपयोग	10.71

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			हेतु स्थानांतरण के कारण निष्फल साबित हुआ।	
34.	मध्य प्रदेश	पशुपालन	कोल्ड चैन की स्थापना (2010-11) - परियोजना रेफ्रिजिरेटर, डीप फ्रीज़र, रेफ्रिजिरेटर वैन, क्रायोकैन[6] आदि प्रदान करके टीको की शक्ति को बचाए रखने हेतु कोल्ड चैन का अनुरक्षण करने पर लक्ष्यित थी। रेफ्रिजिरेटर की खरीद में कमी 81 प्रतिशत थी। यह पाया गया था कि टीकों के परिवहन हेतु रेफ्रिजिरेटिड वैन पांच चयनित जिलों में किसी भी पांच इकाईयों मे उपलब्ध नहीं थी। सभी संस्थानों मे डीप फ्रिजरों, रेफ्रिजिरेटिड वैन तथा रेफ्रिजिरेटरो की गैर- उपलब्धता के कारण इन टीकों का अपेक्षित तापमान पर परिवहन तथा बचाव नही किया जा सका था जिसने इस प्रकार परियोजना के लक्ष्य को विफल किया।	20.79
35.	मध्य प्रदेश	विस्तार	ब्लॉक कार्यालयों का कृषि ज्ञान केन्द्र के रूप में क्षमता निर्माण-(2011-12) - प्रारंभिक रूप में ₹10.21 करोड़ के लिए 40 ब्लॉक कार्यालयों के सशक्तिकरण के लिए परियोजना को संस्वीकृति किया गया था जिसे कि बाद में संशोधित कर (2012-13) ₹22.86 करोड़ हेतु 91 ब्लॉक कार्यालयों के लिए कर दिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। मई 2013 तक, केवल 31 ब्लॉक कार्यालयों में सशक्तिकरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, 56 ब्लॉक कार्यालयों से संबंधित निर्माण कार्य प्रगति में थे तथा चार ब्लॉक कार्यालयों के निर्माण कार्य अभी शुरू किए जाने थे।	22.86
36.	महाराष्ट्र	रेशम उत्पादन	सिल्क उद्योग के विकास हेतु शहतुत की खेती - (2011-12) - परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन को बढ़ाना और कुकून उत्पादन में वृद्धि थी। मार्च 2014 तक 600 एकड़ को शामिल करने के लक्ष्य के प्रति, केवल 274 एकड़ (46 प्रतिशत) ही सितम्बर 2013 तक आवृत किया जा सका था। उपलब्धि में गिरावट इस कारण थी कि किसान उच्च श्रमिक दरों और अन्य नगदी फसलों के आकर्षण के कारण शहतूत की खेती में रूचि नहीं लेते थे।	6.40
37.	महाराष्ट्र	रेशम	टसर ग्रेनेज (मिट्टी के घर) - (2011-12) - परियोजना के	4.51

[6] क्रायोकैन सेमन परिवहन करने हेतु तरल नाईट्रोजन का एक कन्टेनर

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
		उत्पादन	तहत, मार्च 2012 तक 10 मिट्टी के घरों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति, केवल एक मिट्टी के घर (10 प्रतिशत) का ही सितम्बर 2013 तक निर्माण किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि लोक निर्माण विभाग ने शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है।	
38.	मणिपुर	बागवानी	कम विकसित बागवानी फसलों को उन्न्यन - (2010-11) - ₹4.00 करोड़ की परियोजना लागत के प्रति ₹ 2.00 करोड़ का निर्गम तथा उपयोग किया गया था। परियोजना में किसानो को बालवृक्षों/बीजों तथा उर्वरकों का संवितरण तथा प्रशिक्षण शामिल था। 50 प्रतिशत की कमी निधियों के कम निर्गम के कारण लक्ष्यित क्षेत्र को शामिल करने तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने में पाई गई थी।	4.00
39.	मणिपुर	विस्तार	चा.सं.प्र.[7] प्रौद्योगिकी के साथ पूर्व-खरीफ धान पर फसल प्रदर्शन-(2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, प्रदर्शनों के माध्यम से चा.सं.प्र. प्रौद्योगिकी का बढावा परिकल्पित किया गया था। यद्यपि, अप्रैल 2011 में परियोजना को संस्वीकृत किया गया था फिर भी मंत्रालय ने फरवरी 2012 में देर से ₹90 लाख की निधियां जारी की थीं। पांच चयनित जिलों[8] में से, चार जिलों में केवल 1998 कृषकों (49 प्रतिशत) को आवृत किया गया था जबकि सेनापति के एक जिले में किसी लाभार्थी को आवृत नहीं किया गया था।	1.35
40.	पंजाब	फसल विकास	गेहूं बीज की वापसी - (2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, गेहूं के दो लाख क्वींटल प्रमाणित बीजों के संवितरण के लक्ष्य के प्रति ₹5.00 करोड़ की लागत के 5000 क्वींटल बारसीम बीज के संवितरण हेतु खरीद की गई थी। गेहूं बीज की खरीद में 54 प्रतिशत की कमी थी।	10.00
41.	पंजाब	बागवानी	सिट्रस सम्पदा की स्थापना - (2008-09) - परियोजना के अतंर्गत पांच वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान सिट्रस खेती के अंतर्गत क्षेत्र को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना था तथा फलों	9.88

[7] चावल संवर्धन तकनीक (चा.सं.त.) में कम इनपुट अर्थात बीज, पानी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है लेकिन अधिक जैविक खाद का उपयोग करता है।

[8] इम्फाल (पूर्व), इम्फाल (पश्चिम), थाऊबल, बिस्नुपुर तथा सेनापति

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			के उत्पादन को चार गुना बढ़ाना था। पांच सिट्रस सम्पदाओं में से, तीन सम्पदायों[9] में फलों के उत्पाद में प्रतिशतता वृद्धि 25 से 61 प्रतिशत के बीच थी तथा एक सम्पदा[10] में यह लगभग शून्य' थी। किसानों के उपयोग हेतु उपकरण तथा औजारो की खरीद के लिए निर्धारित ₹92 लाख की राशि अव्ययित पड़ी थी।	
42.	राजस्थान	बागवानी	अतराष्ट्रीय बागवानी नवाचार तथा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर की स्थापना- (2008-09) - परियोजना के अंतर्गत किसानों की प्रत्याशित संख्या में 68 प्रतिशत की कमी पाई गई थी जो क्षेत्रीय विभागों में प्रशिक्षित स्टाफ की कम संख्या, किसानों की खराब प्रतिक्रिया आदि को आरोपित थी (अगस्त, 2013)। छात्रावास निवास के सुदृढ़ीकरण हेतु जारी (मार्च 2011 तथा मार्च 2012) ₹2.25 करोड़ की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी ।	19.96
43.	राजस्थान	बागवानी	किसानों के खेती मे खजूर का रोपण - (2008-09) - परियोजना का मुख्य उददेश्य खजूर उत्पादन प्रौद्योगिकी के उन्नयन, प्रसार तथा किसानों को प्रशिक्षण देना था। खजूर रोपण के द्वारा क्षेत्र के विस्तार में कमी 51 प्रतिशत थी। 2009-11 के दौरान किसानों को संवितरण हेतु प्राप्त ₹12.89 करोड़ की लागत के खजूर के पौधे अप्रयुक्त पड़े थे।	51.65
44.	राजस्थान	मत्स्य पालन	मछली सीड़ पालन क्षेत्र का विकास-(2007-08) - परियोजना के अंतर्गत, मार्च 2013 तक (काम पूरा होने के निर्धारित माह), 494.22 एकड़ में पालन क्षेत्र के विकास के लक्ष्य के प्रति, केवल 30.12 एकड़ क्षेत्र (6 प्रतिशत) का विकास हुआ था। प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि 2008-13 के दौरान उदयपुर जिले में 24.71 एकड़ मछली सीड पालन क्षेत्र को विकसित करने के लक्ष्य के प्रति केवल 14.83 एकड़ (60 प्रतिशत) का विकास किया गया था। इसके अलावा, मछली पालन हेतु तालाब खाली एवं सूखे हुए थे तथा मछली पालन की कोई गतिविधियां नहीं की जा रहीं थीं। मत्स्य पालन विकास अधिकारी, उदयपुर ने इस स्थिति को वर्षा की	6.00

[9] 1) चौनी कलान, जिला होशियारपुर में हरियाणा 2) बादल जिला मुस्तसा यसहिब 3) छलेवाल जट, जिला फजिल्का में फिरोजपुर

[10] भूंगा, जिला होशियार पुर में होशियार पुर

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			अनिश्चितता/कम वर्षा तथा घटता हुआ भूजल को आरोपित किया।	
45.	राजस्थान	मत्स्य पालन	लोक निजी साझेदारी में मछली सीड उत्पादन इंकाई की स्थापना-(2007-08) - ₹3.00 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति, ₹70 लाख जारी किए गए थे। मार्च 2013 तक (काम पूरा होने के निर्धारित माह), 30 उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य के प्रति केवल एक इकाई (3.33 प्रतिशत) की स्थापना की गई थी। मछली कृषकों द्वारा मछली सीड उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु ₹50 लाख की राशि का उपयोग रिवॉल्विंग निधियों के सृजन तथा कोटा, बंसवारा, हनुमानगढ़, टॉक, चित्तौरगढ़ तथा भिलवाडा में सरकारी फार्मों का परिचालन करने के लिए किया गया था जिसके कारण निधियों का विपथन हुआ था।	3.00
46.	राजस्थान	विस्तार	संगोद तहसील, जिला कोटा के ग्रामीण तथा गरीब किसानों के लिए समुदायिक रूप से प्रबंधित लघु स्तर पर भूमि एवं जल संसाधन विकास - (2010-11) - परियोजना के अंतर्गत,बांधों के निर्माण तथा उद्‌हन सिंचाई प्रणाली (एल.आई.एस.) में कमी क्रमश: 33 तथा 100 प्रतिशत थी जो तकनीकी संस्वीकृति तथा निधियों के निर्गम में विलम्ब को आरोपित थी। प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि गांव के लोग दो पूरे हुए नियंत्रण बांधों में संचित जल का उपयोग नहीं कर रहे थे तथा अपने नल कूपों का उपयोग कर रहे थे।	18.00
47.	राजस्थान	विस्तार	राजस्थान के प्रत्येक फार्महाउस के लिए मृदा गुणवत्ता कार्ड संवितरण कार्यक्रम-(2010-11) - यद्‌यपि परियोजनाओं को पूर्ण घोषित किया गया था फिर भी लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि परियोजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं थी क्योंकि ₹75.00 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति केवल ₹2.10 करोड़ (3 प्रतिशत) को जारी किया गया था तथा मार्च 2013 तक ₹6.76 लाख की अल्प राशि का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त 60 लाख मृदा नमूनों का डाटाबेस बनाने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर को विकसित नहीं किया गया था।	75.00
48. 49.	सिक्किम	फसल विकास	बेबी कोर्न, स्वीट केर्न तथा पॉप कोर्न को प्रोत्साहन- (2011-12) तथा (2012-13) - परियोजना के अंतर्गत 2011-12 के दौरान	2.15

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			कैन्निगं टिनों के उत्पादन में कमी 88 प्रतिशत थी। उपयुक्त बाजार अनुसंधान की कमी के कारण, कार्यक्रम को मित्तव्ययी रूप से अव्यवहार्य पाया गया था क्योकिं, किसानों हेतु बेबी कोर्न, स्वीट कोर्न तथा उर्वरक के प्रापण तथा आपूर्ति की लागत (₹3.59 करोड़) क्रय मूल्य (₹1.10 करोड़) से अधिक थी तथा कार्यान्वयन अभिकरण (सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड) को कोर्न उत्पादन के व्यवसाय में ₹15.40 लाख की हानि हुई।	
50.	सिक्किम	बागवानी	वर्मीआक (दक्षिण) में उच्चतकनीकी ग्रिन हाउस की स्थापना - (2009-10) - भौतिक सत्यापन (सितबंर 2013) ने प्रकट किया कि ग्रिन हाउस डीजल जनरेटर के कनेक्शन से कार्य कर रहे थे क्योंकि बिजली के कनेक्शन की मांग हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन थी। परिणामस्वरूप, 2012-13 के दौरान 50,000 संतरे के बीजों के उत्पादन के लक्ष्य के प्रति 12,328 पौधे अंकुरित हुए थे।	0.86
51.	तमिलनाडु	पशुपालन	हरा चारा विकास कार्यक्रम - (2008-09) - राज्य तथा अभिषेक पट्टी एवं चिन्नासलेम के दो चयनित जिलों में चारा भूमि के विकास में कमी क्रमश: 37 तथा 80 प्रतिशत थी। जिला पशुधन फार्म, अभिषेकपटटी में चारा भूमि के बजाए पशुचर तथा चरागाह भूमि को विकसित करने के प्रति निधि का अपवर्तन पाया गया था। इस प्रकार, राज्य भेड़ फार्म, चिन्नासलेम में खराब जल आपूर्ति तथा पशुचर एंव चरागाह भूमि के विकास हेतु निधि के अपवर्तन के कारण 250 एकड़ भूमि की बजाए ₹79 लाख की लागत पर केवल 50 एकड़ को ही विकसित किया जा सका था। चिन्नासलेम भेड़ फार्म तथा अभिषेकपटटी में दो स्थलों (4 तथा 1.15 एकड़ माप का) के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि चारा विकास पूर्णत: सूखा था।	5.77
52.	तमिलनाडु	पशुपालन	तमिलनाडु में विभागीय पशुधन फार्मों के माध्यम से पशुधन का अनुवांशिक उन्नयन - (2009-10) - परियोजना का मुख्य उदेश्य सात पशुधन फार्मो के माध्यम से स्थानीय ब्रिड की	3.85

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			श्रेष्ठ गुणवता को बचाना/सुरक्षित रखना/उपजाना था। दो चयनित फार्मों[11] में पशुओं की खरीद में कमी की प्रतिशतता 47 प्रतिशत थी।	
53.	तमिलनाडु	विस्तार	तमिलनाडु में किसान भवन/फामर्स हब (उज्हावर मैयम)-(2011-12) - परियोजना में कृषि के विभिन्न पहलुओं पर कृषकों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से अनुभवों को बांटने तथा फील्ड अपनाने वालों से प्रतिक्रिया लेने के अलावा कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए 10 स्थानों पर किसान भवन (फामर्स हब) का निर्माण परिकल्पित किया गया था। अगस्त 2013 तक, तिरूचिरापल्ली में एक फामर्स हब भवन के निर्माण के कार्य के अलावा अन्य जिलों में कार्य अभी तक पूरा/उपभोक्ता विभाग को दिया जाना शेष था	15.00
54.	उत्तर प्रदेश	मुख्य/लघु सिंचाई	लघु सिंचाई कार्य (गहरे नल कूप, मध्यम-गहरे नलकुप, डा.बी.आर. अम्बेडकर नलकूप तथा डा.बी.आर. अम्बेडकर समुदायिक नलकूप - (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत 2009-10 से 2011-12 के दौरान सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण में समग्र कमी 25 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 के लिए, गहरे नलकूप तथा मध्यम गहरे नलकूप के निर्माण में कमी कुछ स्थलों के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में स्थित होने आदि के कारण क्रमश: 32 तथा 47 प्रतिशत थी।	62.36
55. 56.	उत्तर प्रदेश	डेयरी विकास	सघन लघु डेयरी परियोजना (2008-09) तथा (2010-11) - उद्देश्य ग्रामीण इलाकों अर्थात गांवों के जिलों में जहां दुध मार्किटिंग में दुध समितियां परिचालनात्मक थीं वहां लघु डेयरियों को स्थापित करके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था। 2008-13 की अवधि हेतु राज्य तथा चयनित जिलों[12] में छोटी डेयरियों के निर्माण में कमी क्रमश: 41 तथा 46 प्रतिशत की थी।	43.15
57. 58.	उत्तर प्रदेश	उर्वरक एव एकीकृत पोषक तत्व	• मृदा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (अप्रैल 2010) तथा (फरवरी 2011) - वर्ष 2010-11 के लिए ₹135.04 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाली परियोजना (2008-09 से चल रही	135.04

[11] चिन्नासलेम (भेड़), अभिषेक पट्टी (भेड़) तथा अभिषेक पट्टी (गाय)

[12] इकाई के बंद होने के कारण सहारनपुर को शामिल नहीं किया गया था

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
		प्रबंधन	परियोजना) का उद्देश्य मृदा गुणवत्ता में सुधार लाना, मृदा में कार्बन-नाइट्रोजन अनुपात को बनाए रखना, उर्वरता में वृध्दि तथा किसानों में जैव-उर्वरक के उपयोग को बढावा देना था। • 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान परियोजना के छः घटकों के संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी 5 से 24 प्रतिशत के बीच थी।लेखापरीक्षा ने पाया कि 2008-12 के दौरान राज्य के नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृदा के उर्वरता स्तर में सुधार हेतु ₹177.20 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के साथ वर्ष 2011-12 में राज्य की उर्वरता स्थिति की तुलना से पता चला कि मृदा के उर्वरता स्तर[13] में सुधार नहीं हुआ था। • 2012-13 के दौरान 60000 हेक्टेयर भूमि के कवरेज हेतु अपेक्षित धायन्चा बीजों के वितरण में 41 प्रतिशथ की कमी थी। उच्च दर पर धायन्चा बीजों के क्रय का परिणाम ₹1.06 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। 10 जिलों[14] में खराब एवं घटिया बीजों की आपूर्ति की गई थी जिसे बाद मे बीज विकास निगम (बी.वि.नि.) को लौटा दिया गया था। • 2009-12 के दौरान कार्यान्वित ग्रीन मैन्यौर कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, बुवाई समय (अर्थात् 15 मई के पश्चात्) के पश्चात ₹61.43 करोड़ की लागत पर 1.20 लाख बीजों (आपूर्ति किए गए कुल बीजों का 43 प्रतिशत)की आपूर्ति की गई थी जिसके कारणवश परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी।	
59.	उत्तर प्रदेश	रेशम उत्पादन	सिल्क कोया उत्पादन, विपणन एवं बुनाई इकाईयों का सुदृढ़ीकरण और सिल्क कोष एवं विपणन सूचना केन्द्र की स्थापना - (2008-09) - आठ घटकों वाली परियोजना के अंतर्गत, सरकारी खेतों में भूमिहीन किसानों के लिए साझा चालन घरों की स्थापना और उन्हें पालन उपकरण प्रदान करना था। बाड़ा लगाने (56 प्रतिशत), बोरिंग (68 प्रतिशत), पालन उपकरणों के वितरण (67 प्रतिशत) एवं किसानों के	10.96

[13] उर्वरता स्तर की गणना हेतु 2007-08 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया था।

[14] बदाऊ, भीमनगर, गाजीपुर, गोंडा, ज्योतिबा फुले नगर, मुजफ्फरनगर, पीलीभित, रामपुर, सहारनपुर एवं शाहजहापुर,

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			प्रशिक्षणों (75 प्रतिशत) जैसे चार घटकों के अंतर्गत गिरावट 50 प्रतिशित से अधिक थी। दो प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के घटक के अंतर्गत, उपलब्धि 'शून्य' थी। इसके अतिरिक्त, मिर्जापुर के प्रशिक्षण संस्थान हेतु ₹40.52 लाख मूल्य का खरीदा गया उपकरण इमारत के पूरा नहीं बनने के कारण बेकार पड़ा था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि सिल्क विनिमय, वाराणसी में प्रसंस्करण तथा निर्माण सहकारिता संघ को ₹2.26 करोड़ के लागत पर आवंटित (मार्च-जून 2010) आठ निर्माण-कार्यों में से, ₹81 लाख लागत वाले चार निर्माण-कार्य शुरू नहीं किये गये (सितम्बर 2013) थे।	
60.	उत्तर प्रदेश	रेशम उत्पादन	अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पादन एवं किसानों को स्वस्थ चौकी सिल्क के कीडे उपकरण कराने के लिए सरकारी गेनेज और चौकी पालन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण-(2010-11) - परियोजना का उद्देश्य लाभार्थियों को पालन हेतु सिल्क के कीड़े उपलब्ध कराना था। परियोजना के चार घटकों के अंतर्गत उपलब्धि में कमी 20 से 100 प्रतिशत के बीच थी। 'सरकारी ग्रेनेज फार्मों के सुदृढ़ीकरण' के घटक के संबंध में कमी 100 प्रतिशत थी।	8.70
61.	उत्तराखंड	डेयरी विकास	मौजूदा गौशाला में शुष्क डेयरियों की स्थापना-(2010-11) - ₹1.45 करोड़ की लागत वाली परियोजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन अभिकरण को ₹1.21 करोड़ की राशि जारी की गई थी जिसके प्रति उसने ₹52.45 लाख का व्यय किया था। राज्य में 17 शुष्क डेयरियों की स्थापना के लक्ष्य के प्रति समापन के निर्धारित माह अर्थात् सितम्बर 2013 तक केवल तीन (अर्थात् 18 प्रतिशत) की स्थापना की गई थी।	1.45
62.	पश्चिम बगांल	बागवानी	बागवानी प्रौद्योगिकी प्रसार केन्द्र की सथापना - (2007-08) - स्थल को सूपूर्द करने मे विलम्ब तथा ठेकेदार की नियुक्ति मे विलम्ब के कारण केवल 60 प्रतिशत कार्य अपूर्ण था जैसा प्रत्यक्ष सत्यापन (अगस्त 2013) के दौरान पाया गया था। इसका परिणाम ₹2.03 करोड़ तक लागत वृद्धि में भी हुआ।	1.02
				1404.94

कर्नाटक: प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण का सुदृढ़ीकरण

वी.सी. फार्म, के.वी.के. माण्ड्या में गैर-क्रियात्मक कियोस्क (24.08.2013)

मामला अध्ययन: पर्यावरण-संबंधी मामलों की अवहेलना में परियोजना का निष्पादन

उत्तर प्रदेश में, भू-जल विभाग की रिर्पोट (मार्च 2004) के अनुसार परियोजना 'लघु सिचांई कार्य' के अंतगर्त मार्च 2004 की समाप्ति तक राज्य में 37 अधिक शोषित तथा 13 संकटपूर्ण ब्लाक थे जो मार्च 2009 की समाप्ति तक क्रमश: 76 तथा 32 ब्लाकों तक बढ़े । भू-जल की विकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए रा.कृ.यो. को उपरी सिंचाई जल जैसे कि नहरों के अशं को बढ़ाने तथा इसकी क्षीणता को प्रतिंबधित करने हेतु भू-जल पर निर्भरता को कम करने की सिफारिश की गई थी। परियोजना तैयार करते समय, रा.कृ.यो. में की गई सिफारिशों को ध्यान में नही रखा गया था। 10 चयनित जिलों में, यह पाया गया था कि ₹9.12 करोड़ की आर्थिक सहायता का 2010-12 के दौरान अधिक शोधित तथा संकटपूर्ण के रूप में वर्गीकरण ब्लाकों में गहरे नलकुपों, मध्यम गहरे नलकूपों, आदि के निर्माण में उपयोग किया गया था। यह रा.कृ.पेा. की अनुशंसाओं के उल्लंघन तथा पर्यावरण-संबंधी मामलों की अवहेलना में था।

ख) **अपूर्ण परियोजनाएं** - 13 राज्यों में ₹363.89 करोड़ की लागत के 23 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	डेयरी विकास	डेयरी विकास का सुदृढ़ीकरण - (2011-12) - परियोजना के अंतर्गत मशीनरी सहित 15 दुग्ध कुलिंग केन्द्रों तथा पुलकल ग्राम में दुग्ध चिलिंग केन्द्र का निर्माण प्रारम्भ किया गया था (मई 2011)। अक्तूबर 2013 तक दुग्ध चिलिंग केन्द्र की गैर-स्थापना का परिणाम फरवरी 2013 में ₹56.97 लाख पर प्रापण किए गए 15 कुलिंग केन्द्रों तथा दुग्ध चिलिंग मशीन के व्यर्थ होने में हुआ।	4.00
2.	बिहार	पशुपालन	पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (आई.ए.एच.पी.), का नवीकरण/आधुनिकरण - (2010-11) - आई.ए.एच.पी. भवन में विधुतीकरण कार्य निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण सितंबर 2013 तक अभी भी अपूर्ण था। अक्तूबर 2013 में आपूर्ति किए ₹1.49 करोड़ की लागत के जीवाण्विक टीका संयंत्र को अभी भी सस्थापित किया जाना था क्योंकि नवीकरण कार्य समाप्त नहीं हुआ था।	8.00
3.	गुजरात	पशुपालन	कावंत आजिविका परियोजना - (अगस्त 2008) - परियोजना की धीमी गति तथा रा.कृ.वि.यो. निधियन को रोकने के कारण परियोजना को अप्रैल 2012 में असामयिक रूप से बंद कर दिया था। 'किसानों का अशंदान/समुदाय से अशंदान' के रूप मे एकत्रित 2009-10 से 2011-12 की अवधि हेतु ₹1.05 करोड़ (ब्याज सहित) को अनियमित रूप से कार्यान्वयन अभिकरण के बैंक खाते में रखा गया था।	25.72
4.	गुजरात	विपणन	रा.कृ.वि.यो. के साथ राज्य योजना (किसान कल्पवृक्ष योजना-कि.क.वृ.यो.) अभिसरण-(2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, कृषि उत्पाद बाजार समितियों (कृ.उ.बा.स.) में अवसंरचना निर्माण कार्यों के सृजन का उद्देश्य था। गांधीनगर, पटन एवं वल्साद के तीन चयनित जिलों में लक्षित निर्माण कार्यों के 41 प्रतिशत के 19 निर्माण कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं हुए थे 13 निर्माण कार्य तो शुरू तक नहीं हुए थे जबकि मार्च 2013 तक छ: कार्याधीन थे।	39.54
5.	हिमाचल प्रदेश	जैविक खेती/ जैव उर्वरक	जैविक खेती को बढ़ावा-(2011-13) - मार्च 2013 में पूरा होने के लिए निर्धारित परियोजना सितम्बर 2013 तक अपूर्ण थी क्योंकि विभिन्न गतिविधियों के लिए चिन्हित ₹3.23 करोड़ का अव्ययित शेष सितम्बर 2013 तक कृषि के उप-निदेशकों	6.19

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			के बचत बैंक खाते में जमा पड़ा हुआ था। विषय-वस्तु विशेषज्ञ ब्लॉक, नालागढ़ के नजदीक अक्टूबर 2011 में संस्थापित वर्मी कम्पोस्ट टेट्रा बेड के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण (जून 2013) से पता चला कि टेट्रा बेड टूटा-फूटा पड़ा हुआ था।	
6.	झारखण्ड	बीज	उच्च पैदावार किस्म (एच.वाई.वी.) का बीज संवितरण तथा एकीकृत विकास हेतु कृषि फार्म में बीज उत्पादन - (2010-11) - परियोजना को ₹ 7.40 करोड़ की लागत पर स्वीकृत किया गया था जिसमें से केवल ₹1.70 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका परिणाम गेहू बीज, सूक्ष्म पुष्टिकार, जिंक सल्फेट, आदि के गैर-संवितरण में हुआ। पांच चयनित जिलों में न ता एच.वाई.वी. बीजों के संवितरण हेतु जिला-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और न ही जिला स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों से किसी आवश्यकता की मांग की गई थी। दुमका में, 357 क्वींटल में से 224.75 क्वींटल मकई बीजों का संवितरण नहीं किया जा सका क्योंकि बुआई अवधि समाप्त हो गई थी। इसलिए इसने अपना शैल्फ जीवन खो दिया था जिसका परिणाम ₹16 लाख के व्यर्थ व्यय में हुआ।	7.40
7.	झारखण्ड	विस्तार	दुमका, रांची एवं सरायकेला में कृषकों के लिए 50-बिस्तर के हॉस्टलों का निर्माण-(2011-12) - परियोजना को मार्च 2013 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, सितम्बर 2013 तक, ₹56.85 लाख का व्यय करने के पश्चात दुमका, रांची एवं सरायकेला में कार्य की प्रगति क्रमश: 20, 2 एवं 48 प्रतिशत थी।	2.55
8.	झारखण्ड	अनुसंधान (कृषि/बागवनी /पशुपालन आदि)	झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (झा.अं.उ.के.) रांची के परिसर में स्वचालित मौसम स्टेशन (स्व.मौ.स्टे.) रिसेप्शन केन्द्र की स्थापना-(2009-10) - यद्घपि रिसेप्शन केन्द्र को मई 2011 में स्थापित कर दिया गया था, परन्तु जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को आगे के डाटा प्रसार हेतु झा.अं.उ.के. के साथ समन्वय करने के लिए कृषि मौसम सलाहकार सेवा सृजन हेतु विशेषज्ञ केन्द्र की स्थापना नहीं की गई थी।	98.33
9.	कर्नाटक	बागवानी	आम विकास केन्द्रों (दो) की स्थापना- (2008-09) - ₹19.00 करोड़ की सस्वीकृत लागत के प्रति ₹12.30 करोड़	19.00

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			जारी किए गए थे तथा मार्च 2013 तक ₹5.33 करोड़ का व्यय किया गया था। दो केन्दों के प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि जूलाई 2013 को ₹5.32 करोड़ की लागत पर केवल सिविल निर्माण कार्यो को पूर्ण किया गया था जिसमें विद्युतीकरण तथा सफाई के कार्य शामिल नहीं थे जबकि कार्य को मार्च 2012 तक समाप्त किया जाना था।	
10.	कर्नाटक	पशुपालन	टीका तथा रोग निदान विकास केन्द्र - (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, नए टीकों को विकसित करके तथा मौजूद टीकों का सुधार भी करके कृषि समुदाय के पशुधन स्वास्थ्य को सुधारने हेतु एक टीका तथा रोग निदान विकास केन्द्र की स्थापना की जानी थी। समापन की निर्धारित तिथि मार्च 2013 थी। तथापि, अक्तूबर 2013 को बिल्डिगं की भौतिक प्रगति केवल छत स्तर तक पहुंची थी जैसा स्थल के प्रत्यक्ष सत्यापन में पाया गया था।	3.20
11.	कर्नाटक	विस्तार	कर्नाटक कृषि संबंधी विज्ञान संग्रहालय एवं मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) केन्द्र की स्थापना - (2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, कार्य को मई 2013 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाना था, ठेकेदारों को साइट दिए जाने में विलंब, ठेकेदार के साथ उचित अनुबंध का निष्पादन न किये जाने, आदि के कारण अगस्त 2013 तक केवल 25 प्रतिशत पूरा हो पाया था।	9.54
12.	कर्नाटक	अनुसंधान (कृषि/बागवनी /पशुपालन आदि)	चयनित फसलों में कीटों तथा बीमारियों के प्रति ई-पेस्ट निगरानी एवं सलाहकारी सेवाएं-(2011-12) - यद्यपि ₹1.00 करोड़ की लागत वाली परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2012 थी, परंतु परियोजना अपूर्ण थी क्योकि परियोजना का मुख्य घटक अपूर्ण था अर्थात् समेकित कीट प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र (स.की.प्र.रा.के.) के समन्वय के साथ सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हो पाया था।	1.00
13. 14.	कर्नाटक	अनुसंधान (कृषि/बागवनी /पशुपालन आदि)	एकीकृत खेती प्रणाली (यू.ए.एस., धरवाड) को बढ़ावा- (2011-12) तथा एकीकृत खेती प्रणाली यू.एच.एस., बगलकोट को बढ़ावा- (2011-12) - ₹ 6.64 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी दोनों परियोजनाएं अपूर्ण थी क्योंकि परियोजना के परिकल्पित घटक जैसे कि ग्राम स्तरीय प्रदानकर्ता तथा तकनीकी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं कृषकों	24.00

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			की सामाजिक, वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण आदि नहीं किया गया था। रा.स्त.नि.रा. ने अपनी सातवीं बैठक में राय व्यक्त की कि श्रमशक्ति की अनुपलब्धता के कारण परियेाजना को कार्यान्वयन कठिन था।	
15.	कर्नाटक	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक खेती पर अनुसंधान संस्थान (जै.खे.अ.सं.) - (2007-08) - यद्यपि प्रस्तावित इमारत को मार्च 2011 में पूरा किया गया था परंतु परिकल्पित गतिविधियों को शुरू नहीं किया गया था जिसके कारण परियोजना के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका था। इसका कारण 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान केवल ₹5.05 करोड़ (10 प्रतिशत) जारी किए जाना बताया गया था।	50.00
16.	मध्य प्रदेश	अनुसंधान (कृषि/बागवनी /पशुपालन आदि)	कृषि आर्थिक प्रणाली पर नियमित मॉनीटरिंग हेतु एक प्रकोष्ठ - परियोजना के अंतर्गत, कृषि प्रणाली की मॉनीटरिंग हेतु एक प्रकोष्ठ के सृजन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी क्योंकि परियोजना के अंतर्गत नौ घटकों में से सात (78 प्रतिशत) को निष्पादित नहीं किया गया था।	21.88
17.	महाराष्ट्र	विस्तार	राष्ट्रीय फसलोत्तर तकनीक संस्थान (रा.फ.त.सं.) का उत्कृष्टता के केन्द्र में विकास -(2010-11) - पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मई 2013 थी, जिसे ₹37.01 करोड़ की संशोधित लागत पर अगस्त 2013 तक आगे बढ़ा दिया गया था; हालांकि साइट को दिए जाने में विलंब, पानी की कमी, आदि के कारण कार्य अगस्त 2013 तक अपूर्ण रहा जिससे परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।	17.07
18.	मेघालय	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक प्रमाणीकरण[15] (2007-08) - परियोजना के अंतर्गत, री-भोई तथा पूर्व खासी हिल्स जिले में चाय, पश्चिम गारों हिल्स तथा दक्षिण गारों हिल्स जिले में काजू, जायन्तिया हिल्स जिले में हल्दी पूर्व खासी हिल्स जिले में सब्जियों का जैविक प्रमाणीकरण किया जाना था। परियोजना अपूर्ण थी क्योंकि काजू, हल्दी और सब्जियों का जैविक प्रमाणीकरण मार्च 2013 तक अभी किया जाना शेष था।.	0.50

[15] जैविक प्रमाणीकरण जैविक भोजन के उत्पादकों एवं अन्य जैविक कृषि-संबंधी उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण प्रकिया है।

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
19.	सिक्किम	पशुपालन	उच्च यील्डिंग क्रास ब्रिड डेयरी मवेशी का समर्थन, प्रोजिनि प्रजनन तथा विकास- (2009-10) - परियोजना को मार्च 2013 तक समाप्त किया जाना था। परियोजना के मुख्य संघटक काल्वों के साथ दुग्धीय गायों उच्च यील्ड क्रास ब्रिड का प्रवेश, ब्रिडिंग सांडो को प्रवेश, बडे रोगों के प्रति टीकाकरण, खनिज मिश्रण का पैकेज तथा प्रदान करना, डी-वार्मिग, दुध कैन प्रदान करना, क्षमता निर्माण थे। तथापि, अगस्त 2013 को दुधारू गायों, दुध कैन तथा भोजन का संवितरण प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार, विभाग न केवल उच्च पैदावार गायों के प्रजनन में विफल हुआ परंतु ₹1.25 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने जैसा वि.प.रि. में पक्षपित था, में भी विफल था।	2.55
20.	तमिलनाडु	पशुपालन	पशु रोग बचाव औषधी संस्थान, रानीपेट आई.वी.जी.एम. में जीवाणिक टीका उत्पादन प्रयोगशाला का अच्छी उत्पादन प्रक्रिया (जी.एम.पी.) मानक में उन्नयन- (2011-12) - परियोजना का उदेश्य तीन प्रकार अर्थात् एच.एस.वी.[16] बी.क्यू.वी.[17] तथा ई.टी.वी.[18] के उन्नत जीवाणिक टीकों के उत्पादन हेतु आई.टी.पी.एम., रानीपेट में जीवाणिक टीका उत्पादन प्रयोगशाला का जी.एम.पी. में उन्न्यन करना था। यद्पि समापन की निर्धारित तिथि अक्तूबर 2012 थी। आई.वी.पी.एम. रानीपेट में जी.एम.पी. मानक की एक नई एनयरेक्स स्पोर टीका उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार के विलम्बित निर्णय (अप्रैल **2013**) का परिणाम प्रयोगशालायों के उन्नयन तथा जी.एम.पी. मानक के अनुसार टीका उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब में हुआ। चूंकि आई.वी.पी.एम. में 2002-07 तथा 2008-12 की अवधि हेतु जीवाणिक टीके का उत्पादन लाईसेंस का नवीकरण भारत सरकार के पास लंबित था इसलिए 2002 के आगे से आई.वी.पी.एम. द्वारा उत्पादन किए गए पांच	7.52

[16] हेमारजिक सेप्टिसमिया टीका

[17] ब्लैक क्वार्टर टीका

[18] इंटरोओक्सेमिया टीका

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			प्रकार के टीके सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध लाईसेंस के बिना थे।	
21.	तमिलनाडु	विपणन	श्रीरंगम, तीरूचिरापल्ली जिले मे केला बाजार परिसर एवं कोल्ड स्टोरेज यूनित की स्थापना - (2011-12) - परियोजना का मार्च 2012 तक पूरा होना निर्धारित था लेकिन मई 2013 तक परियोजना के मुख्य घटक नामत: कोल्ड स्टोरेज इमारत, ट्रेडर्स की दुकान, ट्रांसेक्शन शेड, जनरेटर शेड, प्रशासनिक इमारत तथा सूचना केन्द्र अभी तक कार्याधीन थे। परियोजना के अंतर्गत 14 घटकों में से, केवल सात पूरे हुए थे।	4.00
22.	त्रिपुरा	विपणन	कृषीय बाजारों में अवसंरचना विकास -(2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, बिशरामगंज में एक थोक असेम्बली बाजार तथा विभिन्न स्थानों पर अन्य पांच प्राथमिक ग्रामीण बाजारों को परिकल्पित किया गया था। ₹2.10 करोड़ के व्यय के बावजूद जून 2013 तक बिशरामगंज में थोक असेम्बली बाजार पूरा नहीं हुआ था। पांच ग्रामीण बाजारों में से, आनंदबाजार एवं दुर्गा चाऊमुहानी पर स्थित दो बाजारों को उपयोग में नहीं लाया गया था क्योंकि क्रमश: सितम्बर 2012 एवं अगस्त 2013 में निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद इन्हे पंचायत/बाजार समिति को नहीं दिया गया था।	3.39
23.	उत्तराखण्ड	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक अपशिष्ट कनवर्टर (जै.अ.क.) प्रणाली का उपयोग करके अपशिष्ट सब्जी की खाद बनाना-(2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, मार्च 2013 तक छ:[19] जै.अ.क. प्रणालियों को स्थापित किया जाना था, तीन अगस्त 2013 तक अपूर्ण थी। जै.अ.क प्रणालियो के प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला (जुलाई एवं सितम्बर 2013) कि एस.एल.एस.सी., नोडल विभाग और कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की कमी के कारण यह प्रणालियां व्यर्थ पड़ी हुई थीं।	8.51
				363.89

[19] देहरादून, हल्दानी हरिद्वार, काशीपुर, रूड़की एवं रूद्रपुर

ग) **परियोजनाओं का अनियमित/अनुचित कार्यान्वयन** - 14 राज्यों में ₹427.16 करोड़ की लागत वाली 23 परियोजनाओं (मामला अध्ययन के रूप में उल्लिखित असम एंव कर्नाटक की प्रत्येक एक परियोजना सहित), लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं को परियेाजना मापदण्डों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
1.	बिहार	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक खेती- (2010-11) - 2010-13 के दौरान 90 चयनित लाभार्थियों में से, 77 लाभार्थियो (86 प्रतिशत) को आर्थिक सहायता जारी नही की गई थी क्योंकि वह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की शुरूआत नहीं कर पाए थे। नौ चयनित जिलों[20] में, 50 प्रतिशत भुगतान के नियम के प्रति आपूर्तिकर्ताओ को हाई डेनसिटी पोलीथीन (हा.डे.पो.) की लागत का पूरा भुगतान किया गया था जिसके कारण 2010-13 के दौरान ₹4.84 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था। चार जिलों[21] में, नियमों के उल्लंघन में आपूर्तिकर्ताओं को ₹6.11 करोड़ का अनियमित भुगतान पाया गया था। तीन जिलों[22] में यह पाया गया था कि लाभार्थियों को ₹1.12 करोड़ की राशि के गोबर की लागत का अनियमित भुगतान किया गया था।	6.11
2.	हरियाणा	सूक्ष्म/लघु सिंचाई	भुमिगत पाईपलाईन प्रणाली डालने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करना - (2010-11) - परियोजना के अंतगर्त, चार जिलो[23] में अन्य प्लान योजना शीर्षक "जल बचाव प्रौधागिकी को जोड़ने पर सहायता प्रदान कराना" के लाभार्थियों को ₹56.59 लाख की राशि अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में अनियमित प्रकार से अदा की गई थी ।	45.00
3.	हरियाणा	पशुपालन	राज्यों में 2000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र (आई.एल.डी.सी.) हेतु जे.के.ट्रस्ट को आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन (ए.आई.) सेवा	13.59

[20] (i) भोजपुर, (ii) पूर्व चम्पारन, (iii) गया, (iv) गोपालगंज, (v) किशनगंज, (vi) पटना, (vii) पुर्णिया, (viii) समस्तीपुर एवं (ix) सीतामदी

[21] (i) भोजपुर (₹1.44 करोड़), (ii) मधुबनी (₹2.74 करोड़),(iii) नालन्दा (₹71 लाख) और (iv) सीतामढ़ी (₹1.22 करोड़)

[22] (i) भोजपुर (₹26 लाख), (ii) मधुबनी (₹3 लाख), (iii) नालन्दा (₹82 लाख)

[23] करनाल- ₹28.48 लाख, पानीपत-₹4.17 लाख, रेवाड़ी-₹16.00 लाख, मोहिन्द्रगढ़- ₹2.24 लाख तथा नारनौल- ₹5.71 लाख

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			की आउटसोर्सिंग - परियोजना के अंतर्गत, करार के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात जे.के. ट्रस्ट को उन स्थानों जहां विभागीय सुविधाएं मौजूद नहीं थी पर आई.एल.डी.सी. को स्थापित करना था। इन प्रावधानों के उल्लघंन में पैदा हुए 3345 बछड़ों मे से 2703 बछड़ों (81 प्रतिशत) का जन्म उस स्थान पर हुआ था जहां पशु-चिकृतिसा अस्पताल तथा औषधालयों जैसी विभागीय सुविधांए विधमान थी। कार्यान्वयन अभिकरण ने अनियमित रूप से मार्च 2013 तक लाभार्थियों से ए.आई. प्रभारों के रूप में ₹2.70 करोड़ की राशि एकत्रित की थी।	
4.	जम्मू एवं कश्मीर	बागवानी	विभागीय नर्सरियों/प्रोगेजी ओचेर्ड का विकास/सुदृढ़ीकरण - (2010-11) - परियोजना को राज्यों में 39 नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य के साथ सस्वीकृत किया गया था। खराब अनुरक्षण तथा सिचांई सुविधाओं का प्रावधान न करने के कारण बारामूल्ला तथा बंदीपोरा के दो चयनित जिलों में पौधो की मृत्यु दर की प्रतिशतता 2010-11 से 2012-13 के दौरान 16 से 43 प्रतिशत के बीच थी। तीन[24] चयनीत जिलों में 11 विभागीय फल पौध नर्सरियों तथा श्रीनगर एवं पुलवामा मे प्रत्येक के प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि पेड़ो/पौधो/बीजाकुंर की स्थिति अच्छी हालत में नहीं थी तथा चार[25] नर्सरियों में सिचांई हेतु जल का कोई स्त्रोत नहीं/ अपर्याप्त स्त्रोत था।	2.70
5.	जम्मू एंव कश्मीर	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	जल संचयन संरचना तथा अन्य उपायों के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण-(2009-10) - परियोजना के अंतर्गत बनदीपोरा, बारामुल्ला, कुपवारा तथा कथुआ के चार चयनित जिलों में निर्मित 38 ज.सं.है. के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि 30 ज.सं.है पूर्ण रूप से सूखे एवं खराब हालत में थे तथा दो ज.सं.हैं. भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे जिसके कारण ऐसे टैंकों के निर्माण हेतु भुगतान की गई सहायता: के कारण ₹32 लाख का निष्फल व्यय हुआ था।	2.68
6.	झारखण्ड	डेयरी विकास	बछड़ा पालन को सहायता- (2008-09) - परियोजना के अंतर्गत, क्रॉस नस्ल बछड़ों को पंजीकृत करवाना था, डीवॉर्म करवाना तथा टीका लगवाना था तथा उन्हे मुक्त बछड़े के लिए आर्थिक सहायता दर (₹5 प्रति कि.ग्रा.) शुरूआती एवं संकेंद्रित भोजन दिया जाना था ताकि अधिक स्तनपान अवधि हेतु वह शीघ्र	2.28

[24] कोपवारा,बंदीपोरा तथा बारामुल्ला

[25] बारामुल्ला में करालवैथ एवं खोजबाग, चेकरेशीपोरा तथा एशम (बंदीपोरा)

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			परिपक्वता प्राप्त कर ले। 2009-12 के दौरान 6000 बछड़ों हेतु संकेंद्रित भोजन एवं बछड़ा प्रारंभक भोजन को 19010 पंजीकृत बछड़ों में बांटा गया था जिसके कारणवश प्रत्येक बछड़े के लिए भोजन अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, डेयरी पशु विकास केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान भा.कृ.उ.सं. (भारतीय कृषि उद्योग संघ) मुख्यालय द्वारा बछड़ो के लिए शुरूआती एंव संकेंन्द्रित भोजन में बाधित संवितरण पाया गया। भा.कृ.उ.सं. द्वारा 1601 बछडो पर किए गए तकनीकी अध्ययन से पता चला कि 14 से 18 माह के भीतर परिपक्वता के लक्ष्य के प्रति 12 से 18 माह की अवधि के भीतर परिपक्वता के लक्ष्य की प्राप्ति केवल 13 प्रतिशत बछड़े पाए गए थे।	
7.	कर्नाटक	बीज	कर्नाटक बीज मिशन -(2010-11) - परियोजना के अंतर्गत वि.प.रि. में 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर किसानों को बीज के संवितरण का विचार किया गया था। 2008-12 की अवधि के दौरान दस सहायक निदेशक कृषि के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि किसानों को दरों के 50 प्रतिशत से अधिक अदा करना अपेक्षित था जिसने इस प्रकार बीजों की लागत के प्रति उनके अशंदान को बढ़ाया। 10 चयनित तालुकाओं में, किसानों को ₹1.16 करोड़ अधिक अदा करने हेतु बाध्य किया गया था। 16 रायथा सम्पर्क केन्द्रों (रा.स.के.) मे अभिलेखों की नमूना जांच ने स्टाक की प्राप्ति तथा जारी करने हेतु अनुपयुक्त लेखांकन को प्रकट किया जिसके कारण रा.सं.के. के अधिकारियों द्वारा निधियों के दुरूपयोग की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता था। उत्तर में, रा.सं.के. के कृषि अधिकारियों ने उतर दिया (जून-अगस्त 2013) कि यह रा.सं.के. में श्रमशक्ति की भारी कमी के कारण था।	81.61
8.	कर्नाटक	पशुपालन	पशु स्वास्थ्य एवं विस्तार सेवाओं को बढ़ाना - (2008-09) - परियोजना में पशुओं को सामयिक उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक उपकरण सहित मोबाइल वाहन की खरीद की कल्पना की गई थी। 176 मोबाईल वाहनों के लक्ष्य के प्रति, 50 तालूकाओं को अपेक्षित उपकरणों के बिना केवल 50 वाहन[26] प्रदान किए गए थे। तीन चयनित तालूकाओं[27], में लेखापरीक्षा ने पाया कि वाहनों को प्रशासनिक उददेश्यों हेतु दूसरे काम मे	24.92

[26] सिक्स सीटर, महिन्द्रा बौलेरो जीप

[27] बैंगलोर दक्षिण, चामराज नगर तथा गंगावथी

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			लगाया गया था। प्राप्त ₹21.44 करोड़ (2008-11), में से कार्यान्वयन विभाग ने वाणिज्यिक डेयरी विकास योजना के कायन्वियन हेतु 24 जिलों को ₹4.00 करोड़ का अपर्वतन किया (जून 2012)।	
9. 10.	कर्नाटक	कृषि मशीनीकरण	फार्म मशीनीकरण - (2008-09) तथा (2011-12) - परियोजनाएं प्रत्येक तालुका में कस्टम हाईरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) की स्थापना जिससे किसान उपकरणों तथा साधनों को किराए पर ले सके, के अतिरिक्त किसानों को फार्म मशीनों तथा उपकरण खरीदने हेतु सामयिक आर्थिक सहायता से सहायता देने पर लक्षित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि फार्म उपकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के सिवाय सी.एच.सी. को स्थापित करने के अन्य संघटक को पूरा नहीं किया गया था उसके द्वारा लघु तथा सीमावर्ती किसानों को फार्म उपकरण आवश्यकता से वंचित रखा गया था। सभी चयनित तालूकाओं में अभिलेख अनुरक्षण खराब था जिसके कारण स्टाक की प्राप्ति तथा संवितरण को आपस में मिलाया नहीं जा सका था। ₹19.40 करोड़ की आर्थिक सहायता का रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वर्ष 2008-10 के दौरान 3,193 ट्रैक्टरों की खरीद तथा संवितरण पर व्यय किया गया था।	90.00
11.	कर्नाटक	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक खेती- साइट पर होने वाली गतिविधियां - (2011-12) - परियोजना का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना, जैविक खाद, प्रशिक्षण, विपणन लिंक आदि के रूप में सहायता प्रदान करके जैविक खेती को अपनाने के लिए चयनित गांवों के किसानों द्वारा जैविक खेती को अनुरक्षित करना था। हालांकि, परियोजना अपूर्ण थी क्योंकि लाभार्थियों द्वारा जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों को बेचने के लिए मार्किट लिंक प्रदान नहीं किए थे। विभाग ने चिंता जताई (जून-अगस्त 2013) कि किसानों द्वारा उगाए गए जैविक उत्पादों को बैचने के लिए मार्किट लिंक के गैर-प्रावधान के कारण किसान फिर से खेती के अजैविक तरीके अपना लेंगें।	15.00
12.	कर्नाटक	अभिनव कार्यक्रम/अन्य	कृषि उत्पाद विपणन समिति में ई-ट्रेडिंग अवसंरचना उपलब्ध कराना - (2009-10) - परियोजना अपूर्ण थी क्योंकि हार्डवेयर की आपूर्ति, ए.पी.एम.सी. में अब तक लंबित था, जिसके कारण ए.पी.एम.सी. गैर-क्रियात्मक/आंशिक रूप से क्रियात्मक थे जैसाकि प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाया गया था। ए.पी.एम.सी. मांड्य में ई-ट्रेडिंग सुविधा मौजूद नहीं थी क्योकि गेट प्रवेश पर	7.00

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			व्यापर की वस्तुओं के पंजीकरण में तकनीकी समस्याएं थीं जिसके कारण उपकरण बेकार पड़े रहे। चमराज नगर में, प्रमुख दो वस्तुओं (हल्दी एवं गुड़) में से, पूर्ण कालिक ई-ट्रेडिंग उपकरणों की प्राप्ति न होने के कारण गुड की ई-ट्रेडिंग ए.पी.एम.सी. मंड्या से शुरूआत अभी अगस्त 2013 तक होनी थी। कोप्पल ए.पी.एम.सी. में तकनीकी समस्याओं के कारण अप्रैल 2013 से ई-ट्रेडिंग बंद कर दी गयी।	
13.	मध्य प्रदेश	कृषि मशीनीकरण	कस्टम हाईरिंग केन्द्र की स्थापना - (2010-11) - परियोजना को किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के कृषीय उपकरण, जिनकी उन्हें तत्काल आवश्यकता थी तथा जो आसान किश्तों सहित किराया आधार पर उनकी पहुंच में थे, प्रदान करने के उद्देश्य सहित ₹106.92 करोड़[28] की लागत पर संस्वीकृत किया गया था। रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 850 ट्रेक्टरों (72 प्रतिशत) का क्रय किया गया था और सी.एच.सी. एवं म.प्र. बीज निगम को संवितरित किया गया था। सी.एच.सी. मनवार, धार तथा रेवराफार्म, सतना के प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि 2011-12 तथा 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान ट्रेक्टरों को किसानों को प्रदान किए जाने के स्थान पर उनका मुख्य रूप से उपयोग अपने स्वयं के फार्मों में किया गया था जिसने सी.एच.सी. की स्थापना के उद्देश्यों को विफल किया।	55.20
14.	महाराष्ट्र	विपणन	इंदापुर, जिला पुणे में केले के लिए प्री.कुलिंग, पकाने एवं शीतागार की सुविधा - (2010-11) - ₹4.26 करोड़ के व्यय के बावजूद मार्च 2013 तक परियोजना अपूर्ण थी क्योंकि परियोजना स्थल (पूणे जिले का इंदापुर तालुका) भी अलाभकारी था क्योंकि यह केले की खेती करने वाला क्षेत्र नहीं था तथा अकलुज एवं बलचादनगर के पैक हाउस भी इंदापुर से काफी दूर थे। यह भी पाया गया था कि मैसर्ज यूनीफ्रूटी कम्पनी जोकि ए.पी.एम.सी., इंदापुर के मौजूदा कृषि उत्पाद सुविधा केन्द्र से केले निर्यात कर रही थी, उसने आस-पास के क्षेत्रों से केलों की कम आपूर्ति के कारण अपना निर्यात व्यापार रोक दिया था। इसका परिणाम परियोजना स्थल पर व्यर्थ पड़ी हुई मशीनरी और अपूर्ण सिविल निर्माण पर किये गये ₹4.26 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ (चित्र नीचे दिया गया है)।	5.29
15.	मणिपुर	गैर फार्म	मक्का शेलर - (2011-12) तथा मक्का शेलर - (2011-12) -	0.60

[28] ₹72 करोड़ का प्रथम प्रस्ताव तथा ₹34.92 करोड़ का दूसरा प्रस्ताव

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
16.		गतिविधियां	दोनों परियोजनाओं के तहत, 12000 मक्का शेलरों के प्रापण के प्रति, केवल 8000 मक्का शेलर (67 प्रतिशत) की ही खरीद हुई थी। इसके अतिरिक्त, ये 8000 मक्का शेलर राज्य के 2916 किसानों में वितरित कर दिये गये थे जिसमें कुछ किसानों को एक से अधिक मक्का शेलर दिये गये, इससे 5084 किसान (64 प्रतिशत) परियोजना के लाभ से वंचित रह गये। इसी प्रकार, चयनित जिलों में 3856 मक्का शेलरों को 1610 किसानों में वितरित किया गया था, इस प्रकार 2246 किसान (58 प्रतिशत) परियोजना के लाभ से वंचित रह गये।	
17.	नागालैण्ड	पशुपालन	पशुधन विकास (2011-12) - परियोजना में सुअर, मवेशी, पोल्ट्री आदि जैसे क्रास ब्रिड पशुओं के उन्नयन तथा पशुधन एवं पोल्ट्री फर्मिंग आदि के माध्यम से रोजगार अवसर प्रदान करने का विचार किया गया था। चयनित जिलों में प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि चार चयनित जिलों में 15 लाभार्थियों को पिगलेट/चिक्स/फीड/प्रेगनेंट हाइफर के स्थान पर रोकड़/अयोग्य पशु प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, परियोजना को स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया था।	2.15
18.	पंजाब	उर्वरक एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन	रबी हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण- (2010-11) - जनवरी 2011 में सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रापण में विलंब ने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की थी क्योंकि रबी फसलों की बुबाई अवधि अक्टूबर-नवम्बर के बीच होती थी। इसका कारण परियोजना को रा.कृ.यो. (2010-11) में शामिल नहीं किया गया था तथा पहले से ही परियोजना विवरणों को तैयार किए बिना ही जल्दबाजी में शुरू कर दी गई थीं।	6.12
19.	राजस्थान	फसल	गोल्डन रे राजस्थान - (2010-11) - परियोजना के अंतर्गत खरीफ- 2011 में दुंगरपूर जिले के 64328 किसानों को संवितरित 3215.15 क्वींटल बीज ने 30-40 प्रतिशत के कम अंकुरण को दर्शाया। प्रत्येक किसान को केवल एक मिनी-किट (5 कि.ग्रा. मकई बीज) के संवितरण के प्रतिमान के प्रतिकूल 44 किसानों को 254 मिनी-किटों का संवितरण किया गया था।	34.78
20.	तमिलनाडु	पशुपालन	मोबाईल रोगनिदान प्रयोगशालाएं - (2008-09) - परियोजना के अंतर्गत उद्देश्य दूरवर्ती/अगम्य क्षेत्रों में पशुओं को सुस्पष्ट स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने हेतु उपकरण सहित आठ मोबाईल रोगनिदान प्रयोगशालाओं/वैन का सस्थापन करना था। इस	0.96

परि. क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹करोड़ में)
			प्रकार, दूरवर्ती ग्रामों मे पशुओं को स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के उदेश्य को विभाग द्वारा परियोजना पर ₹92 लाख का व्यय करने के बावजूद भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।	
21.	पश्चिम बंगाल	मत्स्य पालन	बंद तालाब में देशी छोटी मछली का संवर्धन - (2011-12) - नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरूलिया, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगनस के पांच चयनित जिलों में परियोजना का खराब निष्पादन पाया गया था क्योंकि माइनर कार्पस के मछली मेजर कार्पस के मछली सीड लाभार्थियों को दिए गए थे।	2.00
				397.99

महाराष्ट्र: इंदापुर, जिला पुणे में केले के लिए प्री-कूलिंग, पकाने एवं शीतागार की सुविधा

परियोजना स्थल इंदापुर पर व्यर्थ पड़ी हुई मशीनें

अधूरे सिविल निर्माण

मामला अध्ययन: पर्यावरण-संबंधी मामलों की अवहेलना में परियोजना का निष्पादन

असम में, ₹13.20 करोड़ की लागत पर 2011-12 में संस्वीकृत 'सिंचाई (कृषि)' की चयनित परियोजना के संबंध में रा.स्त.मं.स. द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण को सतही नलकूप के संवितरण से पहलें भू-जल में आसैनिक तथा पलोराईड की अनुजेय सीमा की उपस्थिति को सुनिश्चित करना था। तथापि पांच चयनित जिलों में से चार (गोलाघाट, धेमझी, कामरूप, तथा बारपेट) में अनुज्ञेय सीमा से अधिक आसैनिक तथा फलोराईड की उपस्थिति पाई गई थी। इस प्रकार, सतही नलकूपें का भू-जल के अन्वेक्षण हेतु लाभार्थियों में संवितरण किया गया था जो मानव खपत हेतु असुरक्षित था तथा गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता है।

मामला अध्ययन: स्वास्थय जोखिम का भार डालती अपूर्ण परियोजना

कर्नाटक में, एक परियोजना 'टीका उत्पादन का संवर्धन' को सितम्बर 2008 में तथा ₹15.97 करोड़ की कुल लागत पर फिर से जुलाई 2009 तथा अप्रैल 2010 में सस्वीकृत किया गया था। परियोजना के मुख्य संघटक राज्य के किसानों को 35 प्रतिशत 2007-08 के मौजूदा स्तर से 80 प्रतिशत तक के प्रत्याशित विस्तार सहित रोग के प्रति हुई इम्यूनिटि प्राप्त करने हेतु पशुधन टीकों की आपूर्ति करना, पशु स्वास्थ एवं पशुरोग जैविक सस्थान, बैंगलोर मे प्रयोगशाला का अच्छी उत्पादन प्रक्रिया (जी.एम.पी.) मानकों मे आधुनिकीरण थे।

- XIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किए जाने वाले 80 प्रतिशत आवरण के लक्ष्य के प्रति तीन प्रकार के टीकाकरणों मे से एंथरेक्स तथा इन्टेरोटोक्सेमिया के दो टीको हेतु प्राप्ति काफी खराब थी क्योकि वर्ष 2011-12 हेतु टीकाकारणों की प्रतिशतता क्रमश: 0.97 प्रतिशत तथा 41 प्रतिशत थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रापण किए गए 22 में से उपकरण के छ: भाग (₹5.06 करोड़ की लागत) के प्रयोगशालाओं का जी.एम.पी. मानकों मे आधुनिकीकरण करने में विलम्ब के कारण व्यर्थ पड़े थे। परिणामस्वरूप, परियोजना अगस्त 2013 तक अपूर्ण रही। जी.एम.पी. की शर्तो/मानकों को पूरा न किया जाने के कारण टीका उत्पादन को जनवरी 2013 से रोक देना पड़ा था।

- प्रत्यक्ष सत्यापन (जून-अगस्त 2013) ने प्रकट किया कि पांच मे से कोई भी प्रयोगयाशाला जी.एम.पी. मानकों के अनुसार पूर्ण नहीं थी। यद्यपि टीका उत्पादन को जनवरी 2013 से रोका दिया गया बताया गया था फिर भी सयुंक्त निरीक्षण (अक्तूबर 2013) ने प्रकट किया कि प्रयोगशालाओं ने दवा एंव अंगराग अधिनियम के उल्लघंन में वैध लाईसंस प्राप्त किए बिना तथा पशुधन को अस्वीकृत टीकों को लगाने के जोखिम के साथ टीका उत्पादन को जारी रखा।

- पशु स्वास्थ्य एंव पशु रोग जैविक संस्थान, बैगंलोर ने रा.स्त.मं.स. से स्वीकृति प्राप्त किए बिना आकस्मिक/ सांस्थापिक प्रभारों के प्रति ₹ 70 लाख का अपवर्तन किया था (जून 2009)।

घ) निधियों का विपथन - पांच राज्यों में ₹244.74 करोड़ की लागत वाली निम्नलिखित नौ परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹91.24 करोड़ की राशि की रा.कृ.वि.यो. निधियों को अन्य योजनाओं/उद्देश्यों हेतु विपथित किया गया था।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	झारखण्ड	मत्स्य पालन	गोरीकर्मा (हजारीबाग) में मत्स्य पालन एवं पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना - (2008-09) - ₹2.00 करोड़ की संस्वीकृत लागत में से, ₹50 लाख की राशि जारी कर दी गई थी (मार्च 2009), जिसे की बाद में (मार्च 2013) अन्य परियोजना जोकि रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत संस्वीकृत नहीं किया गया था, के व्यय में लगा दिया गया था।	2.00
2.	महाराष्ट्र	सूक्ष्म/लघु सिंचाई	फार्म तलाब-(2010-11) - ₹2.79 करोड़ की राशि का जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी द्वारा अन्य योजना शीर्षक 'महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना' के अतंर्गत निर्मित 402 फार्म तालाबों हेतु भुगतान करने के लिए अपवर्तन किया गया था।	124.00
3.	पंजाब	बागवानी	राज्य में सिट्रस नर्सरियों में रोपण सामग्री का प्रमाणीकरण (2008-09) - एक सिट्रस सम्पदा में विभिन्न फल फसलों आदि में विभिन्न रोग जनकों के मूल पौधो तथा नर्सरियों आवधिक इनडेक्सिगं हेतु सुविधा स्थापित करने के बजाए ₹1.03 करोड़ की संस्वीकृत निधियों का पंजाब कृषीय विश्वविधायल, लुधियाना को अपवर्तन किया गया था।	1.03
4.	पंजाब	उर्वरक एवं एकीकृत पोंषक तत्व प्रबंधन	₹6.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति, ₹5.70 करोड़ जारी किए गए थे (जुलाई 2010 एवं दिसम्बर 2010), जिसमें से ₹1.40 करोड़ की राशि को 2009-10 के दौरान राज्य में 'डी.ए.पी. की पूर्व-स्थिति' नामक अन्य राज्य सरकार योजना के अंतर्गत व्यय करने के लिए विपथित किया गया था।	6.50
5.	तमिलनाडु	फसल विकास	चावल उपजाने वाले क्षेत्रों हेतु जिंक सल्फेट का अनुप्रयोग (अक्टूबर 2011) - ₹4.25 करोड़ की जारी की गई पूर्ण राशि का 31 दिसबंर 2011 को राज्य सरकार के पास आपद निधि के अंतर्गत ₹526.09 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद 'थाणे चक्रवात' के पीड़ितों को मिनी किटों के संवितरण हेतु विपथन किया गया था।	4.25

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
6.	तमिलनाडु	फसल विकास	तमिलनाडु में 50000 हेक्टर में प्रदर्शन के माध्यम से चावल तीव्रीकरण प्रणाली को प्रोत्साहित करना - (अक्तूबर 2011 तथा जनवरी 2012) - • ₹27.00 करोड़ की संस्वीकृत लागत मे से ₹5.68 करोड़ की राशि का चा.ती.प्र. प्रदर्शन से 'याणे चक्रवात' के पीड़ितों को राहत हेतु विपथन किया गया था। • मुख्य उपकरण अर्थात मार्कर तथा कोनेवीडर की प्रदर्शन के समय किसानों को आपूर्ति नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप किसान-नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सके। • डिंडीगुल, तिरूचिरापल्ली तथा तिरूनेलवेली के तीन चयनित जिलों में आपूर्ति किए (मार्च 2012) ₹92.92 लाख की लागत के 339 पावर वीडरों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि वह बहुत भारी (प्रत्येक 18 कि.ग्रा.भार का) थे। • कम भार के मार्करों (निर्धारित 8.5 कि.ग्रा. के प्रति 5 से 7 कि.ग्रा.) की आपूर्ति के कारण खेत में रोपण हेतु मार्किंग को प्रभावी रूप से नहीं किया जा सका तथा किसानों ने मार्किंग हेतु नाइलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करके परम्परागत पद्धति का उपयोग किया जिसका परिणाम चयनित जिलों में ₹48.22 लाख के व्यर्थ व्यय में हुआ ।.	27.00
7.	तमिलनाडु	विस्तार	दालों एवं छोटे बाजरे की उत्पादकता में सुधार की योजना- (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, 2011-12 में ठाणे चक्रवात राहत हेतु ₹1.11 करोड़ (25 प्रतिशत) की राशि का विपथन किया गया था। प्रदशर्नों में डिंडीगुल विक्लुपुरम एवं इशेड जिलों में क्रमश: 100, 46 तथा 75 प्रतिशत की कमी पाई गई थी जिसके कारण 2010-13 के दौरान दाल उत्पादन हेतु क्षेत्र के आवर्तन के लक्ष्य में 40 प्रतिशत की कमी हुई थी।	4.50
8.	उत्तर प्रदेश	बीज	बीज आर्थिक सहायता (पिछले वर्ष का शेष)- (2010-11) - परियोजना को रा.स्त.मं.स. द्वारा रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के उल्लघंन में अन्य योजना शीर्षक 'कृषि का बृहत-प्रबंधन' (कृ.बृ.प्र.) योजना के अतंर्गत वर्ष 2009-10 हेतु ₹5.78	6.76

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			करोड़ की बकाया देयताओं का निपटान करने हेतु स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, परियोजना के अतंर्गत कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।	
9.	उत्तर प्रदेश	अभिनव कार्यक्रम/अन्य	कृषि उत्पाद के तीव्रीकरण एवं विविधीकरण को प्रोत्साहित करना एवं बाजार के बढ़ते अवसरों तक किसानों की पहुँच बढ़ाना - (2008-09) परियोजना से रा.कृ.वि.यो. योजना की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थी क्योंकि शुरूआत में यह विश्व बैंक के अनुदान सहायता वाली परियोजना थी जिसे राज्य में 2006-10 के दौरान कार्यान्वित किया जाना था। चूंकि विश्व बैंक परियोजना के (अक्तूबर 2008 से) चरण-।। में ए.पी.एम.सी. अधिनियम में कुछ विशेष संशोधन के बिना सहायता प्रदान करने को तैयार नहीं था, इसलिए राज्य सरकार ने परियोजना को इसके मूल रूप में रा.कृ.वि.यो. के माध्यम से कार्यान्वित करने का निर्णय (अक्तूबर 2008) लिया। जिसके फलस्वरूप निधियों का विपथन हुआ।	68.70
				244.74

ङ) **मशीनरी/अवसंरचना के व्यर्थ पड़े रहने के कारण परियोजना आउटपुट की प्राप्ति न होना/विलम्ब से होना-** आठ राज्यों में, ₹70.80 करोड़ की लागत वाली निम्नलिखित आठ परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सृजित/प्रापण की गई मशनीरी/उपकर/अवसंरचना व्यर्थ/अप्रयुक्त पडी हुई थी।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	छत्तीसगढ़	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/ पशुपालन/आदि)	जर्म प्लाज्म का संरक्षण-(2009-10) - परियोजना का उद्देश्य मध्यम अवधि के भंडारण मॉड्यूल (म.अ.भं.मॉ.) की स्थापना, जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई क्योंकि जून 2013 में ₹70 लाख के नव स्थापित म.अ.भ.मॉ. (संबंधित उपकरण सहित) मुख्य रूप से	1.00

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			बिजली के कनेक्शन की अनुपस्थिति के कारण व्यर्थ पड़े हुए थे।	
2.	गोवा	विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन	ठंडा करने की सुविधा के साथ मोबाइल कार्टों को प्रदान करके फल एवं सब्जी बाजार के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण-(2010-11) - परियोजना में 150 लीटर की क्षमता वाली 20 मोबाइल कार्टों का क्रय रा.कृ.वि.यो. निधियों के ₹7.85 लाख के 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार एवं गोवा राज्य सरकार एवं गोवा राज्य बागवानी निगम लिमि. (गो.रा.बा.नि.लि.) द्वारा शेष राशि की सहायता से परिकल्पित किया गया था। जून 2011 में ₹16.49 लाख की लागत पर कार्टों का क्रय किया गया था। गो.रा.बा.नि.लि. ने ₹16.49 लाख का व्यय करने के पश्चात लाभार्थियों को कार्टों का आवंटन नहीं किया था बल्कि ₹6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय मौजूदा कार्टों को नई कार्टों से बदलने के लिए किया जिन्हें सितम्बर 2013 तक लाभार्थियों को अभी बांटा जाना था।	0.08
3.	हरियाणा	मत्स्य पालन	राज्य स्तर पर नैदानिक प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण-(2011-12) - परियोजना के अंतर्गत ₹1.54 करोड़ के उपकरण कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यालयों में व्यर्थ पड़े हुए थे जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।.	3.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	बागवानी	कलमों हेतु रोपण हट प्रदान करना - (2010-11) - राज्य तथा तीन चयनित जिलों हेतु 35 तथा 12 रोपण हटों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति क्रमश: 34 तथा 11 रोपण हटो का निर्माण किया गया था। रोपण उददेश्य हेतु निर्मित 11[29] हटो के प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि नौ हटो का उपयोग केवल कार्यालय उददेश्य हेतु किया जा रहा था। एक हट का ठेकेदार द्वारा सामग्री को फेकने हेतु उपयोग किया जा रहा था। अन्य हट व्यर्थ पड़ी थी जिसका परिणाम ₹76 लाख से निष्फल व्यय में हुआ।	2.45
5.	झारखण्ड	विस्तार	रांची में झारखंड कृषि मशीनरी निरीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2010-11) - परियोजना एक व्यर्थ निवेश के रूप में साबित हुई थी क्योंकि मशीनों के क्रय हेतु चिहित	2.05

[29] बारमुल्ला-3, कुपवारा -3, बंदीपोरा-3, श्रीनगर-1 तथा पुलवामा-1

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			₹87 लाख के आवंटन में से ₹29 लाख (33 प्रतिशत) की केवल मशीने खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त, मशीनरी का उपयोग भी बहुत खराब था क्योंकि मार्च 2013 तक निजी कंपनियों के केवल तीन कृषि संबंधी उपकरणों की जांच की गई थी तथा राज्य में कृषकों द्वारा इसके उपयोग से संबंधित कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।.	
6.	तमिलनाडु	कृषि मशीनीकरण	कृषि मशीनीकरण- (2010-11) - परियोजना के अंतर्गत किसानों को कृषि साधनों/मशीनों को आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर प्रदान किया जाना था। ₹5.08 करोड़ की लागत के चार गन्ना हारवेस्टरों (समस्त गन्ना) (मई 2011 से जून 2011 तक आपूर्ति की गई) को तकनीकी समस्याओं के कारण फील्ड में उनके खराब निष्पादन के कारण तमिलनाडु कृषीय विश्वविद्यालय के परिसर में एक वर्ष से अधिक के लिए व्यर्थ रखा गया था (फोटोग्राफ नीचे दी गई है)।	55.00
7.	उत्तर प्रदेश	कृषि मशीनीकरण	लखनऊ तथा हापुड़ में कृषि-बाजारों की स्थापना - (2007-08) - परियोजना को एक छत के नीचे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की एकीकृत सेवाओं तथा उत्पादों[30] को प्रदान करने के उद्देश्य सहित मार्च 2008 तथा दिसंबर 2009 में स्वीकृत किया गया था। यद्यपि लखनऊ में कृषि-बाजार का निर्माण कार्य जुलाई 2012 में समाप्त हो गया था परंतु यह चालू नहीं था क्योंकि इसकी अवस्थिति 'प्रवेश निषेध क्षेत्र' में थी जहां ट्रैक्टरों, ट्रालियों आदि जैसे भारी वाहनों का प्रवेश क्षेत्र में अनुमत नहीं था और किसानों हेतु सामग्रियों जैसे कि सूक्ष्म, पुष्टिकारों, कृषीय मशीन, खाद, आदि की विपणन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। हापुड़ में कृषि-बाजार समापन की निर्धारित तिथि अर्थात सितंबर 2010 से तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण पड़ा था (सितम्बर 2013)।	5.51
8.	उत्तराखण्ड	जैविक खेती/जैव उर्वरक	जैविक खेती हेतु राज्य प्रशिक्षण केन्द्र मजखली, अल्मोड़ा - (2007-08) - ₹1.63 करोड़ की लागत पर मार्च 2013 में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका था परंतु फर्नीचर की कमी के कारण यह व्यर्थ पड़ा हुआ था।	1.71
			कुल	**70.80**

[30] कृषि निवेश, कीट नाशक, साधन, मौसम सूचना, ग्रेडिंग, भण्डारण, बैंकिग, क्रेडिट सुविधा आदि।

तमिलनाडु: कृषि मशीनीकरण

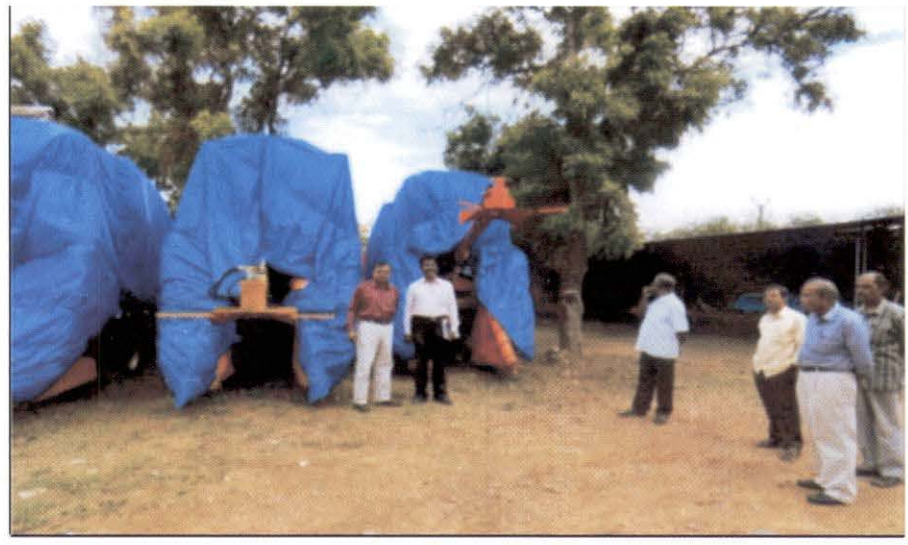

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के परिसर में व्यर्थ रखे समस्त गन्ना हारवेस्टर

च) निष्फल व्यय - पांच राज्यों में ₹24.12 करोड़ की लागत वाली छः परियोजनाओं में ₹8.15 करोड़ का निष्फल व्यय पाया गया था।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	जैविक खेती/जैव उर्वरक	वर्षा-आधारित क्षेत्र में विविधता-(2007-08) - परियोजना में खेती करने वाले समुदाय की आय में वृध्दि करने की दृष्टि से पांच वर्षा आधारित जिलों[31] में 50,000 हेक्टेयर में 'सिमाराऊबा' पौधे लगाना परिकाल्पित किया गया था। परियोजना पर किया गया ₹29.35 लाख व्यय निष्फल रहा क्योंकि पौधों का जीवन बहुत कम था क्योंकि यह पौधा वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को बंद कर दिया गया था।	15.00
2.	छत्तीसगढ़	कृषि विकास	टियशु संवधर्न प्रयोगशाला, रायपुर- (2010-11) - ₹4.47 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति परियोजना पर किया गया ₹3.34 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि टियशु संवर्धन प्रयोगशाला को विद्युत कनेक्शन की मांग के कारण सितबंर 2013 तक चालू नहीं किया जा सका था।	4.47
3.	गुजरात	डेयरी विकास	बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.), सागबारा का संस्थापन -	2.00

[31] कुर्नुल, कदापा, अनन्थपुर, चित्रौर एवं महबूबनगर

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			(2010-11) - परियोजना में सागबारा जिले में 20 बी.एम.सी. के संस्थापन की कल्पना करती थी। संस्थापित 20 बी.एम.सी. को बिजली कनेक्शन की मांग तथा अपर्याप्त दुग्ध प्रापण के कारण उपयोग में नहीं लाया गया था।	
4.	केरल	रेशम उत्पादन	शहतूत की खेती और उपकरणों का वितरण - (2008-09) - परियोजना अपूर्ण रही तथा मार्च 2010 में कार्यान्वयन अभिकरण (मैसर्स सेरीफेड) के परिसमापन के कारण अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाई थीं जसके परिणामस्वरूप केरल में रेशम की पूर्ण कृषि एवं प्रसंस्करण कार्य की समाप्त कर दिया कर गया था। इसके कारण परियोजना पर ₹23.75 लाख का निष्फल व्यय हुआ।	0.33
5.	केरल	रेशम उत्पादन	बाजार का हस्तक्षेप - (2008-09) - यह परियोजना भी अपूर्ण रही क्योंकि कार्यान्वयन अभिकरण (मैसर्स सेरीफेड) के परिसमापन के कारण कोई गतिविधि परियोजना के अंतर्गत शुरू नहीं हुई, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके कारण ₹6 लाख का निष्फल व्यय हुआ।	0.10
6.	तमिलनाडु	डेयरी विकास	वर्तमान दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (दु.दु.उ.आ.) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, माधवराम, चेन्नई, का सुदृढीकरण - (2007-08) - परियोजना दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में अनुमयस्तर से अधिक के अर्थात् कीटनाशकों/ कीटाणुनाशक, भारी धातुओं आदि को होने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने को परिकलित करती है। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान स्वयं की क्षेत्राधिकार की 17 दुग्ध युनियनों से क्रमश: केवल दो और तीन नमूनों की जांच प्रयोगशाला में की गई थी और इसके अतिरिक्त, पांच वर्षों (2008-09 से 2012-13) के लिए ₹1.64 करोड़ के लक्षित राजस्व के प्रति विभाग केवल ₹13,000 के राजस्व को प्राप्त कर सकता था।	2.22
			कुल	**24.12**

छ) निधियों का अवरोधन - चार राज्यों में ₹55.65 करोड़ की लागत वाली निम्नलिखित पांच परियोजनाओं में ₹21.58 करोड़ के रा.कृ.वि.यो. निधियॉ विभिन्न स्तरों पर अवरूद्ध/पड़ी हुई थीं।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	असम	बागवानी	आर्थिक रूप से कमजोर किसानों/फार्म महिलाओं के 60 प्रतिशत आर्थिक सहायता पर सूक्ष्म टिलर का संवितरण - (2011-12) - परियोजना के अंतर्गत, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मार्च 2012 में जारी ₹3.75 करोड़ की पूर्ण राशि मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रही क्योंकि लाभार्थियों से सूक्ष्म टिलर की कोई मांग नहीं थी।	5.40
2.	बिहार	बीज	बिहार राज्य बीज निगम लि. (बी.रा.बी.एन.एल.) का सुदृढ़ीकरण -(2011-12) - मार्च 2012 मे बी.रा.बी.एन.एल. द्वारा प्राप्त ₹9.77 करोड़ की सस्वीकृत राशि इसके खाते मे सितम्बर 2013 तक अप्रयुक्त (रखी) रही क्योंकि बी.रा.बी.एन.एल. इसी उददेश्य हेतु अन्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारत सरकार से मार्च 2011 को प्राप्त ₹4.00 करोड़ की राशि का उपयोग करने में असमर्थ था।	9.77
3.	केरल	पशुपालन	इडुक्की तथा त्रिशुर जिलों में डेयरी क्षेत्र का विकास करने हेतु भारत में बुल स्पर्मटाजोआ सेक्सिंग तथा सेक्सड सेमन का वाणिज्यिकरण- (मार्च 2011) - परियोजना को अभी भी कार्यान्वित किया जाना था क्योकि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित उपकरण का प्रापण नहीं किया जा सका था क्योंकि विश्व में केवल एक मात्र फर्म, जिसके पास इस उपकरण का उत्पादन करने का एकस्व था, ने सूचित किया कि उनकी नीति भारत को उपकरण का क्रय करने के हित में नहीं थी। परिणामस्वरूप, ₹5.24 करोड़ की राशि (₹1.00 लाख के व्यय को हटाकर) कार्यान्वयन अभिकरण के पास अवरूद्ध रही।	5.25
4.	केरल	मत्स्य पालन	ग्लूकोसेमिन परियोजना-(2008-09) - ₹2.39 करोड़ की संस्वीकृत लागत में से, मशीनों के क्रय हेतु 2008-09 से 2010-11 के दौरान जारी ₹1.25 करोड़ परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण मार्च 2014 तक कार्यान्वयन अभिकरण के पास अप्रयुक्त रहे थे।	2.39
5.	पंजाब	डेयरी विकास	एकीकृत भैंस विकास केन्द्रों (आई.बी.डी.सी.) की स्थापना - (2009-10) - परियोजना के अंतर्गत, 2012-13 तक 4.76	32.84

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			लाख ए.आई. मामलों के लिए एकत्रित ₹1.57 करोड की राशि, अनुबंध के उल्लंघन में सरकारी खाते में जमा करने के बजाए कार्यान्वयन अभिकरण की कोर्पस निधि में पड़ी हुई थी। कार्यान्वयन अभिकरण में भा.कृ.उ.सं.तथा जे.के. ट्रस्ट को अग्रिम तैयारी व्यय के रूप में अप्रैल-मई 2010 में ₹1.76 करोड़ (100 केन्द्रों के लिए प्रत्येक हेतु ₹88 लाख) की पूरी राशि का अनियमित भुगतान किया था। जबकि अक्टूबर 2010-मई-2011 के बीच भा.कृ.उ.सं. तथा अक्टूबर-दिसम्बर 2010 के बीच जे.के.ट्रस्ट प्रत्येक द्वारा 100 रा.भै.वि.के. को स्थापित किया गया था।	
			कुल	**55.65**

ज) निष्फल व्यय - पांच राज्यों में ₹24.07 करोड़ की लागत वाली पांच परियोजनाओं में ₹12.21 करोड़ का निष्फल व्यय पाया गया था।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	जम्मू एवं कश्मीर	बागवानी	अखरोट तथा अन्य फल पौधो के प्रवर्धन हेतु उच्च-तकनीकी पौधा-घरों की स्थापना - (2009-10) - परियोजना के अतंर्गत 13 उच्च तकनीकी पौधा घरों की स्थापना की गई थी जिसमें से नौ[32] को बिजली तथा जल कनेक्शनों की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹83 लाख का निष्फल व्यय हुआ।	0.90
2.	झारखण्ड	मत्स्य पालन	सरकार सीड फार्म, रामगढ़ का सशक्तिकरण तथा मछली बीज हैचरी तथा अन्य अवसंरचना - (2008-09) - ₹2.00 करोड़ की संस्वीकृत राशि निष्फल हुई क्योंकि अनुमानित मात्रा की तुलना में मछली उत्पादन में कोई वृध्दि नहीं हुई थी क्योंकि 2010-13 के दौरान ₹48.33 लाख की लक्ष्यित	2.00

[32] कथवा, डोडा, कुपवारा, पुलवामा, शोपियान, बांदीपोरा तथा बारामुल्ला-1 प्रत्येक तथा श्रीनगर-2

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			बिक्री प्राप्ति के प्रति मछली की बिक्री से केवल ₹5.83 लाख एकत्रित किए जा सके थे।	
3.	कर्नाटक	एकीकृत कीट प्रबंधन	अनारों में जीवाणु जनित ब्लाइट रोग के नियंत्रण हेतु अच्छे प्रबंधन तरीकों पर विशेष पैकेज - (2009-10) - परियोजना का उद्देश्य जीवाणु जनित ब्लाइट रोग के नियंत्रण, समेकित पोषण प्रबंधन आदि द्वारा अनार के पौधों को पुनर्वीणित करना था। चयनित जिलों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ (जुलाई -अगस्त 2013) कि 23 लाभार्थियों के खेतों में प्रदान किये गये इनपुट पर ₹5.68 लाख के व्यय के बावजूद रोग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका था। इसके कारण 10 किसानों ने पौधों को उखाड़ दिया था और शेष 13 किसानों ने रोग को नियंत्रण करने में विवशता दिखायी।	12.00
4.	त्रिपुरा	विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन	गांव के बाजारों का विकास (2010-11) - परियोजना में पांच ग्रामीण बाजारों का निर्माण परिकल्पित किया गया था। जून 2013 तक पूर्ण हुए पांच ग्रामीण बाजारों में से, ढलाई जिला के अंतर्गत अम्बस्सा (उत्तर त्रिपुरा जिला के अंतर्गत नोआगांव, पानीसागर) तथा के.के. नगर (मेलागर कृषि उप-प्रभाग) में ₹2.80 करोड़ की लागत पर निर्मित तीन ग्रामीण बजारों के प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि प्रथम दो ग्रामीण बाजार व्यर्थ पड़े थे तथा तीसरे का उपयोग आंशिक रूप से किया गया था।	4.67
5.	पश्चिम बंगाल	विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन	बाजारों के स्टाल एवं दुकानं का निर्माण (2010-11) - परियोजना के अंतर्गत, उत्तर 24 परगनास जिले में देगंगा प्रमुख बाजार यार्ड के प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि मई 2012 में ₹52.72 लाख की लागत पर पूरी की गई 32 स्टालों को लाभार्थियों को आवंटित नहीं किया गया था तथा क्षेत्रीय विपणन समिति द्वारा दुकान के लिए किराया निर्धारित करने में विलंब के कारण जून 2013 तक स्टाल खाली पडी हुई थीं। इसीप्रकार, संवितरण हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विपणन बोर्ड से निर्देशों की अनुपस्थिति में अक्टूबर 2012 में शिओराफुली क्षेत्रीय विपणन समिति द्वारा निर्मित नौ दुकाने जून 2013 तक अनावंटित/अनुपयुक्त रहीं।	4.50
			कुल	**24.07**

झ) अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई परियोजना - तीन राज्यों में ₹12.91 करोड़ की लागत वाली तीन परियोजनाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया था जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	राजस्थान	उर्वरक एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन	सि.सु.फॉ. (सिंगल सुपर फॉस्फेट) के उपयोग हेतु प्रोत्साहन- (2010-11) - किसानों को सब्सिडी प्रदान करके सिं.सु.फॉ. के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य वाली परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि नोडल विभाग द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं। नोडल अधिकारी ने बताया (जुलाई 2013) कि डाई-अमोनियम-फॉस्फेट (डा.अ.फॉ.) उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक था और इसलिए अतिरिक्त सिं.सु.फॉ. की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, सिं.सु.फॉ. की आवश्यकता का पता लगाए बिना ही एस.एल.एस.सी. द्वारा परियोजना संस्वीकृत कर दी गई थी।	10.00
2.	सिक्किम	पशुपालन	मैली पैआंग मे भोजन इकाई की स्थापना - (2011-12) - यद्पि समापन की निर्धारित तिथि मार्च 2013 थी फिर भी परियोजना को सस्वीकृति के दो वर्षों के बाद भी अभी प्रारम्भ नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना की वि.प.रि. में केवल वित्तीय पहलुओं को शामिल किया गया था तथा भोजन का बाजार मूल्य, प्रस्तावित इकाई से भोजन का लागत मूल्य, किसानों को प्रत्याशित लाभ, आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलूओं को शामिल करने में विफल रहा था। विभाग ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु ₹6.00 करोड़ की कुल लागत पर एक फर्म की नियुक्ति (दिसम्बर 2011) की थी जिसे अगस्त 2013 तक अभी भी अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करनी थी।	1.21
3.	पश्चिम बंगाल	बागवानी	उत्तर 24 परगना तथा पश्चिम मिदनापूर मे बागवानी प्रौद्योगिकी प्रसार केन्द्र - (2009-10) - परियोजना को मुख्यत: भूमि की अनुपलब्धता के कारण जूलाई 2013 तक कार्यान्वित नहीं किया गया था।	1.70
			कुल	**12.91**

ञ) **अभिलेखों की अनुपलब्धता/अनुचित अनुरक्षण**- चार राज्यों में ₹356.73 करोड़ की लागत वाली छः परियोजनाओं में परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख या तो उपलब्ध नहीं थे या फिर अनुचित रूप से अनुरक्षित थे।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	फसल विकास	सरसों की खेती तथा उत्पादन कार्यक्रम- (2010-11) - लेखापरीक्षा सबंधित सूचना/अभिलेखों के अभाव में लाभार्थियों को सरसों के बीज के संवितरण को सत्यापित नहीं कर सकी। पांच चयनित जिलों में, ₹1.07 करोड़ की पूर्ण सस्वीकृत राशि का रा.स्त.मं.सं. द्वारा परियोजना की स्वीकृति तथा संस्वीकृति से भी पहले अक्तूबर/नवम्बर 2010 के दौरान परियोजना के निष्पादन पर व्यय किया गया था।	2.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	बागवानी	आलू बीज खेती तथा उत्पादन कार्यक्रम-(2010-11) - आलू के बीजों के संवितरण के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे जिसके अभाव में संवितरण के ब्यौरे को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सके। पूर्वी सिआंग, लोहित तथा पपूम्परे के तीन चयनित जिलों में बीजा रोपण अवधि समाप्त होने के बाद तक भी ₹43.00 लाख की कीमत के 1600 क्वींटल आलू बीजों तथा 80 आलू किटों की आपूर्ति नहीं की थी।	2.18
3.	बिहार	फसल विकास	हाइब्रिड किस्मों को लोकप्रिय बनाने के माध्यम से चावल उत्पादकता को बढ़ाना - (2010-11) - परियोजना का उद्देश्य किसानों को परियोजना के लाभों से अवगत कराने हेतु ब्लाक स्तर शिविर लगाने तथा किसानों को हाइब्रिड बीज, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वक तथा सूक्ष्म पुष्टिकर जैसे संघटक प्रदान करना था। चयनित जिलों में अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण किया गया था जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका था। विभाग द्वारा होने वाले शिविरों की संख्या हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।	292.11
4.	बिहार	कृषि मशीनीकरण	फार्म मशीनीकरण - (अगस्त 2010) - परियोजना में मशीनरियों तथा उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता का	55.20

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम एवं विवरण	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
			भुगतान शामिल था। लेखापरीक्षा ने 12 चयनित जिलों[33] में अभिलेखों के अप्रयुक्त अनुरक्षण पाया जिसके कारण इन जिलों में आर्थिक सहायता भुगतान की विशुद्धता का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका था। तीन जिलों[34], में किसानों को बिना निर्धारित स्ट्रा रीपरों के कम्बाईन हारवेस्टरों का संवितरण किया गया था। पांच जिलों[35] में ₹9.31 करोड़ की आर्थिक सहायता का अनियमित भुगतान पाया गया था क्योंकि संवितरण कृषि उपकरणों के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज, संस्वीकृति आदेश को जारी करने से पूर्व लाभार्थियों से प्राप्त नहीं किए गए थे।	
5.	हरियाणा	मत्स्य पालन	मछली सीड एवं मछली उत्पादन को बढ़ाना एवं अभिनव कार्यक्रम - (2007-08) - परियोजना का उद्देश्य वार्षिक मछली सीड उत्पादन क्षमता को 30 लाख से बढ़ाकर 100 लाख से अधिक तक करना था। सरकार मछली सीड फार्म, झाझर में ही प्रीकास्ट लाइनिंग पर ₹64.69 लाख का व्यय हुआ था, हालांकि, इस परियोजना के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त मछली बीजों का उत्पादन हुआ था यह पता लगाने के लिए सरकार मछली सीड फार्म में कोई दस्तावेज नहीं थे। प्रत्यक्ष सत्यापन (अक्टूबर 2013) से पता चला कि हिस्सार में मत्स्य पालन फार्म में डेमों तालाब विल्कुल सूखा था जबकि डेमों तालाब के नवीकरण हेतु ₹8.00 लाख का निष्फल व्यय किया गया था।	2.09
6.	ओडिशा	एकीकृत कीट प्रबंधन	ई-कीट निगरानी (2010-11) - लेखापरीक्षा परियोजना के कार्यान्वयन को सत्यापित नहीं कर पाया क्योंकि शामिल ब्लॉकों/गावों की संख्या से संबंधित प्रगति रिपोर्ट, कीट आक्रमण पर सूचना वाली डाटाशीट जैसी महत्वपूर्ण परियोजना अभिलेख मौजूद नहीं थे।	2.70
			कुल	**356.73**

[33] (i) भोजपुर, (ii) पूर्वी चम्पारन, (iii) गया, (iv) किशनगंज, (v) मधुबनी, (vi) मुजफ्फरपुर (vii) नालंदा, (viii) पटना, (ix) पूर्निया, (x) रोहतास, (xi) समस्तीपुर तथा (xii) सीतामढी

[34] (i) भोजपूर, (ii) नालंदा तथा (iii) रोहतास,

[35] i) गया, (ii) किसनगंज (iii) नालंदा, (iv) समस्तीपुर तथा (v) सीतामढी

अच्छा कार्य: गोवा

₹ 8.40 करोड़ की लागत पर अक्तूबर 2011 में संस्वीकृत परियोजना 'मवेशी भोजन संयत्र का आधुनिकरण' के अंतर्गत उसगांव, गोवा में 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक नए मवेशी भोजन संयत्र के निर्माण की कल्पना की गई थी। लेखापरीक्षा मे पाया कि नए मवेशी भोजन संयत्र को अगस्त 2012 मे चालू किया गया था तथा किसानों से परियोजना से उनको प्राप्त लाभ के संबंध में सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार, ₹33.70 लाख की लागत पर संस्वीकृत अन्य परियोजना शीर्षक 'गोवा में अजीविका सुरक्षा हेतु ग्रामीण पोल्ट्री उत्पादन' के अंतर्गत चूजों की आपूर्ति तथा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिग को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन की कल्पना की गई थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि परियोजना समाप्त थी तथा परियोजना के सभी लाभित संघटकों को लाभार्थियों से सकारात्मक प्रतिपुष्टि के साथ उचित रूप से प्राप्त कर लिया गया था।

अच्छा कार्य: राजस्थान

दुध की गुणवत्ता में सुधार, अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन तथा दुध के खराब होने के कारण कृषक को आर्थिक हानि से बचाने के उद्देश्य के साथ ₹31.76 करोड़ की लागत पर अप्रैल 2011 में 'थोक दुध कूलरों के संस्थापन' परियोजना को संस्वीकृत किया गया था। जोधपुर, पाली, अजमेर, चित्रौरगढ एवं कोटा के पांच जिलों में 163 थो.दु.कू. के प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि विभिन्न स्थानों पर स्थापित थो.दु.कू. तथा संबंधित उपकरण काम कर रहे थे तथा थो.दु.कू. के संस्थापन का प्रभाव लाभार्थियों पर सकरात्मक पाया गया था।

अच्छा कार्य: त्रिपूरा

कुल ₹6.00 करोड़ की लागत पर मई 2010, फरवरी 2011 तथा अप्रैल 2009 में संस्वीकृत बागवानी क्षेत्र के अतंर्गत चयनित सभी तीनों परियोजनाएं अर्थात् क्रमश: (i) असमय एवं अन्य जड़ तथा कन्द वनस्पतियों के उत्पादन को बढ़ावा, (ii) कम रेशे की अदरक की खेती की उन्नत पद्धति का प्रदर्शन तथा (iii) विचलित योजना तथा रसायन इंडक्शन के माध्यम से अनन्नास का ब्लाक रोपण समाप्त थी तथा लक्ष्य को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया गया था। चार जिलों के नौ कार्यालयों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सभी 115 लाभार्थियें ने उपरोक्त परियोजनाओं के लाभ प्राप्त किए थे।

5.2 स्ट्रीम-II परियोजनाएं

स्ट्रीम-II के अंतर्गत, किसी राज्य को आबंटित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत मौजूद राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं राज्यगत योजना स्कीम में संसाधन के अंतर को पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है। 20 राज्यों (राज्य तथा क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध XXI** में) में लेखापरीक्षा हेतु स्ट्रीम-II के अंतर्गत 40 चयनित परियोजनाओं में से, नौ राज्यों में 11 परियोजनाओं (राजस्थान के एक मामला अध्ययन सहित) (27 प्रतिशत) में से, निम्न निष्पादन एवं अनियमितताओं के मामले देखे गये थे जिसे नीचं दी गयी तालिका से देखा जा सकता है:

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष
क) ₹246.63 करोड़ की लागत की चार परियोजनाओं में लक्ष्यों की अप्राप्ति/कमी			
1.	हिमाचल प्रदेश	प्रवाह सिंचाई योजना/जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से सिंचाई संभावना का सृजन - (2010-11)	• ₹4.18 करोड़ लागत की परियोजना के अंतर्गत, चयनित जिलों, में ₹2.55 करोड़ की लागत की 24 योजनाओं के प्रति, ₹1.64 करोड़ की 17 योजनाएं (71 प्रतिशत) सितम्बर 2013 तक पूरी नहीं हुई थीं। • चयनित जिलों में खेती के लिए प्रयुक्त कमांड क्षेत्र का 72 प्रतिशत अगस्त 2013 तक सिंचाई के लिए शामिल नहीं किया गया था। जिसे श्रमिकों की अनुपलब्धता, सीमित कार्य मौसमों, आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।
2.	कर्नाटक	क्षमता निर्माण एवं प्रक्रिया मानीटरिंग - (2009-10)	• ₹3.75 करोड़ के लागत की परियोजना के अंतर्गत, 30 जिलों में अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण के लक्ष्य के प्रति, केवल आठ जिलों में काम पूरा किया गया जिससे 73 प्रतिशत की गिरावट हुई। • कार्यान्वयन अभिकरण ने सावधि जमा में ₹1.25 करोड़ की धनराशि (मार्च 2010 में प्राप्त) रखे रखी और जून 2010 में नोडल विभाग को राशि के लिए उ.प्र. भी अनियमित रूप से जमा किये थे।
3.	महाराष्ट्र	0 से 100 हेक्टेयर वाली सिंचाई संभावना वाली चल रही सूक्ष्म	• दोनों परियोजनाएं ₹218.70 करोड़ के कुल लागत पर संस्वीकृत हुई थीं और मार्च तथा दिसंबर 2012 तक पूरी होनी थीं। तथापि, अब तक दोनों परियोजनाएं अभी भी

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		सिंचाई योजनाओं का पूर्ण होना' - (2011-12)	कार्याधीन थीं। • 36787 हेक्टेयर के आवृतन के लक्ष्य के प्रति, केवल 15612 हेक्टेयर ही आवृत्त हुआ था, जिससे 21175 हेक्टेयर (58 प्रतिशत) की गिरावट हुई।
4.	महाराष्ट्र	सूक्ष्म सिंचाई - पूर्ण की गयी सिंचाई परियोजना (0 से 250 हेक्टेयर) का 100 प्रतिशत परियोजना सत्यापन - (2011-12)	• दूसरी परियोजना में, ₹20.00 करोड़ की संस्वीकृत परियोजना लागत के प्रति, केवल ₹50 लाख ही जारी किया गया था और व्यय ₹19 लाख था। 16454 सिंचाई परियोजना के सत्यापन के लक्ष्य के प्रति, उपलब्धि 'शून्य' थी।
ख) ₹40.45 करोड़ की लागत की पांच परियोजनाएं अपूर्ण रही			
5.	अरूणाचल प्रदेश	एकीकृत कीट प्रबंधन (स.की.प्र.) - (2010-11)	• ₹58.35 लाख की लागत वाली परियोजना अपूर्ण थी क्योंकि परियोजना के कुछ घटकों अर्थात् किसानों का प्रशिक्षण, साहित्य का मुद्रण एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संवितरण के अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण लेखापरीक्षा में लाभार्थियों को कीटनाशकों के संवितरण के घटक के कार्यान्वयन को सत्यापित नहीं किया जा सका था।
6.	झारखण्ड	**0.30** एकड़ के मछली-पालन तालाबों एवं मछली हैचरियों के निर्माण के साथ-साथ इनपुट के रूप में जल, फिश सीड, उर्वरक, चूना एवं औषधियॉं प्रदान करना-(2009-10)	• ₹3.04 करोड़ लागत की परियोजना अपूर्ण रही क्योंकि पांच चयनित जिलों में कोई निवेश अर्थात् जल, फिश सीड, चूना औषधियॉं आदि वितरित नहीं की गयी थीं। • दुमका जिले में कैरो और भट्टरिया गॉव में संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन से प्रकट हुआ कि इनमें न तो पानी था और न ही अपेक्षित गहरायी।
7.	झारखण्ड	राज्य सीड उत्पादन फार्म का सुदृढ़ीकरण - (2009-10)	• ₹31.48 करोड़ की लागत परियोजना अपूर्ण रही क्योंकि बीज योजना की अनुपलब्धता के कारण हजारीबाग में जुलाई 2013 तक किसी बीज का उत्पादन नहीं किया गया था जबकि बीज का उत्पादन 2010-11 से प्रारम्भ किया जाना था। इसके अतिरिक्त 2009-10 के पश्चात, समेकित कीट प्रबंधन घटक हेतु कोई धनराशि आबंटित नहीं हुई थी जिसके कारण इस घटक को तीन वर्ष बीतने के बाद भी पूरी तरह से कार्यान्वित करना अभी शेष था। • असनबानी (दुमका), चरही (हजारीबाग) एवं नीमडीह (सरायकेला) के कृषि फार्मों के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि यह फार्म खराब स्थिति में थे/कोई खेती नहीं पाई गई थी/अपूर्ण निर्माण कार्य थे।

परि. क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष
8.	त्रिपुरा	अम्बासा में ठण्डे भंडार का निर्माण - (2010-11)	• ₹2.90 करोड़ के लागत की परियोजना जून 2011 तक पूरी करनी थी तथापि, ड्राइंग और डिजाइन के अनुमोदन में विलंब के कारण के साथ-साथ कार्य की धीमी प्रगति के कारण, परियोजना पूरी नहीं हुई थी (सितम्बर 2013)।
9.	उत्तर प्रदेश	मुख्यालय में संचार अवसंचना का सुदृढीकरण और नवीकरण - (2008-09)	• ₹2.45 करोड़ की लागत वाली परियोजना के अंतर्गत, कार्य को दिसम्बर 2011 तक पूरा होना तय था हालाँकि, सितम्बर 2013 तक, ₹2.16 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, स्थल के चुनाव में विलंब के कारण कार्य अधूरा था। अत: परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।
ग) एक परियोजना में ₹4.00 करोड़ का निष्फल व्यय			
10.	गुजरात	जानवरों के रोगों की रोकथाम हेतु जैव तकनीकी पद्धति - (2008-09)	• ₹23.20 करोड़ की परियोजना लागत के प्रति केवल ₹4.00 करोड़ की धनराशि ही जारी की गयी थी जिसे वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद तथा अनुसंधान संबंधी अन्य सहायक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया गया था। राज्य सरकार द्वारा अंशदान का सहयोग न होने के कारण परियोजना को 31 मार्च 2009 को बंद कर दिया गया था जिसका परिणाम ₹4.00 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला अध्ययन: *₹15.83* लाख की आर्थिक सहायता का फर्जी भुगतान

राजस्थान में, 'तिलहन दालों एवं मक्के के बीजों की प्रतिस्थापन दर की वृद्धि परियोजना' परिचलित तिलहनों, दालों, ऑयल पॉम एवं मक्का योजना की एकीकृत योजना (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) के सीड घटक की संपूर्ति के लिए ₹80.16 करोड़ की लागत पर जून 2009 में संस्वीकृत हुई थी। 6.68 लाख क्विटल बीजों के वितरण के भौतिक लक्ष्य के प्रति, केवल 1.88 लाख बीज ही वितरित किये गये थे। जिससे 4.8 लाख क्विंतल बीजों (72 प्रतिशत) की कमी हुई।

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि मैसर्स ममता सेलस एजेंसी, धारियावाड़ ने खरीफ-2012 के दौरान प्रतापगढ़ जिले में 1518 किसालों को सोयाबीन प्रमाणित बीजों का वितरण किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 495 किसानों के नाम, उनकी बिल संख्या, तिथि एवं मात्रा सूची में दुहरायी गयी थीं। अत: कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ गलत रूप से 1023 किसानों को पहुँचाया गया दिखाया गया था। इस तरह 1518 की बजाय 495 किसानों को बीज वितरित किये गये थे। इसके अतिरिक्त अर्नोड गॉव के छ: किसानों (ममता सेल्स एंजेंसी, धरियावाड़ से लाभार्थियों), जिनके नाम कथित सूची में शामिल थे, के प्रत्यक्ष सतयापन से प्रकट हुआ कि वे गॉव में रहते नहीं थे। सहायक कृषि अधिकारी, अर्नोड क्षेत्र ने सूचित किया कि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के नाम वितरण सूची में सही रूप से दर्शाये नहीं गये थे। इससे सिद्ध होता है कि उ.नि. कृषि (विस्तार) की बीज अभिकरण द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की उपलब्ध करायी गयी सूची झूठी थी और कुल प्राप्त मात्रा का प्रमाण-पत्र यथोचित यादृच्छिक जॉच के बिना दिया गया था। यह प्रतापगढ़ जिले के 1023 किसानों को ₹15.83 लाख की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ, जिनकी पहचान जॉच हीं नहीं थी। उ.नि. कृषि (विस्तार) प्रतापगढ़ का इस मामले में उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2013) था।

5.3 रा.कृ.वि.यो. की उप-योजनाएं

जैसाकि अध्याय-1 के पैरा 1.4 में पहले ही कथित है, मंत्रालय द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों/फसलों में केन्द्रीकृत तरीके से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010-11 से उप-योजनाएं शुरू की गयी थीं। मंत्रालय ने 2010-11 से इन विशेष योजनाओं के शीघ्र रॉलआउट में रा.कृ.वि.यो विंडो के माध्यम से इन राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं (उप-योजनाओं) को प्रारंभ किया था। ये योजनाएं मंत्रालय में संबंधित विषय-वस्तु प्रभाग द्वारा तैयार और मॉनीटर की गई थी परंतु इनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रणाली पर किया जा रहा है। वर्तमान में, 27 राज्यों में निम्नलिखित दस उपयोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

1. पूर्वी प्रदेश में हरित क्रांति का आरंभ (बी.जी.आर.ई.आई.)
2. वर्षा- सिंचाई क्षेत्रों में 60,000 दालें उगाने वाले गॉवों का एकीकृत विकास
3. ऑयल पाम को प्रोत्साहन (पी.ओ.पी.)
4. शहरी कस्बों के लिए शाक पहल (वी.आई.यू.सी.)
5. सघन तिलहन प्रोत्साहन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (आई.एन.एस.आई.एम.पी.)
6. प्रोटीन अनुपूरक हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.पी.एस.)
7. त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (ए.एफ.डी.पी.)
8. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आर.ए.डी.पी.)
9. विदर्भा तीव्रक सिंचाई विकास कार्यक्रम (वी.आई.आई.डी.पी.)
10. केसर मिशन

5.3.1 उप-योजना के अंतर्गत निधियों का निर्गम एवं उपयोग

सभी उप-योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 हेतु निधियों के निर्गम एवं उपयोग की मार्च 2013 तक की स्थिति, नीचे तालिका-बद्ध की गयी है (राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-XXII** में दिए गये हैं):

गहरे संकरे ट्यूबवेल एवं पम्पसेट के लिए अधिकतम ₹12000/- की सहायता प्रदान करने के लिए उप-योजना (हरितक्रांति की विस्तार योजना) का एक उप-सेट शुरू किया था। निम्नलिखित विसंगतियॉ देखी गयी थीं:

- 13 नमूना परीक्षित जिलों[36] में, अगस्त 2013 तक संकरे ट्यूबवेल एवं पम्प सेट के संस्थापन में कमी क्रमश: 59 एवं 65 प्रतिशत थी। नालंदा एवं समस्तीपुर जिलों में, ट्यूबवेलों के निर्माण में 58 एवं 31 प्रतिशत तक की कमी थी।

- ट्यूबवेल के अनुमोदित मॉडल अनुभाग के अनुसार, आर.सी.सी. गड्ढे का निर्माण पम्प के संस्थापन हेतु ₹5200/- प्रति आर.सी.सी. गड्ढा के अनुमानित लागत के साथ करना था। आर.सी.सी. गड्ढे के निर्माण न होने के बावजूद, नालंदा एवं समस्तीपुर जिलों में 6638 लाभार्थियों को ₹3.45 करोड़ का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था। इन दो जिलों में ड्रिलिंग प्रभारों तथा ट्यूबवेल के संस्थापन हेतु पाइप की लागत के प्रति ₹2.44 करोड़ और ₹2.98 करोड़ का अधिक भुगतान भी पाया गया था।

ख) छत्तीसगढ़ - दिशानिर्देश के अनुसार, उप-योजना को गैर-रा.खा.सु.मि. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) जिलों में चावल एवं गेहूं के ब्लॉक प्रदर्शन, संकरे ट्यूबवेलों/बोरवेल के निर्माण, पंप सेटों के वितरण, सीड ड्रील एवं सिंचाई नहरों के निर्माण, आदि जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्यान्वित करना था। 2010-13 के दौरान ₹241.61 करोड़ के व्यय में से, ₹167.74 करोड़ रा.खा.सु.मि. वाले जिलों में व्यय किया गया जो अनियमित था। इसके अतिरिक्त, केवल चावल एवं गेहूं का ब्लॉक प्रदर्शन उप-योजना के अंतर्गत अनुमेय था, परंतु ₹2.27 करोड़ एवं ₹2.98 करोड़ की राशि क्रमश: गन्ने (2010-11) एवं मक्का (2011-13) के ब्लॉक प्रदर्शन पर खर्च की गयी थी। इस प्रकार योजना दिशानिर्देश के उल्लंघन में किया गया

[36] भोजपुर, पूर्वी चपारण, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिले।

₹172.99 करोड़ का व्यय अनियमित था और इससे मॉनीटरिंग का अभाव भी दिखायी देता था।

ग) **उत्तर प्रदेश** - 17143 के लक्षित *बोरिंग के प्रति,* ₹5.23 करोड़ की लागत पर निर्मित 7469 बोरिंग (44 प्रतिशत) को पंप सेट नहीं दिये गये थे, जो उस सीमा तक अतिरिक्त सिंचाई संभावना के सृजन के उद्देश्य की गैर-उपलब्धि में परिणत हुआ। उप-योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के राज्य के गैर-रा.खा.सु.नि. जिलों में कार्यान्वित करना था। तथापि, वर्ष 2011-13 के दौरान रा.खा.सु.नि. जिलों में ₹21.89 करोड़ का व्यय किया गया था।

घ) **पश्चिम बंगाल** - ₹269.00 करोड़ के कुल निर्गम में से फरवरी 2013 में मंत्रालय से प्राप्त ₹134.50 करोड़ की दूसरी किस्त 31 मार्च 2013 तक पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड (प.बं.रा.बी.नि.लि.) के पास पड़ी हुई थी। इसके अलावा, आठ चयनित जिलों में, प्रत्येक किसान के पास बैंक खातों की अनुपलब्धता के कारण जिला एवं ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में ₹15.98 करोड़ की कुल धन राशि अव्ययित (जून-जूलाई 2013) पड़ी हुई थी।

3) **वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दाल-उपजाने वाले गांवों का एकीकृत विकास**- उप-योजना 'वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दाल एवं तिलहन की उपज वाले गांवों' का प्रारंभ (2010-11) किया गया था और तदुपरांत अतिरिक्त क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता सुधार, मशीनीकरण के माध्यम से विभिन्न कृषि संबंधी परिचालन में समय कम करने और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दाल एवं तिलहन उपजाने वाले गांवों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत (2011-12) 'वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दाल की उपज वाले गांवों के विकास' के रूप में नामित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में निम्नलिखित कमियॉ देखी गयी थीं:

क) **मध्य प्रदेश** - उप-योजना हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी थी जहॉ सिंचाई के निश्चित स्रोत नहीं थे। हालांकि,

परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित 11 ब्लॉकों के अंतर्गत 333 गांवों वाले तीन जिलों[37] में सभी गांव नदी, ट्यूबवेल एवं कुओं जैसे निश्चित सिंचाई स्रोत वाले थे। उप-योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियॉ देखी गयी थीं।

- फरवरी 2012 में राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, योजना आयोग, भारत सरकार के प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में वर्षा-सिचित क्षेत्र प्राथमिकीकरण इंडेक्स (व.क्षे.प्रा.इं.) के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों एवं आजीविका स्थिति के आधार पर भारत के 499 वर्षा-सिंचित जिलों को प्राथमिकता दी थी। उच्च प्राथमिकता वाले दस जिलों (झबुआ, सिद्धी, शाहदोल, छिन्दवारा, बरवानी, खरगोन, बेतुल, खांडवा, भींड एवं शिओपुर कलन) का चयन नहीं किया गया था क्योंकि इस उद्देश्य के लिए विभाग ने जिलों को प्राथमिकता नहीं दी थी।
- निदेशक, कृषि के आदेशों (अगस्त 2011) के अनुसार, ई-कीट निगरानी के घटक की शुरूआत अनिवार्यता: करनी थी। हालांकि, शामिल किए जाने वाले लक्ष्यित 29 जिलों में से, घटक को 23 जिलों (79 प्रतिशत) में निष्पादित नहीं किया गया था। इस कमी का कारण फील्ड स्टाफ की अनुपलब्धता तथा किसान स्काउट द्वारा रूचि की कमी बताया गया था।

ख) महाराष्ट्र - उप-योजना को 2011-12 से राज्य में कार्यान्वित किया गया था। उप-योजना के घटकों में एक था दाल की फसलों को 2-3 जीवन रक्षक सिंचाई-चक्रों में जल उपलब्धता कराने के लिए लाईनिंग सहित नये तलाबों का निर्माण अथवा पुराने कृषि तलाबों को लाईनिंग प्रदान करना। 29 जिलों के लिए लाईनिंग सहित 2570 नये कृषि तालाब एवं 2570 पुराने कृषि तालाबों को लाईनिंग सहित करने का लक्ष्य बनाया गया था। लाईनिंग कार्य की लागत का पचास प्रतिशत किसानों को वहन करना था। राज्य ने बिना लाईनिंग के तालाबों के निर्माण की अनुमति (जनवरी 2012) दे दी थी क्योंकि किसान लाईनिंग कार्य की लागत का वहन करने

[37] विदिशा, धर एवं देवास

के लिए तैयार नहीं थे और उसके अनुसार 17 जिलों में ₹12.17 करोड़ की लागत पर बिना लाईनिंग वाले 1625 तालाबों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

ग) **उत्तर प्रदेश** - रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निदेशक, कृषि ने ₹21.16 करोड़ की कुल लागत पर 540 ट्रैक्टरों की खरीद (मार्च 2011) अपने सदस्य किसानों को कस्टम किराया सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 5400 गॉवों के 540 कस्बे (प्रत्येक कस्बे में 10 गांव शामिल हैं) की समितियों (सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत) को वितरित करने के लिए की थी।

4) **प्रोटीन अनुपूरकों हेतु राष्ट्रीय मिशन** - 2011-12 में शुरू हुई उप-योजना के अंतर्गत, पशुपालन एंव दुग्ध विकास गतिविधियों के प्रसार हेतु परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाना था, जिसमें उत्पादकता सुधार कार्यक्रम, पशु भोजन संकेंद्रक के पोषण संतुलन में सुधार, भूसा विकास गतिविधि एवं दुग्ध प्रापण में सुधार, कार्यान्वयन के चिन्हित क्षेत्र में प्रसंस्करण एवं विपणन आवसंरचना जैसे उपायों के माध्यम से दूध देने वाले मवेशियों की उत्पादकता में सुधार को प्राथमिकता देनी थी। निम्न चार राज्यों में उप-योजना के कार्यान्वयन में कमियॉ पायी गयी थीं:

क) **गुजरात** - छः डेरी सहकारी संघों द्वारा 2011-12 में उप-योजना को कार्यान्वित करना था। आठ घटकों में से, भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति चार घटकों में नहीं हुई थी।

ख) **हिमाचल प्रदेश** - सितम्बर 2012 में ₹9.18 करोड़ की लागत पर अनुमोदित फिश सीड फार्म के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य को, सितम्बर 2013 तक संहितागत औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने के कारण कार्यान्वयन हेतु शुरू नही किया जा सका।

ग) **महाराष्ट्र** - उप-योजना के अंतर्गत, बकरी विकास योजनाओं को ₹2.50 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (अगस्त 2011) किया गया था। बकरी फीड के 590.287 एम.टी. की लक्ष्यित आपूर्ति के प्रति, मार्च 2013 के

अंत तक अभिकरण ने केवल 117.603 एम.टी. (20 प्रतिशत) बकरी फीड की आपूर्ति की थी।

घ) **उत्तर प्रदेश** - 'विशेष डेरी विकास परियोजना' ₹18.35 करोड़ के कुल लागत पर एन.एम.पी.एस. के अंतर्गत संस्वीकृत हुई थी (जुलाई 2011)। परियोजना का उद्देश्य खान-पान में दुध की वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं पशुपालन तथा डेरी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के संदर्भ में प्रोटीन संतुलन को सुनिश्चित करना था। परियोजना में, अन्य बातों के साथ, 25 बछियों की पालन इकाई की स्थापना, 25 हैफरों की पालन-पोषण इकाईयों एवं भूसा आदि के वितरण की कीमत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता शामिल थी:

- 105 लाभार्थियों द्वारा 105 लघु डेरियों की स्थापना के लक्ष्य के प्रति, बैंक ऋण की प्रथम किस्त केवल 49 लाभार्थियों को ही प्रदान की गई थी। इसमें से, दूसरी किस्त केवल 12 लाभार्थियों को ही जारी की गई थी जो 25 जानवरों की पूरी इकाई स्थापित नहीं कर पाये थे। परिणामस्वरूप, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी एवं डेयरी क्षेत्र के विकास की परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पायी थी।
- 50 बछिया पालन इकाईयों की स्थापना (50 लाभार्थियों के लिए) हेतु लक्ष्य के प्रति केवल दो लाभार्थियों ने पूरी इकाईयां स्थापित की थी।
- जायद (मई से जून) को दूध देने वाले जानवरों के लिए कमजोर समय माना जाता है क्योंकि इस मौसम में मवेशियों के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। इस अवधि में, अनुपूरक प्रदान करना आवश्यक हो जाता है यदि किसान जानवरों का वजन कम करना और उत्पादन घटाना नहीं चाहते। लेखापरीक्षा ने पाया कि मानक भूसे के वितरण के लिए घटक बिना किसी ब्यौरे एवं इसके वितरण की अवधि के 70 दिनों के लिए परियोजना में शामिल था। फलस्वरूप, जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान वाराणसी एवं मेरठ के भूसा उत्पादन केन्द्रों द्वारा भूसा की आपूर्ति इसके बावजूद की गयी थी कि दूध देने वाले मवेशियों की कमजोर अवधि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू

होती थी और जून के अंतिम सप्ताह में समाप्त होती है। यह ₹3.05 करोड़ के बेकार व्यय में परिणत हुआ और कार्यान्वयन अभिकरण तथा इसके भूसा उत्पादन इकाईयों के मध्य सहभागिता की भी कमी दर्शाता है।

- भूसा की खरीद में विलम्ब 935 मैट्रिक टन पर ₹66.68 लाख के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ तथा मवेशी खाद्य फैक्ट्री, वाराणयी तथा मवेशी खाद्य संयंत्र, मेरठ द्वारा क्रमश: 16 जुलाई 2012 एवं 24 जुलाई 2012 के बाद 1327 मेट्रिक टन भूसे की आपूर्ति हुई।
- रा.कृ.वि.यो. के दिशानिर्देश में कुल रा.कृ.वि.यो. निधियों के 1 प्रतिशत में से प्रशासनिक व्यय करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण शुल्क (त.प.शु.) प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं था। रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों की विसंगति में, ₹27 लाख राशि का 10 प्रतिशत त.प.शु. ₹2.71 करोड़ के उपकरण पर प्रभारित किया गया था जिन्हें नोएडा डरी संयंत्र के प्रसंस्करण क्षमता के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु खरीदा गया था।

5) **गहन दलहन प्रोत्साहन के माध्यम से पोषण सुरक्षा की पहल - इस उप-** योजना की शुरूआत पोषण अन्न के रूप में दलहनों के प्रोत्साहन हेतु की गयी थी। इसका उद्देश्य था देश में खरीफ 2011 से दलहनों के बढ़े हुए उत्पादन को तेज करने के प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ उन्नत उत्पादन एवं कृषि के पश्चात की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना। गुजरात, कर्नाटक, (मामला अध्ययन), महाराष्ट्रएवं उत्तराखण्ड इन चार राज्यों में, निम्नलिखित कमियॉ देखी गयीं थीं:

क) **गुजरात** - 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उप-योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले 14 घटकों में से, छ: घटकों (43 प्रतिशत) का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ था।

मामला अध्ययन: बिजली के कनेक्शन के अभाव में ₹3.27 करोड़ की लागत की मशीनरी का बेकार पड़े रहना

कर्नाटक – राज्य सरकार ने 22 जिलों में 300 कृषि-प्रसंस्करण इकाईयों एवं ₹6.49 करोड़ की वजन मापक, डेटुल्लर, डेस्टोनर, पल्वेराइजर एवं पैकिंग करने वाली मशीनों जैसी मशीनरी को मंजूरी दी थी। इसमें से, 11 जिलों में केवल 60 कृषि प्रसंस्करण इकाइयां (20 प्रतिशत) कार्यात्मक थीं (अगस्त 2013)। न्यूनतम 10 एच.पी. व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन की अनुपस्थिति के कारण शेष 240 इकाइयां कार्यात्मक नहीं थी। फलस्वरूप, इन पॉच जिलों में ₹3.27 करोड़ लागत की मशीनरी एक वर्ष से अधिक समय तक बेकार पड़ी रही थी (अगस्त 2013)।

ख) **महाराष्ट्र** - राज्य ने उप-योजना को 2011-12 के दौरान लागू करने के लिए ₹91.48 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया था। मार्च 2012 तक, प्रदर्शन घटक के अंतर्गत इनपुट किटों की आपूर्ति हेतु 5.37 लाख एकड़ को शामिल करने के लक्षित क्षेत्र के प्रति 7.24 लाख एकड़ को शामिल किया गया था जो ₹11.90 करोड़ के अधिक व्यय में परिणत हुआ। इसी प्रकार, बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 85000 क्विंटल बीजों के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि केवल 2920 क्विंटल ही थी जिससे 97 प्रतिशत की गिरावट हुई।

ग) **उत्तराखण्ड** - उप-योजना का कार्यान्वयन 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान हुआ था। मार्च 2013 तक, 66913 एकड़ के आवृत्ति के लक्षित क्षेत्र के प्रति, 38909 एकड़ की आवृत्ति हुई थी जिससे 42 प्रतिशत की गिरावट हुई। बीजों के उत्पादन में, 315 क्विंटल के लक्ष्य के प्रति, उपलब्धि 'शून्य' थी।

6) **तीव्र भूसा विकास कार्यक्रम** - उप-योजना में भूसे की पूरे वर्ष के दौरान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एकीकृत तकनीकियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से भूसा के उत्पादन की अभिकल्पना की गयी थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में कमियॉ देखी गयी थीं:

क) **कर्नाटक** - भूसा वृद्धि को तीव्र करने के लिए, भारत सरकार के दिशानिर्देश में ₹3200/- प्रति हेक्टेयर की लागत के भूसा उत्पादन किट के वितरण हेतु प्रत्येक भूसा/दुहरे प्रयोजन फसलों की कृषि के अंतर्गत 500 हेक्टेयर के क्षेत्र के कस्बे (मुख्यत: डेरी जलग्रहण क्षेत्र में) के निर्माण का सुझाव दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने कस्बों की पहचान, विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव से ₹15.00 करोड़ अतिरिक्त प्राप्ति के बावजूद नहीं किया था।

ख) **महाराष्ट्र** - उप-योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को चारा काटने की मशीने देनी थीं। यह देखा गया था कि 19 जिलों में चारा काटने की मशीने उपलब्ध नहीं करायी गयी थीं और ₹2.29 करोड़ का अनुदान 19 जि.अ.कृ.अ. के स्तर पर अव्ययित पड़ा था। इसका परिणाम ₹2.29 करोड़ के अवरोधन होने में हुआ। राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2013) कि पर्याप्त चारा काटने की मशीनों की अनुपलब्धता के कारण, अभिकरण आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार को आपूर्ति आदेश जारी करने के पूर्व चारा काटने की मशीनों की आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

ग) **उत्तर प्रदेश** - 1003 बिजली से चलने वाली चारा काटने की मशीनों, चारा काटने की मशीनों के साथ 71200 लघु औजार और 8 स्लेज के वितरण के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि क्रमश: 3962 (295 प्रतिशत से अधिक वितरण), 36246 (49 प्रतिशत की गिरावट) एवं 'शून्य' (100 प्रतिशत की गिरावट) थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जा रहा है।

***अनुशंसा 8**: चयन करने के लिए स्ट्रीम-I, स्ट्रीम-II एवं उप-योजनाओं के तीन बॉस्केट होने के बावजूद, योजना का स्वामित्व एंव नियंत्रण अपने पास रखते हुए इनपुट की स्वायत्तता राज्यों को प्रदान करनी चाहिए।*

***अनुशंसा** 9: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों में सुधार करने के लिए मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना चाहिए।*

5.4 निष्कर्ष

रा.कृ.वि.यो. की एक छत्र योजना के रूप में कल्पना की गई है जिसके अंतर्गत राज्यों को इस बड़े देश में परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की बड़ी विविधता को ध्यान में रखते हुए कृषीय आऊटपुट की वृद्धि कार्य करना अपेक्षित है। रा.कृ.वि.यो. की अंतर्निहित भावना क्षेत्रीय, कृषि-जलवायु तथा स्थानीय शबलता है जो लाभ को बढ़ाने के प्रति लक्ष्यित है। यह एक इष्टतम पद्धति में हुआ प्रकट नहीं होता है।

रा.कृ.वि.यो. की स्ट्रीम-I के अतंर्गत राज्यों में चयन करने हेतु 20 क्षेत्र थे। अधिकांश राज्यों ने सभी क्षेत्रों का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28 राज्यों जो समीक्षा अवधि के दौरान स्ट्रीम-I के अंतर्गत 7557 परियोजनाएं चला रहे थे। स्ट्रीम-I के अंतर्गत, लगभग आधी परियोजनाएं पूर्ण थीं (4061 में से 2506), 100 का परित्याग किया गया था तथा 90 छोड़ दी गई थीं। लेखापरीक्षा जांच हेतु रा.कृ.वि.यो. के 19 क्षेत्रों में चयनित 393 परियोजनाओं में से, लेखापरीक्षा ने 150 परियोजनाओं (38 प्रतिशत) के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां जैसे कि लक्ष्यों की अप्राप्ति, कमी, परियोजनाओं का गैर-समापन, परियोजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन तथा निधियों का अपवर्तन, आदि पाईं।

यद्यपि, केन्द्र ने स्थानीय घटकों के सतर्क विचार सहित विस्तृत योजना पर आधारित परियोजनाओं के चयन हेतु उचित ध्यान देते हुए एक नम्य योजना के रूप में अभिकल्पना की गई थी फिर भी पद्धति, जिसमें परियोजनाओं को आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययनों के बिना तथा स्थानीय विविधताओं का ध्यान रखे बिना संस्वीकृत किया गया था, ने इसके प्रत्याशित नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से समझौता किया तथा इसका परिणाम परियोजना स्वीकृतियों हेतु

एक संघर्ष में हुआ। सूचित निर्णय के कार्य के बिना परियोजनाओं की मात्र संख्या ने कार्यक्रम को स्थूल तथा भारी-भरकम बनाया जो निम्न निष्पादन का कारण बना।

रा.कृ.वि.यो. कार्यान्वयन तथा कृषीय वृद्धि दर के बीच कोई सहसम्बन्धता स्थापित नहीं की जा सकी, क्योंकि योजना के अंतर्गत यह केन्द्र के साथ-साथ राज्य के लिए परिमेय लक्ष्य नहीं था, यद्यपि, रा.कृ.वि.यो. को प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य पंच वर्षीय अवधि के दैरान कृषीय वृद्धि दर को 4 प्रतिशत के स्तर तक बढाना था।

अध्याय-6

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

6.1 प्रस्तावना

रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों में, *एक प्रतिशत* प्रशासनिक प्रावधान के अतिरिक्त रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग का कोई प्रावधान नहीं है। दिशानिर्देशों में केवल राज्य स्तर पर ही मॉनीटरिंग पर जोर दिया गया है। तथापि, मंत्रालय ने निम्नलिखित स्तरों पर मॉनीटरिंग की परिकल्पना की है।

6.2 राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग

राष्ट्रीय स्तर पर रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन का समग्र संरचना निम्नलिखित आरेख में दर्शायी गयी है:

चार्ट- राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग

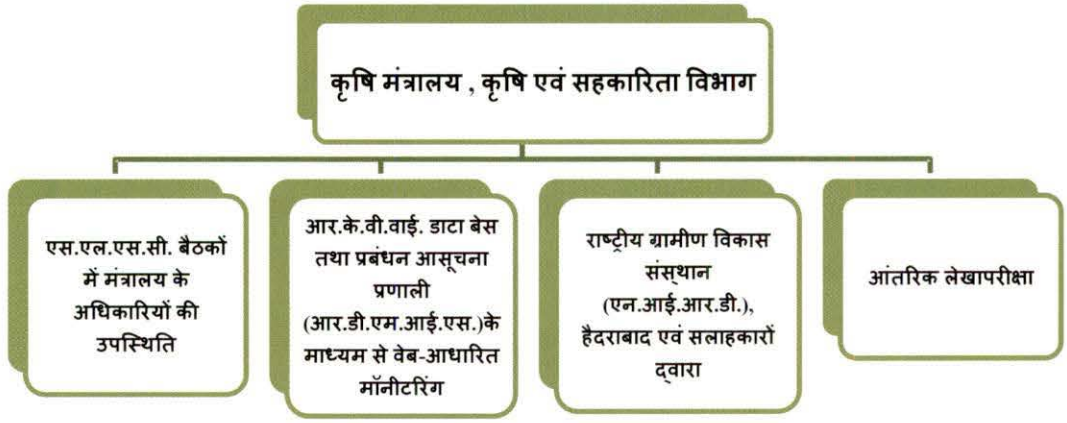

6.3 मंत्रालय के अधिकारियों के दौरों द्वारा मॉनीटरिंग

दिल्ली में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकों तथा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के राज्यों की दौरों से संबंधित अभिलेख मंत्रालय प्रस्तुत नहीं कर सका। अत: इस माध्यम द्वारा मॉनीटरिंग की पर्याप्तता तथा

प्रभावकारिता का आकलन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को दौरों के प्रलेखीकरण का परामर्श दिया जाएगा।

6.4 वेब-आधारित मॉनीटरिंग

रा.कृ.वि.यो. डॉटाबेस तथा प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आर.डी.एम.आई.एस.) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह वेबसाईट रा.कृ.वि.यो. के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से दर्शाती है। सभी राज्यों द्वारा नियमित रूप से इस वेबसाईट पर डॉटा प्रविष्ट और अद्यतित किया जाना है। तथापि, लेखापरीक्षा में इस वेबसाईट से मंत्रालय द्वारा इस योजना की मॉनीटरिंग को कोई साक्ष्य नहीं मिला।

वेबसाईट में राज्यों द्वारा प्रविष्ट डॉटा की प्रामाणिकता के बारे में, मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि वेबसाईट पर प्रविष्ट तथा अद्यतित किए गए डॉटा की शुद्धता के लिए संबंधित राज्य सरकार ही उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त, वेबसाईट में प्रविष्ट किए गए डॉटा की जांच करने/मॉनीटरिंग करने और किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार का उत्तरदायित्व एस.एल.एस.सी. का था। इस प्रकार मंत्रालय के स्तर पर किसी प्रामाणिकता परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

6.5 एन.आई.आर.डी. तथा सलाहकारों के माध्यम से मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) तथा 25 अन्य सलाहकार नियुक्त किए गये। मंत्रालय ने जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के लिए रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु स्थायी सलाहकार के रूप में ₹1.25 करोड़ की लागत पर एन.आई.आर.डी. की नियुक्ति की (दिसम्बर 2007)। इस अनुबंध को ₹57 लाख की लागत पर अगस्त 2009 से मार्च 2010 की और अवधि के लिए नवीकरण कर दिया गया (नवम्बर 2009)। इसके पश्चात् यह अनुबंध ₹98 लाख की लागत पर अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के लिए अप्रैल 2010 में पुन: बढ़ा दिया गया।

एन.आई.आर.डी. के साथ तीनों अनुबंधों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यह अनुबंध में आवंटित अपने कार्यों/कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सका। विस्तृत पड़ताल से ज्ञात हुआ कि कुल 32 कार्यों में से एन.आई.आर.डी. 16 कार्य (50 प्रतिशत) पूरे नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, एन.आई.आर.डी. को तीन अनुबंधों के लिए देय ₹2.80 करोड़ की सहमत राशि में से, मंत्रालय ने केवल ₹1.21 करोड़ (46 प्रतिशत) की राशि का ही भुगतान किया। इस प्रकार एन.आई.आर.डी. द्वारा की गई मॉनीटरिंग कार्रवाई निष्फल सिद्ध हुई। एन.आई.आर.डी. को पहले अनुबंध में सौंपे गए रा.कृ.वि.यो. की योजना, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए संसाधन सहायता संस्थानों के तंत्र की स्थापना करने, राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों की संकल्पना तथा निष्पादन में कमियों को पूरा करने से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि निष्पादन में त्रुटियों के कारण एन.आई.आर.डी. की सेवाएं, 2010-11 के पश्चात् नवीकृत नहीं की गई थी।

6.5.1 सलाहकारों द्वारा मॉनीटरिंग

उपरोक्त पैरा में उल्लिखित एन.आई.आर.डी. के असन्तोषजनक कार्य के कारण, मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 से विभिन्न राज्यों में रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए लिए 22 सलाहकार, आर.डी.एम.आई.एस. में डॉटा प्रविष्टि की मॉनीटरिंग और विश्लेषण तथा निगरानी इत्यादि कार्यों हेतु मंत्रालय की सहायता करने के लिए तीन सलाहकार नियुक्त किए। प्रत्येक सलाहकार को 35,000 प्रति मास की राशि (10 महीने के लिए यात्रा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) का भुगतान किया जाना था। राज्यों के लिए नियुक्त 22 सलाहकारों द्वारा आर.डी.एम.आई.एस. में डॉटा को अद्यतन/पूर्ण/मिलान करना, व्यय एवं उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना और उनका मिलान करना, मॉनीटरिंग के लिए राज्य/राज्यों का दौरा करना तथा रा.कृ.वि.यो. स्ट्रीम-I परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा रिपोर्टिंग करना, मामला अध्ययन तैयार करना, रा.कृ.वि.यो. की सफलता तथा कृषि विकास और संवृद्धि के प्रति रा.कृ.वि.यो. के योगदान का

प्रलेखन किया जाना अपेक्षित था। सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान सलाहकरों को वेतन तथा अन्य भत्तों के प्रति ₹69 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

यह पाया गया था कि डी.ए.सी. ने तीन मापदण्डों के आधार पर इन सलाहकारों का निष्पादन 'सन्तोषजनक', 'मात्र सन्तोषजनक' 'अपर्याप्त' तथा 'शून्य' के रूप में मापा और तदनुसार उनके दावों में कटौतियां की। सलाहकारों का कार्य सामान्यत: असन्तोषजनक पाया गया तथा अभिप्रेत उद्देश्य पूरे नहीं हुए थे। मंत्रालय में रा.कृ.वि.यो. कार्य हेतु नियुक्त तीन सलाहकारों के प्रदर्शन की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी क्योंकि इसका प्रलेखन नहीं किया गया था तथा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

6.5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

रा.कृ.वि.यो. योजना 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है। परन्तु, रा.कृ.वि.यो. की मंत्रालय द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से किसी प्रकार की वित्तीय संवीक्षा नहीं की गई। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि रा.कृ.वि.यो. की आन्तरिक लेखापरीक्षा अब की जाएगी।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानीटरिंग प्रणाली अधिक प्रभावी नहीं थी जैसा नीचे सार प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि दिशानिर्देशों में केवल राज्य स्तर की मानीटरिंग पर बल दिया गया है, मंत्रालय ने फिर भी ऐसे तंत्र विकसित किये जिन्हें लाभप्रद रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका।

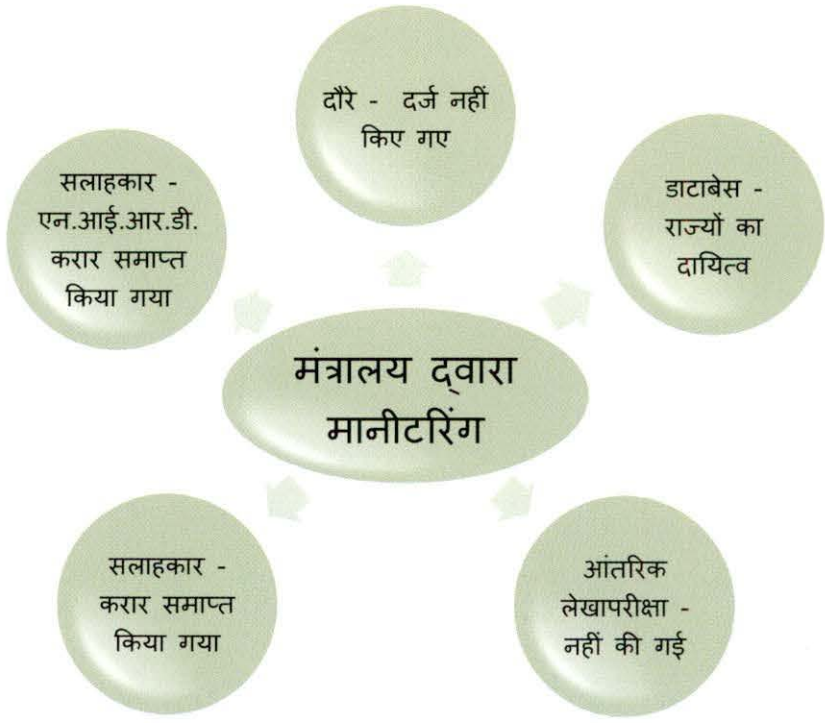

6.6 राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 के अनुसार, नोडल एजेंसी/कृषि विभाग अन्य बातों के अतिरिक्त परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और उनके मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 तथा 6.3 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. जिसमें राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों के सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग, पशु-पालन तथा डेरी विभाग तथा कृषि मंत्रालय से एक-एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव[1] के पद से नीचे नहीं), योजना आयोग का एक प्रतिनिधि, राज्य कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि तथा सचिव, कृषि

[1] इस संबंध में डी.ए.सी. द्वारा संशोधन (जुलाई 2008) जारी किया गया है जिसके द्वारा भारत सरकार से निदेशक स्तर का (के) अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अनुपस्थिति में कोरम पूरा करने के लिए एस.एल.एस.सी. की बैठकों में भाग ले सकते हैं, यदि एस.एल.एस.सी. बैठक का एजेंडा आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा/मॉनीटरिंग है।

शामिल होंगे, अन्य मुद्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगी:

क) संस्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करने;

ख) योजना के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने कि कार्यक्रम निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए गए हैं;

ग) यह सुनिश्चित करना कि प्रयासों अथवा संसाधनों की कोई आवृत्ति नहीं हुई;

घ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन कराना;

ङ) आवश्यकतानुसार समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन कराना;

एस.एल.एस.सी. की बैठकें यद्यपि आवश्यकतानुसार होंनी थी परन्तु तिमाही में कम से कम एक बैठक अनिवार्य थी। राज्य सरकारों को दिशानिर्देशों के प्रकाशन के एक महीने के अन्दर एस.एल.एस.सी. को अधिसूचित कर मंत्रालय को सूचित करना था।इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के निर्देश जारी किए (जुलाई 2008) जिसे अन्य बातों के साथ-साथ मासिक आधार पर रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन की समीक्षा कर एस.एल.एस.सी. को रिपोर्टें प्रस्तुत करनी थी।

6.6.1 कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एस.एल.एस.सी./नोडल विभाग/समिति द्वारा मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

विभिन्न राज्यों[2] में अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नोडल एजेंसी ने परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विभागों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय नहीं किया।

[2] जम्मू व कश्मीर में किसी एस.एल.एस.सी. का गठन नहीं हुआ था।

इसके अतिरिक्त, एस.एल.एस.सी. की, जिसे आर.के.वी.वाई की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया था, रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा के लिए 2008-09[3] से 2012-13 (राज्य-वार विवरण **अनुबंध XXIII** में) की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार के निर्धारित अन्तराल पर बैठकें नहीं हुई थी।

राज्यों में एस.एल.एस.सी. द्वारा आयोजित बैठकों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड राज्यों में, एस.एल.ए.सी. की बैठकों में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की कमी थी। अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा पश्चिम बंगाल के चार राज्यों में 70 प्रतिशत से अधिक कमी देखी गई थी।

राज्यों के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तराखण्ड राज्यों में, नोडल विभाग रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं की कोई भी मॉनीटरिंग करने में विफल रहा। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैण्ड तथा उत्तराखण्ड राज्यों में रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मासिक समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एस.एल.एस.सी. ने, रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग और मूल्यांकन का प्राधिकृत कार्य नहीं किया। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग के संबंध में विभिन्न अन्य कमियां देखी गई। राज्य-वार कमियॉ **अनुबंध-XXIV** में उल्लिखित हैं।

---

[3] चूंकि मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए थे, अत: वर्ष 2007-08 को छोड़ दिया गया है तथा न्यूनता की गणना के लिए 2008-09 से होने वाली एस.एल.एस.सी की बैठकों को ही हिसाब में लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2014) कि राज्यों को इस नियम का पालन करने का परामर्श दिया जाएगा।

6.6.2 राज्यों द्वारा वेब-आधारित मॉनीटरिंग का कार्यान्वयन

जैसा कि पहले पैरा 6.4 में बताया गया है, मंत्रालय प्रत्येक परियोजना से संबंधित संगत सूचना और डॉटा को एकत्र कर उसका प्रचार करने तथा प्रत्येक परियोजना के जीवन-काल के दौरान उसकी प्रगति तथा पूरा होने से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए भी रा.कृ.वि.यो. के लिए एक वेब-आधारित प्रबंधन आसूचना प्रणाली के माध्यम से भी रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करती है, जिसे रा.कृ.वि.यो. डॉटाबेस प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आर.डी.एम.आई.एस.) कहा जाता है। सभी राज्य सरकारों द्वारा कि वे नियमित आधार पर आर.डी.एम.आई.एस. में डॉटा की प्रविष्टि तथा उसका अद्यतन अपेक्षित है।

27 में से 15 राज्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में राज्यों द्वारा रा.कृ.वि.यो. वेबसाईट में फीड किए गए डॉटा में विसंगतियॉ सामने आईं। विभिन्न राज्यों में देखी गई विसंगतियों के विवरण **अनुबंध-XXV** में दिए गए हैं। रा.कृ.वि.यो. वेबसाईट में राज्यों द्वारा अपलोड किए जा रहे डॉटा में बहुत सी विसंगतियों के कारण, मंत्रालय द्वारा वेबसाईट की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 27 राज्यों में से, आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के आठ राज्यों द्वारा अभी तक कोई प्रबंधन आसूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गयी थी।

तमिलनाडु में यह देखा गया कि राज्य सरकार ने एम.आई.एस. स्थापित करने हेतु पशु-पालन विभाग को ₹10 लाख की राशि संस्वीकृत की (मार्च 2008) तथा परियोजना एक वर्ष में पूरी की जानी थी। तथापि, निधियां जारी होने की तारीख के चार वर्ष बाद भी विभाग में किसी एम.आई.एस. की स्थापना नहीं की गई थी (मई 2013)। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने अगस्त 2010 में एम.आई.एस. की

स्थापना की थी परन्तु उसमें केवल 2012-13 तक के ही वित्तीय विवरणों की प्रविष्टि की गयी। असम में, जहां एम.आई.एस. प्रणाली की स्थापना कर ली गई थी, यह पाया गया कि प्रणाली में समाविष्ट डॉटा विश्वसनीय नहीं था तथा परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति के साथ तुलना करने पर उसमे विसंगतियां पाई गई।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।

***अनुशंसा 10**: मंत्रालय को परिणामों पर मापे जाने योग्य लक्ष्यों द्वारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जैसे उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, जिन्हें सत्यापित भी किया जा सकता है।*

6.7 निष्कर्ष

योजना की मॉनीटरिंग मुख्यत: असंतोषजनक रही है। एन.आई.आर.डी. अपने सौंपे गए कार्य नहीं कर सकी जो रा.कृ.वि.यो. के आरंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण था। यहॉ तक कि जहॉ जहॉ एन.आई.आर.डी. द्वारा अनुशंसाएं की गई थीं वहां मंत्रालय/राज्यों द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई। विभिन्न राज्यों के लिए नियुक्त सलाहकारों का निष्पादन भी असंतोषजनक पाया गया। विभिन्न राज्यों में गठित एस.एल.एस.सी., रा.कृ.वि.यो. की नियमित मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के सौंपे गए कार्य नहीं कर सकी। आर.के.वी.वाई वेबसाईट पर राज्यों द्वारा अपलोड किए जा रहे डॉटा में बहुत सी विसंगतियां देखी गई।

कार्यक्रम की मॉनीटरिंग का प्रमुख रूप से आशय व्यय तथा भौतिक लक्ष्यों की निगरानी था। वैब आधारित निगरानी तथा मानीटरिंग का मुख्य जोर इस पर था कि क्या निधियों का व्यय अपेक्षानुसार किया गया तथा भौतिक लक्ष्य पूरे हुए। भौतिक लक्ष्यों में योजनाओं के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, कृषीय उपकरणों तथा/अथवा संवितरित बीजों की संख्या तथा लाभार्थियों का आवृतन शामिल था।

मानदण्ड	प्रतिपुष्टि
वित्तीय लक्ष्य	✓
भौतिक लक्ष्य	✓
योजना की प्रभावकारिता	x

मूल्यांकन में एक मुख्य गायब कड़ी योजना की प्रभावकारिता का निर्धारण थी। लेखापरीक्षा में 4 प्रतिशत तक उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि को मापने हेतु कहीं भी कोई निर्धारित निर्देशचिन्ह नहीं पाया गया। रा.कृ.वि.यो. को प्रमुखत: 12वीं योजना की समाप्ति तक कृषि दर को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु प्रारम्भ किया गया था। इसे सीधे मापने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं थी परंतु इसका पता केवल केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आम प्रक्रिया में तैयार डॉटा के माध्यम से ही लगाया जा सकता है।

अध्याय-7

निष्कर्ष

रा.कृ.वि.यो. की एक छत्र योजना के रूप में कल्पना की गई है जिसके अंतर्गत राज्यों को इस बड़े देश में परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की बड़ी विविधता को ध्यान में रखते हुए कृषीय उत्पान की वृद्धि के प्रति कार्य करना अपेक्षित है। रा.कृ.वि.यो. की अंतर्निहित भावना क्षेत्रीय, कृषि-जलवायु तथा स्थानीय शबलता है जो लाभ को बढ़ाने के प्रति लक्ष्यित है। यह एक इष्टतम पद्धति में हुआ प्रकट नहीं होता है। राज्यों को अधिक व्यापक रूप से अपने कृषि क्षेत्र हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था इसलिए रा.कृ.वि.यो. कृषि क्षेत्र में अपेक्षित 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य करती है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के साकल्पवादी विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं को कार्यान्वित करने का भार राज्यों पर था तथा मंत्रालय की, निधियों के निर्गम, योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश में संशोधनों, तथा राष्ट्रीय संदर्भ से समग्र मानीटरिंग तथा मूल्यांकन सहित केन्द्र स्तर पर योजना के नियंत्रण की एक बड़ी भूमिका थी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु प्रारम्भ किया गया था कि क्या राज्यों ने प्रभावी रूप से योजना का कार्यान्वयन किया था तथा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर योजना का नियंत्रण करने में अपनी भूमिका को पर्याप्त रूप से पूरा किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना प्रक्रिया जो रा.कृ.वि.यो. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित मूल कार्य था, कई राज्यों में विभिन्न रूप से त्रुटिपूर्ण थी। पांच राज्यों में ₹1962.29 की स्वीकृत लागत की 143 परियोजनाओं को जिला कृषि योजनाओं में दर्शाए बिना राज्य कृषीय योजना में शामिल किया गया

था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय समय की कमी के कारण राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करने में समर्थ नहीं था। मंत्रालय में विषय मामला प्रभागों द्वारा इंगित कमियों जैसेकि अन्य के.प्रा.यो./राज्य प्लान योजनाओं के साथ आवृत्ति के जोखिम के बावजूद भी राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया था नौ राज्यों के ₹367.99 करोड़ की लागत के 73 परियोजना प्रस्तावों के संबंध में मत्रालय द्वारा इंगित कमियों को रा.स्त.मं.स. द्वारा अनदेखा किया गया था तथा इन परियोजनाओं को समीक्षा अवधि के दौरान संस्वीकृत किया गया था। चार राज्यों में ₹64.60 करोड़ की लागत की दस परियोजनाओं, जो सीधे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से संबंधित नहीं थी, को भी रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था। 14 क्षेत्रों तथा आठ उपयोजनाओं में रा.कृ.वि.यो. के वर्तमान भा.स. की योजनाओं अथवा वर्तमान राज्य प्लान योजनाओं के साथ गैर- अभिसरण तथा नोडल विभाग तथा कार्यान्वयन विभागों/अभिकरणों के बीच गैर-समन्वयन के मामले भी पाए गए थे। इस प्रकार कई परियोजनाओं को विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त स्थानीय स्वामित्व या अपेक्षित संवीक्षा के बिना पूरा किया गया था।

योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि अधिक व्यय, अस्वीकार्य व्यय आदि के कई उदाहरण पाए गए थे। चिंता का महत्वपूर्ण क्षेत्र राज्यों द्वारा गलत उपयोग प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण था। यद्यपि व्यय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से नहीं किया गया था। आंशिक रूप किया गया था फिर भी राज्यों ने उनके द्वारा प्राप्त पूर्ण अनुदान हेतु उ.प्र. प्रस्तुत किए थे। परिणामस्वरूप, दी गई समयावधि में किया गया यथार्थ व्यय पता लगाने योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, व्यय के संबंधित आंकड़ों के उदाहरण भी पाए गए थे। सितम्बर 2013 को 26 राज्यों से ₹2610.07 करोड़ की राशि हेतु उ.प्र. बकाया थे। तीन राज्यों में ₹154.65 करोड़ की निधियों का कम निर्गम पाया गया था जो प्रतिकूल रूप से परियोजना की सुपूदर्गी को प्रभावित कर रहा था। रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के बिना ₹106.13 करोड़ का अधिक व्यय सात राज्यों में 50 परियोजनाओं में पाया गया था। ₹759.03 करोड़ अनुदानों को 11 राज्यों

में निजी लेजर खातों/निजी जमा खातों/बचत बैंक खाता/ सावधि जमा में रखा पाया गया था। चार राज्यों में, लेखापरीक्षा में ₹114.45 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. अनुदानों का अन्य उद्देश्य हेतु अपवर्तन पाया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य सरकार से नोडल अभिकरण को तथा नोडल अभिकरण से कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों के निर्गम के विभिन्न विलम्ब के मामले भी पाए गए।

समीक्षा अवधि के दौरान, स्ट्रीम–I के अंतर्गत 4061 परियोजनाओं को 27 राज्यों में चयनित 19 क्षेत्रों में संस्वीकृत किया गया था जिसमें से 25.06 परियोजनाएं समाप्त थीं, 1279 प्रगति में थीं, 85 को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया था, 100 का परित्याग तथा 90 को छोड़ दिया गया था। राजस्थान में एक परियोजना के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। 100 परित्याग की गई परियोजनाओं में से 28 परित्याग की गई परियोजनाओं पर ₹134.95 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच हेतु रा.कृ.वि.यो. के 19 क्षेत्रों में चयनित 393 परियोजनाओं में से 150 परियोजनाओं (38 प्रतिशत) में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे। सात क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत से अधिक चयनित परियोजनाओं में निम्न निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे। रेशम उत्पादन क्षेत्र में, चयनित सभी छः परियोजनाओं में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे। लेखापरीक्षा हेतु स्ट्रीम-II के अंतर्गत चयनित 40 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं (27 प्रतिशत) में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे। 10 उप-योजनाओं में से छः उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न-निष्पादन तथा अनियमितताओं के मामले पाए गए थे।

दोनों केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर योजना की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। सभी राज्यों में रा.स्त.मं.स. की बैठकों में बड़ी कमी थी। आठ राज्यों में, रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के कार्यान्वयन की

समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत समिति भी गठित नहीं की गई थी। आठ राज्यों में, एम.आई.एस. प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। अपनी सीमित मूल्यांकन प्रक्रिया में रा.ग्रा.वि.सं. योजना के संचालन में विभिन्न कमियों को इंगित किया था जो निपटान किए जाने हेतु बनी रहीं। लेखापरीक्षा कृषि क्षेत्र में बढ़ी हुई पैदावर तथा वृद्धि दर के संबंध में योजना की प्रभावकारिता को मापने हेतु किसी निर्देश चिह्न की खोज नहीं कर पाई थी।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.) के अभिलेखों के अनुसार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान वृद्धि दर क्रमश: 0.1 तथा 0.8 प्रतिशत थी। 2012-13 के दौरान भी, के.सां.सं. के प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत थी। रा.कृ.वि.यो. कार्यान्वयन तथा कृषीय वृद्धि दर के बीच कोई सहसम्बन्धता नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि योजना के अंतर्गत यह केन्द्र के साथ-साथ राज्य के लिए परिमेय लक्ष्य नहीं था।

यद्यपि, केन्द्र ने स्थानीय घटकों के सतर्क विचार सहित विस्तृत योजना पर आधारित परियोजनाओं के चयन हेतु उचित ध्यान देते हुए रा.कृ.वि.यो. की एक नम्य योजना के रूप में अभिकल्पना की गई थी फिर भी पद्धति, जिसमें परियोजनाओं को आवश्यक प्रारम्भिक अध्यनों बिना तथा स्थानीय विविधताओं का ध्यान रखे बिना संस्वीकृत किया गया था ने इसके प्रत्याशित नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से समझौता किया तथा इसका परिणाम परियोजना स्वीकृतियों हेतु एक संघर्ष में हुआ। सूचित निर्णय के कार्य के बिना परियोजनाओं की मात्र संख्या ने कार्यक्रम को स्थूल तथा भारी-भरकम बनाया जो निम्न निष्पादन का कारण बना।

मंत्रालय को रा.कृ.वि.यो. को पथ पर लाने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्य करने चाहिए।

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मार्च 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 21 मार्च 2015

अनुबंध

अनुबंध-I

(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ)

चयनित क्षेत्रों का राज्यवार विवरण

क्षेत्र	राज्य के नाम		
	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'
सूक्ष्म/लघु सिंचाई	असम, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश	झारखण्ड,कर्नाटक	जम्मू एंव कश्मीर, केरल, ओडिशा, सिक्किम
फसल विकास	बिहार, छतीसगढ़, कर्नाटक, केरल,मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	गुजरात	अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम
बागवानी	आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	पंजाब, राजस्थान, पश्चिम-बंगाल	अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंव कश्मीर, मध्य-प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उतराखण्ड
बीज	आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, उतर प्रदेश	महाराष्ट्र	बिहार, गुजरात, हिमाचल-प्रदेश, झारखण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
पशु पालन	आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम-बंगाल	असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु	गोवा, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उतर प्रदेश
कृषि यंत्रीकरण	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु	छत्तीसगढ़, केरल	अरूणाचल-प्रदेश, असम, हरियाणा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश
दुग्धशाला विकास		झारखण्ड, उत्तर-प्रदेश	आंध्र-प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	गुजरात	मध्य-प्रदेश	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एंव कश्मीर, केरल, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम-बंगाल
विपणन एंव फसलोत्तर प्रबंधन	महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल	आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात	छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा
मत्स्य पालन		असम, केरल, पश्चिम-बंगाल	हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान
विस्तार	छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश	कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश	अरूणाचल-प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर,

क्षेत्र	राज्य के नाम		
	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'
			राजस्थान, तमिलनाडु
अनुसंधान (कृषि/बागवानी/ पशुपालन/आदि)	कर्नाटक	आंध्र-प्रदेश	छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
उर्वरक एंव एकीकृत पोषण प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, उत्तराखण्ड
जैविक कृषि/ जैव उर्वरक		बिहार	आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, उत्तराखण्ड
सहकारिता सहयोग		छतीसगढ़	ओडिशा
एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन		मध्य-प्रदेश	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, ओडिशा
गैर-कृषि कार्य			हिमाचल-प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा
रेशम-कीट पालन			केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
नवोन्मेष कार्यक्रम/अन्य	छत्तीसगढ़, कर्नाटक,तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश	सिक्किम	मध्य-प्रदेश

अनुबंध-II

(पैराग्राफ 3.2 के सदंर्भ में)

जि.कृ.यो. को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण में राज्य विशिष्ट कमियां

राज्य का नाम	पाई गई कमियां
आन्ध्र प्रदेश	▪ राज्य सरकार ने सी.-जि.कृ.यो. तथा सी.-रा.कृ.यो. को तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय कृषीय विस्तार प्रबंधन संस्थान (रा.कृ.वि.प्र.सं.) को सौपां (नवम्बर 2007)। नामांकित अभिकरण ने नमूना जांच किए गए जिलों में जिला कृषि/बागवानी/पशुपालन कर्मचारियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं की थी तथा मुख्य पणधारकों (किसानों) तथा कार्यान्वयन कर्मचारियों के साथ प्रस्तावो पर चर्चा करने हेतु ग्राम सभाओं से परामर्श भी नहीं लिया था।
असम	▪ रा.कृ.यो. प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों, परिणाम, निष्कर्ष, इसमें नवीन परियोजनाओं को उजागर करने में विफल था। राज्य स्तर पर परियोजना मानीटरिंग तथा मूल्याकंन क्रियाविधि हेतु एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को रा.कृ.यो. में सुनिश्चित नहीं किया गया था। रा.कृ.यो. राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर प्रणालीगत फसल पैदावार अंतर अनुमानों का प्रदान नही करती थी।
बिहार	▪ 2007-13 के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में जि.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थी। यद्यपि, रा.कृ.यो. को राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर 2007-13 के लिए तैयार किया गया था परंतु निवेश जिसमे से यह योजनांए तैयार तथा संस्वीकृत की गई थी वह अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। रा.कृ.यो. आधारभूत निविष्टियों पर आधारित नहीं थी तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण की कमी थी। रा.कृ.यो. में सम्बद्ध विभागों (अर्थात डेयरी विकास सहित पशुपालन, सहकारिता, आदि) द्वारा प्रारम्भ परियोजना के विवरण भी शामिल नहीं थे। इस प्रकार, रा.कृ.यो. क्रियाविधि, योजना, आधार-रेखा सूचना सग्रंहण, मॉनीटरिंग, प्रलेखन तथा नियमित सूचना प्रक्रिया पर सुस्पष्ट नहीं थी।
छत्तीसगढ़	▪ जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण में असाधारण विलम्ब था क्योंकि 13 जिलों से संबंधित जि.कृ.यो. को वास्तव में दिसंबर 2009 में तैयार किया गया था तथा पांच जिलों के लिए इसे जनवरी 2010 में तैयार किया गया था। सी-रा.कृ.यो. को भी मार्च 2010 में तैयार किया गया था तथा मई 2010 में मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
गोवा	▪ सी-जि.कृ.यो को तैयार करने हेतु नियुक्त परामर्शदाता ने सी-जि.कृ.यो. की योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं की भागीदारी को शामिल न करके निर्धारित प्रक्रिया को अनदेखा किया तथा योजना को विभाग के कर्मचारियों की सलाह से तैयार किया।
हिमाचल प्रदेश	▪ रा.कृ.यो. को केवल 11 जिलों की जि.कृ.यो. को सघंटित करके तैयार किया गया था तथा ऊना जिले की जि.कृ.यो. को इसमे सघंटित नहीं किया गया था। निदेशक, नोडल विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि रा.कृ.यो/जि.कृ.यो. में केवल प्राथमिकताओं की पहचान की गई थी।
जम्मू एंव कश्मीर	▪ कश्मीर क्षेत्र (121 जिलों) हेतु तैयार सी-जि.कृ.यो. को पी.आर.आई./डी.ए.पी.यू./ बी.ए.पी.यू./वी.ए.पी.यू. की भागीदारी के बिना तैयार किया गया था। सी.-जि.कृ.यो. (कश्मीर क्षेत्र) को तैयार करते समय न तो राज्य सरकार ने और न ही जिला प्राधिकरणों ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि-जलवायु परिस्थितियों, राज्य में प्रोद्योगिकी तथा प्राकृतिक

<table>
<tr><th>राज्य का नाम</th><th>पाई गई कमियां</th></tr>
<tr><td></td><td>संसाधनो की उपब्धता का विश्लेषण करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया है। सी-जि.कृ.यो. को बिना भागीदारी माध्यम के तथा कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रोत्साहन में विशेषज्ञ वाले संस्थानो से परामर्श तथा तकनीकी सहायता की मांग के बिना तैयार किया गया था।</td></tr>
<tr><td>झारखण्ड</td><td>▪ नोडल अभिकरण अर्थात् कृषि एंव गन्ना विकास विभाग (कृ.म.वि.वि.) ने प्रमाणित किया कि वर्ष 2007-08 के लिए जिला कृषि योजना (जि.कृ.यो.) को दिसंबर 2007 में प्रस्तुत किया गया था परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रदान करने में विफल था। वर्ष 2008-09 से 2011-12 हेतु परामर्शदाता द्वारा तैयार जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को अन्य कार्यक्रमों/विभागों के साथ अभिसरण की मांग के लिए रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। नोडल विभाग ने रा.स्त.मं.स. को संशोधित रा.कृ.यो. प्रस्तुत नहीं की थी जैसा निर्देशित था (नवम्बर 2008)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 की जि.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थीं। इस प्रकार, राज्य सरकार रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को स्वीकृत करने में विफल था।</td></tr>
<tr><td>कर्नाटक</td><td>▪ राज्य सरकार ने सी-जि.कृ.यो/सी-रा.कृ.यो. को तैयार करने से पूर्व कृषि-जलवायु परिस्थिति, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, तथा राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो पर कोई अध्ययन नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थीं। इस प्रकार, राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति (रा.स्त.मं.स.) ने भी यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या प्रस्ताव जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा तैयार परियोजनाओं की शैल्फ से उत्पन्न हैं, सबंधित विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृत किया।</td></tr>
<tr><td>केरल</td><td>▪ सभी जिलो के परियोजना प्रस्तावों को संघटित करके रा.कृ.यो. तैयार करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। रा.कृ.यो. में परियोजना प्रस्तावों के संघटन की कमी का परिणाम उसी क्षेत्र की परियोजनाओं को समेकित करने में विफलता में हुआ। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों से उत्पन्न एक ही प्राकृति की परियोजनाओं ने इस प्रकार से परियोजनाओं की संख्या को बढाया जैसा निम्न तालिका से सुस्पष्ट है:
<table>
<tr><th>क्षेत्र का नाम</th><th>परियोजना का नाम तथा स्वीकृति का वर्ष</th><th>विशिष्ट परियोजनाओं की कुल लागत (₹लाख में)</th></tr>
<tr><td>डेयरी विकास</td><td>डेयरी किसानों को स्वचालित दुग्ध सग्रंहण इकाईयों की आपूर्ति करना (2009-10)</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td rowspan="4">पशु पालन</td><td>बछड़ा चारा शेड आर्थिक सहायता (2009-10)</td><td>116.25</td></tr>
<tr><td>मवेशी बीमा सहायता (2009-10)</td><td>37.97</td></tr>
<tr><td>मवेशी छत फर्श (2009-10)</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td>डेयरी सहकारिताओं में दुग्ध संग्रहण का स्वचालन (2009-10)</td><td>36.75</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>मध्य प्रदेश</td><td>▪ यह पुष्टि करने हेतु अभिलेखों में कोई दस्तावेज नहीं पाए गए थे कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए सी.-जि.कृ.यो. को आधारभूत अभिकरणों जैसे कि ग्राम सभाओं की सलाह को शामिल करके तैयार किया गया था। 2009-10 हेतु सी.-जि.कृ.यो. को सितंबर 2009 में जाकर काफी विलम्ब से तैयार किया गया था जिसका परिणाम</td></tr>
</table>

राज्य का नाम	पाई गई कमियां
	योजना हेतु डाटा के गैर-उपयोग में हुआ। राज्य सरकार ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु जि.कृ.यो. को तैयार करने से संबंधित कार्य को देरी से पांच अभिकरणों को सौपा (जून 2009) था। इसके अतिरिक्त, अभिकरण मई 2011 में जाकर ही नोडल अभिकरण को सी-जि.कृ.यो. प्रस्तुत कर सका था।
महाराष्ट्र	▪ कृषि आयुक्त, पुणे के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2013) ने प्रकट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य लघु किसान कृषि-व्यसाय संघ, पुणे को सी-जि.कृ.यो, सी.-रा.कृ.यो. को तैयार करने के कार्यों को पूरा करने हेतु एक नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित (नवम्बर 2007) किया था। यह पाया था कि अप्रैल 2008 से जुलाई 2008 के दौरान अभिकरण के खाते में क्रेडिट तथा डेबिट के केवल तीन लेन-देन किए गए थे तथा तब से नोडल अभिकरण गैर-क्रियात्मक था। इस प्रकार, नोडल अभिकरण के अभाव का परिणाम सी.-जि.कृ.यो., सी.-रा.कृ.यो. को तैयार करने में विलम्ब में हुआ।
मणिपुर	▪ नोडल विभाग द्वारा तैयार वि.प.रि. उप-घटकों की लागत का विस्तृत ब्यौरा दिए बिना केवल परियोजना के घटक की एक मुश्त लागत को दर्शाती थी। वि.प.रि. जिला-वार शामिल किए जाने वाले क्षेत्र तथा लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत ब्यौरा प्रदान नहीं करती थी। वि.प.रि. भी विवरण प्रदान नहीं करती थी जिसमें मात्रा निर्धारित लक्ष्यों, पैदावार एंव परिणाम, मॉनीटरिंग तंत्र शामिल हैं। कार्यान्वयन अभिकरणों ने लाभार्थियों की पहचान तथा चयन हेतु किसी विशेष दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था तथा इस प्रकार लाभार्थियों की पहचान तथा चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी।
मेघालय	▪ एन.आई.आर.डी. ने रा.कृ.यो. पर अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में विभिन्न कमियों अर्थात् जि.कृ.यो को तैयार करने में ग्राम स्तरीय पणधारको की गैर-भागीदारी, किसी भी औपचारिक विश्लेषण का अभाव जिसमें कृषि-जलवायु परिस्थितियां, प्राकृतिक संसाधन, अवसरंचना, संस्थान, प्रौधोगिकियां, श्रम शक्ति नोडल अभिकरण अर्थात् मेघालय लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ के पास अप्रयुक्त पडी निधियों के गैर-उपयोग शामिल है, को सूचित किया।
नागालैण्ड	▪ यह पाया गया था कि संबंधित विभाग राज्य स्तर[1] पर संकलन हेतु राज्य स्तर पर शामिल नहीं थें इसके बावजूद सी.-जि.कृ.यो. को निर्धारित प्रारूप[2] के अनुसार तैयार नहीं किया गया था तथा अगले 10-15 वर्षों[3] के लिए एक जिले के विकास हेतु कोई दृष्टिकोण दस्तावेज/विवरणी शामिल नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सी.-जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. का नामित अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार (अ.आ.स.) द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था जबकि जून 2009 तथा जनवरी 2010 में मत्रांलय द्वारा निर्देश दिया गया था। सी.-जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. को तैयार करते समय अन्य केन्द्रीय तथा राज्य कार्यक्रमों के साथ कोई अभिसरण नहीं था तथा इसके पश्चात इसकी समीक्षा भी नहीं की गई थी।
ओडिशा	▪ 30 जिलों में से, 21 जिलों ने 2008-09 से 2011-12 हेतु जि.कृ.यो. प्रस्तुत की थी, जबकि नौ जिलों ने केवल 2008-09 हेतु जि.कृ.यो. प्रस्तुत की थी।

[1] सी-जि.कृ.यो. नियमपुस्तिका का पैरा 3.3(चरण-VIII)

[2] सी.-जि.कृ.यो. नियमपुस्तिका का अध्याय IV

[3] सी-जि.कृ.यो. नियमपुस्तिका का अध्याय II

राज्य का नाम	पाई गई कमियां
पंजाब	▪ कृषि विभाग ने दो वर्षो के विलम्ब के पश्चात सी.-रा.कृ.यो. तैयार (दिसंबर 2009) की थी।
राजस्थान	▪ सी-रा.कृ.यो. में जि.कृ.यो. को संघटित करते समय तीन जिलों (बूंदी, राजसांमद तथा जैसेलमेर) की जि.कृ.यो. उपलब्ध नहीं थीं। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (सितंबर 2013 कि जिला अधिकारियों को प्राशिक्षण प्रदान करने तथा अन्य विभागो के साथ समन्वय बनाने हेतु काफी अधिक समय लिया गया था। ▪ जिला स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार जिला-वार प्राथमिकताओं की उस जिले हेतु परियोजनाओं को प्रारम्भ करने से पहले जांच नहीं की गई थी। बड़ी परियोजनाओं जो कि निर्माण से सबंधित थी को छोडकर सभी परियोजनाओं कि वि.प.रि. अध्ययन रिपोर्ट सहित रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थीं।
सिक्किम	▪ रा.कृ.यो तथा जि.कृ.यो. की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अन्य मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के साथ रा.कृ.वि.यो. के अभिसरण की संभाव्यता की पहचान करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए थे। जिला स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थी। ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरों से योजना प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा मंत्रालय तथा राज्य सरकार के विकास योजना, आर्थिक सुधार तथा उत्तर पूर्वी परिषद मामला विभाग (वि.यो.आ.सु.उ.पु.प.मा.वि.) को जि.कृ.यो/रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण से सबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. मुख्यत: मत्रांलय से निधियां प्राप्त करने हेतु एक प्रक्रिया प्रतीत होती है।
तमिलनाडु	▪ योजनाओं को तैयार करने हेतु ब्लॉक/ग्राम स्तरीय प्रतिक्रिया को दर्शाने वाला कोई प्रमाण नहीं था। इसके अतिरिक्त, अन्य के.प्रा.यो./राज्य योजनाओं की योजना एंव कार्यो के अभिसरण को निधीयन के स्त्रोत सहित अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों पर ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो., में ध्यान में नहीं रखा जा सका था। परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थी हालांकि कार्यान्वयन विभागों के वि.अ./निदेशालयों द्वारा संस्वीकृति हेतु रा.स्त.मं.स. को जि.कृ.यो. प्रस्तुत की गईं थीं।
त्रिपूरा	▪ सभी योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय मामलों की वर्तमान स्थिति का आधारभूत डाटा तैयार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कृषीय क्षेत्र की जरूरतों तथा आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया जा सका था।
उत्तर प्रदेश	▪ अभिकरण जिन्हें जि.कृ.यो तैयार करने के कार्य का आवंटन किया गया था, ने योजना आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था क्योंकि किसी भी आधार स्तर (अर्थात् ग्राम, ब्लॉक तथा जिला) पर ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे तथा प्रत्येक जिले हेतु दृष्टिकोण दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए थे। जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. में मुख्य फसलों तथा अन्य पैदावार हेतु ब्लॉक-वार डाटा को शामिल नहीं किया गया था तथा पैदावार अतंरो की पहचान नहीं की गई थी। किसानों का आय विश्लेषण भी नहीं किया गया था। प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लाक के केवल 5 ग्रामों में इन ग्रामों का चयन करने हेतु बिना किसी मापदण्ड के अपर्याप्त आधार रेखा सर्वेक्षण किए गए थे। जि.कृ.यो. अन्य बातो के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं के साथ गैर-सघंटन के कारण जिलों के कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यकता का अनुमान लगाने में विफल थी। मौजूदा योजनाओं का सघंटन करके वित्त के स्त्रोतों को जि.कृ.यो. में शामिल नहीं किया गया

राज्य का नाम	पाई गई कमियां
	था। ▪ इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थी। नोडल तथा सम्बद्ध विभागो ने अपने स्वंय के स्तर पर परियोजनाएं तैयार की थीं जिन्हे रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप, निष्पादित परियोजनाएं जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. के प्रस्तावों के अनुसार नहीं थीं।
उत्तराखण्ड	▪ यह पाया गया था कि 13 जिलों में से केवल पांच जिलों[4] की जि.कृ.यो. में परियोजना-वार प्रस्ताव तैयार किए गए थे। चयनित जिलों में इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह प्रकट हुआ था कि जिला स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ तैयार नहीं की गई थीं। वर्ष 2008-09 एंव 2009-10 के दौरान जि.कृ.यो तथा सी.-रा.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थीं। ▪ 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान, रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत 65 परियोजनाओं में से 52 परियोजनाओं (जो 80 प्रतिशत बनती है) को स्वीकृत किया गया था जिसमें वि.प.रि. नहीं थी। इंगित किए जाने पर, नोडल विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि वि.प.रि. की सरकारी स्तर पर तकनीकी लेखापरीक्षा कक्ष द्वारा, जहां अपेक्षित थी, जांच की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक परियोजना की वि.प.रि. की रा.स्त.मं.स. को प्रस्तुतीकरण से पूर्व नोडल विभाग द्वारा संवीक्षा की जानी थी।
पश्चिम बगांल	▪ पांच चयनित जिलों में यह पाया गया था कि दो जिलों (उत्तर 24 परगना एंव पूर्वी मिदनापुर) की सी.-जि.कृ.यो. मई 2010 तथा दो जिलों (जलपाईगुड़ी एंव हुगली) की मई 2011 में तैयार की गई थी। एक जिले (दार्जिलिंग) की सी.-जि.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, सभी सी.- सी.-रा.कृ.यो. को तैयार करने में जि.कृ.यो. को शामिल नहीं किया गया था। सी.-रा.कृ.यो. ने सी.-जि.कृ.यो. को तैयार करने में विलम्ब के कारण दो वित्तीय वर्षों 2007-08 तथा 2008-09 की क्षति हुई। सी.-रा.कृ.यों. में अतंर एंव अतंरा विभाग कार्यक्रमों के अभिसरण के प्रति इसके प्रयासों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। क्षेत्रीय निधि आंवटन के आधार को रा.कृ.यो. में सुस्पष्ट नहीं किया गया था। ▪ इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाने वाली अपेक्षित परियोजनाओं की वार्षिक शैल्फ जिला प्राधिकरण द्वारा स्ट्रीम-1 के अंतर्गत रा.स्त.मं.स. को प्रस्तुत करने हेतु तैयार नहीं की गई थी। वार्षिक प्रस्तावों को रा.कृ.यो. पर विचार करते हुए निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से तैयार किया गया था।
नागालैण्ड तथा गोवा में, वी.ए.पी.यू. तथा बी.ए.पी.यू. गठित नहीं की गई थीं तथा मेघालय में बी.एं.पी.यू., डी.ए.पी.यू. तथा टी.एस.जी. का गठन नहीं किया गया था।	

[4] अलमोड़ा, देहरादून, रूद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर तथा उत्तरकाशी

अनुबंध--III

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

मंत्रालय को रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सी.रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण की प्रत्याशित तिथि	मंत्रालय को सी. रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण की तिथि	मंत्रालय को सी रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण में विलंब (माह में)
1.	आंध्र-प्रदेश	31.3.2008	21.05.2009	14
2.	अरूणाचल-प्रदेश	31.3.2008	05.05.2010	25
3.	असम	31.3.2008	17.05.2010	31
4.	बिहार	31.3.2008	25.10.2010	30
5.	छत्तीसगढ़	31.3.2008	29.05.2010	26
6.	गुजरात	31.3.2008	07.10.2010	30
7.	हरियाणा	31.3.2008	07.09.2009	17
8.	हिमाचल-प्रदेश	31.3.2008	02.03.2010	23
9.	कर्नाटक	31.3.2008	दिसम्बर 2009	20
10.	मध्य-प्रदेश	31.3.2008	21.09.2011	42
11.	महाराष्ट्र	31.3.2008	10.11.2010	31
12.	मेघालय	31.3.2008	मई 2010	26
13.	नागालैण्ड	31.3.2008	07.12.2009	20
14.	ओडिशा	31.3.2008	18.12.2010	33
15.	पंजाब	31.3.2008	दिसम्बर 2009	21
16.	राजस्थान	31.3.2008	10.05.2010	25
17.	तमिलनाडु	31.3.2008	15.10.2009	18
18.	त्रिपुरा	31.3.2008	फरवरी 2011	34
19.	उत्तराखण्ड	31.3.2008	30.06.2010	27
20.	पश्चिम बंगाल	31.3.2008	जून 2010	27

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब/तैयार न किए जाने के कारण

क्र.स.	राज्य का नाम	राज्य द्वारा दिए गए कारण
1.	**गोवा**	जि.कृ.यो. को तैयार करने से संबंधित कार्य हेतु बार-बार निविदा करने का परिणाम केवल सितम्बर 2012 में जाकर ही इसके प्रस्तुति में हुआ। इसका परिणाम दो वर्षों, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधियों के गैर आवंटन में हुआ।
2.	**हरियाणा**	जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को माह मार्च 2008 की अंतिम तिथि के प्रति केवल सितम्बर 2009 में जाकर ही मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। विलम्ब हेतु कारण मुख्यत: विश्वविद्यालय के साथ नोडल विभाग द्वारा मामले के गैर-अनुसरण के कारण हरियाणा कृषीय विश्वविद्यालय द्वारा समय पर जि.कृ.यो. को तैयार न करने के कारण थे।
3.	**जम्मू एंव कश्मीर**	राज्य द्वारा रा.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थी तथा वार्षिक कार्य योजनाओं को जि.कृ.यो. के अनुसार तैयार किया गया था। नोडल विभाग ने बताया कि विकास पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रारंभ किए गए थे।
4.	**केरल**	राज्य द्वारा रा.कृ.यो. तैयार नहीं की गई थी।
5.	**ओडिशा**	रा.कृ.यो. को जि.कृ.यो. की प्राप्ति से दो वर्षों के विलंब के पश्चात् केवल दिसंबर 2010 में जाकर प्रस्तुत किया गया था।
6.	**त्रिपुरा**	नोडल विभाग ने बताया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए रा.कृ.यो. को फरवरी 2011 में मंत्रालय को भेजा गया था, फिर भी यह इसके लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका था। इसके अतिरिक्त, एन.आई.आर.डी. द्वारा रा.कृ.यो. की कोई मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट नही थी जो रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण/स्वीकृति के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है।
7.	**उत्तर-प्रदेश**	रा.कृ.यो. को जि.कृ.यो. को अंतिम रूप देने से पूर्व ही जनवरी 2009 में तैयार किया गया था। फिर भी, मंत्रालय को रा.कृ.यो. प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसके बजाए मंत्रालय को मार्च 2010 में 71 जिलों के जि.कृ.यो. प्रस्तुत की गई थीं।

अनुबंध-V

(पैरा ग्राफ 3.4 के सदंर्भ में)

मंत्रालय द्वारा पाई गई कमियों के बावजूद रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
बिहार	2011-12	4.4.2011	किसान पाठशाला की स्थापना	6.4.2011	योजना को अन्य योजना (ए.टी.एम.ए.) के अतंर्गत शामिल किया गया	8.4.2011	रा.स्त्.मं.स. ने ₹ 43.48 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
पंजाब	2008-09	29.7.2008	₹3.00 करोड़ के कुल परिव्यय सहित मार्डन डेयरी प्रशिक्षण एंव विस्तार केन्द्र की स्थापना	4.8.2008	आई.डी.डी.वी. के अंतर्गत, किसानो के प्रशिक्षण एंव संसाधन इकाईयों हेतु सहायता प्रदान की गई है। इसलिए कार्यों/निधीयन की आवृति नहीं होनी चाहिए।	26.8.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹3.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	लूधियाना, रोपर एंव पटियाला जिलों में ₹3.07 करोड़ की कुल लागत के साथ गुणवत्ता एंव स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसरंचना का सुदृढ़िकरण तथा	-वही-	आई.डी.डी.पी, सी.एम.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एम.सी. की संस्थापना तथा किसानो के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की गई है। इसलिए, कार्यो की कोई आवृति नहीं होनी चाहिए।	26.8.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹7.06 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			₹3.99 करोड़ की कुल लागत से दुग्ध सयंत्र, मोहाली में राज्य स्तरीय दुग्ध एंव दुग्ध उत्पाद जांच प्रयोगशाला की स्थापना				
	2010-11	18.6.2010	सामुदाय यू.जी.पी. एस. परियोजनाओं के माध्यम से सतही एंव उप-सतही जल का सयुंक्त उपयोग	23.6.2010 (एन.आर.एम)	एस.एम.डी. ने सलाह दी कि चूकि परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की उनकी सीमा के अंतर्गत आती है इसलिए उनसे टिप्पणियां प्राप्त की जाए	24.6.2010	रा.स्त.म.स. ने ₹40.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
			सिट्रस सम्पंदा का विकास	23.6.2010 (बागवानी)	एन.एच.एम. के अतंर्गत निधियां अतीत में सिट्रस सम्पदा को प्रदान की गई है तथा गम्भीर शिकायतों की दृष्टि से प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है	24.06.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹10.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
			आलू की खेती के उन्नयन हेतु विपणन मध्यस्थता	23.6.2010	चूंकि ए.पी.ई.डी.ए. निर्यात आर्थिक सहायता प्रदान करता है इसलिए एक ही उदेश्य हेतु रा.कृ.वि.यो. से आर्थिक सहायता केवल आवृत्ति है तथा इससे बचा जाए।	24.6.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹1.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
	2012-13	14.9.2011	मृदा जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु	5.10.2012 (रा.कृ.वि.यो. कक्ष)	राज्य को मृदा नमूना विश्लेषण क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक रूप से दोहरे प्लासमा स्पेक्ट्रोमीटर सहित मृदा जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ करने की सलाह दी गई है।	12.11.2012	रा.स्त.मं.स. ने ₹1.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	राज्य के गैर-एन.एफ.एस.एम. जिलों में प्रमाणित गेहूं बीज की वापसी	-वही-	राज्य को गेहूं बीज वापसी हेतु पहले ही एन.एफ.एस.एम. हेतु ₹15 करोड़ तथा एम.एम.ए. के अतंर्गत ₹5 करोड़ प्रदान किए गए है। प्रस्तावित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा प्रमाणित बीज की उपलब्धता को, अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने से पहले, सुनिश्चित किया जाए।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹5.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	प्रदर्शन दौरे के माध्यम से कृषि में नवीनतम प्रौघोगिकी का विकास	20.9.2012	ए.टी.एम.ए. योजना(टी) के अतंर्गत एक ही उद्देश्य हेतु पहले प्रदत निधियों का अनुपयोग	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹50 लाख की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया। मत्रांलय ने शर्तो का अनुपालन

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
							न किए जाने तक निधियां (जनवरी 2013) जारी करने से इकार किया।
		-वही-	पजांब में नाशपती की खेती को बढ़ावा	21.9.2012	अनुदाने मुख्यत: कार्पस निधि हेतु है तथा आवर्ती व्यय हेतु अनुदान नहीं है।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹2.00 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया। मंत्रालय ने शर्तो का अनुपालन न किए जाने तक निधियां (जनवरी 2013) जारी करने से इंकार किया।
		-वही-	पजांब में लीची की खेती को बढ़ावा	-वही-	उपर्युक्त जैसा जमा प्रत्येक फसल, जो वाछंनीय नहीं है, हेतु एक समिति की स्थापना	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹2.00 करोड़ की स्वीकृत राशी सहित योजना को स्वीकृत किया। मत्रांलय ने शर्तों की अनुपालना न किए जाने तक

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
							निधियों को (जनवरी 2013) जारी करने से इकांर किया।
			उत्पादकता सुधार तथा नीति विवधा हेतु उपग्रह रिमोट सेंसिग तथा जी.आई.एस. आधारित कृषि सूचना विज्ञान	20.9.2012	अपूर्ण परियोजना तथा पजांब रिमोट सेसिंग सेटंर (पी.आर.एस.सी.) द्वारा पूर्व की परियोजना के लाभ को भी स्पष्ट रूप से बताए जाने की आवश्यकता है।	12.11.2012	रा.स्त.मं.स. ने ₹0.50 करोड़ की स्वीकृत राशि सहित योजना को स्वीकृत किया। मत्रांलय ने शर्तों का अनुपालन न किए जाने तक निधियों को (जनवरी 2013) जारी करने से इकांर किया।
			सिट्रर्स खेती के माध्यम से कृषि की विविधता को बढ़ावा	21.9.2012	निधियों के निर्गम से पूर्व पंजाब (सी.ए.जे.पी.) में 2009-10 से एगरी-जूसिंग हेतु परिषद द्वारा किए गए निवेशों के परिणामों पर महत्वपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता थी।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹2.00 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ योजना को स्वीकृत किया।
			शून्य अर्जन सेलाईन प्रभावित जल भराव क्षेत्र का विकास	5.10.2012 (रा.कृ.वि.यो	सत प्रतिशत वित्तीय सहायता का समर्थन नहीं किया जा सकता तथा	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 5.84 करोड़ की स्वीकृत

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
				प्रकोष्ट)	किसानो की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु योजना को सुधारना चाहिए।		लागत के साथ योजना को स्वीकृत किया।
मध्य प्रदेश	2008-09	13.6.2008/ 15.7.2008	बीज उत्पादन कार्यक्रम-प्रमाणित	18.7.2008	पहले से ही आई.एस.ओ.पी.यो.एम. तथा दीर्घ-प्रबंधन के अतंर्गत शामिल है। बीज घटक का उपयोग काफी कम है तथा बीज वापसी दर तथा फसल उत्पादकता बढ़ नही रही है। इसलिए समर्थन नहीं किया गया।	18.7.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 4.00 के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना को स्वीकृत किया।
			बीज संवितरण-प्रमाणित बीज	-वही-	-वही-	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 10.00 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना को स्वीकृत किया।
			प्रमाणित हाईब्रिड बीज का संवितरण	-वही-	-वही-	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 1.70 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना को स्वीकृत किया।
			बीज उपचार	-वही-	-वही-	18.7.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹5.00 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
							को स्वीकृत किया।
	2009-10	2.7.2009	रिसन टैंकियो का निर्माण	7.7.2009	राज्य पहले ही काफी लम्बी अवधि से ए.एम.ए. की नई मध्यस्था के अतंर्गत इस कार्यक्रम को चला रहा है। रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत इसी कार्यक्रम को प्रारम्भ करना आवृती का कारण बन सकता है।	9.7.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹10.00 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	टयूब वेलो के माध्यम से भूमि जल का अन्वेषण	7.7.2009	एस.एम.डी. ने सुझाव दिया कि चूंकि परियोजना जल ससांधन मत्रांलय की अपनी सीमा के अतंर्गत आती है इसलिए उनसे टिप्पणियां प्राप्त की जाए।	9.7.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 4.80 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय सहित योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	बीज संवितरण कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहायता सरंचना	3.7.2009	आर्थिक सहायता सी.एस.एस. कार्यक्रम के अधीन बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध है। इसलिए समर्थन नहीं किया गया।	9.7.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 6.00 करोड़ के कुल परिव्यय सहित इस शर्त के साथ कि 50% आर्थिक सहायता अनुमत होगी 'बीज उत्पादन एंव आर्थिक
		-वही-	₹2000 प्रति क्वींटल अथवा 50% जो भी कम हो की दर पर हाईब्रिड बीजो की खरीद		हाईब्रिड धान के बीजो के उत्पादन/संवितरण हेतु सहायता अनुदान के.प्रा.यो. 'गुणवता बीजों के		

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
					उत्पादन तथा संवितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण' के अतंर्गत उपलब्ध है। इसलिए समर्थन नहीं किया गया।		सहायता का संवितरण तथा हाईब्रिड एंव प्रजनक बीजों की खरीद के प्रावधान' पूर्ण योजना को स्वीकृत किया।
		-वही-	बीज एंव पौध सामग्री उत्पादन हेतु पौध व्यिशु संवर्धन सुविधा का विकास		बीज एंव वृक्षारोपण सामग्री हेतु पौध व्यिशु संर्वधन सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा संवितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण' के अतंर्गत उपलब्ध है। इसलिए समर्थन नहीं किया गया।	9.7.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹12 लाख के परिव्यय सहित परियोजना को स्वीकृत किया तथा नवीकरण, या.भ. एंव संविदात्मक सेवाओं के तत्व अनुमत नहीं थे।
		2.7.2009	म.प्र. राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण द्वारा बीज जांच प्रयोगशाला की स्थापना		इस उदेश्य हेतु सहायता अनुदान के.प्रा.यो. कार्यक्रम 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा संवितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण' के अतंर्गत उपलब्ध है। इसलिए समर्थन नहीं किया गया।	20.1.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 2.70 करोड़ प्रस्तावित परिव्यय सहित यह बताते हुए कि यह दो प्रयोगशालाओं हेतु एक चल रही योजना है,

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
							योजना को स्वीकृत किया।
हिमाचल प्रदेश	2012-13	5.7.2012	एकीकृत कीट, रोग एंव पोषण प्रबंधन प्रौघोगिकी का हिमाचल प्रदेश के मध्य हिलों में वनस्पतियों तथा फलों को स्थानातंरण	-उ.नहीं	चूंकि मंत्रालय 2012-13 के दौरान आई.पी.एम. के प्रोत्साहन पर से ही सहायता प्रदान कर रहा है इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार करने से आवृति होगी तथा इसलिए प्रस्ताव की सिफारिश न की जाएं।	17.7.2012	रा.स्त.मं.स. ने किसी भी कारण को दर्ज किए ₹10 लाख की परियोजना को स्वीकृत किया।
		3.7.2012	बराला, शिमला जिले में आधुनिक फल एंव वनस्पति बाजार की स्थापना	12.7.2012	हि.प्र. सरकार से योजना के अतंर्गत प्राप्त प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।	17.7.2012	रा.स्त.मं.स. ने ₹3.00 करोड़ के प्रस्ताव को यह बताते हुए स्वीकृत किया कि कृषीय उत्पाद विपणन बोर्ड को अपेक्षित विवरण भारत सरकार को भेजने होगें।
उत्तर प्रदेश	2010-11	-उ.न.-	उ.प्र. में वनस्पति उत्पादन को बढ़ाने हेतु साझेदारी वनस्पति गुणवत्ता बीज उत्पादन	28.4.2010	समर्थन नही किया गया	29.4.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 35 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
		-उ.न.-	प्रवर्तित दृस्टिकोण के अतंर्गत बीज प्रयोगशाला की स्थापना	28.4.2010	समर्थन नही किया गया। राज्य सरकार को गुणवत्ता बीजो के उत्पादन एंव संवितरण हेतु बीज अवसरंचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण योजना के अतंर्गत बीज प्रभाग को अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए था।	29.4.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹0.79 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		19.4.2010	पोल्ट्री प्रस्ताव	28.4.2010	पोल्ट्री इकाई पशुपालन विभाग तथा कृषि विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार के परियोजना प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है क्योंकि भारत सरकार उत्तरप्रदेश राज्य में पोल्ट्री फर्मो तथा ग्रामीण पिछडी पोल्ट्री विकास हेतु सहायता की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यन्वित कर रही है तथा इस प्रकार कथित प्रस्ताव इन योजनाओं की आवृति हैं।	29.4.2010	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 0.79 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
ओडिशा	2009-10	5.10.2009	100 नए जल शैडो का विकास	8.10.2009	आर.एफ.एस. प्रभाग बताता है कि रा.कृ.वि.यो. के अतर्गत नए जल शैडो	8.10.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 10.25 करोड़ के प्रस्ताव को

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
					को प्रारम्भ करना उचित नहीं है तथा इसकी बजाए राज्य सरकारो को रा.कृ.वि.यो. से अतिरिक्त निधियां प्रदान करके चालू एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. जल शैडो के समापन पर ध्यान देना चाहिए।		स्वीकृत किया।
		7.10.2009	1 गैर-एन.एच.एम. जिलों में माडल-नर्सरी की स्थापना, 2 इकमराखनन फार्म का विकास, 3 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना, 4 वर्मी हेचरी यूनिट की स्थापना, 5 निम्न लागत ब्याज भण्डारण सरंचना का निर्माण	7.10.2009	अधिकांश कार्यक्रम एन.एच.एम. के अतंर्गत शामिल है इसलिए आवृति से बचने की आवश्यकता है। चूकि प्रस्ताव विवरणों को दर्शाए बिना अपूर्ण हैं इसलिए ऐसी परियोजनाओं पर टिप्पणी करना कठिन है।	8.10.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹5.96 करोड़ सभी छ प्रस्तावों को स्वीकृत किया।
			1. बीज जांच प्रयोगशाला, बारचना का निर्माण, 2. बीज जांच प्रयोगशाला,	6.10.2009	समर्थन नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2009-10 के दौरान घटक "बीज पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन"	16.10.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 6.34 करोड़ के सभी प्रस्तावो को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			भवानीपटना का निर्माण 3. बीज प्रमाण कार्यालय का निर्माण (बारीपाड़ा, बहरामपूर, बोलंगिर तथा जेपोर में) 4. बीज भण्डारण गौदाम (कोंझार, मयूर भंज, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपूर, रायगढ़ तथा सुदंरगढ़ में) 5. कृषीय फार्मो का नवीकरण		हेतु भौतिक प्रगति तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।		
राजस्थान	2009-10	6.4.2009	बांसवारा तथा उदयपूर के जनजातीय जिलों मे मक्का फसलों पर हाईब्रिड बीजों को बढ़ावा मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड (परियोजना स्वर्ण किरणे राजस्थान 2009)	25.6.2009	प्रमाणित बीजो के संवितरण पर सहायता केवल अधिसूचित किस्मों/हाईब्रिडो हेतु आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. के अतर्गत प्रदान की गई है। रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित परियोजना के अधीन कोई महत्वपूर्ण खूबी प्रकट नहीं होती है।	24.6.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹1.46 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
	2010-11	27.4.2010	1. लघू सिंचाई 2.शोधन पर सोझेदारी कार्य	6.5.2010	एस.एम.डी. ने सुझाव दिया कि परियोजना जल ससांधन मत्रांलय के	20.5.2010	रा.स्त.मं.स. ने 70.00 करोड़ के प्रस्ताव को

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
		4.10.2010	अनुसंधान तथा दक्षिणी राजस्थान में उत्पादन को बढ़ाने हेतु नाडी आधारित प्रौधोगिकी का सुधार 3 पश्चिमी राजस्थान में जल उत्पादकता को बढ़ाना	7.10.2010	अपने क्षेत्र के अधीन आती है इसलिए उनसे टिप्पणियां प्राप्त की जाए। योजना घटको के प्रत्याशित परिणाम तथा ब्यौरे में कोई सबंध नहीं है। इसकी दृष्टि से, एन.आर.एम. इसका समर्थन नहीं करता है। इस कार्यक्रम के अतर्गत गेहूं, चिक पीआ, मुगंफली तथा पर्ल मिलेट हेतु ड्रिप सिचांई तथा फर्टगेशन प्रौघोगिकी के विकास का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि गेहूँ आदि में ड्रिप प्रणाली का उपयोग काफी महंगा कार्य है इसलिए एसी फसलो हेतु इसका उपयोग अनुशंसनीय नही है। इसलिए एन.आर.एम. प्रभाग इसका समर्थन नहीं करता है।	12.10.2010	स्वीकृत किया। रा.स्त.मं.स. ने ₹ 0.50 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। रा.स्त.मं.स.ने ₹ 0.92 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
	2011-12	25.3.11	1. रा.कृ.प्र.सं. (राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान) में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 200.00 लाख	4.4.2011 1.4.2011	ए.टी.एम.ए. योजना, विस्तार कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण का प्रावधान करती है, तथा इस संबध में सहायता	4.4.2011	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 2.00 करोड़ हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			2. इको-फ्रेन्डली पिजयिन पीआ किस्मो को आरम्भ करने के माध्यम से राजस्थान के संसाधन खाघ किसानों की अजीविका को बढाना 3. राजस्थान हेतु उपर्युक्त हाईब्रिड पिजियन पीआ प्रौघोगिकी का विकास	1.4.2011	औसत 1.50 लाख/ब्लाक की दर पर कैफेटेरिया शीर्ष ए.2 के अंतर्गत उपलब्ध है। बीज प्रभाग- यह आई.सी.ए.आर. से सबंधित है। इसलिए रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत समर्थन नही किया गया। बीज प्रभाग- यह आई.सी.ए.आर. से सबंधित है इसलिए रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत समर्थन नहीं किया गया।		रा.स्त.मं.स. ने ₹4.90 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। रा.स्त.मं.स. ने ₹ 0.98 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
तमिलनाडु	2008-09	8.9.2008	1 जैव खेती तथा जैव खाद उत्पादन को प्रोत्साहन। 2 नई जैव-उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना 3 कृषि क्लीनिक सह लघु मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।	18.9.2008	परियोजनाओं को राष्ट्रीय जैव खेती केन्द्र द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है तथा उनसे टिप्पणीयां प्राप्त की जाए। लघु क्लीनिक की स्थापना के सबंध में घटक पहले ही योजना "उर्वरक का संतुलित तथा एकीकृत उपयोग" तथा एक नई के.प्रा.यो. "राष्ट्रीय मृदा उपज तथा उर्वरता प्रबंधन परियोजना" के अतर्गत शामिल है।	23.9.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 22.40 करोड़ की सभी 3 परियोजनाओं को स्वीकृत किया।
	2011-12	22.6.2011	इरी/एनीकट का सुधार कार्य	28.6.2011	एस.एम.डी. ने सूझाव दिया कि चूंकि	1.7.2011	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 5.75

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
					परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की अपनी सीमा के अतंर्गत आती है इसलिए उनसे टिप्पणियां प्राप्त की जाए।		करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		22.6.2011	प्रदर्शन के माध्यम से लाल चना खेती की वृद्धि	4.7.2011	लाल चना पर सभी मदें/कार्यक्रम पहले ही एन.एफ.एस.एम/ए. 3 पी. के अतंर्गत शामिल हैं। अधिक प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। राज्य रा.कृ.वि.यो. के स्थान पर राज्य योजनाओ से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता था।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 5.24 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		22.6.2011	दालो हेतु डी.ए.पी. 2% का पर्णीय छिड़काव करना	4.7.2011	चावल/दालों हेतु जिंक तथा डी.ए.पी. स्प्रै एन.एफ.एस.एम./ दीर्घ प्रबंधन के अतर्गत उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऐसे प्रस्तावों हेतु सहायता प्रदान करना आवृति होगी जब तक कि राज्य अन्य प्रयासों के सम्पूरण को नहीं दर्शाता है।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने 6.25 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		22.6.2011	जिलों में श्रीरंगम एंव	13.7.2011	ये प्रस्ताव, योजना के दिशानिर्देशों के	1.7.2011	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 30.39

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			गोबिचेतीपलयम तथा विभिन्न जिलो में बाजार परिसर, शीत भण्डारण, की स्थापना से सबंधित विपणन अवसरंचना, नियंत्रित बाजारो का कम्प्यूरीकरण, प्रसार तथा कृषीय बाजार आसूचना की पहुंच को बढ़ाने के नौ परियोजना प्रस्ताव।		अनुसार आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य विपणन अवसंरचना के विभिन्न घटक के विकास हेतु एम.आर.आई.एन. योजना, ग्रामीण गोदाम, एन.एच.एम, दीर्घ प्रबंधन योजना के अतंर्गत भी सहायता प्राप्त कर रहा है।		करोड़ के सभी नौ प्रस्तावों को स्वीकृत किया।
	2012-13	10.4.2012	पशुरोग महाविघालय एंव अनुसधांन संस्थान, नामाकल में फ्रोजन सिमेन बैंक की स्थापना	20.4.2012	इकाई ने कार्य का समर्थन नही किया क्योंकि सिमेन स्टेशनों की बड़ी संख्या राज्य में विघमान है तथा विश्वविघालयों हेतु गुणवत्ता सिमेन स्ट्रास की आपूर्ति करना भी संभव नहीं है।	24.4.2012	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 2.29 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		-वहीं-	न्यूक्लीयस जर्सी क्रॉसब्रिड बुल्स की स्थापना	20.4.2012	इकाई ने कार्य का समर्थन नहीं किया क्योंकि राज्य की एन.डी.पी. के अंतर्गत जर्सी क्रॉसब्रिड मवेशी हेतु संतान जांच कार्यक्रम के कार्यान्वयन	-वही-	रा.स्त.मं.स. में ₹ 2.30 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
					हेतु पहचान की गई है।		
		-वहीं -	महानगरीय शहर के पोषक क्षेत्रो में उघानी फसलो की विविधता के माध्यम से कृषीय उत्पादकता तथा लाभदायकता का सुधार	19.4.2012	बागवानी प्रभाग-यह मूल रूप से अड एंव वि. परियोजना है जिसे विभाग के स्थान पर एक व्यवसायिक अभिकरण द्वारा प्रारम्भ किया जाना चाहिए।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 3.68 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		-वहीं-	बागवानी विभाग का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	19.4.2012	बागवानी विभाग-एन.एच.एम. वैब समर्थित प्रगति मानीटरिंग तथा 'होर्टनेट', एक वैब समर्थित एम.आई.एस. एन.एच.एम. योजना के कार्य प्रवाह आधारित विश्लेषण, स्वीकृति तथा मानीटरिंग हेतु पहले ही प्रदान किया गया है। इसलिए शाफ्टवेयर का प्रापण केवल एन.आई.सी. के साथ परामर्श से किया जाना चाहिए।	-वही-	रा.स्त.मं.स. ने ₹2.00 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		10.4.2012	धानिया की बीज में फसल उगाकर हीईब्रिड कद्दू वनस्पति फसलों के लाभ को बढाने हेतु	19.4.2012	चयनित फसल प्रदर्शन हेतु आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।	24.4.2012	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 15 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृत किया

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			किसानो का भागीदारी दृष्टिकोण				
त्रिपुरा	2008-09	18.8.08	मौजूदा पिकअप वियरों को नया रूप देना तथा उनका नवीकरण	19.8.2008	एस.एम.डी. ने सुझाव दिया कि चूंकि परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय के अपने क्षेत्र के अतंर्गत आती है इसलिए उनसे टिप्पणियां प्राप्त की जाए।	22.8.2008	रा.स्त.मं. स. ने ₹ 90 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		18.8.08	पोल्ट्री/डाक्री हेतु डी-वार्मिंग तथा टीकाकरण कार्यक्रम/कैम्प	20.8.2008	प्रस्ताव को केन्द्रिय प्रायोजित योजना नामत: 'पशु रोगो के नियत्रण हेतु राज्यों को सहायता के अतर्गत देखरेख की जा रही है इसलिए कार्यो की आवृति है।.	22.8.2008	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 50 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
	2009-10	25.8.09	अरूनघुतीनगर, अगरतला में कृषीय अनुसंधान अवसरंचना विकास	31.8.2009	योजना " विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता" राज्य के 4 जिलो में कार्यान्वयन के अधीन है राज्य को रा.कृ.वि.यो. के अतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले ए.टी.एम.ए. कार्यक्रम के अतंर्गत निधियों का उपयोग करने तथा व्यय करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।	17.9.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 3.25 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		-वही-	खुमूलूंग में एकीकृत ज्ञान प्रसार केन्द्र की स्थापना	31.8.2009		17.9.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 1.75 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
		-वहीं-	कमजोर वर्गों के सहायक आय के अवसर उत्पन्न करने हेतु	31.8.2009		17.9.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 10 लाख के प्रस्ताव को

राज्य का नाम	वर्ष	एस.एम.डी. को रा.स्त.मं.स. कार्यसूची टिप्पणियों के वितरण की तिथि	प्रस्ताव के विवरण	संबधित एस.एम.डी. के उत्तर की तिथि	एस.एम.डी. की अभ्युक्तियां	रा.स्त.मं.स. की बैठक की तिथि	योजना को स्वीकृत करने में रा.स्त.मं.स. में अभ्युक्तियां
			दक्षिण त्रिपूरा की विभिन्न कृषि परिस्थितिक परिस्थिति मे वासभूमि खेती				स्वीकृत किया।
		-वही-	दो थोक एकत्रण बाजारों की स्थापना	2.9.2009	वि.प.रि. का अभाव तथा अन्य कमियां 1 राज्य दीर्घ प्रबंधन योजना के अतंर्गत विपणन अवसरंचना के विकास तथा प्रस्तावित क्षेत्र में बाजारो हेतु उत्तर पूर्वी राज्य में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौघोगिकी मिशन के लिए नियमित रूप से सहायता प्राप्त कर रहा है। इसलिए यह सत्यापित किया जाए कि अनुदान के निर्गम में कोई आवृति न हो।	17.9.2009	रा.स्त.मं.स. ने ₹ 5.00 करोड़ के प्रस्वाव को स्वीकृत किया।

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

कृषि एवं संबंध क्षेत्रें से सीधा संबंध न रखने वाली स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण

राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का विवरण	रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत एवं जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)
असम	2012-13	फार्म परिसर में पशु अपशिष्ट प्रबंधन, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविघालय, खानपुरा, गुवाहटी तथा नैदानिक पशुचिकित्सा शिक्षण परिसर में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का सृजन	21.8.2012	1.50
		प्रशासनिक इमारत, कक्षाओं, छात्रावासों, भोजनालय हेतु फर्नीचर तथा भोजनालय हेतु भोजनालय उपकरण और क्षेत्रीय पशु उघमिता प्रबंधन संस्थान, असम की लॉन्ड्री।	21.8.2012	2.00
राजस्थान	2007-08	सार्वजनिक निजी सहभागिता (सा.नि.स.) मोड में फिश सीड उत्पादन इकाई की स्थापना	मार्च 2008	3.00
	2008-09	खजूर ताड़ टिशू कल्चर प्रयोगशाला एंव नर्सरी (सा.नि.स मॉडल)	18.8.2008	17.53
	2009-10	राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में सशक्तिकरण एंव अवसंरचना का आधुनिकीकरण	24.6.2009	25.00
	2010-11	सिंचाई प्रंबधन एंव प्रशिक्षण संस्थान, कोटा की अवसरंचना का सशक्तिकरण	20.5.2010	1.88
		यूनियारा (टॉक) में कृषि के नए महाविघालय का सशक्तिकरण।	20.5.2010	4.00
तमिलनाडु	2012-13	तमिलनाडु में पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए शहरी वानिकी मॉडल का डिजाइन एंव विकास	24.4.2012	1.69
उतराखंड	2008-09	उतराखंड में दूध ग्रिड का सशक्तिकरण दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के लिए आवृति निधि का सृजन	15.1.2009	6.00
	2008-09	जापानी बटेर को बढावा देकर ग्रामीण आजीविका का सृजन-आवृती/कॉर्पस निधि का सृजन	9.2.2009	2.00
		कुल		**64.60**

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ)

रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत अस्वीकार्य मदों के विवरण

राज्य का नाम	अस्वीकार्य मदों पर किए गए व्यय के विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
असम	➢ निदेशक कृषि ने पठारीघाट में प्रशिक्षण हाल के निर्माण हेतु भूमि के प्रापण के लिए 08 मार्च 2013 को जिलाधीश को रा.कृ.वि.यो. निधि में से ₹20.13 लाख जारी किए। ➢ निदेशक पशुपालन एवं पशु-चिकित्सा विभाग ने 2008-09 के दौरान परियोजना चारा विकास" के अंतर्गत पांच ट्रेक्टरों के प्रापण के लिए ₹25.00 लाख का व्यय किया।	0.45
केरल	➢ केरल कृषि उद्योग निगम ने ₹33.77 लाख की लागत पर चार बहु-उपयोगी वाहनों की खरीद की। . ➢ निगम ने ₹21.77 लाख की लागत पर चार वाहनों तथा एक उत्खनक-सह-भारक की भी खरीद की। ➢ ₹25 लाख का व्यय पुनालुर में अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं के निर्माण तथा मौजूदा ईमारत के नवीकरण पर किया गया था। ➢ केरल कृषि विश्वविद्यालय ने ₹1.22 करोड़ की लागत पर विभिन्न वाहनों की खरीद की थी। ➢ सहायक कार्यकारी अभियंता (कृषि) के कार्यालय भवन वायनाड के प्रथम तल का निर्माण 2008-09 के दौरान ₹15 लाख की लागत पर किया गया था।	2.18
मध्य प्रदेश	➢ ₹3.37 करोड़ का उपयोग रा.कृ.वि.यो. नोडल विभाग द्वारा परियोजना 'राज्य स्तरीय मानीटरिंग इकाई' के अंतर्गत कार्यालय के फर्नीचर की खरीद सहित नवीकरण तथा आंतरिक साज सज्जा पर किया था। ➢ परियोजना 'राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एस.आई.ए.ई.टी.) को सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत ₹6.18 करोड़ (मार्च 2013 तक) के कुल व्यय में से ₹4.06 करोड़ का व्यय सीमा दीवार के निर्माण, भू-दृश्य निर्माण, बागवानी कार्यों, स्टाफ मकानों, सीमेंट कंकरीट सड़कों तथा प्रयोगशाला एवं प्रशासनिक भवन के साज-समान सहित आंतरिक साज-सज्जा पर किया गया था। ➢ जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान परियोजना 'अवसंरचना सुविधाओं का अनुसंधान एवं विकास' हेतु ₹6.33 करोड़ की आवंटित राशि में से ₹1.12 करोड़ की राशि का व्यय सीमा दीवार के निर्माण पर किया गया था।	8.75

राज्य का नाम	अस्वीकार्य मदों पर किए गए व्यय के विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
	➢ मंदसौर के मवेशी प्रजनन फार्म में चारागाह विकास मृदा के समतलन एवं उर्वरता को सुधारने आदि की भूमि विकास निधि में से ₹10 लाख का व्यय सड़कों के निर्माण पर किया गया था। ➢ शिवपुरी के मवेशी प्रजनन फार्म में ऊपरी टंकी तथा डगवैल के निर्माण की निधि में से ₹10 लाख का व्यय सड़क तथा सीमा दीवार के निर्माण पर किया गया था।	
राजस्थान	➢ यह पाया गया था कि ₹68 लाख[1] का भूमि के अधिग्रहण तथा ₹37 लाख का सात ट्रेक्टरों एवं एक मोटर वैन की खरीद हेतु उपयोग किया गया था। सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि आवश्यकता तथा प्रबल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निधि का उपयोग रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के पश्चात किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध था।	1.05
	योग	**12.43**

[1] हिंडोन शहर (करौली जिला) में अप्रैल 2009 में शीत सयंत्र के निर्माण के लिए ₹35 लाख (भूमि हेतु ₹20 लाख तथा सीमा दीवार हेतु ₹15 लाख) और जैसलमेर में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु भूमि की खरीद के लिए ₹33 लाख (2009-12 के दैरान)।

अनुबंध-VIII

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

कार्यसूची में अवर्णीत परियोजनाओं की अनियमित स्वीकृति

राज्यवार एंव सेक्टर-वार परियोजनाओं के नाम		लागत (₹करोड़ में)
कर्नाटक **(2009-10)**		
बागवानी		
1)	कर्नाटक में अनार में जीवाण्वीय अंगमारी रोग के नियंत्रण के लिए जी एम पी	12.00
2)	खाघोत्तर प्रबंधन एंव बागवानी उत्पाद के लिए प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1.00
कृषि विपणन		
3)	क्षमाराजा नगर में हल्दी व्यापार मार्केट की स्थापना	1.00
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर		
4)	हैदराबाद कर्नाटक के विभिन्न कृषि पर्यावरण प्रणाली के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली माड्यूल की स्थापना	4.00
		2.70
उत्तर प्रदेश **(2011-12)**		
कृषि		
6)	जीरो बजट प्रणाली द्वारा प्राकृतिक जुताई	0.27
7)	राज्य के संपूर्ण गाँवो का क्रेडिट कार्ड द्वारा संतृप्तीकरण	13.07
8)	कानपुर जिले में ग्राम-वार/किसान-वार उर्वरक मानचित्रण	0.06
9)	उत्तर प्रदेश में अन्न उत्पादकता में वृद्धि	33.01
एन.डी. कृषि एंव प्रौधौगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद		
10)	डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन एण्ड नेटवर्किंग की स्थापना	0.70
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		
11)	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पी पी पी मोड के अन्तर्गत उत्पादन संवर्द्धन कार्यक्रम के लिए कृषक भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम	6.31
उत्तरप्रदेश **(2012-13)**		
कृषि		
12)	ड्रम बुवाई मशीन के जरिए धान की प्रत्यक्ष बुवाई	0.21
पश्चिम बंगाल **(2012-13)**		
पशु संसाधन विकास विभाग		
13)	बिशास गो-सम्पद बिकास आभिजान	9.16
14)	एस पी एफ की आधारभूत सुविधाओं एंव जैव सुरक्षा मापों के जरिए अण्डा एंव मांस उत्पादन की वृद्धि, मोहित नगर (जलपाईगुडी) पुरूलिया और डी बी एफ, एस एल एफ, कल्याणी (नादिया)	1.00
	कुल	**84.49**

अनुबंध-IX

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

रा.कृ.वि.यो. की योजना प्रक्रिया में अन्य कमियों के विवरण

क्र. स.	राज्य का नाम	कमियों की प्रकृति
1.	**केरल**	रा.स्त.मं.स. द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं की वि.प.रि. वास्तविक नहीं थी जो स्थायी परिसंपत्तियों के व्यर्थ होने अथवा खातों में व्यर्थ पड़ी निधियों के माध्यम से अपूर्ण परियोजनाओं अथवा व्यर्थ परियोजनाओं पर रा.कृ.वि.यो. निधियों के व्यर्थ होने तथा लाभार्थियों को अपर्याप्त सहायता का कारण बनी: ➢ नवम्बर 2008 के दौरान ग्लूकोसेमाईन परियोजना हेतु संस्वीकृत ₹3.66 करोड़ (रा.कृ.वि.यो. में से ₹2.39 करोड़) में से ₹1.25 करोड़ की राशि को मशनीरी की खरीद के लिए 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान जारी किया गया था। राशि भवन निर्माण कार्य के गैर-समापन के कारण कार्यान्वयन अभिकरण के पास अव्ययित पड़ी थी। ➢ केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी, त्रिशूर में 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹8.21 करोड़ की राशि की संस्वीकृत 13 परियोजनाओं को इन परियोजनाओं को गत वर्षों की चालू परियोजनाएं होने के कारण अभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। इनके कार्यान्वयन को गत वर्षों की परियोजनओं हेतु संस्वीकृत राशि का उपयोग करने के पश्चात ही सम्पन्न किया जा सकता था।
2.	**राजस्थान**	रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 7.1.1 प्रावधान करता है कि एक अच्छी परियोजना के आवश्यक संघटकों पर उचित प्रकार से विचार किया गया है तथा शामिल किया गया है अर्थात् सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन अभिकरणों की सम्पन्नताएं, प्रत्याशित लाभ जो किसानों को प्रदान किए जाएंगे, कार्यान्वयन हेतु निश्चित समय-सीमाएं आदि। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि रा.स्त.मं.स. ने एक गै.स.सं. (श्री मरूधर बागवानी कृषि उत्पादन विकास समिति, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ₹6.34 करोड़ की लागत पर फसल प्रदर्शन, किसानों का प्रशिक्षण तथा उच्च् तकनीकी कृषि हेतु सहायता जैसे कार्यों की एक परियोजना को

क्र. स.	राज्य का नाम	कमियों की प्रकृति
		गै.स.सं. की वित्तीय स्थिति तथा विशेषज्ञता का पता लगाए बिना संस्वीकृत किया (अप्रैल 2011)। इसके अतिरिक्त गै.स.सं. के चयन हेतु प्रतियोगितात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि गै.स.सं. का चयन जिलाधीश, जोधपुर तथा उप-निदेशक, कृषि (विस्तार) जोधपुर के सुझाव (मार्च 2011) पर आधारित था। गै.स.सं. की सम्पन्नता के गैर-निर्धारण के कारण परियोजना को ₹41.25 लाख के निर्गम (जुलाई 2011) के पश्चात भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2011) कि कथित गै.स.सं. द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय कृषि विभाग के उच्च स्तर पर लिया गया था तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोग प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा कार्य को रद्द करने हेतु कार्रवाई को जिले से रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात प्रारम्भ किया जाएगा।

अनबंध-X

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

गैर-अभिसरण/समन्वय के राज्यवार उदाहरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
सूक्ष्म/लघु सिंचाई (आई.आर.आर.आई.)			
1.	असम	सिचांई	निदेशक, छार क्षेत्र विकास, निदेशक, कृषि तथा निदेशक, समतल जनजातियों एंव पिछड़ा वर्ग का विकास द्वारा कार्यान्वित कुछ अन्य योजनाओं नामत: अल्पसंख्यक विकास, एन.एफ.एस.एम., जनजातिय उप योजना आदि के कार्यान्वयन में पम्प सेटों का संवितरण तथा संस्थापना को भी पूरा किया गया था। परंतु नोडल अभिकरणो का उपरोकथित योजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरण के साथ कोई समन्वय नहीं था। चूंकि लाभ विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत समान लाभार्थियों को प्रदान किए जाने थे इसलिए नोडल अभिकरणों में गैर-समन्वय इस प्रकार एक लाभार्थी को लाभ की आवृति का संदेह छोडता है। नोडल अभिकरण ने सिचांई क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य/केन्द्र सरकार की मौजूदा योजना के साथ अभिसरण, जैसा रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत अपेक्षित है, हेतु कोई कारवाई प्रारम्भ नहीं की थी
2.	जम्मू एंव कश्मीर	क्षेत्र के अतंर्गत सभी नमूना जाचं की गई परियोजनाएं	सिचांई क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यान्वयन विभागों के बीच कोई समन्वय नही था। जिसके परिणामस्वरूप कृषि विभाग द्वारा तीन[1] चयनित जिलों में निर्मित डब्लयू.एच.टी. का निर्माण कलोघान में किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य/परियोजना को राज्य योजना, प्रौघिगिकी मिशन आदि जैसी अन्य योजनाओं के अतंर्गत भी निष्पादित किया जा रहा था जिसका परिणाम मंत्रालय/राज्य की मौजूदा योजनाओं के साथ अतिव्यापन में हुआ।
3.	झारखण्ड	क्षेत्र के अतंर्गत सभी नमूना जांच की गई परियोजनाएं	सरकार के आदेश (फरवरी 2009 की सं.63) के अनुसार, अन्य विभाग की मौजूदा योजनाओं को संघटित करके क्षेत्र के साकल्यवादी विकास हेतु सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों

[1] बांदीपोर, बारामुल्ला तथा कुपवारा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			को रा.कृ.वि.यो की अन्य योजना (जैसे बीज) का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि संभावित न्यूनतम अवधि में समूह में किसानों को उनकी आय में वृद्धि प्राप्त हो। परंतु संयुक्त साक्षत्कार के दौरान, यह पाया गया था कि सरायकेला में सिंचाई क्षेत्र के अतंर्गत केवल एक लाभार्थी को रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत धान बीज प्राप्त हुए थे तथा इस क्षेत्र के अन्य लाभार्थी सरकार की बीज संवितरण योजनाओं के अंतर्गत बीज प्राप्त नहीं कर सके थे। इस प्रकार, मौजूदा योजनाओं के साथ अभिसरण की कमी थी।
4.	कर्नाटक	स्वर्ण कृषि होंडा	चूंकि यह परियोजना वर्ष 2006-07 से मौजूदा चल रही परियोजना थी इसलिए रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत इस परियोजना का कार्यान्वयन अतिव्याप्ति का कारण बना। इसके अतिरिक्त, स्ट्रीम-1 के अतंर्गत विशिष्ट परियोजनाओं के रूप में रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत निधियां प्राप्त करने हेतु परियोजना की वि.प.रि. तैयार की गई थी तथा रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृति की गई थी जबकि वह चल रही राज्य क्षेत्र योजनाएं थीं। समन्वयक, रा.कृ.वि.यो. कक्ष, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि कृषि तथा अन्य विभागों की मौजूदा योजनाओं के साथ कोई अभिसरण योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित नहीं की गई थीं।
5.	महाराष्ट्र	100 एकड़ तक सिंचाई क्षमता रखने वाली चल रही लघु सिचांई योजना का समापन	संवीक्षा (जून 2013) ने प्रकट किया कि दो निर्माण कार्यों (डोंगरगावं कावड़ के.टी.डब्ल्यू.1 तथा 2) को दो अभिकरणों अर्थात कार्यकारी अभियन्ता, लघु सिंचाई स्थानीय क्षेत्र (एम.आई.एल.एस.) द्वारा औरगांबाद (फुलांबरी तालुका) में कार्यान्वित किया जा रहा था तथा रा.कृ.वि.यो. एंव अन्य स्त्रोतों के अतंर्गत क्रमश: ₹16.79 लाख तथा ₹41.57 लाख का व्यय किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से, इन दोनो निर्माण कार्यों को कार्यकारी अभियन्ता, लघु सिंचाई जिला परिषद (एम.आई.जेड.पी.) द्वारा भी अन्य स्त्रोतो से ₹78.01 लाख का व्यय करके निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार, अधीक्षण अभियन्ता, एम.आई.एल.एस. औरगांबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (जूलाई 2013) ने प्रकट किया कि दो वही निर्माण कार्यों (योजनाएं) शीर्षक 'सागरवाड़ी पी.टी. 12' और 'नागपूर वी.टी.4' को का.अ., एम.आई.एल.एस., जालना तथा का.अ, एम.आई.जेड.पी., जालना द्वारा रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत क्रमश: ₹32.78 लाख तथा ₹13.00 लाख की लागत पर बदनापूर तथा जालना तालुका में निष्पादित किया गया था।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
6.	सिक्किम	दक्ष जल प्रबंधन तथा छत के पानी हेतु सिंचाई सुविधाओं का सृजन	इसी प्रकार की परियोजनाओं जैसे कि 10000 लीटर की क्षमता वाले जल एकत्रण टैंको का निर्माण को एम.एम.ए. योजना के अतंर्गत खाघ सुरक्षा तथा कृषि विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया था। एम.एम.ए. हेतु मानीटरिंग प्राधिकारी होने से खाघ सुरक्षा तथा कृषि विभाग और रा.स्त.मं.स. का सदस्य होने से बागवानी एंव नकद फसल विकास विभाग परियोजनाओं को अतिव्याप्ति से बचाने में विफल थे। यह राज्य में कृषि विकास हेतु सभी केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं को शामिल न करके जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को गलत तैयार करने का परिणाम भी था।
7.	उत्तर-प्रदेश	क्रियाशील बनाना	राज्य कृषि योजना ने रा.कृ.वि.यो. तथा मगनरेगस के अतंर्गत उपलब्ध संसाधनो के अभिसरण द्वारा सामुदायिक ट्यूबवेल योजना को प्रारम्भ करने की सिफारिश की। रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत योजना को प्रारम्भ करते समय मगनरेगस के साथ इसके अभिसरण की संभाव्यता का अन्वेषण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आठ जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके सबंधित जिलों में ट्यूबवेलो को क्रियाशील बनाने के संबध में कोई सूचना नहीं थी। इसने लघु सिंचाई विभाग तथा यू.पी.पी.सी.एल. के बीच समन्वय की कमी को दर्शाया।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
फसल विकास (सो.आर.ओ.पी.)			
1.	असम	पूर्ण क्षेत्र	नोडल अभिकरण ने राज्य/केन्द्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के साथ सिंचाई क्षेत्र के अतंर्गत परियोजनाओं के अभिसरण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।
2.	मेघालय	नदी घाटी अपरदन/घाटी की निचली भूमियों में फसल उत्पादन तथा फसल उत्पादकता को बढाने हेतु मृदा एंव जल सरंक्षण	विभाग ने सबंधित लाईन विभागो जैसे पिगरी हेतु पशुपालन, फिश सीड्स तथा फिगरलिंग हेतु मत्स्य, सुपारी एंव पॉलिहाउस हेतु बागवानी के साथ समन्वय नहीं किया था। परिणामस्वरूप, एकीकृत खेती प्रणाली (आई.एफ.एस.) के अतंर्गत मृदा एंव जल सरंक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भ गतिविधियों ने अन्य विभागों के गतिविधियों के साथ असिछंदित किया।
3.	राजस्थान	मक्का फसलों पर बासंवारा तथा उदयपुर के जनजातिय जिलों में हाईब्रीड बीजो को प्रोत्साहन देना (परियोजना स्वर्ण किरणे राजस्थान 2009)	मेसर्स मोनसानटो इंडिया लिमिटेड स्वर्ण किरणे 2009 के कार्यान्वयन हेतु एक कार्यान्वयन अभिकरण था। परियोजना के अतंर्गत ₹ 1.00 करोड़ जारी किए गए थे जिसके प्रति ₹ 0.95 करोड़ का उपयोग दो जिलो के किसानों को हाईब्रिड मक्का बीज के संवितरण हेतु किया गया था। नोडल विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण (मार्च 2010) के दौरान प्रकट हुआ कि नमूना जांच किए गए उदयपूर जिले में 160 किसानों तथा बांसवारा जिले में 80 किसानों में से उदयपूर में 94 किसानों (59 प्रतिशत) तथा बांसवारा में 80 किसानों (शत प्रतिशत) ने सूचित किया कि बीज शीर्ष मौसम के बाद प्राप्त किए गए थे। का.अ. के प्रति कोई कारवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार कृषि विभाग तथा का.अ. के बीच समन्वय की कमी थी।
5.	उत्तर प्रदेश	गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा पूर्वी उ.प्र. में रेखा बीजन के माध्यम से बीज तथा उर्वरक के उचित नियोजन द्वारा गेंहू के उत्पादन अनुप्रयोग तथा उत्पादकता को बढ़ाना।	गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम को जिला योजना के अतंर्गत भी कार्यान्वित किया गया था। तथापि, किसी भी स्तर पर इस कार्यक्रम का कोई अभिसरण नही था। रेखा बीजन योजना को आम जिलों में बी.जी.आर.ई.आई. योजना के अतंर्गत भी कार्यान्वित किया गया था। फिर भी, 2010-12 के दौरान किसी भी स्तर पर योजना का कोई अभिसरण नहीं था।
बागवानी			

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	छत्तीसगढ़	वनस्पति फसल क्षेत्र विस्तार।	वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान, 3550 हेक्टर को गैर-सदानीर फलों (केला टी.सी.[2] तथा पपीता) तथा मसालों के अतंर्गत शामिल किया गया था तथा रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत रायपूर, सरगुज, बिलासपूर तथा दूर्ग के एन.एच.एम.[3] जिलों में ₹ 10.11 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि उसी वर्ष में मसालों तथा फलों (केला टी.सी.) के क्षेत्र विस्तार को एन.एच.एम. के अतंर्गत भी 4700 हेक्टर में सरगुज, रायपूर तथा बिलासपूर जिलों में ₹ 6.93 करोड़ की लागत पर भी प्रारम्भ किया गया था। इसने योजनाओं की अतिव्याप्ति को दर्शाया।
2.	जम्मू एंव कश्मीर	'विभागीय नर्सरियों/प्रोगेंनी ओर्चर्डों का विकास/सुदृढीकरण' तथा 'शैड नेट हाउस'।	बागवानी विभाग ने राज्य/केन्द्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं किया था तथा परियोजनाओं के अतंर्गत निष्पादित घटकों की राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के अतंर्गत पहले से ही निष्पादित किए जाने की संभावना थी।
3.	राजस्थान	शैड नेट हाउस	परियोजना पहले से ही सामान्य रा.कृ.वि.यो. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन में थी जबकि उसी कार्य को वर्ष 2011-12 से आरम्भ "शहरी समूह हेतु वनस्पति प्रोत्साहन उप योजना" के अतंर्गत भी शामिल किया गया था। इसका परिणाम स्वंय रा.कृ.वि.यो. के साथ योजनाओं की अतिव्यप्ति में हुआ।
बीज			
1.	झारखण्ड	एच.वाई.वी. का बीज संवितरण तथा एकीकृत विकास हेतु कृषि फार्म में बीज उत्पादन (दालें,प्रमाणित बीज, हाईब्रिड धान, हाईब्रीड मक्का, रिझोबियम कल्चर, सूक्ष्म पुष्टिकार, जिंक सल्फेट) तथा रा.कृ.वि.यो. के	दो महानिदेशालयों (कृषि तथा मृदा सरक्षंण) के बीच समन्वय की कमी थी क्योंकि किसान जिन्होने मृदा सरंक्षण निदेशालय से अच्छी सिचांई सुविधा का लाभ उठाया था वे कृषि निदेशालय से उन्नत किस्मों के बीज प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार समूह में किसानों की आय के स्तर में वृद्धि को विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

[2] टियशु संवर्धन

[3] राष्ट्रीय बागवानी मिशन

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		अंतर्गत विभिन्न हाईब्रीड अधिसूचित बीज का संवितरण	
2.	कर्नाटक	कर्नाटक बीज मिशन	कर्नाटक बीज मिशन को मौजूदा राज्य क्षेत्र योजनाओं के रूप में भी कार्यान्वित किया जा रहा था इसका परिणाम योजनाओं के अतिव्यापन में हुआ।
3.	उत्तर प्रदेश	बीज आर्थिक सहायता (गत वर्ष का शेष)	कृषि विभाग तथा संवितरण अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी थी। परिणामस्वरूप, कुछ अभिकरणों ने उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक अथवा कम बीजों का संवितरण किया था तथा बाद में ऐसे संवितरण उप-निदेशक (कृषि) अथवा जिला कृषि अधिकारी से अनुमति की मांग, जैसा दिशानिर्देशों के अतंर्गत अपेक्षित था, के बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभागीय स्तर पर योजनाओं का कोई अभिसरण नहीं था तथा एम.एम.ए. के अतंर्गत संवितरित अधिक प्रमात्रा (0.86 लाख क्वींटल) हेतु अपेक्षित आर्थिक सहायता को बाद में रा.कृ.वि.यो. निधियों से पूरा किया गया था।
पशु पालन			
1.	उत्तर प्रदेश	जिला स्तर पर बकरी पालन की स्थापना	परियोजना के अतंर्गत स्वर्ण जंयती स्वंरोजगार योजना के अभिसरण की संभावना का अन्वेषण नहीं किया गया था।
		पांच दिवसीय प्रशिक्षण तथा पशुधन मालिको को विस्तार सुविधाएं	दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य के पास उपलब्ध ए.टी.एम.ए. निधियों को पहले प्रशिक्षण उदेश्य हेतु समाप्त करना था। इस प्रकार, कार्यक्रम को ए.टी.एम.ए के साथ अभिसरित करना अपेक्षित था जिसे नहीं किया गया था।
		बनावटी बीजारोपण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राष्ट्रीय मवेशी तथा भैस प्रजनन परियोजना के साथ अभिसरण की संभावना का अन्वेषण नहीं किया गया था।
कृषि मशीनीकरण			
1.	असम	मशीनीकरण (2009-10) तथा पावर तिलर/पैडी थ्रेशर/रोटरी	परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभाग/अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, नोडल अभिकरण ने राज्य/केन्द्र सरकार की मौजूदा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		तिलर का संवितरण(2011-12)	योजनाओं के साथ परियोजनाओं के अभिसरण हेतु कोई कारवाई प्रापम्भ नहीं की थी जिसके कारण रा.कृ.वि.यो. मशीनीकरण परियोजनाओं का इसी प्रकार की चार योजनाओं[4] के साथ अतिव्यापन था।
2.	छत्तीसगढ़	कृषि उपकरणों का संवितरण	दुर्ग, बिलासपुर तथा राजनंदगांव जिलों में ₹ 13.54 करोड़ की कीमत के ट्रेक्टरो, पावर तिलरों, पावर संचालित/चलित कृषीय उपकरणों आदि जैसे विभिन्न कृषीय उपकरणों/मशीनो हेतु किसानों को रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत सहायता प्रदान की गई थीं। यह भी पाया गया था कि इन जिलों में किसानों को इसी घटकों हेतु सहायता एम.एम.ए. के अतंर्गत भी प्रदान की गई थी इस प्रकार उसका परिणाम रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत कार्यों के अतिव्यापन में हुआ।
3.	उत्तर प्रदेश	सरकारी खेतो तथा बीज उत्पादन का सुदृढीकरण	यह पाया गया था कि सामान्य बीजों को गुणवत्ता बीजों के साथ बदले के उद्देश्य से तीन अभिकरण अर्थात् कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविधालय तथा बी.वी.एन. प्रमाणित बीजों को उत्पादन कर रहे थे। इन अस्तित्वों के बीच कोई समन्वय नहीं था।
डेयरी विकास			
1.	गुजरात	एकीकृत डेयरी विकास	एक समान राज्य सरकारी योजना वनबंधु योजना के अतंर्गत पहले से ही कार्यान्वयन अधीन थी जो 2007-08 से 2012-13 के दौरान वलसाद जिले (धर्मपूर तथा कापरादा) हेतु राज्य परियोजना थी। दोनों योजनाओं के मुख्य घटकों में मिल्च कैटल, हैफर, कैटल शैड, बीमा आदि हेतु आर्थिक सहायता शामिल थी। तथापि अप्रैल 2010 में स्वीकृत रा.कृ.वि.यो. परियोजना को राज्य की चल रही राज्य योजना के साथ अभिसरित नहीं किया गया था।
2.	झारखण्ड	हैफर रेरिगं कार्यक्रम (2008-09) तथा मिल्च कैटल इडंक्शन	ये पशुपालन विभाग तथा मत्स्य विभाग की मौजूदा योजनाएं थीं तथा उन्हे 2008-09 से फिर से रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत प्रारम्भ किया गया था।

[4] (i) भूमिहीन लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता (75 प्रतिशत सहायता)
(ii) असम कृषि प्रतियोगितात्मक योजना
(iii) जनजाति उप-योजना (100)
(iv) अल्पसंख्यक विकास योजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		कार्यक्रम (2010-11) को सहायता	
3.	राजस्थान	बी.एम.सी. की संस्थापना	परियोजना के अतंर्गत, बी.एम.सी. को आवश्यकताओं तथा दुग्ध एकत्रण की क्षमता के अनुसार, दुग्ध यूनियनों, पर सस्थांपित किया जाना था। आर.सी.डी.एफ.[5] तथा दुग्ध यूनियनों के बीच समन्वय की कमी के कारण प्रत्येक दुग्ध सहकारिता समिति हेतु बी.एम.सी. की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण जिला दुग्ध यूनियनों के परामर्श तथा स्वीकृति से नहीं किया गया था। जिसका परिणाम नमूना जांच किए गए जिलो[6] में मौजूदा 163 बी.एम.सी. के 29 प्रतिशत के कम उपयोग (क्षमता के 50 प्रतिशत से कम) में हुआ।
4.	उत्तर प्रदेश	सघान लघु डेयरी परियोजना	नमूना जांच किए गए जिलो की लेखापरीक्षा तथा गिरी विकास अध्ययन सस्थान,लखनऊ द्वारा किए गए योजना के मूल्यांकन ने पी.डी.सी.एफ[7] तथा बैंक के बीच समन्वय की कमी को दर्शाया जिसका परिणाम परियोजनाओं की सस्वीकृति में विलम्ब, अपर्याप्त ऋण तथा किस्त के निर्गम में विलम्ब हुआ। योजना का केन्द्रीय एस.एम.पी.एस./विशेष डेयरी विकास परियोजना के साथ कोई अभिसरण नहीं था।
प्राकृतिक ससांधन प्रबंधन			
1.	जम्मू एंव कश्मीर	जल एकत्रंण सरंचनाओं तथा अन्य उपायों के माध्यम से मृदा एंव जल सरंक्षण।	जल एकत्रण टैंको के निर्माण हेतु सहायता रा.कृ.वि.यो. योजना के अतिरिक्त कृषि एंव बागवानी विभाग द्वारा राज्य/केन्द्र की अन्य मौजूदा योजनाओं के अतंर्गत भी प्रदान की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों हेतु प्रौघोगिकी मिशन/बागवानी मिशन के अतंर्गत भी निष्पादित किया जा रहा था परंतु विभाग द्वारा कोई अभिसरण नहीं किया गया था।
2.	मेघालय	वर्षा जल एकत्रण सरंचनाए तथा लघु सिचांई चैक डैग्स का	परियोजना को जल ससांधन विभाग द्वारा सभी सात जिलों में वर्षा जल एकत्रण सरंचनाओं अथवा दरियाओं/नदिकाओ पर लघु चैक डैग्स का निर्माण करके निष्पादित कर दिया गया था।

[5] राजस्थान सहकारी डेयरी संघ

[6] अजमेर,चितौड़गढ,जोधपूर,कोटा तथा पाली

[7] प्रादेशिक डेयरी सहकारी संघ

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		निर्माण	कुछ स्थलों पर, निर्माण कार्य को उसी विभाग का प्रवाह सिचांई परियोजनाओं के रूप में उसी प्रकार से निष्पादित किया गया था। इस प्रकार इसका परिणाम कार्यक्रमों के अतिव्यापन में हुआ। दो नमूना जांच की गई परियोजनाओं से सबंधिक अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि किसी भी स्तर पर अभिसरण को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।
विपणन एंव पश्च फसल प्रबंधन			
1.	गुजरात	'रा.कृ.वि.यो. के साथ राज्य योजना के.के.वी.वाई' (किसान कल्प वृक्ष योजना) का अभिसरण तथा ए.पी.एम.सी. में अनिवार्य अवंसरचना का सृजन।	कार्यान्वयन अभिकरण (जी.एस.ए.एम.बी.)[8], कार्यालय जो ए.पी.एम.सी. के अभिकल्पित निर्माण कार्यों को स्वीकृत करता है तथा जिला पंजीयक कार्यालय, जो लाभार्थी ए.पी.एम.सी. द्वारा कार्य की प्रगति, निधि उपयोग, निर्माण कार्य के समापन पर अधिक व्यय अथवा बचतें, यदि कोई हो, आदि के संबध में लाभार्थी पी.एम.सी. को निधिया संवितरित करता है के बीच कोई समन्वय नहीं था। राज्य योजना के.के.वी.वाई जून 2009 से परिचालन में थी जिसने ए.पी.एम.सी. को आधारभूत अवसरंचना हेतु सहायता प्रदान की थी। राज्य योजना के परिचालन के बावजूद ए.पी.एम.सी. में अनिवार्य अवसंरचना का सृजन पर एक अलग परियोजना को 2010-11 में रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था। नई परियोजना में अवसंरचना निर्माण कार्य रा.कृ.वि.यो. में शामिल कार्यों के साथ यतित्यापन में थे जिस पर रा.स्त.मं.स. द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। 2011-12 के दौरान भी, रा.स्त.मं.स. ने रा.कृ.वि.यो. के साथ अभिसरित परियोजना राज्य योजना के.के.वी.वाई. को स्वीकृत किया। चूंकि ए.पी.एम.सी. में अनिवार्य अवसरंचना के सृजन पर परियोजना पहले से ही परिचालनात्मक थी इसलिए 2011-12 में दो परियोजनाओं को एक साथ चलाया जा रहा था।

[8] गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
2.	ओडिशा	गोदाम सहित किसान सूचना सलाहकार केन्द्र (एफ.आई.ए.सी.) बिल्डिंग का निर्माण (100)	परियोजना के अतंर्गत, 100 में से 14 एफ.आई.ए.सी. बिल्डिंग भूमि हस्तान्तरण समस्याओं के कारण अपूर्ण रही। नौ ब्लाकों (खलीकोट, जूनागढ़, नारला, शेरगढ़, अस्का, गोसानी, कासीनगर तथा गुम्मा) में राजस्व प्राधिकरण द्वारा स्थल का हस्तान्तरण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य को समय पर प्रारम्भ नहीं किया जा सका था. तहसीलदार, गोदारी ने इस आधार पर कि, स्थल जिस पर एफ.आई.ए.सी. बिल्डिंग निर्माणाधीन थी वह राजस्व विभाग के लिए आरक्षित थी, गोदारी ब्लाक पर निर्माण कार्य को रोका। उपर्युक्त सभी तथ्य दर्शाते हैं कि एफ.आई.ए.सी. बिल्डिंग का निर्माण विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण विलम्बित था।
3.	त्रिपुरा	ग्राम बाजारों का विकास	कार्यन्वयन अधिकारी (ई.ई.-अगरी-पश्चिम) तथा पचांयती राज सस्थांन (पी.आर.आई.) निकाय (के.के. नगर पचांयत समिति) के बीच समन्वय की कमी के कारण अभी तक (जून 2013) पावर आपूर्ति कनेक्शन (पी.आर.आई. निकाय द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले) प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, के.के. नगर में ग्राम बाजार को इसके समापन (अगस्त 2012) से एक वर्ष के बीत जाने के पश्चात भी पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया गया था।
4.	पश्चिम बंगाल	ग्राम बाजारों का विकास	लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विभाग ने रा.कृ.वि.यो/बी.जी.आर.ई.आई. (₹116.85 करोड़) तथा नाबार्ड ऋण (₹ 60.17 करोड़). दोनो के अतंर्गत कृषक बाजार की स्थापना करने हेतु निधि संस्वीकृत की थी। यह संबधित कार्यक्रमों के अभिसरण के अभाव के कारण एक ही प्रकार के कार्यक्रमों के अतिव्यापन को दर्शाता है।
मत्स्य उघोग			
1.	राजस्थान	फिश सीड रियरिंग क्षेत्र का विकास	फिश सीड रियरिंग क्षेत्र का विकास" की परियोजना में 150 मिलियन फिंगरलिंगो की आवश्यकता हेतु पी.पी.पी. मोड के अतंर्गत 494.21 एकड़ नर्सरी तथा 4942.10 रियरिंग क्षेत्र के विकास तथा उत्पादन प्रणाली हेतु लघु अप्रयुक्त मौसमी जल समूहों के उपयोग की अभिकल्पना की गई थी। संवीक्षा ने प्रकट किया कि मतस्य उघोग विभाग ने फिंगरलिंग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लघु अप्रयुक्त मौसमी जल समूहों का उपयोग करने हेतु पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय को बनाए नहीं रखा था।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		छोटे पैमाने की ओर्नामेंटल फिश ब्रिडिंग सह संवर्धन इकाईयों की स्थापना।	परियोजना स्वीकृत (मार्च 2008) थी जबकि कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी तथा मत्स्य विभाग ने एक समान केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित (अप्रैल 2007) की थी जिसके अतंर्गत ओर्नामेंटल फीशरी हेतु टैचरी इकाईयों की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहायता (₹1.50 लाख की अधिकतम सीमा) प्रदान की जानी थी। परियोजना को छोड़ (2013-14) दिया गया था क्योंकि अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना अधिक लाभकारी थी। तथ्यों को स्वीकार करते समय सयुंक्त निदेशक, कृषि (योजनागत), जयपुर ने बताया (जूलाई 2013) कि अन्य कार्यक्रम से निधि का उपयोग एक अच्छा कदम है जो रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत बचत के बराबर है। तथ्य रहता है कि योजना करने तथा कार्यान्वयन के बीच समन्वय की कमी के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया था।
विस्तार			
1.	उत्तरप्रदेश	अनुकूलित किसान प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्य तथा ग्राउंड टरूथिगं विडियों फोन कालिग तथा एपलिकेशन आई.सी.टी. के माध्यम से ऑन लाईन मानीटरिंग	परियोजना सूचना एंव संचार प्रौघोगिकी (आई.सी.टी.) क्षेत्र की सहायता से स्थान-विशिष्ट आवश्यकता आधारित अनुकूलित प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यो को पूरा करती है। यघपि प्रशिक्षण कार्यक्रम को रा.कृ.वि.यो. के माध्यम के साथ-साथ राज्य तथा केन्द्रिय योजनाओं के अंतर्गत कृषि एंव सम्बंध क्षेत्रो हेतु आयोजित किया जा रहा था फिर भी ए.एफ.सी[9] ने भी सभी कृषि एंव सम्बद्ध क्षेत्रों को शामिल किया था। यह दर्शाता है कि अभिकरण तथा अन्य केन्द्रीय एंव राज्य सरकारी विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं था। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभिन्न राज्य एंव केन्द्रीय योजनाओं के अतंर्गत कार्यान्वित किया गया था परंतु योजना स्तर पर कोई अभिसरण नहीं था।
उर्वरक तथा एकीकृत पुष्टिकार प्रबंधन (एफ.आई.एन.एम.)			
1.	उतराखण्ड	मृदा जांच प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य-	इस परियोजना का डी.ए.पी. तथा सी.एस.ए.पी. में मौजूदा योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर नोडल विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि अभिसरण को डी.ए.पी. में नहीं दर्शाया गया था इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका

[9] कृषि वित्त निगम, लखनऊ

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			था कि अन्य केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं के अतंर्गत कार्य हेतु कितनी अधिक निधियां उपलब्ध होगी।
2.	उत्तर प्रदेश	मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम-	कृषि विभाग तथा बी.वी.एन. के बीच गैर-समन्वय के कारण कृषि विभाग को धायन्चा बीज की आपूर्ति हेतु बी.वी.एन. द्वारा किसी उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग तथा नैफेड[10] के बीच समन्वय के कारण रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत प्रारम्भ परियोजना जैव-कृषि प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन के लाभार्थी मृदा उपज सुधार कार्यक्रम के लाभो से वंचित थे। लेखापरीक्षा ने कृषि विभाग के भीतर प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय की कमी भी पाई थी। इस परियोजना के अतंर्गत मृदा उपज के[8] सुधार के उसी उदेश्य 2008-13 के दौरान प्रारम्भ एन.एफ.एस.एम.एम.एन.ए तथा बी.जी.आर.ई.आई. की योजनाओं के साथ कोई अभिसरण प्रस्तावित नही किया गया था।
खेती/जैव-उर्वरक (ओ.आर.एफ.एम.)			
1,	मेघालय	जैव प्रमाणीकरण	यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से सबंधित है। इसके अतिरिक्त, रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार, ओ.आर.एफ.एम. के अतंर्गत प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उनके विपणन हेतु सहायता हैं जिसमें अच्छे उत्पादन हेतु वर्मी-कम्पोस्टिंग तथा उत्कृष्ट प्रौघोगिकियों का प्रारम्भ शामिल होगा। इसलिए, इस परियोजना को रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था।
2.	उत्तराखण्ड	जैव व्यर्थ परिवर्तन प्रणाली का उपयोग करके वनस्पति व्यर्थ का वनस्पतिक खाद बनाना।	परियोजना के रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया था परंतु रा.स्त.मं.स. नोडल विभाग तथा कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की कमी के कारण देहरादून, हरिद्वार, रूरकी में परियोजनाएं व्यर्थ पड़ी थीं क्योकि यह निर्णय नहीं किया जा सका था कि सिविल कार्य की समाप्ति तथा जैव व्यर्थ परिवर्तन प्रणाली की संस्थापना के पश्चात वह कैसे कार्य करगीं। इसी प्रकार, गैर-समन्वय के कारण मझखाली में प्रशिक्षण केन्द्र को भी फर्नीचर

[10] भारतीय राष्ट्रीय कृषीय सहकारी विपणन संघ

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			की कमी के कारण किसी भी उपयोग में नहीं लाया गया था।
अन्य			
1.	उत्तर प्रदेश	कृषीय उत्पादन के तीव्रीकरण तथा विविधता को प्रोत्साहन देना तथा बाजार अवसरों का विस्तार करने हेतु किसानो की पहुंच को बढ़ाना।	परियोजनाओं के कार्यो का राज्य/केन्द्र सरकार अन्य परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के अतंर्गत कार्यो के साथ अभिसरण नहीं किया गया था। परियोजना के अतंर्गत किए गए अधिकांश कार्य अन्य परियोजनाओं/विभागों/कार्यक्रमों जैसे एन.एफ.एस.एम. तथा मैक्शेमोड के अतंर्गत प्रदर्शन, ए.टी.एम.ए. के अतंर्गत क्षमता निर्माण, रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत गोट फार्मिंग की स्थापना आदि के कार्यो के साथ अतिछांदित थे।
उप-योजनाएं			
1.	असम	बी.जी.आर.ई.आई.	बी.जी.आर.ई.आई. के घटकों को रा.कृ.वि.यो. की विभिन्न परियोजनाओं के अतंर्गत प्रारम्भ किया गया था। इसके अतिरिक्त, पम्प सेटों के संवितरण तथा सिचांई टैंको के निर्माण को विभिन्न विभागों नामत कृषि, सिंचाई, समतल जनजातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण, अल्पसंख्यक विकास का कल्याण आदि द्वारा भी किया जा रहा था। यह दर्शाने हेतु अभिलेखों पर कुछ नहीं था कि परियोजना आवृति से बचने तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभाग अच्छी तरह से समन्वित थे।
2.	जम्मू एंव कश्मीर	केसर मिशन, वी.आई.यू.सी. तथा एन.एम.पी.एस.	योजना के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करते समय विभिन्न विभागों/अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी थी क्योंकि रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत प्रारम्भ कार्यों को पहले से ही राज्य/केन्द्रित योजनाओं के अतंर्गत भी कार्यान्वित किया जा रहा था।
3.	मणिपुर	वी.आई.यू.सी. , एन.एम.पी.एस. तथा आर.ए.डी.पी.	परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर करने हेतु नोडल विभाग का कार्यान्वयन अभिकरण के साथ कोई समन्वय नहीं था। कार्यान्वयन अभिकरणों ने नोडल विभाग को योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
4.	राजस्थान	60000 दाल ग्राम, वी.आई.यू.सी.ए.एफ.डी.पी., आर.ए.डी.पी., आई.एन.एस.आई.एम.पी. तथा एन.एम.पी.एस.	विभिन्न कार्यों जैसे कि फार्म पोंड का निर्माण, ग्रिन फोडडर उत्पादन, ग्रिन हाउस तथा शेड नेट हाउस की स्थापना, वर्मी काम्पोस्ट उत्पादन आदि कों तथ्य कि इन्ही कार्यों को सामान्य रा.कृ.वि.यो. के माध्यम से भी किया जा रहा था की जांच किए बिना उप योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित किया गया था।
5.	उत्तर-प्रदेश	ए.एफ.डी.पी.	लेखापरीक्षा ने पाया कि उप-योजना से अलग, कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग ने जिला योजना से भी बीजो का संवितरण किया था तथा परियोजना का इन विभागों द्वारा कार्यान्वित बीज संवितरण कार्यक्रमों के साथ कोई समन्वय नहीं था। परिणामस्वरूप, परियोजना फोडडर के विकास हेतु पी.सी.डी.एफ. की मौजूदा योजनाओं का अतिछादान थी।
		बी.जी.आर.ई.आई.-सिंचाई क्षमता का निर्माण	लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि परियोजना को जिला योजना, एन.एफ.एस.एम. तथा एम.एम.ए. के अतंर्गत सिचांई क्षमता का सृजन करने जैसी मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के साथ अतिछादान में कार्यान्वित किया गया था।
		बी.जी.आर.ई.आई.-चावल	परियोजना को एन.एफ.एस.एम. तथा एम.एम.ए. जैसी मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अतिछादान में कार्यान्वित किया गया था।
		प्राकृतिक प्रोटीन अनुपूरक मिशन-विशेष डेयरी विकास परियोजना	70 दिनो हेतु फोडडर की आपूर्ति कार्यान्वयन अभिकरण तथा इसकी फोडडर उत्पादन इकाईयों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाती है।

अनुबंध-XI

(पैराग्राफ4.2 के संदर्भ में)

मंत्रालय द्वारा सूचित वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक रा.कृ.वि.यो. के तहत आवंटन निर्गत एवं व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/सं.शा.क्षे.	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आवंटन	निर्गम	व्यय	आवंटन	निर्गम	व्यय	आवंटन	निर्गम	व्यय	आवंटन	निर्गम	व्यय	आवंटन	निर्गम	व्यय	आवंटन	निर्गम	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	93.13	61.08	61.08	316.57	297.17	297.17	410.00	410.00	410.00	393.45	432.29	432.29	727.74	734.20	734.20	601.98	577.79	540.65
2	अरूणाचल प्रदेश	2.85	1.90	1.90	6.88	0.00	0.00	16.10	15.98	15.98	39.08	28.95	28.95	8.26	10.68	10.68	40.31	24.94	20.37
3	असम	23.77	0.00	0.00	142.62	144.12	142.62	79.86	79.86	79.86	256.87	216.87	216.87	227.77	227.77	227.77	399.57	399.57	233.31
4	बिहार	64.02	57.77	57.77	148.54	148.54	148.54	110.79	110.79	110.79	380.94	415.10	415.10	506.82	506.82	506.82	724.01	700.20	585.56
5	छत्तीसगढ	60.54	52.96	52.96	116.48	117.45	117.45	131.78	136.14	136.14	461.00	503.42	503.42	230.57	212.61	206.06	581.12	571.22	551.17
6	गोवा	2.29	1.70	1.70	6.91	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	11.31	7.07	7.07	49.55	24.78	23.07	62.43	35.27	1.35
7	गुजरात	53.71	49.81	49.81	243.39	243.39	243.39	386.19	386.19	386.19	353.45	388.63	388.63	515.48	515.48	515.48	586.87	610.87	469.63
8	हरियाणा	23.12	21.52	21.52	74.00	39.50	39.49	112.77	112.77	112.75	204.74	226.80	226.34	168.92	176.87	167.38	199.49	179.88	119.26
9	हिमाचल प्रदेश	17.39	16.17	16.17	15.11	15.11	15.11	33.02	33.03	33.03	94.85	94.85	94.85	99.93	99.93	97.56	73.48	59.27	27.60
10	जम्मू-कश्मीर	6.85	0.00	0.00	16.17	1.20	1.20	42.05	42.85	42.85	162.16	96.42	96.28	103.03	63.03	55.79	112.08	103.22	76.48
11	झारखण्ड	61.66	55.68	55.68	58.62	29.31	29.31	70.13	70.13	70.13	160.96	96.90	96.08	168.56	174.56	174.56	241.55	219.38	182.98
12	कर्नाटक	171.97	154.30	154.30	316.57	314.14	314.14	410.00	410.00	410.00	284.03	284.03	284.03	595.90	595.90	574.06	586.52	549.15	344.41
13	केरल	61.41	55.40	55.40	60.11	30.06	30.06	110.92	110.92	110.92	192.35	149.65	149.65	173.93	182.89	181.29	282.26	253.03	213.19
14	मध्य प्रदेश	110.01	101.62	101.62	146.05	146.05	146.05	247.44	247.44	247.44	589.09	559.18	559.18	398.37	398.37	382.12	448.13	448.13	317.62
15	महाराष्ट्र	142.20	128.20	128.20	269.63	261.77	261.77	407.24	404.39	404.39	653.00	653.00	653.00	727.67	735.44	735.44	1025.81	1050.81	544.67
16	मणिपुर	1.35	0.00	0.00	4.14	0.90	0.90	5.86	5.86	5.86	24.81	15.50	15.50	22.25	22.25	22.25	52.94	47.97	22.03
17	मेघालय	7.00	6.37	6.37	13.53	6.77	6.77	24.68	24.68	24.68	46.12	46.12	46.12	14.66	20.44	20.44	105.34	22.68	0.00
19	नागालैंड	9.45	3.19	3.19	13.89	6.95	6.95	20.38	20.38	20.38	13.24	13.25	13.25	37.54	37.54	37.54	85.75	85.75	85.75
34	ओड़िशा	46.59	39.30	39.30	115.44	115.44	115.44	121.49	121.49	121.49	274.40	274.40	274.40	356.96	356.96	350.69	503.10	468.28	378.57
21	पंजाब	39.85	36.05	36.05	87.52	87.52	87.52	43.23	43.23	43.23	179.12	179.12	179.12	138.87	145.87	136.60	146.93	86.83	26.83
22	राजस्थान	71.68	55.76	55.76	233.75	233.76	233.76	186.12	186.12	186.12	572.47	628.01	628.01	685.04	692.08	692.08	363.09	348.18	334.24
23	सिक्किम	2.77	2.77	2.77	11.37	5.68	5.68	15.29	15.29	15.29	6.56	6.56	6.56	20.08	24.64	24.64	29.47	15.21	11.96
24	तमिलनाडु	188.21	153.60	153.60	140.38	140.38	140.38	127.90	127.90	127.90	225.71	250.03	250.03	333.06	333.06	276.65	659.68	613.27	214.54

25	त्रिपुरा	4.69	4.16	4.16	34.02	16.08	16.08	31.28	31.28	31.28	116.86	116.48	116.48	17.99	25.63	25.63	56.43	56.43	20.44
26	उत्तर प्रदेश	116.15	103.90	103.90	316.57	316.57	316.57	390.97	390.97	390.97	635.92	695.36	695.36	757.26	762.83	762.83	432.26	294.52	223.67
27	उत्तराखण्ड	30.54	28.25	28.25	20.60	10.30	10.30	71.36	71.46	71.46	2.61	1.31	1.31	131.77	128.84	48.73	44.36	8.21	0.00
28	पश्चिम बंगाल	60.87	54.93	54.93	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	476.15	335.98	335.98	476.65	486.65	486.65	464.81	374.58	324.44
	कुल राज्य	**1474.07**	**1246.39**	**1246.39**	**3076.24**	**2875.54**	**2874.03**	**3766.10**	**3756.53**	**3756.51**	**6811.25**	**6715.28**	**6713.86**	**7694.63**	**7696.12**	**7477.01**	**8909.77**	**8204.64**	**5870.72**

अनुबंध-XII

(पैराग्राफ 4.4 के सन्दर्भ में)

29 जुलाई 2013 तक विचाराधीन उपयोग प्रमाणपत्रों का राज्यवार एंव वर्ष-वार विवरण

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	आंध्र-प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	37.14
2.	अरूणाचल-प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57
3.	असम	1.50	0.00	0.00	0.00	166.26	167.76
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	114.64	114.64
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	6.55	20.05	26.60
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	1.71	35.27	36.98
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	141.24	141.24
8.	हरियाणा	0.01	0.02	0.46	9.49	60.62	70.60
9.	हिमाचल-प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2.37	31.67	34.04
10.	जम्मू & कश्मीर	0.00	0.00	0.14	7.24	26.74	34.12
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	5.53	0.00	42.39	47.92
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	21.84	204.74	226.58
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	1.60	39.84	41.44
14.	मध्य-प्रदेश	0.00	0.00	0.00	16.25	130.51	146.76
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59	540.59
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	25.94	25.94
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68
18.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	6.27	89.71	95.98
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	9.27	60.00	69.27
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	13.94
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	56.41	400.79	457.20
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	35.99
24.	उत्तर-प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85	70.85
25.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	80.11	8.21	88.32
26.	पश्चिम-बंगाल	5.53	0.00	0.00	0.00	50.14	55.67
कुल		**7.04**	**0.02**	**6.13**	**219.11**	**2377.77**	**2610.07**

अनुबंध-XIII

(पैराग्राफ 4.4.1 के संदर्भ में)

गलत उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	**आन्ध्र प्रदेश** – आयुक्त, बागवानी द्वारा 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹138.56 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जिसमे से ₹71.61 करोड़ का उपयोग उसी वर्ष के दौरान किया गया था जिसमे अनुदान को प्राप्त किया गया था। तथापि, आयुक्त, बागवानी ने नोडल विभाग (आयुक्त,कृषि) को ₹118.42 करोड़ की राशि अर्थात् अप्रैल 2010 (₹59.45 करोड़), जून 2011 (₹39.40 करोड़) तथा दिसम्बर 2011 (₹19.57 करोड़) के उ.प्र. प्रस्तुत किए जबकि ₹46.21 करोड़ की राशि का व्यय नोडल अभिकरण को उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण के पश्चात किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांच किए गए जिलों में अधिकारियों ने आयुक्त, बागवानी को उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के उ.प्र. प्रस्तुत किए। तथापि, आयुक्त, बागवानी ने शेष अव्ययित राशियों को अपने पास रखा जिसका बाद के वर्षों के दौरान व्यय किया गया था।
2.	**अरूणाचल प्रदेश** – निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई थीं: ➢ जून 2012 में, राज्य सरकार ने कार्यान्वयन विभाग को ₹4.13 करोड़ की राशि जारी की जिसने बदले में सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹3.49 करोड़ की राशि जारी की। तथापि, उसी महीने अर्थात् सितबंर 2012 में नोडल विभाग ने मत्रांलय को ₹4.13 करोड़ की पूर्ण राशि के उ.प्र. प्रस्तुत किए। ➢ निदेशक बागवानी ने 19 नवम्बर 2012 को जिले में कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹2.42 करोड़ जारी किए जबकि नोडल विभाग ने निधियों के निर्गम से भी पहले 27 सितबंर 2012 को राशि के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।
3.	**असम** – नोडल अभिकरण के अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2008-09 तथा 2012-13 हेतु ₹167.76 करोड़ की राशि के उ.प्र. बकाया थे। तथापि, रोकड़ बही तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के संबंध में संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹449.38 करोड़ की कुल राशि 31 मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रही। इस प्रकार, नोडल अभिकरण ने गलत उ.प्र. प्रस्तुत किए।
4.	**हिमाचल प्रदेश** – निदेशक मत्स्य ने नोडल विभाग को ₹15.86 करोड़ (नवम्बर 2012 ₹6.68 करोड़ तथा मई 2013: ₹ 9.18 करोड़) के उ.प्र. प्रस्तुत किए थे जबकि राशि वास्तव में अक्टूबर 2013 तक कृषि एवं मछली विपणन समिति (ए.एफ.एम.एस.) बिलासपुर के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। नोडल विभाग ने तदनुसार मंत्रालय को उ.प्र. प्रस्तुत किए। इस प्रकार, मंत्रालय को गलत उ.प्र. प्रस्तुत किए गए थे। निदेशक मत्स्य ने बताया (जूलाई 2013) कि ए.एफ.एम.एस. को राशि जारी करने के कारण उ.प्र. को आवश्यकता के अनुसार प्रेषित किया गया था। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि उ.प्र. को निधियों के वास्तविक उपयोग के बिना क्यों प्रेषित किया गया था।
5.	**कर्नाटक** – निम्नलिखित विसंगतिया पाई गई थीं। ➢ कृषि विभाग ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान यू.ए.एस धाखाड़ (एक कार्यान्वयन अभिकरण) को ₹61.61 करोड़ की राशि जारी की। यह देखा गया था कि यू.ए.एस. धारवाड ने कृषि विभाग को पूर्ण राशि हेतु उ.प्र. प्रस्तुत किए। यू.ए.एस. धारवाड सहमत हुआ (जुलाई 2013) कि उ.प्र. जारी निधियों हेतु जारी किए गए थे न कि किए गए व्यय के लिए। ➢ इसी प्रकार, अनुसंधान निदेशक,यू.ए.एस. बैगंलोर ने 2007-13 की अवधि के दौरान कृषि विभाग

क्र.सं.	राज्य का नाम तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	से ₹146.30 करोड़ के अनुदान प्राप्त किये थे। इसमे से, अगस्त 2013 को ₹45.31 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए ₹100.99 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, जारी की गई पूर्ण राशि हेतु कृषि आयुक्त, बैगंलोर को प्रस्तुत किए गए उ.प्र. का परिणाम व्यय को गलत बताए जाने में हुआ। राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2014) कि मत्रांलय को खजाने से आहरित वास्तविक निधियों के आधार पर उ.प्र. प्रस्तुत किए गए थे। इसने दर्शाया कि वह उ.प्र. प्रस्तुत किए गए थे जो निधियों के आहरण पर आधारित थे न कि उनके उपयोग के आधार पर।
6.	**मध्य प्रदेश** – निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई थीं:- ➢ राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को 2007-08 से 2012-13 की अवधि हेतु ₹1767.05 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत किय गए थे। इसके प्रति, ₹1485.19 करोड़ के उ.प्र. लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे जो प्रारूप में विनिर्दिष्ट रूप में अथ तथा अंत शेष को नहीं दर्शाते थे। इसके अतिरिक्त, नोडल विभाग ने समेकित सहायक लेखे का भी अनुरक्षण नहीं किया था जो सबंधित वर्ष में परियोजना-वार, विभाग-वार व्यय को दर्शाए। इसलिए व्यय की सचाई, जैसा उ.प्र. में दर्शाया गया है, को सत्यापित नहीं किया जा सकता था। वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 हेतु अंतरिम उपयोग प्रमाणपत्रों[1] को सितंबर 2011 मे जाकर देरी से जारी किया गया था। उपयोग प्रमाणपत्र रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं था। ➢ वर्ष 2007-08,2009-10 के दौरान सिविल निर्माण कार्यों हेतु कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (ज.ने.कृ.वि.वि.) को ₹4.64 करोड़ की राशि जारी की गई थी जिसके प्रति 2011-12 तक निर्माण कार्यों पर ₹3.97 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, ₹4.64 करोड़ की पूर्ण राशि के उ.प्र. प्रस्तुत किए गए थे।
7.	**महाराष्ट्र** – लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट कि उ.प्र. को वास्तव में किए गए व्यय की बजाए कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान के निर्गम के आधार पर प्रेषित किया गया था जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से देखा जा सकता है: ➢ महाराष्ट्र मत्स्य विकास निगम (एम.एफ.डी.सी.), मुबंई ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹8.90 करोड़ की अनुदानें प्राप्त की जिसमें से इसने ₹5.50 करोड़ की अनुदाने कार्यान्वयन अभिकरण को जारी की। का.अ. ने केवल ₹2.85 करोड़ का व्यय किया परंतु एम.एफ.डी.सी. ने नोडल विभाग को ₹8.90 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत किए। एम.एफ.डी.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹8.90 करोड़ का अन्तरिम उ.प्र. मत्स्य आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया था। ➢ प्रभागीय प्रबधंन,(एफ.एस.प्रयोगशाला, खड़की, पूणे ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹1.20 करोड़ की अनुदाने प्राप्त की जिसमें से इसने ₹1.03 करोड़ की अनुदाने कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी की। कार्यान्वयन अभिकरणों ने केवल ₹42 लाख का व्यय किया परंतु प्रभागीय प्रबंधन, एफ.एस.प्रयोगशाला, खड़की, पूणे ने नोडल विभाग को ₹1.20 करोड़ का उ.प्र. प्रस्तुत किया। ➢ डेयरी विकास आयुक्त ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹29.67 करोड़ की अनुदाने प्राप्त की जिसे कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया गया था। का.अ. ने केवल ₹2.64 करोड़ का व्यय किया था परतु डेयरी विकास आयुक्त ने नोडल विभाग को ₹29.67 करोड़ का उ.प्र. प्रस्तुत किया।
8.	**मणिपुर** – निधि का वास्तव मे उपयोग किए जाने से पूर्व उ.प्र. प्रस्तुत करने के उदाहरण थे जैसा नीचे

[1] सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212 के अनुसार, उपयोग प्रमाणपत्र, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बारहमाह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

क्र.सं.	राज्य का नाम तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	देखा जा सकता है: ➢ वर्ष 2011-12 हेतु, मत्स्य पालन एंव सहकारिता के दो विभागों को अभी भी ₹2.35 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत करने थे परंतु नोडल विभाग ने वर्ष के दौरान पूर्ण राशि के उ.प्र. पहले ही मंत्रालय को प्रस्तुत कर देए थे। ➢ 2012-13 मे, नोडल विभाग ने सम्बद्ध विभागों को ₹11.52 करोड़ जारी करने के पश्चात मत्रांलय को ₹22.03 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत किए है। सम्बद्ध विभागों के अभिलेखों का संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹11.52 करोड़ की प्राप्ति में से अधिकाशं ने किए गए व्यय के प्रति उ.प्र. प्रस्तुत नहीं किए थे।
9.	**नागालैण्ड** – निम्नलिखित विसगंतियां पाई गई थीं: ➢ 2007-08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को कोई निधि जारी नहीं की गई थी उसके बाद भी मत्रांलय द्वारा जारी ₹2.09 करोड़ की राशि को अप्रयुक्त रूप में दर्शाया गया था। ➢ पशु रोग एवं पशुपालन विभाग के सिवाय चयनित विभागों के फील्ड कार्यालयों से उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण की कोई प्रणाली नहीं थी।
10.	**राजस्थान** – राजफेड[1], एक कार्यान्वयन अभिकरण ने नोडल विभाग से 2010-12 के दौरान एक परियोजना शीर्षक 'डी.ए.पी. तथा एस.एस.पी. का बफर एडंवास बफर स्टाकिगं' के कार्यान्वयन हेतु ₹88.73 करोड़ प्राप्त किए। प्राप्ति के प्रति राजफेड ने ₹63.73 करोड़ का उपयोग किया परंतु इसने नोडल विभाग को ₹88.73 करोड़ के उ.प्र. (सितबंर 2010, मई 2011, जुलाई 2011 तथा जून 2012) प्रस्तुत किए जबकि ₹25 करोड़ की शेष राशि राजफेड के खाते में पड़ी थी। इसका परिणाम नोडल विभाग को गलत उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में हुआ।
11.	**उत्तर प्रदेश** – लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल विभाग को उत्तर प्रदेश फील्ड इकाईयों को जारी निधियों के आधार पर उ.प्र., प्रेषित किया गया था (फील्ड इकाईयों से उपयोग प्राप्त किए बिना) जैसा निम्नलिखित उदाहरणों से देखा जा सकता है: ➢ गन्ना विकास विभाग ने 2011-12 के दौरान एक परियोजना 'गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम' के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग से ₹38.28 करोड़ प्राप्त किए। गन्ना विकास विभाग ने उन जिलों जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा था, को पूर्ण राशि जारी की। इस तथ्य कि ₹2.88 करोड़ की कुल राशि 20 जिलों (29 चयनित जिलों में से) में अप्रयुक्त पड़ी थी के बावजूद विभाग ने नोडल विभाग को पूर्ण राशि के उ.प्र. प्रेषित (अप्रैल-दिसंबर 2012) किए। ➢ प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ द्वारा कार्यान्वित 'विशेष डेयरी विकास परियोजना' के अंतर्गत 49 लाभार्थियों जिन्होने आंशिक रूप से दुधारू पशु इकाई की स्थापना की, ने 2012-13 के दौरान केवल ₹1.42 करोड़ की आर्थिक सहायता का उपयोग किया परंतु का.अ.ने ₹3.04 करोड़ की पूर्ण राशि (मार्च 2010 तथा मई 2012 में प्राप्ती का उ.प्र. (जनवरी 2013) जारी किया। इसी प्रकार आशिंक रूप से तथा पूर्ण रूप से स्थापित 22 हेफर इकाईयों ने 31 लाख की आर्थिक सहायता (मार्च 2010 तथा मई 2012 के दौरान प्राप्त ₹71 लाख में से) का उपयोग किया पंरतु का.अ.ने प्राप्त पूर्ण राशि अर्थात ₹71 लाख का उ.प्र. (जनवरी 2013) प्रस्तुत किया। इस प्रकार, ₹2.02 करोड़ के अधिक उपयोग को उ.प्र. में सूचित किया गया था। ➢ परियोजना ' कृषि उत्पादन की वृध्दि एवं विविधता को प्रोत्साहित करना तथा बाजार अवसरों को बढ़ाने हेतु किसानो की पहुंच को बढ़ाना' हेतु कार्यान्वयन अभिकरण 'यू.पी.डी.ए.एस.पी.' ने ₹231.96

[1] राजस्थान राज्य सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड

क्र.सं.	राज्य का नाम तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 253.70 करोड़ (2008-09 से 2011-12 के दौरान प्राप्त) का उ.प्र. प्रस्तुत किया जिसका परिणाम सितबंर 2013 में ₹21.74 करोड़ के उ.प्र. के गलत प्रस्तुतीकरण में हुआ। ➢ परियोजना 'बीज उपजाने वालों के स्तर पर प्रमाणित बीज का उत्पादन' के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरण 'यू.पी. बीज विकास निगम' ने रबी 2009-10 तथा खरीफ 2010 मौसम में प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रहें किसानों को प्रोत्साहन का भुगतान करने हेतु अगस्त 2010 में ₹22.68 करोड़ की राशि जारी की। जारी की गई राशि के प्रति, ₹14.45 करोड़ का उपयोग वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान करने हेतु किया गया था परंतु का.अ.द्वारा नोडल विभाग को ₹26.68 करोड़ की पूर्ण राशि का उ.प्र. मई 2011 में जारी किया गया था।
12.	**पश्चिम बंगाल** – लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने 2007-08 से 2012-13 के दौरान उप-योजनाओं सहित रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत ₹1546.90 करोड़ की कुल राशि प्राप्त की थी जिसके प्रति मत्रांलय को ₹1483.80 करोड़ की राशि के उ.प्र. प्रस्तुत किए गए थे तथा ₹63.10 करोड़ की शेष राशि हेतु उ.प्र. अभी भी नोडल विभाग द्वारा प्रेषित किया जाना था। तथापि, 31 मार्च 2013 को नोडल विभाग के पास ₹86.75 करोड़ का अव्यित शेष था। इसका परिणाम मत्रांलय को ₹23.65 करोड़ के उ.प्र. के गलत प्रस्तुतीकरण में हुआ।

अनुबंध-XIV

(पैराग्राफ 4.6 के सन्दर्भ)

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान निधियों को जारी करने में विलम्ब

क्र. स.	राज्य का नाम	निधियों के निस्तारण में विलम्ब (माह में)	
		राज्य से नोडल विभाग/संस्था	नोडल विभाग/संस्था से कार्यान्वित करने वाली संस्था
1.	आंध्र-प्रदेश	1-4	सूचना उपलब्ध नही करायी गयी
2.	अरूणाचल-प्रदेश	2-13	सूचना उपलब्ध नही करायी गयी
3.	असम	1-8	1-7
4.	छत्तीसगढ़	0-4	सूचना उपलब्ध नही करायी गयी
5.	गोवा	-	1-34
6.	गुजरात	2	1-5
7.	हरियाणा	1-8	कोई देरी नहीं
8.	हिमाचल-प्रदेश	0-6	सूचना उपलब्ध नही करायी गयी
9.	जम्मू व कश्मीर	1-5	1-4
10.	झारखण्ड	1-7	3-51
11.	कर्नाटक	1-9*	कोई देरी नहीं
12.	केरल	0-8	0-5
13.	मध्यप्रदेश	उ.न.	1-12
14.	महाराष्ट्र	उ.न.	सूचना उपलब्ध नही करायी गयी
15.	मणिपुर	1-11	1-9
16.	मेघालय	उ.न.	5-10
17.	नागालैण्ड	1-6	1-26
18.	ओडिशा	1-6	0-9
19.	पंजाब	1-7	1-7
20.	राजस्थान	उ.न.	0-5
21.	तमिलनाडु	1-7	कोई देरी नहीं
22.	त्रिपुरा	1-23	0-11
23.	उत्तर-प्रदेश	0-9	0-8
24.	उत्तराखण्ड	0-22	0-31
25.	पश्चिम-बंगाल	0-9	0-7

* राज्य सरकार से लेकर कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं के द्वारा निधियों के निस्तारण में देरी को शामिल करते हुए।

अनुबंध-XV

(पैराग्राफ 4.8 के संदर्भ में)

रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के बिना अधिक व्यय के राज्य-वार विवरण

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरी से अधिक किए गए व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	अधिक व्यय को पूरा करने वाले स्रोत
आन्ध्र प्रदेश	1	12.90	अन्य रा.कृ.वि.यो. परियोजना जहॉ बचतें उपलब्ध थीं, से पुन: आवंटित।
असम	3	3.85	2008-09 की अपुयुक्त रा.कृ.वि.यो. निधि (₹3.33 करोड़) और बजार बोर्ड की स्वयं की निधि (₹52 लाख) का पुन: आवंटन।
हिमाचल पद्रेश	6	0.78	कृषि विभाग के कुल बजट आवंटन के भीतर निधियों का पुर्नविनियोग।
जम्मू एवं कश्मीर	4	1.30	विवरण अनुपलब्ध है।
कर्नाटक	5	76.49	विवरण अनुपलब्ध है।
केरल	24	10.05	अन्य रा.कृ.वि.यो. परियोजना जहॉ बचतें उपलब्ध थीं, से पुन: आवंटित।
नागालैण्ड	7	0.76	पुर्नविनियोग।
कुल	**50**	**106.13**	

अनुबंध-XVII

(पैराग्राफ 4.10 के संदर्भ में)

रा.कृ.वि.यो. निधियों के बिना प्रयोजन पड़े रहने के राज्यवार उदाहरण

क्र.स.	राज्य का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.14	शेड नेट हाउसों के निर्माण हेतु नवम्बर/दिसंबर 2011 के दौरान आवश्यकता से अधिक प्राप्त ₹ 13.83 लाख की राशि को सितंबर 2013 में देरी से वापस किया गया।
2.	असम	15.10	निदेशक, डेयरी विकास ने बैंक से धन निकालकर राशि को मांग जमा प्राप्तियों (डी.सी.आर.) में रखा तथा समय-समय पर डी.सी.आर. को भुनाकर व्यय किया गया। जूलाई 2013 को निदेशक द्वारा ₹15.10 करोड़ की राशि पांच डी.सी.आर. में रखी गयी थी जिसमें 2008-09 से 2012-13 की अवधि से सबंधित राशियां शामिल हैं।
3.	हिमाचल प्रदेश	27.45	पांच चयनित जिलों में, दिसंबर 2010 तथा मार्च 2013 के बीच खजाने से आहरित ₹ 28.02 करोड़ में से कृषि उप-निदेशक (डी.डी.ए.) केवल ₹ 57 लाख का उपयोग कर सके। सितंबर 2013 को ₹ 27.45 करोड़ की अव्ययित राशि छः से 33 महीनों तक की अवधियों से बचत बैंक खातों में जमा पड़ी थी। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, सबंधित डी.डी.ए. ने बताया (जून-सितंबर 2013) कि बजट के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण किया गया था। यह दर्शाता है कि निधियों को आपूर्ति के अनुसार नहीं किया जा रहा था।
4.	झारखण्ड	1.72	लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि निधियों का आवागमन राज्य खजाने से किया जाना था तथापि, लेन-देन बचत बैंक खाते से किया जा रहा था तथा आठ कार्यान्वयन एजेंसियों[1] *(₹0.69 करोड़)* और समेति[2] *(₹1.03 करोड़)* के बैंक खातों में निधियों के अप्रयुक्त पड़े रहने की अवधि के दौरान ₹1.72 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया।
5.	कर्नाटक	184.00	लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन अभिकरण (समा) कृषि विभाग ने 2008-10 के वर्षों दौरान खजाने से ₹171.00 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियों का आहरण कर उसे सावधि जमा खाते में जमा किया। मार्च 2008 में अनुसंधान निदेशक, यू.ए.एस. बैंगलोर द्वारा कार्यकारी अभियन्ता, सम्पदा अनुभाग को ₹15.73 करोड़ की आवंटित राशि में से 13.00 करोड़ का आहरण सेल्फ चेक द्वारा कर उसे छः महीनों के लिए सावधि जमा खाते मे रख दिया गया (अगस्त 2008) तथा उस पर ₹68.57 लाख का ब्याज प्राप्त किया गया।

[1] डी.ए.ओ. दुम्का:₹ 0.02 करोड़, ए.टी.एम.ए. दुम्का: ₹0.15 करोड़, ए.टी.एम.ए. सरायकेला: ₹0.02 करोड़ ए.टी.एम.ए. रांची: ₹0.19 करोड़, ए.टी.एम.ए हजारीबाग ₹0.12 करोड़, ए.टी.एम.ए. रामगढ़ ₹0.07 करोड़, डी.एस.सी.ओ. सरायकेला ₹0.05 करोड़ तथा डी.एफ.ओ. रांची ₹0.07 करोड़

[2] राज्य कृषीय प्रबंधन विस्तार एंव प्रशिक्षण संस्थान (समिति)

क्र.स.	राज्य का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
6.	मध्य प्रदेश	1.73	पशुपालन विभाग (ए.एच.डी.) ने वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में प्राप्त ₹ 28 लाख के अव्ययित शेष को मार्च 2011 की समाप्ति तक निजी जमा (पी.डी.) खाते में रखा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के लिए प्राप्त ₹ 24.21 करोड़ में से ₹ 1.45 करोड़ की राशि मार्च 2013 को निजी जमा खाते में पड़ी थी। विभाग ने बताया कि ₹ 1.45 करोड़ की राशि का उपयोग एक्स-रे तथा सोनोग्राफी मशीनों को खरीद तथा स्थापित करने हेतु किया जाएगा। उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि राशियां तीन वर्षों से अधिक के लिए ए.एच.डी. के पास अव्ययित रही।
7.	महाराष्ट्र	18.50	महाराष्ट्र राज्य सरकारी दूध महासंघ मर्यादित (एम.आर.एस.डी.एम.एम।) ने रा.कृ.वि.यो के अतंर्गत ₹ 2.67करोड़ की अनुदानें प्राप्त की जिसमे से ₹ 18.50 करोड़ को सावधि जमा रखकर उस पर ₹ 85.86 लाख का ब्याज कमाया गया था। बचत खाते पर भी ₹ 26.59 लाख का ब्याज प्राप्त किया गया।
8.	मणिपुर	16.41	राज्य सरकार द्वारा नोडल विभाग को जारी ₹ 16.41 करोड़ की राशि (मार्च 2009: ₹ 90 लाख, मार्च 2010: ₹ 4.39 करोड़ तथा मार्च 2012: ₹ 1.12 करोड़) को नोडल विभाग द्वारा इसे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने से पूर्व 7 से 12 महीनों के बीच तक की अवधि के लिए रखा गया था।
9.	नागालैण्ड	67.45	2011-12 में, मंत्रालय द्वारा जारी ₹37.54 करोड़ में से, ₹18.77 करोड़ की राशि को अक्टूबर 2013 तक सिविल जमा खाते में रखा गया था। 2012-13 में मंत्रालय द्वारा जारी ₹74.55 करोड़ में से ₹48.68 करोड़ को अक्टूबर 2013 तक सिविल जमा खाते में रखा गया था।
10.	उत्तराखण्ड	87.40	₹4.05 करोड़ की राशि को रा.कृ.वि.यो. के बचत बैंक खाते में रखा गया था जिसमें मार्च 2013 तक प्राप्त ₹1.29 करोड़ का ब्याज शामिल था। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 की समाप्ति पर क्रमश: ₹1.31 करोड़, ₹78.70 करोड़ तथा ₹4.63 करोड़ की राशियों को अग्रिम के रूप में खजाने से आहरण किया गया तथा उसे निदेशक, कृषि के निजी बही खाते में जमा किया गया।
11.	पश्चिम बंगाल	339.13	लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल ₹586.79 करोड़ की राशि का 2007-08 से 2012-13 के दौरान अंतिम तिमाही (मुख्यत: मार्च में) खजाने से "शून्य भुगतान वाउचरो" के प्रति आहरण किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इस प्रकार आहारित राशि में से ₹339.13 करोड़ की राशि 31 मार्च 2013 तक 13 चयनित जिलों तथा 10 कम्पनियों/स्वायत्त निकायों/ सहकारी समितियों में अव्ययित पड़ी रही।
कुल		**759.03**	

अनुबंध-XVIII

(पैराग्राफ 4.11 के संदर्भ में)

रा.कृ.वि.यो. निधियों के विपथन के राज्यवार उदाहरण

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹करोड़ में)
हरियाणा	कृषि का दीर्घ प्रबंधन (कृ.दी.प्र.) योजना के अधीन एक परियोजना "प्रमाणित बीजों के उपयोग का लोक प्रियकरण" के अतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 15.02 करोड़ की अनुदान को संस्वीकृत किया गया था। संस्वीकृत राशि के प्रति ₹ 14.88 करोड़ की अनुदान को प्रभारित किया गया था तथा ₹ 25.29 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 10.41 करोड़ के अधिक व्यय को 2010-11 के दौरान एक रा.कृ.वि.यो. परियोजना शीर्षक 'प्रमाणित बीजों का संवितरण' के अंतर्गत उपलब्ध निधियो से पूरा किया गया था। नोडल विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (सितम्बर 2013) कि निधियों का उपयोग कृ.दी.प्र. हेतु किया गया था क्योंकि इस योजना के अतंर्गत आवंटन कम हो गया था। उत्तर प्रत्यायक नहीं है क्योंकि निधियो का रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत उपयोग किया जाना अपेक्षित था।	10.41
महाराष्ट्र	मंत्रालय ने 2010-11 तक कार्यान्वित किए जाने वाले प्रधानमंत्री विशेष सुधार पैकेज (प्र.मं. पैकेज) के अंतर्गत ₹3750.00 करोड़ की अनुदान संस्वीकृत (2006-07) की जिसमे एक घटक के रूप में "बीज प्रतिस्थापन अनुपात" ₹180.00 करोड़ की लागत वाली परियोजना शामिल थी। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड, अकोला (म.रा.बी.नि.लि.) के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2013) ने प्रकट किया कि राबी 2008 की समाप्ति पर ₹36.54 करोड़ की निधियां इस घटक के अंतर्गत अव्ययित रही। कार्यक्रम को आगे खारीफ - 2009 हेतु कार्यान्वित करने के लिए ₹61.00 करोड़ की निधियों की आवश्यकता थीं। चूंकि प्र.मं. पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान स्वीकार्य नहीं थी इसलिए राज्य सरकार ने बीज के संवितरण हेतु ₹25.00 करोड़ की अनुदान की मांग (मार्च 2009) की। मंत्रालय ने राज्य को पहले प्र.मं. पैकेज के अतंर्गत उपलब्ध ₹36.54 करोड़ की शेष राशि का उपयोग करने तथा फिर रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत सहायता पर विचार करने का निर्देश (मार्च 2009) दिया था जिसे रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। यह पाया गया था कि वर्ष 2008-09 में पांच रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत ₹20.83 करोड़ रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के बिना विपथन किया तथा उसे एम.एस.एस.सी.एल. को जारी किया (31 मार्च 2009) था। राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2013) कि मत्रांलय ने रा.कृ.वि.यो. निधियों से इस कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान की थी। तथ्य रहता है कि राज्य सरकार ने मत्रांलय के निर्देशों के प्रति रा.स्त.मं.स. की स्वीकृति के बिना रा.कृ.वि.यो निधियों का विपथन किया था।	20.83
मेघालय	2011-12 के दौरान, मत्रांलय द्वारा दूसरी किश्त के रूप में जारी (मार्च 2012) ₹ 7.33 करोड़ की राशि का नोडल विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ.), मत्स्य किसान विकास अभिकरण (म.कि.वि.अ.), शिलांग द्वारा कार्यान्वित मेघालय एक्वाकल्चर मिशन की कोर्पस निधि को विपथन (मार्च 2012) किया गया था।	7.33
पश्चिम बंगाल	₹3.66 करोड़ की राशि को क्रमश: 282 ब्लॉकों तथा 63 उप-प्रभागों में 17 से 31 जनवरी 2013 के बीच 'कृषि मेला' का आयोजन करने हेतु संवितरण किया गया था;	75.88

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹करोड़ में)
	जिसमें बी.जी.आर.ई.आई. हेतु आवंटित (नवम्बर 2012) निधि से 17 जिलों को शामिल किया गया। कृषि विभाग ने फर्म उपकरणों तथा मशीनरियों, जिसमें अस्वीकार्य मदें अर्थात् ट्रेक्टर भी शामील थे, की खरीद हेतु किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शीर्षक 'फार्म मशीनीकरण हेतु वित्तीय सहायता योजना (फा.म.वि.स.यों) के साथ दिसंबर 2012 में एक नई योजना प्रारम्भ की थी। फा.म.वि.स.यों का निधियन (₹ 101.73 करोड़) रा.कृ.वि.यो. (वर्ष 2011-12 हेतु रा.कृ.वि.यो. तथा बी.जी.आर.ई.आई. के अतंर्गत ₹ 72.22 करोड़ की अव्ययित राशि) सहित मुख्यत: विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से था।	
कुल		**114.45**

अनुबंध-XIX

(पैराग्राफ 4.12 के संदर्भ में)

अन्य वित्तीय अनियमितताओं के राज्य वार उदाहरण

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
बिहार	➢ 2011-13 के दौरान पांच जिलों[2], का रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओ 'चावल वृद्धि की प्रणाली (चा.वृ.प्र.) तथा 'गेहूं वृद्धि की प्रणाली (गे.वृ.प्र.)' आदि के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न बी.ए.ओ.[2], विषय मामला विशेषज्ञों, अधिकारियों तथा निजी अभिकरणों को कुल ₹24.59 करोड़ की अग्रिम प्रदान की गई थी परन्तु पूर्ण अग्रिम अगस्त 2013 तक गैर-समायोजित पड़ी थी। ➢ रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के पैरा 7.1.5 के अनुसार, नोडल अभिकरण परियोजना वार लेखाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगा। तथापि, सभी नमूना जांच किए गए जिलों के ब्लॉक स्तरीय अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लेखे जैसे कि रोकड़ बही, वाउचर, का उपयुक्त रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। उत्तर में, बी.ए.ओ. ने लेखाओं के अनुपयुक्त अनुरक्षण को लेखा-स्टाफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा कम्प्यूटर/प्रिटंर के गैर-प्रावधान को आरोपित किया।	24.59
मध्य प्रदेश	विभाग ने रा.कृ.वि.यो. के अतंर्गत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लेखांकन के उद्देश्य से बहियों हेतु प्रारूपो सहित लेखांकन की किसी प्रणाली की अनुशंसा/उल्लेख नहीं किया था। यह पाया गया था कि नौ कार्यान्वयन इकाईयो[3] में रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं के लेखाकंन हेतु बैंक पुस्तिका सहित कोई अलग परियोजना-वार-लेखाओं/बहियों को तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 10 कार्यान्वयन इकाईयों[4] द्वारा बैंक समाधान नहीं किया गया था।.	0.00
मणिपुर	सामान्य वित्तीय नियमावली निर्धारित करती है कि पूर्ण रूप से वाउचर किए आकस्मिक बिलों (मूल बिलों द्वारा समर्थित) का केवल तब आहरण किया जाना चाहिए जब सेवाएं प्रदान कर दी गई हो अथवा आपूर्तियां कर दी गई हो। तथापि, 2012-13 के दौरान नोडल विभाग ने परियोजना/कार्य की लागत के सार द्वारा समर्थित पूर्ण रूप वाउचर किए आकस्मिक बिलों के प्रस्तुत करके निर्माण कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन अथवा आपूर्तियों को प्राप्त करने से पहले निधि से ₹31.85 करोड़ का आहरण किया था। चूंकि अग्रिम भुगतान पूर्ण रूप से वाउचर किए आकस्मिक बिलों पर किया गया था इसलिए बाद की तिथि में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल द्वारा उनका नियमितीकरण अनुचित था तथा	31.85

[2] (i) भोजपुर (₹ 3.18 करोड़), (ii) मधुबनी (₹ 2.95 करोड़), (iii) मुज्जफरपुर (₹ 16.63 करोड़), (iv) नालंदा (₹ 8 लाख) तथा (v) रोहतास (₹ 1.75 करोड़)

[2] ब्लॉक कृषि अधिकारी

[3] डी.डी.ए.-उमरिया, पन्ना, विधिशा, खारगोन एंव देवास; ए.डी.एच.-उमरिया, अशोक नगर एंव होशंगाबाद; ए.एस.सी.ओ.-विधिशा-जी।

[4] डी.डी.ए. उमरिया, पन्ना, खारगोन एंव देवास; ए.डी.एच.- उमरिया, अशोकनगर, होशंगाबाद, खारगोन, एंव रायसेन; ए.एस.सी.ओ.-सेहोर-11

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
	इसलिए भुगतान वित्तीय अनियमितताओं से पूर्ण था। फरवरी तथा मार्च 2013 के दौरान विभाग द्वारा आहरित ₹31.85 करोड़ के संबंध में यह पाया गया था कि इसने आहरण की तिथि से पांच महीनों के पश्चात भी ₹7.75 करोड़ का भारी रोकड़ शेष रखा था।	
सिक्किम	कार्यान्वयन विभागों तथा नोडल विभाग ने रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन के विभिन्न उद्देश्यों हेतु संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम जारी किए। जून 2008 से मार्च 2013 के दौरान रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन हेतु संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से अग्रिम के रूप में कुल ₹4.87 करोड़ जारी किए गए थे तथा वह जुलाई 2013 तक बकाया रहे जिसमें से ₹2.35 करोड़ चार वर्षों से अधिक के लिए गैर-समायोजित रहे। ए.सी. बिलो के आहरण के पश्चात लम्बी अवधि तक अग्रिमों के गैर-समायोजन ने न केवल व्यय पर नियंत्रण में कमी को दर्शाता है बल्कि दुर्विनियोजन के जोखिम से भी परिपूर्ण था।	4.87
तमिलनाडु	परियोजना शीर्षक 'तमिलनाडु के 161 ब्लाको में स्वचालित मौसम स्टेशन (ए.डब्ल्यू.एस.) नेटवर्क की संस्थापना' हेतु संस्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ₹5.76 करोड़ तथा ₹7.18 करोड़ की लागत पर क्रमश: 2010-11 के दौरान 73 ए.डब्ल्यू.एस. (चरण-II) तथा 2011-12 के दौरान 88 ए.डब्ल्यू एस. (चरण-III की संस्थापना हेतु प्रदान (जनवरी 2011 तथा अक्टूबर 2011) की गई थी। अपेक्षित निधियां तमिलनाडु कृषीय विश्विविद्यालय (त.कृ.वि.) द्वारा अप्रैल 2011 तथा फरवरी 2012 में प्राप्त की गई थी। उपरोक्त निर्माण कार्यों (161 ए.डब्ल्यू.एस.) को एक साथ मिला दिया गया था तथा मार्च 2012 में निविदा आंमत्रित की गई थी। आवश्यक करार आपूर्ति आदेश को जारी करने की तिथि से छ: महीनों के भीतर अर्थात 25 अप्रैल 2013 को अथवा पहले सभी 161 ए.डब्ल्यू.एस. को संस्थापित करने की शर्त के साथ किया (अक्टूबर 2012) गया था। ₹ 8.81 करोड़ के सम्मत मूल्य के प्रति जून 2013 को केवल ₹1.48 करोड़ का व्यय पोर्टल सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर सर्वर, विज्ञापन लागत, आदि पर किया गया था। पंरतु ए.डब्ल्यू.एस. की संस्थापना का कार्य अभी तक अपूर्ण था जैसा त.कृ.वि. द्वारा सूचित किया गया। 73 ए.डब्ल्यू.एस. की संस्थापना हेतु संस्वीकृति प्राप्त करने पर तुरंत निविदा को अंतिम रूप देने में विफलता, निविदा के संसाधन में विलम्ब तथा आज तक स्थल की पहचान में विलम्ब का परिणाम 18 महीनों से अधिक के लिए ₹11.45 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियों का सरकारी खाते के बाहर अवरोधन में हुआ।	11.45
पश्चिम बंगाल	➢ एक स्ट्रीम-II परियोजना शीर्षक "ट्रेकिंग उपकरण सहित जहाज मॉनीटरिंग प्रणाली समर्थ जी.पी.एस. की संस्थापना" जो मुख्यत: आपदा प्रबंधन हेतु उपयोगी है को रा.स्त.मं.स. द्वारा ₹ 90 लाख की लागत पर 2009-10 में स्वीकृत किया गया था। परियोजना ₹ 2.52 करोड़ की राशि का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण थी क्योंकि समुद्रतट से सिगनल ट्रांसमिशन हेतु एरियल दूरी के उपकरण फिशिंग बोटों हेतु 60 कि.मी. की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति 39 कि.मी. तक ऐरियल दूरी को शामिल कर सका था। परिणामस्वरूप, जो.पी.एस. उपकरण व्यर्थ पड़े थे। मछूवारे	3.71

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
	उपकरण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि प्रणाली समुद्र में मछली पकड़ते समय स्थिति को निर्धारित करने का समर्थन नहीं करती थी। ➢ पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड (प.बं.रा.बी.नि.लि.) ने कृषि विभाग से ₹303.47 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियां प्राप्त की थीं; जिसमें से ₹299.82 करोड़ का 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को संवितरण किया गया था। उन्हें अपने जमा खाते में ₹3.65 करोड़ की रा.कृ.वि.यो. निधियों के असंवितरित शेष का अधिकार था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2013 को जमा खाते में ₹2.46 करोड़ के शेष को दर्शाया। इस प्रकार, ₹1.19 करोड़ की राशि की विसंगति थी। प.बं.रा.बी.नि.लि. आकड़ो का समाधान करने में असमर्थ था।	
कुल		**76.47**

अनुबंध-XX

(पैराग्राफ 5.1 के सन्दर्भ में)

स्ट्रीम-1 परियोजनाओं में नमूना चयन एंव जिला चयन का क्षेत्रवार विवरण

(i)	सूक्ष्म/लघु सिचांई (आई.आर.आर.आई.) क्षेत्र	
क्र. सं.	**राज्य एंव जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों का नाम**
1.	**असम**	
	(i) सिंचाई (ii) सिंचाई (कृषि)	गोलाघाट, धीमाजी, धुबरी, कामरूप, बरपेटा
2.	**हरियाणा**	
	(i) जल हेतु भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली डालने के लिए संहायता प्रदान करने हेतु परियोजना (ii) कृषि हेतु जल संसाधन	अम्बाला, कैथल, रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल
3.	**जम्मू व कश्मीर**	
	(i) ₹1.00 लाख/है. के जल स्त्रोतों का सृजन निम्नतम 10 है. के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक (तकनीकी मिशन दिशानिर्देशों के आधार पर) (ii) कश्मीर प्रभाग के 11 जिलों में जल स्त्रोतों का सृजन तथा क्षेत्र चैनलों का निर्माण/पुर्नभाग (iii) जम्मू क्षेत्र में जलविभाजक विकास कार्यक्रमों तथा जल संरक्षण संरचना	बारामूला, बंदीपुरा, कुपवाड़ा, कठुआ और ऊधमपुर
4.	**झारखण्ड**	
	(i) उन्नत कृषक समूह हेतु सूक्ष्म उच्च सिंचाई प्रणाली का विभाजन (ii) उन्नत सिंचाई प्रणाली का निर्माण	धुमका, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला
5.	**कर्नाटक**	

(i)	सूक्ष्म/लघु सिचांई (आई.आर.आर.आई.) क्षेत्र	
क्र. सं.	**राज्य एंव जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों का नाम**
	(i) स्वर्ण कृषि होंडा (ii) स्वर्ण कृषि होंडा	बंगलौर (शहरी), चामराजनागरा, धारवाड़, कोलार, कुप्पल
6.	**केरल**	
	(i) कुंआ/पम्पसैट का निर्माण-50% लागत या ₹7500/- जो भी कम हो (ii) धान भूमि विकास	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
7.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) नलकूप (ii) लघु सिंचाई टंकी का निर्माण	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खारगोन, सेहोर-2
8.	**महाराष्ट्र**	
	(i) कृषि तालाब (ii) कृषि तालाब	अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नागपुर
9.	**ओडिशा**	
	(i) सिंचाई क्षेत्र विकास तथा जल संसाधन सालिया सिंचाई परियोजना (ii) नवरंगपुर जिले के उमरकोट खण्ड में भास्कल सिंचाई परियोजना का अयाकट क्षेत्र में कृषि विकास कार्य पर	खुर्दा, नवरंगपुर
10.	**सिक्किम**	
	(i) समुचित जल प्रबंधन एंव छत जल के लिए सिंचाई सुविधाओं का सृजन	पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
11.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) 7955 निजी नलकूपों का ऊर्जाकरण (ii) लघु सिंचाई कार्य (गहरी खुदाई, मध्यम गहरे, नलकूप, डा. बी.आर. अम्बेडकर नलकूप तथा डा. अम्बेडकर समुदाय नलकूप)	आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, मऊ, प्रतापगढ़

(ii)	फसल विकास (क्रॉप) क्षेत्र	
क्र.सं.	**जांच की गई परियोजनाओं एंव राज्य का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	
	(i) 10-20% प्रतिशत भूमि सीढ़ीदार खेत द्वारा क्षेत्र विस्तार (ii) सरसों खेती तथा उत्पाद कार्यक्रम	निचली सुबानसिरी, लोहित, पूर्व सियांग, चांगलेंग, पापुमपरे
2.	**असम**	
	(i) विस्तार सुधारों का प्रशिक्षण तथा उन्नयन (ii) किसान के खेत में सरसो का प्रदर्शन	गोलाघाट, डरांग, धेड़माजी, बोंगइगांव, मोरीगांव
3.	**बिहार**	
	(i) हाइब्रिड प्रजातियों के प्रचलन के जरिए चावल उत्पादकता को बढ़ाना (ii) गन्ना बीज का वितरण	भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पुर्निया रोहतस, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
4.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) डी.एन.ए फिंगरप्रिटिंग, जीन्स की जैव संभावना तथा सी.जी. जर्मप्लाज्म का खनन (आधारभूत संग्रह) विभिन्न जैविक, अजैविक, उपज एंव अनाज गुणवत्ता विशेषो के लिए (ii) ऊतक कल्चर प्रयोगशाला, रायपुर	रायपुर
5.	**गुजरात**	
	(i) धान, मक्का, बाजरा, सरसो तथा मूंग फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना (ii) ग्रीष्म बाजरा उत्पादन को बढाना तथा पी पी पी मोड में किसानो की उत्पादकता (iii) गहन आगत कृषि और निर्वाह के तहत क्लस्टबीन उपयोगिता के औद्योगिक विस्तार के लिए आधारभूत सरंचनात्मक सशक्तीकरण	बनासंकण, आंनद, गांधीनगर
6.	**कर्नाटक**	
	(i) सूरजमुखी में तेल तत्व तथा तेल गुणवत्ता की वृद्धि	चिकाबल्लापुरा, मैसूर, उदुपी, शिमोगा, कोडागू, बेल्लारी, गुलबर्गा

(ii)	फसल विकास (क्रॉप) क्षेत्र	
क्र.सं.	**जांच की गई परियोजनाओं एंव राज्य का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) फसल उन्नयन केन्द्र का भौगोलिक सूचक	
7.	**केरल**	
	(i) वट्टावड़ा तथा कंठालूर में शीतकालीन सब्जियो का विकास (ii) उच्च पैदावारी धान की प्रजातियों का उन्नयन (iii) धान की खेती के लिए पदासेकरामस में आधारभूत निर्माण (iv) चावल का विकास	त्रिरूवनंतपुरम, कोलम, अलापुजहा, पठानमथीटा, कोट्टयम, इदुक्की, एर्नाकुलम थ्रिरिसुर, मालापुरम, कोझिकोड, कान्नूर, पालक्कड़, त्रिवेंद्रम, कासारागोड़
8.	**मध्यप्रदेश**	
	(i) क्षेत्र प्रदर्शन एवं कृषि क्षेत्र विद्यालय (ii) जैविक कृषि	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खारगोन
9.	**मेघालय**	
	(i) नदी घाटी अपर्दन/नदी तलहटी क्षेत्र (2009-10) में फसल उत्पादन तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा एंव जल संरक्षण (ii) झूम खेतों/वनभूमि तथा छोड़ी हुई झूम/वनभूमि (2009-10) की फसल उत्पादन तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा एंव जल सरंक्षण	जैंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, रि-भोई, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, साऊथ गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स
10.	**ओडिशा**	
	(i) राज्य में हाईब्रिड मक्का खेती का प्रचलन (ii) पी.पी.पी. मोड में रा.कृ.वि.यो. 2011-12 के तहत हाइब्रिड मक्का का प्रचलन	बारगढ़, गाजापटी, खुर्द, कालाहांडी, मयूरभंज, सुन्दरगढ़
11.	**पंजाब**	
	(i) गेहूँ बीज वितरण (2009-10) (ii) गेहूँ बीज वितरण (2011-12)	फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना, नावाशहर, पटियाला
12.	**राजस्थान**	
	(i) मक्का फसल पर बाँसवाड़ा और उदयपुर के जनजातीय जिलों में हाइब्रिड	उदयपुर, बॉसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़

(ii)	फसल विकास (क्रॉप) क्षेत्र	
क्र.सं.	**जांच की गई परियोजनाओं एंव राज्य का नाम**	**जिलों के नाम**
	बीजों का उन्नयन (परियोजना गोल्डन रे राजस्थान 2009) (ii) हरे चारे का उत्पादन	
13.	**सिक्किम**	
	(i) छोटी मकई तथा मीठी मकई की खेती	पूर्व, दक्षिण एंव पश्चिम
14.	**तमिलनाडु**	
	(i) चावल उत्पादक क्षेत्रों के लिए जिंक सल्फेट को प्रयोग करना (ii) 100000 हेक्टेअर में प्रदर्शन के जरिए तमिलनाडु में चावल तीव्रीकरण की उन्नत प्रणाली (iii) सूखा क्षेत्र विकास तथा लघु बाजरा का प्रचलन	विलुपुरम, तिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवेली, इरोड, डिंडीगुल
15.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम	फैजाबाद, महाराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर
	(ii) पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेखा बुवाई के जरिए बीज और उर्वरक की उचित नियोजन के द्वारा गेहूं की उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाना	

(iii)	बागवानी (एच ओ आर टी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांची गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलो के नाम**
1.	**आंध्र प्रदेश**	
	(i) एकीकृत वनस्पति उत्पादन तकनीकियां	महबूबनगर, मडाक, नालगोंडां, रंगारेड्डी
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	
	(i) **आलू बीज खेती एंव उत्पादन कार्यक्रम** (ii) **मधुमक्खी विकास कार्यक्रम**	पापुमपरे, लोअर सुबांसरी, पूर्वी सियांग, लोहित, चांगलेंग
3.	**असम**	

(iii)	बागवानी (एच ओ आर टी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांची गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलो के नाम**
	(i) हाईटेक उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन (2010-11) (ii) लघुशक्ति हल 5.5 एच.पी. (2011-12)	गोलाघाट, डरांग, बोंगाइगॉव, एंव गोलपाड़ा
4.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) नर्सरियों की स्थापना एवं रखरखाव का समर्थन (ii) पुरानी नर्सरियों का आधुनिकीकरण एंव स्तर उन्नयन (iii) वनस्पति फसल क्षेत्र विस्तार (iv) वनस्पति फसल प्रदर्शन	बीजापुर, दंतेवाड़ा, धामतरी, जांजगीर, बिलासपुर
5.	**जम्मू एवं कश्मीर**	
	(i) अखरोट तथा अन्य फलीय पौधों की हाईटेक हरित ग्रह प्रसारण की स्थापना **(ii)** विभागीय नर्सरियों/सन्तति बागानों का सुदृढीकरण/विकास **(iii)** बडर्स हेतु ग्राफटिंग झोपिड़ियाँ प्रदान करना (iv) शेड़ नेट हाऊस (टैबूलर/वुडन/बम्बू)	बारामूला, बंदीपुरा, कुपवाडा, कठुआ, ऊधमपुर
6.	**कर्नाटक**	
	(i) आम विकास केन्द्रों की स्थापना **(ii)** बागवानी की फसलों को गुणवत्ता प्रदान करने वाली सामग्री का उत्पादन एंव आपूर्ति (iii) विभागीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना	बैंगलोर (यू), बैंगलोर (आर), कोलार, चिक्काबालापुर, रामनगर, चित्रदुर्ग, चमराजनगर, तुमकुर
7.	**मध्यप्रदेश**	
	(i) भण्डारण सुविधाएं, प्याज भण्डारण **(ii)** लघु सिंचाई (iii) वर्मी खाद	उमरिया, होशंगाबाद, पन्ना, रायसन, खरगोन, अशोक नगर
8.	**महाराष्ट्र**	
	(i) बागवानी, फसलों और प्याज का कायाकल्प के लिए विशेष परियोजना के तहत सहायता	पुणे

(iii)	बागवानी (एच ओ आर टी) क्षेत्र	
क्र.सं.	राज्य तथा जांची गई परियोजनाओं के नाम	जिलो के नाम
	(ii) फसल कीट निगरानी एंव सहायक परियोजना (सी आर ओ पी एस ए पी) बागवानी फसलें	
9.	**मणिपुर**	
	(i) अविकसित बागवानी फसलों का उन्नयन (ii) वनस्पति फसलों का उन्नयन	पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल, थाउबल, बिशनूपुर, सेनापति
10.	**मेघालय**	
	(i) प्रत्येक जिले में नए बागवानी समूह क्षेत्र को बढ़ावा देना (ii) बागवानी क्षेत्र के तहत राज्य में 10 स्थानों पर बागवानी समूह क्षेत्रों को बढ़ावा देना	जैनतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, साऊथ, गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स
11.	**नागालैण्ड**	
	(i) मुख्य बागवानी फसलों का एकीकृत विकास (ii) बागवानी तथा अन्य फसलों का क्षेत्र विस्तार	कोहिमा, दीमापुर, जुन्हेबोटो, मोन, फेक
12.	**पंजाब**	
	(i) साइट्रस संपदा की स्थापना (ii) साइट्रस नर्सरियों में पौधारोपण सामग्रियों का प्रमाणीकरण	फिरोजपुर, होशियारपुर, मुक्तसार, लुधियाना
13.	**राजस्थान**	
	(i) अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव एंव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (ii) खजूर ताड़ पौधारोपड़ कृषक क्षेत्र (iii) शेड नेट हाऊस के तहत हाई-टेक वनस्पति खेती	बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर
14.	**सिक्किम**	
	(i) उच्च तकनीक हरित ग्रह (ii) उच्च तकनीक शीतग्रह की स्थापना	दक्षिणी, पूर्वी एंव पश्चिमी सिक्किम
15.	**तमिलनाडु**	

(iii)	बागवानी (एच ओ आर टी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांची गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलो के नाम**
	(i) उच्च तकनीक उत्पादकता वर्द्धक कार्यक्रम (2009-10) (ii) उच्च तकनीक उत्पादकता वर्द्धक कार्यक्रम (2011-12)	विलुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूणेलवेली, इरोड़ एंव दिंदिगुल
16.	**त्रिपुरा**	
	(i) गैर मौसम एंव अन्य जड़ तथा कंद सब्जियों का उत्पादन बढाना (ii) कम फाइबर अदरक की उन्नत विधि पर प्रदर्शन (iii) चरणबद्ध रोपण और रासायनिक प्रेरक के माध्यम से अनानास ब्लॉक वृक्षारोपण	ढ़लाई, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा
17.	**उत्तराखण्ड**	
	(i) राज्य के खेतों में मदर ब्लॉकों की बागवानी फसलों के उचित बाड़ के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि (ii) चमोली के उच्च-ऊचाई में औषधीय एंव खुशबूदार पौधों की खेती का उन्नयन	चमोली, अल्मोड़ा
18.	**पश्चिमी बंगाल**	
	(i) बागवानी तकनीकी प्रसार केन्द्र की स्थापना, मालदा, 2007-08 (ii) तकनीकी प्रसार केन्द्र, 2009-10 (iii) वनस्पति खेती, 2010-11 (iv) फलों के उत्पादन का सुधार, 2011-12 (v) प्रौद्योगिकी प्रसार केन्द्र की स्थापना/अवसंरचना विकास, 2011-12	बंकुरा, बीरभूम, हुग्ली, पश्चिम मेदिनीपुर, मालदा

(iv)	बीज (एस.ई.ई.डी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्रप्रदेश**	

(iv)	**बीज (एस.ई.ई.डी.) क्षेत्र**	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) बीज उत्पादन के लिए आधारभूत सशक्तीकरण (ii) बीज श्रंखला का सशक्तीकरण	रंगारेड्डी, मडाक, नालगोंवा, महबूबनगर
2.	**बिहार**	
	(i) बीज उत्पादन प्रसंस्करण एंव संग्रहण के लिए बिहार राज्य बीज निगम लि. का सशक्तीकरण (बी.आर.बी.एन.लि.) (ii) प्रमाणित बीजों का उन्नयन	भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पुरनिया, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
3.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) बीज बढ़ोत्तरी के लिए (ii) हाइब्रिड चावल के.आर.एच.-2 की क्षति के लिए किसानो को अंतरिम राहत	बिलासपुर, दुर्ग, कनकेर, रायपुर, राजनदंगांव
4.	**गुजरात**	
	(i) मूंगफली, गेहूं और बाजरा के गुणवत्ता बीज का उत्पादन (ii) गोदामों का सम्बद्ध आधारभूत विकास	गांधीनगर, राजकोट, जूनागढ़
5.	**हरियाणा**	
	(i) 2010-11 के दौरान प्रमाणित बीज के वितरण पर अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित परियोजना (ii) गुणवत्ता प्रेरक बीज के उत्पादन के लिए हिसार में बीज कार्य का सुदृढीकरण	कुरूक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल
6.	**हिमाचल प्रदेश**	
	(i) राज्य बीज फार्मो का सुदृढीकरण एवं बहुलीकरण (ii) गुणवत्ता परक बीजों का उन्नयन (सी.एस.के.एच.पी.के.वी.)[1]	शिमला, सोलन, नाहन, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर

[1] चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

(iv)	**बीज (एस.ई.ई.डी.) क्षेत्र**	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(iii) 100% बीज उपचार को बढ़ावा देने के लिए योजना (iv) खरीफ फसलों के बीजों के लिए 50% सहायता	
7.	**झारखण्ड**	
	(i) एकीकृत विकास के लिए कृषि फार्म पर बीज उत्पादन तथा एच वाई वी का बीज उत्पादन (दालों, प्रमाणित बीजों, बीजो, संकरित धान, संकरित मक्का, रिजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक, जिंक सल्फेट) (ii) रा.कृ.वि.यो. के तहत विभिन्न संकरित अधिसूचित बीजों का प्रदर्शन	दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला
8.	**कर्नाटक**	
	(i) भागीदारी बीज उत्पादन (ii) कर्नाटक बीज मिशन	बैंगलोर, चमराजनागरा, धारवाड़, कोलार, कोप्पल
9.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) बीज उत्पादन कार्यक्रम *(ii)* बीज उत्पादन	विदिशा, उमरिया,, धार, देवास, पन्ना, खरगौन
10.	**महाराष्ट्र**	
	(i) प्रधानमंत्री पैकेज के तहत बीजों का उत्पादन *(ii)* बीज गोदाम का निर्माण तथा बीज मशीनरी की खरीद	अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नागपुर, पुणे
11.	**पंजाब**	
	(i) बीज ड्रेसिंग ड्रम का वितरण (2009-10) (ii) बीज ड्रेसिंग ड्रम का वितरण (2010-11)	तरन तारन, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पटियाला
12.	**तमिलनाडु**	
	(i) गुणवत्ता परक बीजों का उत्पादन तथा प्रदर्शन का सुदृढ़ीकरण (2007-08)	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवली, इरोड़, डिंडीगुल

(iv)	बीज (एस.ई.ई.डी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) राज्य बीज फार्म में आधारभूत सुविधाओं का विकास (2011-12)	
13.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) बीज बढ़ोतरी के स्तर पर प्रमाणित बीजों या उत्पादन (2010-11) आई.डी. सं. 44 *(ii)* बीज बढ़ोतरी के स्तर पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन (2010-11) आई.डी. सं.45 *(iii)* बीज आर्थिक सहायता	बागपत, गाजियाबाद, कासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ
14.	**पश्चिमी बंगाल**	
	(i) सरकारी कृषि फार्मों (9 जिलों) का आधारभूत विकास (2007-08) (ii) सरकारी कृषि फार्मों का आधारभूत विकास (2010-11)	जलपाइगुड़ी, साउथ 24 परगना, नादिया, पुरया, पयचिमी मादिनापुर

(v)	पशुपालन (ए.एन.एच.बी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) सूखा शमन के लिए चारा बीजों को प्रतिपूर्ति (ii) भेड़ और बकरी की स्वास्थ्य की देखभाल (iii) लघु डेयरियों की स्थापना (iv) बछड़ा पालन कार्यक्रम (v) दुधार पशुओं का प्रेरण	रंगारेड्डी, मडाक, नालागोंडा, महबूबनगर
2.	**असम**	
	(i) क्षमता निर्माण (2008-09)	कामरूप, नलवाड़ी, लखीनपुर, धुबरी, जोरहाट

(v)	पशुपालन (ए.एन.एच.बी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) आधारभूत विकास (2008-09) (iii) पशुधन उद्यमिता प्रबंधन के क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना (प.उ.प्र.क्षे.सं.) (2011-12)	
3.	**बिहार**	
	(i) पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान का नवीनीकरण/संशोधन	भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपलगंज किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पुरनिया, रोहताश, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
4.	**गोवा**	
	(i) गोवा में आजीविका सुरक्षा के लिए ग्रामीण मुर्गी उत्पादन **(ii)** पशुचारे संयंत्र का आधुनिकीकरण	उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा
5.	**गुजरात**	
	(i) विभिन्न जिलों में चारा विकास (ii) बड़ोदरा में 140 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना (iii) कावन्त आजीविका परियोजना (iv) जन जातियों क्षेत्रों में पशुधन मालिकों के लिए पशु बाड़े के लिए सहायता	वड़ोदरा, नवसारी, दाहोद
6.	**हरियाणा**	
	(i) स्थायी पशुधन उत्पादन के धन के रूप में झुंड स्वास्थ्य प्रबंधन (ii) इन-सीटू, शीर्ष गुणवत्ता मुर्राह भैंसों का संरक्षण (iii) राज्य में 2000 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए जे.के. ट्रस्ट के लिए ए.आई. सर्विस की आउटसोर्सिंग	कुरूक्षेत्र, हिसार, भिवानी, झज्जर, मोहिन्द्रगढ़
7.	**कर्नाटक**	

(v)	पशुपालन (ए.एन.एच.बी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) पशु स्वास्थ्य एवं विस्तार सुविधाओं को तीव्रता (ii) टीका उत्पादन को बढ़ोत्तरी (2008-09) (iii) टीका उत्पादन को बढ़ोत्तरी (2010-11) (iv) टीकाकरण और निदान के विकास के लिए केन्द्र	बैंगलोर (यू), चामराज नगर, धारवाड, कोलार, कोप्पल
8.	**केरल**	
	(i) राष्ट्रीय डेयरी क्षेत्र के उत्थान के लिए, भारत में बुल शुक्राणु सेक्सिंग तथा व्यवसायिक सेक्सड सीमन (ii) डेयरी सहकारी समितियों से डेयरी किसानों को दूध डालने के लिए मवेशियों को उपलब्ध कराने की योजना (iii) बछड़ा पालन अनुदान योजना	त्रिरूवंनंतपुरम, कोल्लाम, अलापुझा, पठानमंथीय, कोट्टयम, इदुक्की, एर्नाकुलम, थ्रिसुर, मालापुरम, कोझिकोड, कन्नूर, पालक्कड़, त्रिवेन्द्रम, कंसारगोड़
9.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) पशुपालन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (सी.बी.एफ.) (ii) शीत श्रंखला की स्थापना (iii) अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	बादवानी, मंदसौर, ग्वालियर, खरगोन, शाजापुर
10.	**महाराष्ट्र**	
	(i) अमरावती जिले में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके सरकारी अंडे उत्पत्ति शालाओं के वितरण के नेटवर्क का सुदृढीकरण (ii) खड़की, पुणे में फ्रोजन सीमन प्रयोगशाला, की स्थापना (iii) क्षेत्र पशु चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा और ऐडियोलोजी और प्रशिक्षण विभाग का सुदृढीकरण/नवीकरण	पुणे, लातूर, अमरावती

(v)	पशुपालन (ए.एन.एच.बी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
11.	**नागालैण्ड**	
	(i) पशुधन विकास (2011-12) (ii) चारा विकास (2010-11)	कोहिमा, दीमापुर, जुनहेबोटो, मोन, फेक
12.	**पंजाब**	
	(i) विभाग के पशु चिकित्सा संस्थान में पशु चिकित्सा एवं दवाईयां प्रदान करना (2009-10) (ii) विभाग के पशु चिकित्सा संस्थान में पशु चिकित्सा एवं दवाईयां प्रदान करना (2011-12) (iii) चारा विकास कार्यक्रम	गुरूदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, मोगा, संगरूर
13.	**सिक्किम**	
	(i) अधिक उपज देने वाली डेयरी पशु सेवन प्रसार और विकास को बढ़ावा देना (ii) मेली पेयोंग में फीड इकाई की स्थापना	पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण
14.	**तमिलनाडु**	
	(i) हरा चारा विकास (ii) तमिलनाडु में विभागीय पशुधन खेतों के माध्यम से पशुधन का अनुसायिक उन्नयन करना (iii) पशुचिकित्सा निवारक दवा संस्थान रानीपत में जी.एम.पी. मानकों के लिए जीवाणु टीका उत्पादन प्रयोगशाला का उन्नयन (iv) पशु स्वास्थ्य कवर प्रदान करने हेतु मोबाइल इनपुट यूनिट का सृजन करना	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवली, इरोड़, डिंडीगुल

(v)	पशुपालन (ए.एन.एच.बी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(v) मोबाइल नैदानिक प्रयोगशाला का प्रावधान	
15.	**त्रिपुरा**	
	(i) प्रजनन पोल्ट्री फार्म की स्थापना (ii) सुअर पालन पर प्रदर्शन इकाई का विकास (iii) बकरी पालन पर प्रदर्शन इकाई का विकास	ढलाई, उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा
16.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) जिला स्तर पर बकरी फार्मिंग इकाई की स्थापना *(ii)* पशुधन मालिकों को पांच दिनों का प्रशिक्षण एवं विस्तार सुविधाएं *(iii)* कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण	बस्ती, जौनपुर, लखनऊ, मैनपुरी, सहारनपुर
17.	**पश्चिम बंगाल**	
	(i) गो-सम्पद विकास अभिजन 2010-11 (ii) गो-सम्पद विकास अभिजन (चरण-II)-2011-12 (iii) गो-सम्पद विकास अभिजन (चालू)-2011-12 (iv) पिछड़े मुर्गी पालन का स्थायी विकास 2008-09	जलपाइगुड़ी तथा दक्षिण 24 परगना, कूचबेहड़, पूर्वी मेदिनीपुर, नादिया, नार्थ 24 परगना, बंकुरा

(vi)	कृषि यंत्रीकरण (ए.एम.ई.सी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) चावल संयुक्त हार्वेस्टर्स (ii) तेज मशीनीकरण	रंगारेड्डी, मडाक, मालगोंडा, महबूबनगर

(vi)	कृषि यंत्रीकरण (ए.एम.ई.सी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	
	(i) लिंग अनुकूल हस्त उपकरण एंव औजार	लोअर सुबांसिरी, लोहित, पूर्वी सियांग, चांगलेंग, पायमपार
3.	**असम**	
	(i) यंत्रीकरण (2009-10) (ii) पावर टिलर/पैडी थ्रेसर/रोटॅरी टिलर का वितरण (2011-12)	गोलाघाट, डरांग, बरपेटा, नालबारी, मोरीगांव
4.	**बिहार**	
	(i) कृषि यंत्रीकरण का उन्नयन (ii) कृषि यंत्रीकरण की योजना	भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पुरनिया, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
5.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) कृषि सुधार यंत्रों का उन्नयन (ii) कृषि औजारों का वितरण	बिलासपुर, दुर्ग, कंकेर, रायपुर, राजनंदगांव
6.	**गुजरात**	
	(i) विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए यंत्रीकरण के माध्यम से किसानों की कार्य कुशलता में सुधार (ii) सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में कृषि यंत्रीकरण का प्रचलन	अमरेली, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर
7.	**हरियाणा**	
	(i) बागवानी फसलों में कृषि उपकरणों का प्रयोग करने की प्रस्ताव परियोजना को 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करना (ii) कपास बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन प्रदान करना	हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जिंद, भिवानी
8.	**कर्नाटक**	

(vi)	कृषि यंत्रीकरण (ए.एम.ई.सी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) कर्नाटक कृषि यंत्रीकरण एंव मिशन (ii) कर्नाटक कृषि यंत्रीकरण मिशन	बैंगलोर (यू), चमराजनगर, धरवाड़, कोलर, कोप्पल
9.	**केरल**	
	(i) श्रम बैंक तथा यंत्रीकरण के लिए सर्मथन (ii) कुट्टानद पैकेज-कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रस्तावित योजना (2009) (iii) कुट्टानद पैकेज-कृषि यंत्रीकरण के लिए वास्तविक योजना (2010)	कन्नूर, थ्रिसूर, अलापुजाहा, त्रिवेन्द्रम, केाट्टयम, पठानमथित्ता
10.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) वर्षाग्रस्त क्षेत्रों में दाल तथा तिलहन उत्पादक ग्रामों में कस्टम हायरिंग कन्द्रों की स्थापना उपकरणों की प्राप्ति (ii) किसानों को स्पाइरल ग्रेडर तथा बीज ट्रीटिंग ड्रम प्रदान करना	विदिशा, उमरिया, धार, पन्ना, देवास, सिधि
11.	**महाराष्ट्र**	
	(i) *सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दालों एंव तिलहनों के लिए विशेष पहल* (ii) *गन्ने की कटाई में यंत्रीकरण*	अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नागपुर, पुणे
12.	**नागालैण्ड**	
	(i) कृषि यंत्र (ii) कृषि उपकरण औजार पावर टिलर, पम्प सेट इत्यादि	कोहिमा, दीमापुर, जुनहेबोटो, मोन, फेक
13.	**ओडिशा**	
	(i) पावरटिलर की लोकप्रियता को बढ़ाना (ii) कृषि औजार/यंत्रों/उपकरणों की लोकप्रियता को बढ़ाना	बारगढ़, गाजापटी खुर्द, कालाहांडी, मयूरमंज, सुंदरगढ़, नवारंगपुर
14.	**तमिलनाडु**	
	(i) तमिलनाडु में कृषि यंत्रीकरण (2010-11)	विलुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवली, इरोड़, डिंडीगुल

(vi)	कृषि यंत्रीकरण (ए.एम.ई.सी) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) तमिलनाडु में कृषि यंत्रीकरण (2011-12)	
15.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) सरकारी खेतों तथा बीज उत्पादन का सुदृढीकरण (ii) लखनऊ तथा हापुड़ में एग्रीमार्ट की स्थापना	इलाहाबाद, बलरामपुर, गौतमबुद्ध नगर, उन्नाव, लखनऊ

(vii)	डेरी विकास (डी.डी.ई.वी.) क्षेत्र	
क्र.स	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) डेयरी विकास का सुदृढ़ीकरण	मडाक
2.	**बिहार**	
	(i) डेयरी प्लांट का विस्तार (ii) आर्दश डेयरी ग्राम की स्थापना	भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुज्जफरपुर, नालंदा, पटना, पुरनिया, रोहताश, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
3.	**गुजरात**	
	(i) मेहसाना में विशाल दुग्ध शीतक की स्थापना (ii) दुग्ध शीतल केन्द्र (एम.सी.सी.), सगबारा (संशोधित परियोजना विशाल दुग्ध शीतक की स्थापना (बी.एम.सी.), सगबारा) (iii) समेकित डेरी विकास	मेहसाना, भरूच, वलसाद
4.	**झारखण्ड**	
	(i) बछड़ा पालन कार्यक्रम को सहायता (2008-09)	दुमका, हजारीबाग, रांची, सरायकेला, रामगढ़

(vii)	डेरी विकास (डी.डी.ई.वी.) क्षेत्र	
क्र.स	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) दुधारू पशु अधिष्ठान कार्यक्रम (2010-11)	
5.	**पंजाब**	
	(i) पशु घर का सुधार (ii) डेरीफार्म का यंत्रीकरण (मिल्किंग मशीन) (iii) समेकित भैंस विकास केन्द्रों की स्थापना	रोपड़, गुरदासपुर, तरण तारन, फिरोजपुर, अमृतसर
6.	**राजस्थान**	
	(i) 608 विशाल दुग्ध शीतक कूलर्स की स्थापना (ii) गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना	अजमेर, जोधपुर, चित्तोड़गढ़, पाली, कोटा
7.	**तमिलनाडु**	
	(i) निकटवर्ती पशु चिकित्सा एंव आपातकालीन समस्याएं (2011-12) (ii) अम्बातूर में उत्पाद डेरी परिसर को मजबूत बनाना (2011-12) (iii) माधावराम चेन्नई में विद्यमान दूध एवं दुग्ध उत्पादकों के सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, डेयरी विकास विभाग (2007-08)	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवली, इरोड़ एंव डिंडीगुल
8.	**उत्तराखण्ड**	
	(i) उत्तराखण्ड में मिल्क ग्रिड का सुदृढ़ीकरण (ii) मौजूदा गोशालाओं में शुष्क डेयरियों की स्थापना	देहरादून, हरिद्वार, चमोली, यू.एस. नगर, अल्मोड़ा
9.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) सघन लघु डेरी परियोजना (2008-09) (ii) सघन लघु डेरी परियोजना (2011-12)	बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी
10.	**पश्चिम बंगाल**	

(vii)	डेरी विकास (डी.डी.ई.वी.) क्षेत्र	
क्र.स	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजनाओं के नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) फीडर डेरी भागीरथी (मुर्शीदाबाद) में निर्माण इकाई का आधुनिकीकरण-2009-10 (ii) डेयरी निर्माण-2008-09	मुर्शिदाबाद, बर्दवान, बांकुरा, नदिया, उत्तरी 24 परगना

(viii)	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**बिहार**	
	(i) वर्षाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि का विकास	भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपलगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफरपुर, नालंदा, पटना, पूर्निया, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी
2.	**गुजरात**	
	(i) गुजरात राज्य के तटवर्टी क्षेत्र में खारेपन की उपस्थिति की जांच (ii) फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खारेपन तथा क्षारीय मिट्टी का सुधार (iii) राज्य में जलग्रस्त क्षेत्र की प्रजजन बहाली	आनन्द, नवसारी, वड़ोदरा, वलसाद
3.	**हरियाणा**	
	(i) झज्जर के द्वितीय चरण में जलभराव और भूमि के उद्धार के लिए उपलब्ध जल निकासी के लिए परियोजना (ii) फतेहाबाद में जल भराव और भूमि के उद्धार के लिए उप-सतह जल निकासी परियोजना	झज्जर, फतेहाबाद
4.	**जम्मू एवं कश्मीर**	
	(i) जल संरक्षण संरचना तथा अन्य उपायों के जरिए मृदा तथा जल संरक्षण	बारामूला, बांदीपुर, कुपवाड़ा, कठुआ तथा ऊधमपुर

(viii)	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) जम्मू क्षेत्र से जल संरक्षण संरचना तथा जल ग्रहण विकास क्रियाकलाप	
5.	**केरल**	
	(i) कोराक्कमपडान पडासखरम के लिए जल ग्रहित क्षेत्र परियोजना *(ii)* इल्लाथुथाजा की मय्यल पंचायत तथा वलवुतुमदाथिथायाजा में वैंटेड क्रॉस बार्स (वी.सी.बी.) की मरम्मत *(iii)* कडुमुक्कडी पंचायत में चंरियामकुदीपदार्थखरम में पक्ष संरक्षण तथा बंद स्थापना *(iv)* थ्रिसूर कोल क्षेत्र में आधारभूत विकास कार्य (थ्रिसूर कोल विकास परियोजना का शेष कार्य (टी.के.डी.पी.) चरण-1)	कन्नूर, एर्नाकूलम, थिरिसूर
6.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) भू-जल रिचार्ज (ii) वर्षा जल संरक्षण परियोजना	विदिशा, उमरिया, धार, होशंगाबाद,, खरगोल, सेहोर-2
7.	**मेघालय**	
	(i) वर्षा जल संचयन ढांचा (ii) लघु सिंचाई हेतु अवरोध बांधों का निर्माण	जैनतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, री-भोई, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स
8.	**ओडिशा**	
	(i) 100 नये जलग्रहों का विकास (ii) 2011-12 के दौरान बैग्ड फॉस्को जिप्सम की आपूर्ति	बारगह, गाजीपटी, खुर्द, कालाहांडी, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, नवारंगपुर
9.	**पश्चिम बंगाल**	
	(i) निम्नकोटी भूमि में मृदा एंव जल संरक्षण के जरिए भूमि एंव जल संसाधनों का विकास (2010-11)	जलपाईगुड़ी, पुरूलिया, कूंचबेहड, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा

(viii)	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य तथा नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) पश्चिम बंगाल के विकृति भूमि में मृदा एंव जल संरक्षण के जरिए भूमि एंव जल संसाधन का विकास (2011-12)	

(ix)	विपणन तथा कृषियेत्तर प्रबंधन (एम.आर.के.टी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन (ii) गोदाम सुविधाओं की स्थापना	रंगारेड्डी, मंडाक, नालगोंड़ा, महबूबनगर
2.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) हाट बाजार का विकास (ii) उप बाजार याईस का विकास	बिलासुपुर, कंकेर, जाशपुर, सरगुजा बस्तर, बीजापुर, नारायनपुर
3.	**गोवा**	
	(i) शीत सुविधा के साथ मोबाइल गाड़ी प्रदान करने के द्वारा फल एवं सब्जी बाजार नेटवर्क को सुदृढ़ करना	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
4.	**गुजरात**	
	(i) राज्य योजना (किसान कल्पवृक्ष योजना-के.के.वी.वाई.) का रा.कृ.वि.यो. के साथ अभिसरण (ii) ए.पी.एम.सी. स में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	वलसाद, गांधीनगर, पटना, नवसारी
5.	**केरल**	
	(i) उत्पादों के लिए स्तरीकरण भण्डार गृह की स्थापना	त्रिवेन्द्रम, कोलाम, अलादुज्ज्हा, कोट्टायम, पठानामथिटा, इडुक्की,

(ix)	विपणन तथा कृषियेत्तर प्रबंधन (एम.आर.के.टी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) पुनालूर में केरल एग्रो फल उत्पादाकों का नवीकरण	एरनाकुलम, पालक्कड़, थ्रिसुर
6.	**महाराष्ट्र**	
	(i) प्याज संग्रहण संरचना (ii) इंदापुर जिला पुणे में केलों के लिए प्रिकूलिंग, पकाने तथा शीत भण्डार की सुविधा	अमरावती, औरंगाबद, नागपुर, पुणे
7.	**ओडिशा**	
	(i) लुहागुडी, परलाखेमुंडी में मक्का बाजार यार्ड (ii) एफ.आई.ए.सी.[2] बिल्डिंग का निर्माण इनपुट गोदाम के साथ (100)	बारगढ, गाजापाटी, कालाहांडी, मयूरभंज, सुन्द्रगढ़, नाबारंगपुर
8.	**तमिलनाडु**	
	(i) नियमित बाजारों को सुदृढ़ बनाना-ग्रामीण गोदामों, सूखे क्षेत्रों की स्थापना (2010-11) (ii) तिरूचिरापल्ली जिले में, श्रीरंगम में केला बाजार परिसर एवं शीतग्रह इकाई की स्थापना (2011-12)	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवली, इरोड, डिन्डीगुल
9.	**त्रिपुरा**	
	(i) ग्राम बाजारों का विकास (ii) कृषि बाजार में आधारभूत संरचना विकास	ढ़लाई, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा
10.	**पश्चिम बंगाल**	
	(i) दुकानों एंव स्थलों का निर्माण (2008-09) (ii) बाजार स्थलों एंव दुकानों का निर्माण (2010-11)	कूचबेहर, हुगली, दक्षिण तथा उत्तरी 24 परगना, मालदा

[2] किसान सूचना सलाह केन्द्र

(ix)	विपणन तथा कृषियेत्तर प्रबंधन (एम.आर.के.टी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(iii) विभिन्न बाजार क्षेत्रों में गोदामों, फुटपाथ एंव नीलामी स्थलों का निर्माण (2011-12)	

(x)	मत्स्य पालन (फिश) क्षेत्र	
क्र. सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**असम**	
	(i) मछली बीज उत्पादन एंव वितरण (2008-09) (ii) मछली बीज उत्पादन (2010-11)	गोलाघाट, धबरी, एन.सी. हिल्स, धीमाजी, सोनितपुर
2.	**हरियाणा**	
	(i) मछली बीज एंव मछली उत्पादकों का बढ़ाना एंव नवीन अभिनव कार्यक्रम का गठन (ii) राज्य स्तरीय जांच प्रयोगशालाओं एंव प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना।	करनाल, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, हिसार
3.	**हिमाचल प्रदेश**	
	(i) मछली बीज की खरीद (ii) मछुआरों के लिए गियर्स की खरीद (iii) मछली बीज खेतों का निर्माण	बिलासपुर, कांगड़ा
4.	**झारखण्ड**	
	(i) सरकारी बीज फार्म रामगढ़ का सुदृढ़ीकरण तथा मछली बीज पालने	रामगढ़, रांची

(x)	मत्स्य पालन (फिश) क्षेत्र	
क्र. सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	के जहाज का निर्माण (ii) मत्स्यपालन और पशुधन अनुसंधान संस्थान, गौरीकर्म, हजारीबाग की स्थापना	
5.	**केरल**	
	(i) ग्लूकोसेमाइन परियोजना (ii) कसरगोड मत्स्य बंदरगाह- (प्रथम वर्ष ₹200 लाख, द्वितीय वर्ष ₹550 लाख, तृतीय वर्ष ₹1000 लाख) (iii) ओडियम में मछली घर परिसर सह प्रशिक्षण एंव जागरूक केन्द्रों की स्थापना (iv) कसरगोड मत्स्य बंदरगाह का निर्माण (v) मत्स्यकेरलम कार्यक्रम (100 किसानों के लिए क्लब, पम्प, जाल, मछली घर एंव बीमा के लिए कार्यालय भवन का निर्माण)-द्वितीय वर्ष लागत	त्रिरूवनंतपुरम, कोलाम, अलापुजहा, पठानमथित्ता, कोट्टयम, इदुक्की, एर्नाकुलम, थ्रिरिसुर, मालापुरम, कोझिकोड, कन्नूर, पालक्कड़ु, त्रिवेन्द्रम, कासारगोड
6.	**राजस्थान**	
	(i) निजी सरकारी सहभागिता में मछली बीज उत्पादन इकाई की स्थापना (ii) मछली बीज पालन क्षेत्र का विकास	हनुमानगढ़, टोंक, बांसवारा, चित्तोड़गढ़, उदयपुर
7.	**पश्चिम बंगाल**	
	(i) पिछले तालाबों में देशी छोटी मछली की संस्कृति (2011-12) (ii) अश्रेणी सहकारी समिति के लिए एकीकृत मछली पालन का	नादिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरूलिया, उत्तर एंव दक्षिण 24 पगरना

(x)	मत्स्य पालन (फिश) क्षेत्र	
क्र. सं.	राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम	जिलों के नाम
	विकास (2011-12) (iii) नदिया जिले में "अम्दाबील" का नवीकरण (2011-12)	

(xi)	विस्तार (ई.एक्स.टी.एन.) क्षेत्र	
क्र.सं.	राज्य नमूना परीक्षित परयोजना का नाम	जिलों के नाम
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	
	(i) कृषकों/अधिकारियों का जोखिम दौरा	लोअर सुबानसिरि, लोहित, पूर्वी सिआंग, चंगलॉग, पापुमपरे
2.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) कृषक सूचना एंव सुविधा केन्द्र का विकास (ii) ग्राम स्तरीय किसान सूचना सलाह केन्द्र	बिलासपुर, दुर्ग, काकेड, रायपुर, राजनंदगांव
3.	**हिमाचल प्रदेश**	
	(i) कृषि में महिला शक्तिकरण	बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा
4.	**झारखण्ड**	
	(i) दुमका, रांची एंव सरायकेला में किसानों के लिए 50 बेड के छात्रावास का निर्माण (ii) रॉची में झारखण्ड कृषि यंत्र जांच और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	दुमका, रांची तथा सरायकेला
5.	**कर्नाटक**	
	(i) रायथा[3] शक्ति समूह *(आर.एस.जी.)* का गठन	बैंगलोर (यू), चमराजनगर, धारवाड, कोलार, कोप्पल, बैंगलोर

[3] कृषक

(xi)	विस्तार (ई.एक्स.टी.एन.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परयोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) कर्नाटक कृषि विज्ञान संग्रहालय एंव मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) केन्द्र की स्थापना	
6.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) किसान ज्ञान केन्द्रों के रूप में खण्ड कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण (2011-12)	विदिशा, उमरिर्या, धार, देवास, पन्ना, खरगॉव, सियाएट, भोपाल
	(ii) राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ए.ई.टी.) का सुदृढ़ीकरण	
7.	**महाराष्ट्र**	
	(i) उत्कृष्टता केन्द्र में राष्ट्रीय फसलोत्तर तकनीकी संस्थान का विकास (ii) परियोजना आधारित कृषि विस्तार/जागरूकता अभियान	अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नागपुर, पुणे
8.	**मणिपुर**	
	(i) चावल की गहन तकनीकी प्रणाली (एस.आर.आई.) के साथ पूर्व खरीफ धान फसल प्रबंधन (ii) संकरित चावल पर सुधार पैकेजों का प्रदर्शन	पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल, थूबल, विश्नूपुर, सेनापति
9.	**राजस्थान**	
	(i) कोटा जिले के संगोड तहसील के ग्रामीण एंव गरीब किसानों के लिए सामुदायिक छोटे पैमाने की भूमि एंव जल संसाधनों का विकास (ii) राजस्थान के प्रत्येक खेत के मालिक के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम	कोटा, डूंगरपुर, दौसा, प्रतापगढ़, जैसलमेर
10.	**तमिलनाडु**	
	(i) तुमिलनाडु में किसान भवन/फार्मर्स हब (अझावरमायम) (2010-11)	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवली, इरोड़, डिंडीगुल

(xi)	विस्तार (ई.एक्स.टी.एन.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परयोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) दालों तथा लघु ज्वार के उत्पादन में सुधार (2009-10)	
11.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) अनुकूलित किसान प्रशिक्षण एंव विस्तार क्रियायें तथा आई.सी.टी.[4] एप्लीकेशन एंव ग्राउण्ड ट्रूथिंग वीडियों फोन कॉलिंग के जरिए ऑनलाइन कृषि निगरानी (अक्तूबर 2008 में संस्वीकृत) (ii) अनुकूलित किसान प्रशिक्षण एंव विस्तार क्रियाएँ तथा आई.सी.टी. एप्लीकेशन एंव ग्राउण्ड ट्रूथिंग वीडियों फोन कॉलिंग के जरिए ऑनलाइन कृषि निगरानी (अप्रैल 2010 में संस्वीकृत)	लखनऊ

(xii)	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन/आदि (ए.जी.आर.ई.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों का नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) दालों में उच्च उत्पादकता के लिए प्रजातियों की पहचान/विकास के लिए अनुसंधान (ii) जैव तकनीकी दृष्टिकोण के जरिए प्रजातियों के विकास के द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान	रंगारेड्डी
2.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) जर्म प्लाज्म का संरक्षण	रायपुर
3.	**झारखण्ड**	

[4] सम्पर्क तकनीकी सूचना

(xii)	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन/आदि (ए.जी.आर.ई.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों का नाम**
	(i) झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची में स्वचलित मौसम स्टेशन (ए.डब्ल्यू.एस.) रिसेप्शन केन्द्र की स्थापना	रॉची
4.	**कर्नाटक**	
	(i) तकनीकी के स्थानांतरण का सुदृढ़ीकरण (ii) जलवायु परिवर्तन प्रासांगिक फसल प्रणाली *(iii)* चयनित फसलों में कीटों तथा बीमारियों के विरूद्ध ई-पश्च निगरानी तथा सलाहकारी सेवाएं (iv) एकीकृत कृषि प्रणाली का उन्नयन *(यू.ए.एस. धारवाड़)* (v) एकीकृत कृषि प्रणाली का उन्नयन *(यू.ए.एस. बगालकोट)*	लागू नहीं
5.	**केरल**	
	(i) वैलयनी में जैविक कृषि के लिए अग्रिम केन्द्रों की स्थापना (ii) केरल में चावल उत्पादन को बढ़ाना तथा आंशिक आत्म निर्भरता प्राप्त करना (iii) एलामाड पंचायत में चेरीयावेलीनाल्लुरेला में सुधार कार्य	त्रिरूवनतंपुरम, कोलम, अलापुज्जहा, पठानमथिटा, कोट्टयम, इदुक्की, एर्नाकुलम, थिरूसुर, मालापुरम, कोझिकोड, कन्नूर, पालक्कड़, त्रिवेंद्रम, कसारगोंड
6.	**मध्य प्रदेश**	
	(i) कृषि आर्थिक प्रणाली की निगरानी (ii) अनुसंधान परियोजनाएं	लागू नहीं
7.	**तमिलनाडु**	
	(i) कीटनाशकों के परिशिष्ट की निगरानी के लिए अधिशेष प्रयोगशाला की स्थापना (2010-11) (ii) फसल उत्पादन बाधा को तोडने की दिशा में एकीकृत पोषक प्रबंधन	विल्लुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूणेलवली, इरोड, डिंडीगुल

(xii)	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन/आदि (ए.जी.आर.ई.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों का नाम**
	के आधार पर खेत पोषक प्रवाह एंव संग्रहण का अनुकूलन तथा निगरानी (2011-12)	
8.	**पश्चिम बंगाल**	
	(i) कृषि अनुसंधान परियोजना: क*)* धान में नमक सहिष्णुता पर ख*)* एकीकृत पोषक प्रबंधन *(ii)* कृषि अनुसंधान परियोजना	लागू नहीं

(xiii)	उर्वरक तथा समेकित पोषण प्रबंधन (एफ.आई.एन.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना एवं परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**हरियाणा**	
	(i) वर्ष 2009-10 के दौरान हरियाणा की मिट्टी में सल्फर न्यूनता को कम करने पर परियोजना (ii) द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषकों के लिए मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	कुरूक्षेत्र, हिसार, कैंथल, सोनीपत, पानीपत, जिंद
2.	**नागालैण्ड**	
	(i) खाद एंव उर्वरक (ii) खाद एंव उर्वरक	कोहिमा, दीमापुर, जुनजेबोटो, मोन, फेक
3.	**पंजाब**	
	(i) राज्य में उर्वरकों का कुशल वितरण (ii) सूक्ष्म पोषकों का वितरण	जालंधर, कपूरथला, मनसा, मुक्तेसर, पटियाला
4.	**राजस्थान**	

(xiii)	उर्वरक तथा समेकित पोषण प्रबंधन (एफ.आई.एन.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना एवं परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) डाई-अमोनियम-फॉस्फेट (डी.ए.पी.) तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) का अग्रिम संग्रहण (ii) एस.एस.पी. के उपयोग के लिए प्रोत्साहन	बूंदी, पाली, झलावार, उदयपुर, अजमेर
5.	**उत्तराखण्ड**	
	(i) उत्तराखण्ड में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण	देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली
6.	**उत्तर प्रदेश**	
	(i) मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम (2010-11) (ii) मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम (2011-12)	आजमगढ़, जालोन, लखनऊ, महोवा, पीलीभीत

(xiv)	जैव कृषि/जैव उर्वरक (ओ.आर.एफ.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(i) वर्षाग्रस्त क्षेत्रों में विविधीकरण	महबूबनगर
2.	**असम**	
	(i) मिट्टी सुधार के लिए हरित खाद डालना (ii) मिट्टी सुधार के लिए हरित खाद फसलों को उगाने के लिए ढांचे आदि के बीच का वितरण	सोनितपुर, दरांग, गोलाघाट, बकसा, एन.सी. हिल्स
3.	**बिहार**	
	(i) **जैविक कृषि का उन्नयन**	भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पुरनिया, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी

(xiv)	जैव कृषि/जैव उर्वरक (ओ.आर.एफ.एम.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
4.	**हिमाचल प्रदेश**	
	(i) जैविक कृषि एंव मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का उन्नयन (2008-10) (ii) जैविक कृषि का उन्नयन	बिलासपुर, सोलन, सिरमोर, शिमला, कांगड़ा
5.	जम्मू एवं कश्मीर	
	(i) जैविक खेती के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्मी खाद का उन्नयन (ii) वर्मी खाद इकाई की स्थापना	बारामूला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, कठुआ एंव उदयपुर
6.	**कर्नाटक**	
	(i) जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान (आर.आई.ओ.एफ.) (ii) जैविक कृषि-स्थलीय क्रियाओं पर	बंगलौर (यू), चामराजनगर, धारवाड़ा, कोलार, कोप्पल
7.	मेघालय	
	(i) जैव प्रमाणन	जैंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, री-भोई, दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स
8.	**उत्तराखण्ड**	
	(i) जैविक खेती के लिए राज्य प्रशिक्षण केन्द्र मजखली, अल्मोड़ा (ii) जैविक अपशिष्ट परिवर्तक प्रणाली का उपयोग करके सब्जी अपशिष्ट खाद	अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, यू.एस. नगर

(xv)	सहकारिता/सरकारी (सी.ओ.ओ.पी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**छत्तीसगढ़**	

(xv)	सहकारिता/सरकारी (सी.ओ.ओ.पी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में गोदाम (ii) सहकारी गोदाम	बिलासपुर, दुर्ग, काकेड, रायपुर, राजनंदगांव
2.	**ओडिशा**	
	(i) 298 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए 298 भण्डार गृहों का निर्माण (ii) बारगढ़ सहकारी गन्ना मिल से यंत्रों/उपकरणों के प्रतिस्थापन/नवीकरण	बारगढ़, गाजापटी, खुर्द, कालाहांडी, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, नबरंगपुर

(xvi)	समेकित पश्च प्रबंधन (आई.पी.एम.टी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**गुजरात**	
	(i) गन्ना क्षेत्रों में फनबैक्ट किट का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग (निदेशक गन्ना) (ii) जैव कीटनाशकों का उत्पादन तथा पर्यावरण हितैषी पौध रोग प्रबंधन पर उनका प्रयोग (नवसारी कृषि विश्वविद्यालय)	वड़ोदरा, नवसारी, वलसाद
2.	**कर्नाटक**	
	(i) एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन प्रमुख खाद्य फसलों के लिए अग्रिम केन्द्र (ii) अनार में झुलसा रोगों के नियंत्रण के अच्छे प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज	कोप्पल, बगलकोट, चित्रदुर्ग, देवनगिरि, तुमकुर
3.	**मध्य प्रदेश**	

(xvi)	समेकित पश्च प्रबंधन (आई.पी.एम.टी.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) बीज उपचार (ii) फसल सुरक्षा	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खरगौन
4.	**महाराष्ट्र**	
	(i) कपास एंव सोयाबीन पर कीटों की निगरानी (ii) गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रयोगशाला तथा अविशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला	अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नागपुर, पुणे
5.	**नागालैण्ड**	
	(i) एकीकृत कीट प्रबंधन (2008-09) (ii) एकीकृत कीट प्रबंधन (2009-10)	कोहिमा, दीमापुर, जुनहेबोटो, मोन एंव फेक
6.	**ओडिशा**	
	(i) ई-कीट निगरानी	बारगढ़, नवरंगपुर, सुन्दरगढ़, कालाहांडी

(xvii)	गैर कृषि क्रियाकलाप (एन.ओ.एन.एफ.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**हिमाचल प्रदेश**	
	(i) बागवानी में फल प्रसंस्करण इकाईयों का सुदृढीकरण	शिमला, सिरमौर, कांगडा
2.	**जम्मू एंव कश्मीर**	
	(i) स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) द्वारा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना/ ग्राहक भर्ती सुविधाओं को प्रदान करने वाली समितियां (ii) प्लास्टिक ट्रे (100 ट्रे/लाभार्थी) में अधिकतम ₹0.25 लाख/प्रति	गंडरवल, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, जम्मू व कठुआ, बढ़गाम, बांदीपोरा, कुपवाड़ा

(xvii)	गैर कृषि क्रियाकलाप (एन.ओ.एन.एफ.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	इकाई 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के तहत मशरूम विकास के लिए लाभार्थियों को सहायता पर परियोजना	
3.	**मणिपुर**	
	(i) मक्का सेल्लर (ii) मक्का सेल्लर	पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल, थूबल, बिशनुपुर, सेनापट्टी 5
4.	**त्रिपुरा**	
	(i) बर्फ संयंत्र की स्थापना के द्वारा कटाई पश्चात सुविधाओं का विकास	उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा

(xviii)	रेशम उत्पादक (एस.ई.आर.आई.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**केरल**	
	(i) शहतूत की खेती और उपकरण का वितरण (ii) बाजार हस्तक्षेप	एर्नाकुलम, थिरशूर, पालक्कड़, मालापुरम, अलापुज्जहा
2.	**महाराष्ट्र**	
	(i) रेशम उद्योग के विकास के लिए शहतूत की खेती (ii) टसर गेमेज (मिट्टी के घर)	अमरावती, औरंगाबाद, लतूर, नागपुर, पुणे, चन्दरपुर
3.	**उत्तर पदेश**	
	(i) रेशम कोया उत्पादन, विपणन और कटाई इकाईयों का सुदृढ़ीकरण तथा रेशम बैंक एंव विपणन सूचना केन्द्र की स्थापना	सीतापुर, बस्ती, वाराणसी, कुशीनगर, बहराइच

(xviii)	रेशम उत्पादक (एस.ई.आर.आई.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(ii) किसानों को स्वस्थ चावकी रेशम कीडों की आपूर्ति तथा गुणवत्ता परक बीजों के उत्पादन के लिए राजकीय आनाज तथा राजकीय चाव को पालन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण	

(xix)	अभिनव कार्यक्रम (ओ.टी.एच.आर.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
1.	**छत्तीसगढ़**	
	(i) बहुउद्देश्यी किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना (शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्देश्यी किसान सुविधा केन्द्र) (ii) खेत दिवस/किसान मेला/किसान गोष्ठी/आर-ई.एफ.-अर्न्तफलक आदि)	बिलासपुर, दुर्ग, कंकेर, रायपुर, राजनंदगांव
2.	**कर्नाटक**	
	(ii) कर्नाटक बीज मिशन (iii) ए.पी.एम.सी. में ई-व्यापार आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करना	बैंगलोर (यू), चमराजनगर, धारवाडा, कोलार, कोप्पल, मंदिया, गडाग, कोप्पल,
3.	**सिक्किम**	
	(i) बेवी कार्न स्वीट कार्न और पाप कार्न का उन्नयन	पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम
4.	**तमिलनाडु**	
	(i) 4000 हे. में कृषि फसलों के लिए सटीक खेती (2011-12) (ii) बागवानी फसलों के लिए सटीक खेती (2009-10)	विलुपुरम, त्रिरूचिरापल्ली, त्रिरूनेलवली, इरोड, डिंडीगुल
5.	**उत्तर प्रदेश**	

(xix)	अभिनव कार्यक्रम (ओ.टी.एच.आर.) क्षेत्र	
क्र.सं.	**राज्य एवं नमूना परीक्षित परियोजना का नाम**	**जिलों के नाम**
	(i) गहनता और कृषि उत्पादकता विविधीकरण को बढ़ावा देने और बढ़ती कृषकों को बाजार के अवसरों का विस्तार करने के लिए उपयोग	देवरिया, लखनऊ, मिर्जापुर, रायबरेली, सितापुर

अनुबंध-XXI

(पैराग्राफ 5.2 के संदर्भ में)

स्ट्रीम-II के तहत परियोजनाओं के नमूना चयन का विवरण

क्र.स.	राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम
1.	**आन्ध्र प्रदेश**
i	पशुधन विकास कार्यक्रम
ii	बीमारी जांच (बी.जां.) विंग का आधुनिकीकरण पशु जैव अनुसंधान संस्थान (प.जै.अ.सं.) हैदराबाद
2.	**अरूणाचल प्रदेश**
i	विस्तार सेवाओं के लिए आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
ii	एकीकृत कीट प्रबंधन
3.	**छत्तीसगढ़**
i	असम्बंध पम्पों के ऊर्जाकरण के लिए छ.ग. राज्य विद्युत वितरण क. को सहायता
ii	निदेशक कार्यालय में सौर प्रणाली की स्थापना
4	**गोवा**
i	कृषि यंत्रीकरण
ii	वर्षाग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम
5.	**गुजरात**
i	पशु रोगों की रोकथाम के लिए जैव तकनीकी दृष्टिकोण
ii	गुजरात राज्य में मिनी ट्रैक्टर के जरिए कृषि यंत्रीकरण के लिए कृषि शक्ति का सुदृढ़ीकरण
6.	**हरियाणा**
i	कृषि यंत्रीकरण के वर्तमान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण
ii	खरीफ तथा रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का 100 प्रतिशत उपचार
7	**हिमाचल प्रदेश**
i	बागवानी विभाग के तहत सुरक्षित खेती'
ii	कृषि विभाग के तहत लघु सिंचाई के जरिए सिंचाई विभाग का निर्माण'
8	**जम्मू एवं कश्मीर**
i	एस.एम. फार्म, चकरोई, आर.एस. पुरा, जम्मू का विकास/सुदृढ़ीकरण
ii	एस.एम. फार्म आलोपोरा, पुलवामा, कश्मीर का विकास/सुदृढ़ीकरण
9	**झारखण्ड**

क्र.स.	राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम
i	मत्स्य पालन तालाब व मत्स्य पालन जहाज के साथ-साथ जाल, मत्स्य बीज, उर्वरक लाइम व दवाईयों को उपागत के रूप में 0.30 एकड़ का निर्माण
ii	राजकीय कृषि बीज खेतों का सुदृढ़ीकरण
10	**कर्नाटक**
i	सी-डी.ए.पी. तथा सी.एस.ए.पी. की तैयारी
ii	कर्मचारियों के लिए क्षमता बनाना
11	**केरल**
i	2010-11 के दौरान लागू की गई बछड़ा भोजन अनुदान योजना-द्वितीय वर्ष लागत (भोजन की कीमत प्रति पशु)
ii	तकनीकी उपायों के जरिए सब्जी खाद्य उत्पादों की वृद्धि
12	**महाराष्ट्र**
i	0 से 100 हेक्टयर सिंचाई क्षमता रखने वाले प्रचालित लघु सिंचाई योजनाओं का पंजीकरण
ii	पूरी की गई सिंचाई परियोजनाओं (0 से 250 हे.) का 100% परियोजना सत्यापन
13	**मणिपुर**
i	गुणवत्तापरक बीज उत्पादन, वसूली व वितरण
ii	जैव उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना 2010-11
14	**ओडिशा**
i	कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाना
ii	कृषि उपकरणों व औजारों को लोकप्रिय बनाना
15	**राजस्थान**
i	मिट्टी/बीज/अन्य जांच प्रयोगशालाओं और अनुबंधात्मक सुविधाओं का परिचालन
ii	राजस्थान में तिलहन, दालों और मक्का की बीज प्रतिस्थापन दर (बी.प्र.द.) की वृद्धि
16	**सिक्किम**
i	वैयक्तिक किसानों के द्वारा जल संग्रहण
ii	बीज खेतों का रखरखाव (खा.सु.कृ.वि.वि.[3]) के.वी.के. के नामांकन
17	**त्रिपुरा**
i	सरचंद में शीतगृह का निर्माण
ii	अम्बासा में शीतग्रह का निर्माण
18	**उत्तर प्रदेश**
i	डी.ए.पी./प्रशासनिक व्यय (2008-09)

[3] खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग

क्र.स.	राज्य तथा जांच की गई परियोजनाओं के नाम
ii	प्रशासनिक व्यय (मुख्यालय में संचार सुविधाओं का पुनरूद्वार व सुदृढ़ीकरण)
19	**उत्तराखण्ड**
i	उत्तराखण्ड की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का पुनरूद्वार व सुदृढ़ीकरण
ii	जैविक कृषि के विकास का समर्थन
20	**पश्चिम बंगाल**
i	सरकारी खेतों का आधारभूत विकास
ii	ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केन्द्र को चालू करना

अनुबंध-XXII

(पैरा 5.3.1 के संदर्भ में)

2010-11 से 2012-13 के दौरान उप-योजनाओं के तहत निर्गम एवं व्यय का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		Total		अव्ययित राशि और जारी राशि के प्रति उसकी प्रतिशतता
	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	277.07	277.07	84.12	84.12	361.19	361.19	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4.12	6.54	9.28	4.71	13.40	11.25	2.15(16)
असम	17.50	17.50	48.32	48.32	114.06	71.14	179.88	136.96	42.92(24)
बिहार	63.94	43.40	120.30	69.87	138.06	104.97	322.30	218.24	104.06(32)
छत्तीसगढ़	67.15	67.15	86.55	76.70	139.21	142.58	292.91	286.43	6.48(2)
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.33	0.00	0.85	-0.85
गुजरात	27.00	27.00	71.21	76.01	127.50	108.88	225.71	211.89	13.82(6)
हरियाणा	0.00	0.00	43.60	37.57	35.30	24.85	78.90	62.42	16.48(21)
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	18.68	12.14	22.42	13.25	41.10	25.39	15.71(38)
जम्मू एवं कश्मीर	18.07	0.68	15.00	28.01	82.56	62.45	115.63	91.14	24.49(21)
झारखण्ड	14.80	14.80	44.46	41.11	80.18	63.42	139.44	119.33	20.11(14)
कर्नाटक	0.00	0.00	176.53	174.80	66.90	37.07	243.43	211.87	31.56(13)
केरल	0.00	0.00	18.82	17.18	10.68	11.56	29.50	28.74	0.76(3)
मध्य प्रदेश	36.00	36.00	168.96	158.87	59.59	48.45	264.55	243.32	21.23(8)
महाराष्ट्र	0.00	0.00	264.04	259.94	480.81	436.31	744.85	696.25	48.60(7)
मणिपुर	0.00	0.00	3.50	3.50	4.97	1.05	8.47	4.55	3.92(46)
मेघालय	0.00	0.00	6.50	3.25	0.00	0.00	6.50	3.25	3.25(50)
नागालैण्ड	0.00	0.00	8.50	4.64	14.74	3.02	23.24	7.66	15.58(67)
ओडिशा	79.67	79.67	142.95	117.27	250.11	191.49	472.73	388.43	84.30(18)
पंजाब	0.00	0.00	40.50	38.50	10.00	7.02	50.50	45.52	4.98(10)
राजस्थान	0.00	0.00	247.75	185.54	113.45	162.67	361.20	348.21	12.99(4)
सिक्किम	0.00	0.00	6.93	4.49	5.39	4.52	12.32	9.01	3.31(27)

तमिलनाडु	0.00	0.00	105.22	98.07	83.24	51.91	188.46	149.98	38.48(20)
त्रिपुरा	0.00	0.00	3.50	3.50	13.14	6.57	16.64	10.07	6.57(39)
उत्तर प्रदेश	57.26	48.15	233.51	116.70	122.63	151.53	413.40	316.38	97.02(23)
उत्तराखण्ड	0.00	0.00	14.94	8.49	4.42	4.85	19.36	13.34	6.02(31)
पश्चिम बंगाल	102.37	102.37	100.24	100.24	281.24	281.24	483.85	483.85	0.00
कुल	**483.76**	**436.72**	**2271.70**	**1968.84**	**2354.00**	**2079.96**	**5109.46**	**4485.52**	**623.94**

अनुबंध-XXIII

(पैराग्राफ 6.6.1 के संदर्भ में)

राज्य स्तरीय चयन समितियों की बैठकों में कमी

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि	प्रतिमान के अनुसार आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	कमी	कमीयो की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	2008-13	20	12	8	40
2.	अरूणाचल प्रदेश	2008-13	20	4	16	80
3.	असम	2008-13	20	6	14	70
4.	बिहार	2008-13	20	उ.न.		0
5.	छत्तीसगढ़	2008-13	20	8	12	60
6.	गोवा	2008-13	20	6	14	70
7.	गुजरात	2008-13	20	8	12	60
8.	हरियाणा	2008-13	20	10	10	50
9.	हिमाचल प्रदेश	2008-13	20	11	9	45
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2008-13	20	रा.स्त.मं.स. का गठन नहीं किया गया		
11.	झारखण्ड	2008-13	20	10	10	50
12.	कर्नाटक	2008-13	20	9	11	55
13.	केरल	2008-13	20	11	9	45
14.	मध्य प्रदेश	2007-12	20	9	11	55
15.	महाराष्ट्र	2008-13	20	15	5	25
16.	मणिपुर	2008-13	20	7	13	65
17.	मेघालय	2008-13	20	6	14	75
18.	नागालैण्ड	2008-13	20	6	14	75
19.	ओडिशा	2008-13	20	9	11	55
20.	पंजाब	2008-13	20	9	11	55
21.	राजस्थान	2008-13	20	7	13	65

22.	सिक्किम	2008-13	20	6	14	70
23.	तमिलनाडु	2008-13	20	7	13	65
24.	त्रिपुरा	2008-13	20	8	12	60
25.	उत्तर प्रदेश	2008-13	20	14	6	30
26.	उत्तराखण्ड	2008-13	20	9	11	55
27.	पश्चिम बंगाल	2008-13	20	5	15	75

अनुबंध-XXIV

(पैराग्राफ 6.6.1 के संदर्भ में)

रा.स्त.मं.स. द्वारा गैर-मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के राज्यवार उदाहरण

क्र.स.	राज्य का नाम	टिप्पणियाँ
1.	आन्ध्र प्रदेश	अपनी बैठकों में, रा.स्त.म.स. ने विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए कारण, लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यनीति, योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रभाव, आदि की चर्चा नहीं की थी। बैठकें केवल योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा अगामी वर्ष हेतु परिव्यय तक सीमित थीं। इस प्रकार, योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की रा.स्त.मं.स. द्वारा कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थीं।
2.	अरूणाचल प्रदेश	रा.स्त.मं.स. अपने गठन की तिथि से मार्च 2013 तक मुख्य रूप से परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के लिए मिली थी। परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों को रा.स्त.मं.स. द्वारा मॉनीटर नहीं किया गया था।
3.	असम	समिति के गठन, मासिक बैठकों का आयोजन तथा उसके कार्यवृत्त से सम्बंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
4.	छत्तीसगढ़	मासिक आधार पर रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत किसी समिति को गठित नहीं किया गया था तथा रा.कृवि.यो. के कार्यान्वयन पर किसी प्रकार की समिक्षा रिपोर्टें रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थीं। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (जून 2013) एवं (अगस्त 2013) पर, नोडल अधिकारी ने बताया कि रा.स्त.मं.स. की बैठकों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की जांच की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.स्त.मं.स. की बैठकें बहुत कम हुई थीं तथा मंत्रालय के दिशानिर्देयों के अनुसार समिति का गठन अनिवार्य था।
5.	गुजरात	सितम्बर 2010 में, राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं सरल एवं परिणाम आधारित कार्यान्वित की सुनिश्चित करने के लिए कृषि परियोजनाएं कार्यान्वयन प्रकोष्ठ (कृ.प.का.प्र.) नामक एक अलग कृ.प.का.प्र. की भूमिका, रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा संस्वीकृत रूप में परियोजनाओं का संकलन करने, कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता जारी करने के लिए आदेश जारी करने, प्रगति रिपोर्टों का संग्रह,रा.कृ.वि.यो. वेबसाइट में डाटा प्रविष्टि करने तक सीमित थी।
6.	हरियाणा	किसी समिति को गठित नहीं किया गया था। फरवरी 2010 के दौरान हुई अपनी बैठक में रा.स्त.मं.स. ने निर्णय लिया था कि रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग ए.टी.एम.ए. द्वारा की जाएगी परंतु उसके द्वारा ऐसी कोई मॉनीटरिंग नहीं की

क्र.स.	राज्य का नाम	टिप्पणियाँ
		गई थी।
7.	हिमाचल प्रदेश	नोडल विभाग ने उचित रूप से योजना को मॉनीटर नहीं किया था। निदेशक ने बताया (अक्तूबर 2013)कि चूं.कि.रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत परियोजना प्रस्तावों के अनुसार रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निधियों को विभिन्न हितधारक विभागों के हित में प्रदान किया गया था, सभी विभाग अपनी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार थे। उत्तर रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।
8.	जम्मू एवं कश्मीर	किसी रा.कृ.वि.यो. समिति को राज्य द्वारा औपचारिक रूप से गठित नहीं किया गया था तथा मामला कार्याधीन था। यद्यपि, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा मॉनीटरिंग को संचालित बताया गया था परंतु इस संदर्भ में कभी भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति को गठित करने का निर्णय लिया गया था, जिसे आजतक गठित नहीं किया गया था।
9.	झारखण्ड	रा.स्त.मं.स. ने उचित रूप से योजना की प्रगति को मानीटर नहीं किया था क्योंकि परियोजनाओं के निष्पादन तथा यदि कोई अनुशंसित सुधारात्मक कार्रवाई हो तो उसके बारे में रा.स्त.मं.स. के कार्यवृत्त में कोई निर्देश/टिप्पणी नहीं पाई गई थी। रा.स्त.मं.स. की प्रगति के बारे में बताने के लिए रा.कृ.वि.यो. की मासिक समीक्षा हेतु किसी समिति को गठित नहीं किया गया था।
10.	कर्नाटक	रा.कृ.वि.यो. के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किसी समिति का निर्माण नहीं किया गया था। ऐसी समिति का गठन न करने के लिए परियोजना समन्वयक, रा.कृ.वि.यो. प्रकोष्ठ द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए थे। (सितम्बर 2013)।
11.	मध्य प्रदेश	नोडल विभाग ने परियोजनाओं के निष्पादन की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु तथा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए किसी समर्पित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का निर्माण नहीं किया था। संस्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए रा.स्त.मं.स. की बैठकें नहीं हुई थीं।
12.	मणिपुर	योजना के कार्यान्वयन की योजना की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन नहीं किया गया था।
13.	मेघालय	रा.स्त.मं.स. के कार्यवृत्त से यह पाया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों को संस्वीकृत करने के अलावा, रा.स्त.मं.स. द्वारा परियोजनाओं के

क्र.स.	राज्य का नाम	टिप्पणियाँ
		कार्यान्वयन के मॉनीटर एवं मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।
14.	नागालैण्ड	रा.स्त.मं.स. द्वारा परियोजनाओं (वित्तीय/भौतिक प्रगति) के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठकें नहीं हुई थी। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कोई समिति स्थापित नहीं की गई थी। हालांकि, ए.टी.एम.ए. के अंतर्गत गठित कृषि उत्पादन आयुक्त (कृ.उ.आ.) की अध्यक्षतता के अंतर्गत "अंर्त-विभागीय कार्य समूह" योजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उत्तरदायी था। अवधि के दौरान होने वाली 72 बैठकों के प्रति, कृ.उ.आ. द्वारा केवल सात बैठकें आयोजित की गई थीं।
15.	ओडिशा	रा.स्त.मं.स. की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा से पता चला कि सभी रा.स्त.मं.स. बैठकों में परियोजनाओं के प्रति व्यय की समीक्षा की गई थी परन्तु परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा रा.स्त.मं.स. की बैठकों में नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नोडल विभाग ने ओडिशा में रा.कृ.वि.यो. हेतु परिचालन नियमावली निर्धारित की थी जिसके अनुसार योजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए 11वीं योजना के बंद किए जाने के पश्चात राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष समवर्ती मूल्यांकन, तीसरे वर्ष (2009-10) में मध्य अवधि मूल्यांकन तथा टर्मिनल मूल्यांकन संचालित किया जाना था। हालांकि, आज तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन संचालित नहीं किया गया था।
16.	राजस्थान	राज्य में रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियां पाई गयी थीं। ▪ 20 के लक्ष्य के प्रति 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान रा.स्त.मं.स. की केवल सात बैठकें आयोजित की गई थीं। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि रा.स्त.मं.स. का वर्ष में चार बार मिलना संभव नहीं था। तथ्य यही था कि दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की गई थी। रा.स्त.मं.स. की बैठक के कार्यवृत्त में भी पाया गया कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था। ▪ कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान के लिए डॉ. अतुल जैन को सलाहकार के रूप में नियुक्त (जुलाई 2011) किया ताकि कृषि विभाग में रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं की मॉनीटरिंग को आसान बनाया जा सके। (जुलाई 2012) कि यद्यपि डा. जैन ने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी परंतु रिपोर्टों को मंत्रालय के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसके परिणामों की न तो राज्यों को सूचित किया गया था

क्र.स.	राज्य का नाम	टिप्पणियाँ
		और न ही नोट की गई कमी हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।
17.	सिक्किम	रा.स्त.मं.स. की बैठक के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि बैठकें अधिकतर परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के लिए आयोजित की गई थीं तथा भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन/उपलब्धियां मॉनीटर नहीं की गई थीं। इसके अतिरिक्त, दोनों नोडल एवं कार्यान्वयन विभागों के भाग पर रिकार्ड ठीक से न रखने में मॉनीटरिंग की कमी को दर्शाया था।
18.	तमिलनाडु	2007-08 से 2011-12 तक हुई रा.स्त.मं.स. की बैठकों के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों/परियोजनाओं के निष्पादन पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई थी। यद्यपि, रा.स्त.मं.स. ने अपनी 8वीं बैठक में रा.कृ.वि.यो. की महत्वपूर्ण योजनाओं के तीसरे पक्ष का मूल्यांकन शुरू करने से संबंधित अभ्युक्ति की (अप्रैल 2012) थी, अध्ययन अभी शुरू किया जाना था। त.ना.वा.शे.वि.अ.[1] राज्य में रा.कृ.वि.यो. को त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजता है। हालांकि, भौतिक प्रगति रिपोर्ट भेजते हुए घटक-वार लक्ष्य तथा परियोजनाओं में सभी उप-घटकों के लिए उपलब्धियों की नोडल अभिकरण, त.ना.वा.शे.वि.अ. द्वारा नहीं भेजा जा रहा था।
19.	त्रिपुरा	रा.स्त.म.स. की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा से पता चला कि बैठकें मुख्य रूप से नोडल विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु हुईं थीं तथा परियोजना योजना के उद्देश्यों कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की गई थी। परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों को रा.स्त.मं.स. द्वारा मॉनीटर नहीं किया गया था तथा अभी तक रा.स्त.मं.स. द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।
20.	उत्तर प्रदेश	लेखापरीक्षा ने पाया कि 03.03.2008 से 0.6.12.2012 के बीच हुई 14 रा.स्त.मं.स. की बैठकों में से 10 में 102 से लेकर 137 दिनों के विलंब हुए थे। रा.स्त.मं.स. के छठी बैठक (अप्रैल 2010) में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यान्वयन मॉनीटरिंग समिति (रा.स्त.का.मॉ.स.) संस्वीकृत की गई थी तथा मासिक आधार पर अपेक्षित 32 बैठकों के प्रति अगस्त 2010 से मार्च 2013 के दौरान केवल 8 रा.स्त.का.मॉ.स. बैठकें हुई थीं। रा.स्त.का.मॉ.स. द्वारा अपनी प्रथम बैठक (अगस्त 2010) में परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रस्तावित की गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे (सितम्बर 2013)।
21.	उत्तराखण्ड	रा.स्त.मं.स. ने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की थी। उसी वित्तीय वर्ष

[1] तमिलनाडु वाटर शेड विकास अभिकरण (त.वा.शे.वि.अ.)

क्र.स.	राज्य का नाम	टिप्पणियाँ
		में परियोजनाओं को संस्वीकृत करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में नौ रा.स्त.मं.स. बैठकों में से पांच हुई थी। राज्य सरकार ने रा.कृवि.यो. के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, न तो रा.स्त.मं.स. ने और न ही नोडल विभाग ने रा.क.वि.यो. के मूल्यांकन अध्ययन की शुरूआत की थी। राज्य सरकार द्वारा रा.कृवि.यो. मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया था (जून 2013)। इंगित किए जाने पर, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रा.कृवि.यो. प्रकोष्ठ का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
22.	पश्चिम बंगाल	रा.स्त.मं.स. की बैठकों के कार्यवृत्त में रा.कृ.वि.यो. की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों की स्थापना की गई थी तथा प्रत्येक माह एक बार मिलन अपेक्षित था। दस जिलों में 2008 और 2012 के बीच 600 बैठकों की आवश्यकता के प्रति केवल 50 बैठकें आयोजित की गई थीं।

अनुबंध-XXV

(पैरा 6.6.2 के संदर्भ में)

राज्यो द्वारा रा.कृ.वि.यो. वेबसाइट में प्रविष्ट आंकड़ों में विसंगतियाँ

क्र. स.	राज्य का नाम	विसंगतियाँ
1.	असम	वेबसाइट में प्रविष्ट आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था। वेबसाइट में आंकड़ो को प्रस्तुत करने के आधार की लेखा परीक्षा के समक्ष व्याख्या नहीं की गयी थी। चयनित परियोजनाओं की संवीक्षा ने मा.सू.प्र. डाटा एंव परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति (वित्तीय एंव भौतिक दोनों) के मध्य विसंगतियाँ दर्शायी।
2.	छत्तीसगढ़	शीर्ष कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया था कि फरवरी 2013 तक सूचना की प्रविष्टि हुई थी। हालाँकि, फरवरी 2013 के बाद किये गये व्यय से संबधित प्रविष्टियों को, एन.आई.सी. द्वारा विकसित वेबसाइट के नहीं खुलने के कारण, नहीं डाला गया था।
3.	गोवा	रा.कृ.वि.यो. पोर्टल में प्रविष्ट और लेखा परीक्षा द्वारा प्राप्त आकड़ों के मध्य कुछेक मामले में विभिन्नताएं देखी गयी थी। शीर्ष विभाग ने बताया कि गलतियों से बचने के लिए डाटा के अधतन पर प्रशिक्षण देने का मुदा मंत्रालय के समक्ष रखा गया है, मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।
4.	गुजरात	कृषि परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ (कृ.प.का.प्र.) को का.अ. द्वारा वेबसाइट में इस की प्रविष्टि के पूर्व प्रगति रिपोर्टो में प्रस्तुत भौतिक एंव वित्तीय आकड़े के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। कृ.प.का.प्र. द्वारा लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत 2007-08 से 2012-13 की परियोजनाओं की स्थिति पर डाटा के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक 262 पूर्ण, 130 कार्याधीन, 31 परिव्यक और नौ रोक दी गयी परियोजनाएं थीं। हालांकि, वेबसाइट पर अपलोड किये गये डाटा में, वही पूर्ण परियोजनाएं-273, कार्याधीन-128 एंव परिव्यक-31 दर्शाता था। अतः लेखा परीक्षा को सूचित-डाटा और वेबसाइट पर अपलोड किये गये डाटा में अंतर था।
5.	हरियाणा	रा.कृ.वि.यो. डाटाबेस एंव प्रबंधन सूचना प्रणाली को शीर्ष विभाग में वर्ष 2010-11 में संस्थापित किया गया था। हालांकि, परियोजनाओं की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति रिपोर्टे वर्ष 2012-13 हेतु अपलोड नहीं की गयी थी।
6.	जम्मू एंव कश्मीर	रा.क.वि.यो. वेबसाइट पर सीधे अपलोड की गयी रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं पर व्यय की डाटा/सूचना वास्तविक डाटा और आंकड़ो से भिन्न पायी गयी। डी.ए.सी. के प्र.सू.प्र. में उपलब्ध अधिकांश माड्यूलों से संबधित सूचना शीर्ष/संबद्ध विभागों द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था।
7.	झारखंड	झारखण्ड में परियोजनाओं की प्रगति पर आर.डी.एम.आई.एस. में आंकड़ा प्रविष्टि

क्र. स.	राज्य का नाम	विसंगतियाँ
		निदेशक, कृषि द्वारा किया गया था परंतु झारखंड सरकार द्वारा पूर्ण कर ली गयी परियोजनाओं के रूप में दर्शायी गयी परियोजनाओं के वास्तव में समाप्ति को मापक पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों आदि जैसे वैध समाप्ति प्रलेखों से सत्यापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, कृषि ज्ञान एवं उद्योग केन्द्र की परियोजना स्थापना को आर.डी.एम. में पूरा किया गया दिखाया गया था जबकि वास्तव में परियोजना को टाल दिया गया था और इसके स्थान पर किसानों के लिए 50 बिस्तरों वाले हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था जो अभी पूरा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र के मामले में, ₹31.15 लाख की 2011-12 में आर.डी.एम.आई.एस. में व्यय हुआ दर्शाया गया था। परंतु केवल ₹3.15 लाख ही योजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय किया गया था और 2012-13 के दौरान ₹58.30 लाख के वास्तविक व्यय के स्थान पर 55 लाख का व्यय दर्शाया गया था। रॉची में मत्स्य पशुधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना को ₹2 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया दर्शाया गया था जबकि केवल 50 लाख ही जारी किया गया था और वह भी बाद में अन्य योजनाओं में विपथित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, आर.डी.एम.आई.एस. में दर्ज 50 अनुमोदित परियोजनओं के प्रति, किये गये व्यय को दर्ज नहीं किया गया था। विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत, दो परियोजनाओं के अंतर्गत ₹3.78 करोड़ के कुल परियोजना लागत (किसानों के लिए दुमका, रांची एवं सरायकेला में 50 बिस्तरों वाले हॉस्टलों के निर्माण: ₹2.55 करोड़ एवं रांची में झारखण्ड कृषी मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ₹1.23 करोड़) में से ₹1.18 करोड़ (किसानों के लिए दुमका, रांची एवं सरायकेला में 50 बिस्तरों वाले हॉस्टलों के निर्माण: ₹57 लाख एवं रांची में झारखंड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना: ₹61 लाख) ही खर्च हुआ था, फिर भी आर.डी.एम.आई.एस. के अनुसार कृ.ग.वि.वि. ने मंत्रालय को ₹2.87 करोड़ का व्यय सूचित किया था।
8.	कर्नाटक	वेबसाइट वर्ष 2009-10 से ही कार्यरत था। शीर्ष विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई नियंत्रण या डाटा की वैधता हेतु कोई फिल्ड नहीं था। फलस्वरूप, लेखा परीक्षा को शीर्ष विभाग द्वारा डाटा को अपलोड करने के कार्य एंव इसकी मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग में निम्नलिखित कमियाँ दिखायी दी थी। क) यघपि वेबसाइट 2009-10 से ही कार्यरत था, पूर्व की अवधि के लिए संस्वीकृत सभी परियोजनाओं की आई.डी. को 2010-11 से शुरू हुआ दिखाया गया था, जो गलत था। ख) अनुमोदित परियोजना लागत से व्यय अधिक था। किसी अन्य

क्र. स.	राज्य का नाम	विसंगतियाँ
		योजना/परियोजना से किसी प्रकार के पुनर्विनियोग का कोई जिक्र नहीं किया गया था। एस.एल.एस.सी. द्वारा किसी कार्योतर अनुमोदन का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। ग) एकमात्र परिव्यक परियोजना को पूर्ण दर्शाया गया था। दो परियोजनाओं की स्थिति बगैर कोई व्यय किये पूर्ण दर्शायी गयी थी। घ) दर्शाये गये भौतिक लक्ष्य परियोजना के उद्देश्यों से लेशमात्र भी संबधित नही थी प्र.सू.प्र.में परियोजनाओं की दर्शायी गयी उपलब्धियाँ आपस में बदली हुई थीं और विशिष्ट परियोजना से संबधित नहीं थी।
9.	केरल	शीर्ष विभाग के स्तर से कार्यान्वयन इकाईयों के स्तर तक वेबसाइट में प्रत्येक विभाग द्वारा भरे गये विवरण या तो गलत थे या अधतित नहीं थे।
10.	मेघालय	रा.कृ.वि.यो. हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गयी थी क) 2008-09 के दौरान ए.एन.एच.बी. क्षेत्र से संबधित पाँच परियोजनाएं बागवानी क्षेत्र के अतंर्गत वर्गीकृत की गयी थीं और उन्हें बागवानी से संबधित परियोजना आई.डी. आबंटित की गयी थी। ख) नमूना जाँच हेतु चयनित 7(सात) परियोजनाओं में से, दो परियोजनाओं, यथा,"10 स्थानों पर बागवानी केन्द्रों का सुदृढीकरण" एंव "जैविक प्रमाणन", को पूर्ण हुआ दर्शाया गया था जबकि परियोजनाएं अभी कार्याधीन थीं। ग) इसके अतिरिक्त, प्र.सू.प्र. में दर्शाया गया व्यय, खर्च की सटीक स्थिति का संकेत नहीं करता था।
11.	राजस्थान	रा.कृ.वि.यो. वेबसाइट पर अपलोड किये गये डाटा में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गयी थी: **क)** <u>परियोजनाओं का गलत वर्गीकरण</u> - **10** परियोजनाएं अन्य क्षेत्रों के अतंर्गत गलत रूप से वर्गीकृत की गयी थीं, यथा बागवानी क्षेत्र की चार परियोजनाएं बीज क्षेत्र के अतंर्गत वर्गीकृत की गयी थीं, कृषि अनुसंधान क्षेत्र की दो परियोजनाएं कृषि मशीनीकरण के अतंर्गत वर्गीकृत थीं, इत्यादि। तथ्यों को स्वीकारते हुए, शीर्ष अधिकारी ने सूचित किया (सितंबर 2013) कि 2010-11 के दौरान आर.डी.एम.आई.एस. में आंकड़ो की प्रविष्टि के समय गलतियाँ हुई थीं, क्षेत्रों एंव उप-क्षेत्रों को ध्यान से नहीं चुना गया था और इसे अब नहीं सुधारा जा सकता है। तथ्य रहते हैं कि वेबसाइट पर दी गयी सूचना गलत थी। **ख)** <u>वेबसाइट पर दिये गये परियोजनाओं के ब्योरे में विसंगतियाँ</u> – 10 परियोजनाओं

क्र. स.	राज्य का नाम	विसंगतियाँ
		हेतु वेबसाइट पर अघतित डाटा से संबधित, विभिन्न विसंगतियाँ यथा परियोजना की स्थिति/जारी राशि/परियोजना अवधि/ समाप्ति की अनुमानित तिथि/ कार्यान्वयन के क्षेत्र का हस्तलिखित अभिलेखों के साथ गैर मिलान, परियोजनाओं के डाटा का गैर-अघतन देखी गयी थीं। पूरे राज्य को कार्यान्वयन क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था जबकि, परियोजना को दो जिलों (उदयपुर एंव बांसवाडा) में कार्यान्वित किया गया था।
12.	सिक्किम	वेबसाइट की जाँच से उदघाटित हुआ कि विभाग ने स्ट्रीम-।। के ब्यौरों को कुछ मामलों में गलती से स्ट्रीम-। के रूप में अपलोड कर दिया था और व्यय के आंकड़े भी गलत थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना स्थिति एंव परिणामों को भी नियमित रूप से अघतित नहीं किया गया था।
13.	उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षा ने देखा कि वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत (सितंबर 2013) नहीं हुई थी क्योंकि आर.डी.एम.आई.एस. प्रविष्टि राज्य स्तर पर 2010-11 से शुरू हुई थी लेकिन जिला स्तर पर डाटा की अनुपलब्धता के कारण, इच्छित मानीटरिंग संभव नहीं था। 2012-13 के तीसरे तिमाही में जिला स्तर पर शुरू हुई आर.डी.एम.आई.एस. प्रविष्टि अघतित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, संस्थापित साफ्टवेयर माड्यूल परिवर्तन की प्रक्रीया में था।
14.	उत्तराखंड	लेखा परीक्षा विश्लेषण में आर.डी.एम.आई.एस में सूचित व्यय के आंकड़ो (₹173.24 करोड़) एंव शीर्ष विभाग द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु अनुरक्षित परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट (₹172.88 करोड़) में असंगति प्रकट हुई। संकेत करने पर, शीर्ष विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि डाटा गलती से आर.डी.एम.आई.एस. में अपलोड़ हो गया था।
15.	पश्चिम बंगाल	वेब आधारित प्रबधन सूचना प्रणाली में डाटा को सम्मिलित करने के कार्य की शुरूआत 2010 में हुई थी। हालांकि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वेबसाइट पर दिये गये डाटा की सत्यता को जाँचने का कोई तंत्र मौजूद नहीं था। फलस्वरूप, चयनित जिलों में यह देखा गया था कि यघपि दो परियोजनाएं[2] या तो कार्याधीन थीं या शुरू ही नहीं की गयी थीं, उन्हे वेबसाइट पर पूर्ण किया गया दर्शाया गया था। राज्य से 2012-13 में जारी ₹ 374.58 करोड़ के प्रति ₹ 50.14 करोड़ की राशि हेतु बकाया उ.प्र. वेबसाइट पर दर्शाया गया (25 सितंबर 2013) था, जबकि राज्य के अनुसार, बकाया उ.प्र. की राशि 3 अक्टुबर 2013 तक ₹ 57.57 करोड़ थी। इसी तरह, वेबसाइट पर ₹ 911.19

[2] मालदा में बागवानी प्रौघोगिकी प्रसार केन्द्र की स्थापना एंव पश्चिम मिदनापुर तथा उत्तर 24 परगना में प्रौधोगिकी प्रसार केन्द्र की स्थापना।

क्र. स.	राज्य का नाम	विसंगतियाँ
		करोड़ की राशि 2007-08 से 2012-13 के दौरान स्ट्रीम-1 के अंतर्गत परियोजना लागत के रूप में दर्शायी गयी थी, जबकि राज्य के अभिलेखों के अनुसार, यह राशि ₹ 1003.88 करोड़ थी।

शब्दावली

ए.डी.ओ.	कृषि विकास अधिकारी (कृ.वि.अ.)
ए.एफ.ए.	कृषि फील्ड सहायक (कृ.फी.स.)
ए.एफ.डी.पी.	त्वरित चारा आपूर्ति विकास कार्यक्रम
ए.जी.आर.ई.	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि)
ए.आई.	कृत्रिम बोवाई
ए.एम.ई.सी.	कृषि मशीनीकरण
ए.एन.एच.बी.	पशुपालन
ए.पी.एम.सी.	कृषि उत्पाद बाजार समितियॉ (कृ.उ.बा.स.)
ए.टी.एम.ए.	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (कृ.प्रौ.प्र.अ.)
बी.ए.आई.एफ.	भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी संघ (भा.कृ.प्रौ.सं.)
बी.ए.पी.यू.	ब्लॉक कृषि योजना इकाई (ब्ला.कृ.यो.इ.)
बी.जी.आर.ई.आई.	पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना
बी.एम.सी.	थोक दुग्ध कूलर (थो.दु.कू.)
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)
बी.वी.एन.	बीज विकास निगम (बी.वि.नि.)
सी.एच.	कम्बाईन हारवेस्टर
सी.एच.सी.	कस्टम हायरिंग केन्द्र (क.हा.के.)
सी.ओ.ओ.पी.	सहकारी/सहकारिता
सी.आर.ओ.पी.	फसल विकास
डी.ए.ओ.	जिला कृषि अधिकारी (जि.कृ.अ.)
डी.ए.पी.	जिला कृषीय योजना (जि.कृ.यो.)
डी.ए.पी.यू.	जिला कृषीय योजना इकाई (जि.कृ.यो.इ.)
डी.डी.ई.वी.	डेयरी विकास
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.)
इ.एक्स.टी.एन.	विस्तार
एफ.एफ.एस.	फार्म फील्ड स्कूल
एफ.आई.एन.एम.	उर्वरक एवं एकीकृत पोषण प्रबंधन (उ.ए.पो.प्र.)
एफ.आई.एस.एच.	मत्स्य पालन (फिश)
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)
जी.एम.पी.	अच्छे उत्पादन अभ्यास (अ.उ.अ.)
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)
एच.ओ.आर.टी.	बागवानी
एच.वाई.वी.	उन्नत उपज किस्म (उ.उ.कि.)

आई.एन.एस.आई.एम.पी.	तीव्र मिलैट प्रोत्साहन के माध्यम से पौषणिक सुरक्षा पहल
आ.ई.पी.एम.टी.	एकीकृत कीट प्रबंधन (ए.की.प्र.)
आ.ई.आर.आर.आ.ई.	सूक्ष्म/लघु सिंचाई
आ.ई.टी.ई.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.)
के.वी.के.	कृषि विज्ञान केन्द्र (कृ.वि.के.)
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस)
एम.एम.ए.	कृषि का मैक्रो प्रबंधन
एम.आर.के.टी.	विपणन एवं फसलोत्तर प्रबंधन
एन.ए.बी.ए.आर.डी.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बै.)
एन.डी.सी.	राष्ट्रीय विकास परिषद (रा.वि.प.)
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रा.खा.सु.मि.)
एन.आ.ई.आर.डी.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (रा.ग्रा.वि.सं.)
एन.एम.पी.एस.	राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन (रा.प्रो.सं.मि.)
एन.ओ.एन.एफ.	गैर- खेती कार्य
एन.आर.ई.जी.एस.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (रा.ग्रा.रो.गां.यो.)
एन.आर.एम.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा.सं.प्रं.)
ओ.आर.एफ.एम.	जैविक कृषि/जैव-उर्वरक
ओ.टी.एच.आर.एस.	अभिनव कार्यक्रम/अन्य
पी.ओ.पी.	खजूर तेल का उन्नयन
पी.पी.पी.	सार्वजनिक -निजी भागीदारी (सा.नि.भा.)
आर.ए.डी.पी.	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
आर.डी.एम.आई.एस.	रा.कृ.वि.यो. डाटाबेस एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)
आर.एम.जी.	रायथू मित्रा ग्रुप्स (रा.मि.ग्रु.)
आर.एस.के.	रायथू संपर्क केन्द्र (रा.सं.के.)
एस.ए.पी.	राज्य कृषि योजना (रा.कृ.यो.)
एस.ई.आर.आई.	रेशम उत्पादन (सेरी)
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्व.ज.ग्रा.स्वं.यो.)
एस.आई.ए.ई.टी.	राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (रा.कृ.वि.प्र.सं.)
एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय मजूंरीदाता समिति (रा.स्त.मं.स.)
एस.एम.डी.	विषय मामला प्रभाग (वि.मा.प्र.)
एस.आर.आई.	चावल संकेन्द्रण प्रणाली (चा.सं.प्र.)
एस.डब्ल.यू.	गेहूँ संकेन्द्रण प्रणाली (गे.सं.प्र.)
टी.ए.पी.यू.	तालुका कृषि योजना इकाई (ता.कृ.यो.ई.)
टी.सी.एम.पी.एफ.	तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.

टी.एन.ए.यू.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (त.कृ.वि.)
टी.एन.एम.एस.सी.	तमिलनाडु चिकित्सा सेवाएं निगम (त.चि.से.नि.)
टी.एस.जी.	तकनीकी सहायक समूह (त.स.स.)
यू.ए.एस.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (कृ.वि.वि.)
यू.सी.	उपयोग प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)
यू.एच.एस.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (बा.वि.वि.)
यू.टी.	संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.)
वी.ए.पी.यू.	ग्राम कृषि योजना इकाई (ग्रा.कृ.यो.ई.)
पी.ए.पी.यू	पंचायत कृषि योजना इकाई (पं.कृ.यो.ई.)
वी.आई.आई.डी.पी.	विधर्बा तीव्र सिंचाई विकास कार्यक्रम (वि.ती.सिं.वि.का.)
वी.आई.यू.सी.	शहरी समूह हेतु वनस्पति पहल (श.स.व.प.)
डब्ल्यू.एच.टी.	जल संचयन टैंक (ज.सं.टैं.)